खण्ड-289, अंक-8
बुधवार, 30 आषाढ़, शक संवत् 1893
(21 जुलाई, 1971 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 289 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७२

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | ८४९–८५३ |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. .. | ८५३–८८४ |
| प्रश्नों के सन्तोषजनक उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत .. | ८८४–८८५ |
| तीन मंत्रियों के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की मांग .. .. .. | ८८५–८८८ |
| विविध विषयों के सम्बन्ध में जानकारी .. .. .. | ८८८–८९० |
| मिर्जापुर जिले में चील्ह घाट के समीप नाव दुर्घटना के संबंध में वक्तव्य .. | ८९०–८९४ |
| उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९७१ (पुरःस्थापित किया गया) | ८९४ |
| १९७१–७२ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (समाप्त) .. .. | ८९४–९५९ |
| नियम ५१ तथा ५६ के अन्तर्गत सूचनायें .. .. .. | ९५९–९६० |
| नत्थियां .. .. .. .. | ९६१–९९४ |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार २१ जुलाई, १९७१

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

## उपस्थित सदस्य—३७३

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
• बी• आइस, श्री

ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्याणसिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशवचन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती

गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नारायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार सिंह, श्री
जयनारायन सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगरसिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजपाल, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन बिभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री

बद्री प्रसाद, श्री
बनारसीराम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलरामसिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराजसिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौतीप्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद, शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभो यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूलसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी ख , श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीरसिंह यादव, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
रामकुमार, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरण, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
रामदुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री

राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामप्यारे, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामबचन यादव, श्री
राममूर्ति अंचल, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे श्री
रामलाल भाई श्री
रामलाल राही, श्री
रामविलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर्राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्षमणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालूराम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजय बहादुर सिंह, श्री
बिजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भरसिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीरबहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिवकुमार पांडे , श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिवकैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिववचन, श्री
शिवमहेन्द्रसिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवसम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्यामसुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री

सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वमुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, उर्फ हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होतीलाल अग्रवाल, श्री

---

# प्रश्नोत्तर

---

बुधवार, २१ जुलाई, १९७१

---

## अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

### सार्वजनिक इंटर कालेज, जौनपुर के शिक्षकों का वेतन

**१—श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जौनपुर जनपद के अन्तर्गत सार्वजनिक इण्टर कालेज, जौनपुर के शिक्षकों का वेतन मई, १९७० ई० से न देकर नवम्बर, १९७० ई० से दे देने का आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर ने किया? यदि हां, तो क्यों?

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजी लाल सहायक)—

विद्यालय का अनुदान अक्तूबर, १९७० में निलम्बित किया गया था अतः जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नवम्बर, १९७० से ही शुल्काय तथा अनुरक्षण अनुदान को मिला कर वेतन वितरित किया गया। मई, १९७० में अनुदान निलम्बित नहीं था। अतः उस समय निरीक्षक द्वारा वेतन दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामदेव—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मई ७० से अक्तूबर, १९७० तक सार्वजनिक इन्टर कालेज के अध्यापकों को वेतन नहीं दिया गया है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, जो वेतन नहीं दिया गया उसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है, वह तो प्रबन्धकों पर है।

श्री रामदेव—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह है कि क्या मई, १९७० से अक्तूबर, १९७० तक वहां के अध्यापकों को वेतन नहीं दिया गया ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित। शिक्षा मन्त्री जी शिक्षक रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पर जिम्मेदारी नहीं है। श्रीमन्, सरकार अनुदान देती है और ६ महीने का वेतन नहीं मिला है। तो क्या मंत्री जी प्रबन्धकों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, उनका अनुदान निलम्बित था। अब वह उनकी जिम्मेदारी है। जरूर हम उस पर जांच करा लेंगे।

श्री रामदेव—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सार्वजनिक इन्टर कालेज में अप्रैल, १९७० तक का ही वेतन अध्यापकों को दिया गया था ? जब जिला विद्यालय निरीक्षक के हाथ में उसको सौंपा गया तो उन्होंने नवम्बर, १९७० से वेतन देना शुरू किया। जो बीच का वेतन है उसको भी देने का दायित्व सरकार पर होना चाहिए। तो क्या सरकार वह वेतन दिलाने की व्यवस्था करेगी ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

किसी भी संस्था की पुरानी बकाया हम नहीं दे सकते।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, ६ महीने का वेतन नहीं दिया गया। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि इसका दायित्व प्रबन्धकों पर है। मान्यवर, हमारे इन्टरमीडिएट ऐक्ट में यह धारा है कि अगर ग्रास इर्रेग्युलेरिटी इन पेमेन्ट आफ सैलरीज है तो शासन उसे अपने हाथ में लेकर व्यवस्था कराएगी। तो क्या शिक्षा मंत्री जी इस नियम को ध्यान में रखते इस प्रबन्ध समिति को तोड़कर उसको शासन के अधीन लेंगे ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

यह तो आगे का प्रश्न है। जांच कराकर ही इसका उत्तर दे सकूंगा।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस विद्यालय का अनुदान कब से निलम्बित है और कब मिलने की आशा है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

अनुदान तो इसका अक्तूबर से निलम्बित कर दिया गया था। लेकिन अब निलम्बित नहीं है, और अब इनको वेतन दिये जाने की सब सुविधा हो रही है।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)---

माननीय मन्त्री जी ने बताया है कि जो बीच की अवधि का वेतन बाकी है उसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी। मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि उस वेतन के दिलाने की जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी। क्या मन्त्री जी बकाया वेतन के औचित्य को मानते हैं या नहीं मानते हैं? उनका जो वेतन बाकी है वह उनको मिलना चाहिए। क्या मन्त्री जी यह एहसास करते हैं या नहीं, यह मन्त्री जी कृपया बताने की कृपा करें।

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

औचित्य है, लेकिन उसकी देनदार प्रबन्ध समिति है, सरकार नहीं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या मन्त्री जी यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि जब वे इस विद्यालय का अनुदान जारी करें तो उस अनुदान में से अध्यापकों के ६ महीने के वेतन को काट लेंगे और अध्यापकों का वेतन उनको अदा कर दिया जायेगा?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, इसका आश्वासन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अब तो वेतन देने का कार्य ही सरकार को करना पड़ रहा है। यह हम नहीं कर सकते हैं।

## शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पुनर्व्यवस्था योजना के अन्तर्गत प्रसार अध्यापक

**२---श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा) (अनुपस्थित)---

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पुनर्व्यवस्था योजना में ऐसे कितने प्रसार अध्यापक हैं जो १५ सालों से इस विभाग में सेवा कर रहे हैं और उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया है। यदि हां, तो स्थायी कब तक कर दिया जावेगा?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

२४० प्रसार अध्यापक।

प्रयत्न किया जा रहा है कि इनके स्थायीकरण का मामला शीघ्र तय कर दिया जाय।

## बी० टी० सी० की ट्रेनिंग हेतु छात्र तथा छात्राओं का चयन की निर्धारित तिथि का स्थगन

**३---श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

क्या सरकार बतायेगी कि बी० टी० सी० की ट्रेनिंग हेतु छात्र तथा छात्राओं के चयन हेतु जो जून, सन् १९७१ के प्रथम सप्ताह में तिथि निर्धारित की गई थी, वह शासन के अदेशानुसार सम्प्रति अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

जी हां। दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शम्भू नाथ चौधरी---

मान्यवर, मैं बलिया जिले की बात जानता हूं। बलिया जिले में ३, ४ व ५ जून, १९७१ निश्चित की गयी थी। ३ जून, १९७१ को छात्र आये थे, मगर यह कहा गया कि सरकारी आदेश हो गये हैं कि चयन स्थगित हो गया है। मन्त्री जी ने किस आधार पर यह उत्तर दिया है कि बलिया में जो कुछ हुआ है उसकी वे जांच कराएंगे।

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, यहां से कोई ऐसे आदेश नहीं गये हैं।

श्री मही लाल (जिला मुरादाबाद)---

क्या मंत्री जी इस बात की जांच कराएंगे कि मुरादाबाद में भी यह सूचना पहुंची है कि शासन की ओर से ऐसे आदेश हुए हैं कि अनिश्चित काल के लिए चयन की तिथि स्थगित की जाती है। क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि उन्होंने कुछ विधायकों की संस्तुति पर बी० टी० सी० के कुछ प्रत्याशियों ने नाम स्वीकृत किये हैं ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, मैं इसकी जांच तो अवश्य करा लूंगा, लेकिन विधायकों की संस्तुति पर ऐसा नहीं हुआ है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताएंगे कि प्रदेशीय सरकार जो कुछ नामांकन बी० टी० सी० में किया करती है इस बार भी करने जा रही है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

जी नहीं।

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)---

बी० टी० सी० की प्रशिक्षण संस्थाओं में हरिजनों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। क्या वे इसी सत्र में ऐसा कोई सर्कुलर जारी करेंगे कि उनको प्रतिनिधित्व मिल सके ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, मेरे विचार से तो इस प्रकार का सर्कुलर सभी प्रशिक्षण संस्थाओं को गया हुआ है कि हरिजनों के प्रतिनिधित्व का ध्यान रखा जाए। यदि उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो मैं उसकी जांच करा लूंगा और अवश्य ही ऐसे आदेश देने की व्यवस्था करूंगा।

श्री मुमताज मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)---

क्या मंत्री जी हरिजनों और अन्य लोगों के नामांकन करने पर ध्यान देंगे ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने तो कह ही दिया है---उन्होंने जवाब दे दिया है।

श्री उमानाथ सिंह (जिला जौनपुर)---

जिला परिषदों में २-३ वर्षों से अध्यापक कार्यरत रहे हैं। क्या मंत्री जी उनको ट्रेनिंग में भेजने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, इसकी व्यवस्था तो हमने ३ साल पहले ही की थी जो अनट्रेंड अध्यापक हैं वे ट्रेंड हो जाएं, लेकिन बहुत से अध्यापक प्रशिक्षण के लिये जाते ही नहीं हैं। कुछ आदेश सन् १९६० के पहले के थे। हमने तो यह भी किया कि उनको एग्जेम्पशन दे दें। हम तो सब सुविधा दे रहें हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगें कि उस सम्बन्ध में सरकार ने कोई परिपत्र जारी किया था। यदि हां, तो वह परिपत्र क्या है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, जो यहां से सर्कुलर गये हैं उनमें पहला १४, १५ मई, १९७० को गया है और दूसरा २२ मई, १९७१ को गया है।

## इलाहाबाद जिले के सिरसा टाउन एरिया के अध्यापक श्री शिवकान्त दुबे की हृदयगति रुक जाने के कारण मृत्यु

**४—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले में सिरसा टाउन एरिया के एक अध्यापक ने पिछले पांच महीने से वेतन न मिलने के कारण आत्महत्या कर ली है ? यदि हां, तो उस अध्यापक का क्या नाम है और सरकार सिरसा कालेज के उक्त प्रबन्धक के प्रति क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

जी नहीं। श्री शिवकान्त दुबे की मृत्यु हृदयगति रुक जाने से हो गई थी।

श्री राम गोपाल संड—

मान्यवर, मंत्रीजी ने सवाल का उत्तर ठीक से नहीं दिया। मान्यवर, मैंने यह पूंछा था कि सिरसा कालेज के एक अध्यापक को ५ महीने का वेतन नहीं मिला जिसके कारण उसने कई प्रार्थना-पत्र दिये और अंत में गरीबी के कारण आत्महत्या कर ली। मंत्रीजी ने कहा कि केवल हृदयगति रुकने से मृत्यु हुई, तो क्या वह जांच करायेंगे कि उक्त अध्यापक ने वेतन न मिलने के कारण आत्महत्या की है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, तीन महीने का सरकारी अनुदान रुकने के कारण ३ महीने का वेतन नहीं मिला था लेकिन मेरे पास सूचना है कि अध्यापक की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। परिवार की सम्मिलित आय लगभग १,००० रुपया प्रति माह थी और उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ नहीं निकला और यह कहा गया कि सामान्य मृत्यु थी।

श्री राम गोपाल संड—

किसी परिवार के लोगों के सम्पन्न होने से वह सम्पन्न नहीं हो सकता। वह अध्यापक अपने पिता से दूर २० मील पर नौकरी कर रहा था। वेतन न मिलने पर उसने गरीबी के कारण आत्महत्या की है। माध्यमिक शिक्षक संघ ने इस आशय का एक प्रस्ताव भी पास किया था। तो यह कहना कि वह सम्पन्न था, ठीक नहीं है। इलाहाबाद जिले में अध्यापकों में इस कारण उत्तेजना है।

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

मैंने निवेदन कर दिया कि हृदयगति रुकने से ऐसा हुआ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

सदन के एक माननीय सदस्य इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अध्यापक ने आत्महत्या की है और जहर खा लिया और मंत्रीजी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तो क्या वह जांच करायेंगे कि अध्यापक ने जहर खाया था ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

मान्यवर, सभी कार्यवाही हो चुकी है । एक अध्यापक ने उनको अस्पताल में दाखिल कराया था । पोस्ट मार्टम रिपोर्ट है, पंचायतनामा भी है इसलिये जांच की कोई जरूरत नहीं मालम ५ड़ती है ।

## तारांकित प्रश्न

### मुरादाबाद राजकीय परिवहन को तिगर्रा मेले में घाटा तथा रामपुर व भोजपुर में सिटी बस सर्विस चलाने की मांगें

*१—श्री रियासत हुसैन—

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद राजकीय परिवहन को तिगर्रा मेला सन् १९६९ और १९७० के अवसर पर कितना-कितना घाटा हुआ और उसके मूल कारण क्या थे ?

परिवहन उप मंत्री (श्री आबिद अली)—

राजकीय रोडवेज क्षेत्र, बरेली, के तिगर्रा मेले में वर्ष १९६९ व १९७० में क्रमशः ५६,०१५ रु० व ४३,३०० रु० की आय हुई । मेला केवल ९ दिन का होता है और इतने कम समय के लिए व्यय के आंकड़े संकलित नहीं किये जाते तथा शुद्ध लाभ नहीं निकाला जाता ।

*२—श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्रीजी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद में रामपुर व मुरादाबाद में भोजपुर को सिटी बस सर्विस चलाने के विचार सरकार कर रही है ?

श्री आबिद अली—

जी नहीं ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी यह देखते हुए कि सन् १९६९ से १९७० में १३,००० रुपये की कम आमदनी तिगर्रा मेला को मुरादाबाद से बसें चलाने में हुई, जिसका कारण यह है कि मुरादाबाद रोडवेज के कर्मचारियों और आफिसरों से मिलकर प्राइवेट बस के मालिकों ने रोडवेज के सामने ही अपनी गाड़ियों में सवारियां भरीं, इसकी जांच करायेंगे ?

परिवहन मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

मान्यवर, इस तरह की सूचना फिलहाल तो मेरे पास नहीं है । अगर माननीय सदस्य कहते हैं तो जांच करायी जा सकती है ।

श्री रियासत हुसैन—

मेरा दूसरा सवाल अलग है ।

श्री अध्यक्ष---

आप उठे नहीं ।

श्री रियासत हुसैन---

मैंने समझा कि सप्लीमेंटरी पर किसी दूसरे का नाम पुकारा है ।

श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)---

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित है । उन्होंने अपने उत्तर में यह नहीं बतलाया कि कितना घाटा हुआ । मैं जानना चाहता था कि घाटा कितना हुआ यह मंत्री जी बतलायें ?

श्री बलराम सिंह यादव---

मान्यवर, रीजन के हिसाब से आय के आंकड़े बनाये जाते हैं । मेले से जो आय हुई उसके आंकड़े उपलब्ध हैं । रीजन के हिसाब से सारा व्यय आंका जाता है इसलिये उसको नहीं बताया जा सकता कि कितना घाटा हुआ ।

श्री रियासत हुसैन---

प्र० सं० २ पर कह रहा हूं । मुरादाबाद से भोजपुर का फासला १२ मील का है और इस बीच में दिल्ली से रामनगर और दिल्ली से रानीखेत की बसें बराबर चलती है । चूंकि इस रूट को नेशनलाइज नहीं कर पाये हैं तो क्या वहां रोडवेज की बसें चलाने की व्यवस्था की जायेगी? इस रूट पर अगर दो मील की भी सवारी होती है तो उससे भी १२ आने लिये जाते हैं और १२ आने से कम का टिकट जारी ही नहीं किया जाता ।

श्री बलराम सिंह यादव---

इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि वहां पर प्राइवेट बस वाले ज्यादा चार्ज करते हैं ।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, मैं इस सिलसिले में कई बार लिख कर दे चुका हूं और ट्रान्सपोर्ट कमिशनर के के पास तक यह इस्यू जा चुका है । तो क्या मंत्री जी उस सारे रिकार्ड को निकलवाकर इस विषय में आदेश जारी करेंगे कि जब तक उस रूट को नेशनालाइज न कर पायें तब तक उस १२ मील के फासले में स्टेशन बनाकर रोडवेज की बसें चलायी जायं ?

श्री बलराम सिंह यादव---

माननीय सदस्य की बात पर विचार कर लेंगे ।

एक सदस्य---

उत्तर प्रदेश के बहुत से नेशनलाइज्ड रूट्स पर प्राइवेट बसें चल रही हैं और परिवहन विभाग सहयोग देता है और कभी उनको रोकता नहीं । तो क्या मंत्री जी इन बसों को, जो नेशनलाइज्ड रूट्स पर चलती हैं और सरकार को नुकसान होता है, बंद कराने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव---

जहां तक नेशनलाइज्ड रूट्स पर प्राइवेट बसें चलने का सवाल है, सरकार की तरफ से ऐसे कोई परमिट्स नहीं दिये जाते हैं । केवल उन मार्ग पर जिनपर कोर्ट के जरिये से अधिकार दिया गया है प्राइवेट अपरेटर्स को वहां पर वे चला रहे हैं ।

श्री महीलाल---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी करायेंगे कि तिगर्रा मेले में जो हानि होती है उसका कारण यह है कि प्राइवेट बस वालों को टेम्पोरेरी परमिट दिये जाते हैं और वे रोडवेज के मुकाबले कम किराया रखते हैं ।

श्री बलराम सिंह यादव---

मान्यवर, इस तरह की कोई सूचना नहीं है ।

श्री महीलाल---

क्या मंत्री जी मेरे इस पूरक प्रश्न को सूचना मानकर जांच करा लेंगे कि प्राइवेट आपरेटर्स को परमिट दिये जाते हैं ?

क्या मेरे प्रश्न को सूचना मानकर माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि प्राइवेट बसों को टैम्पोरेरी परमिट देने से रोडवेज को काफी हानि होती है ?

श्री बलरामसिंह यादव---

अगर माननीय सदस्य सूचना देंगे तो जांच करायी जा सकती है ।

श्री महीलाल---

जांच करायी जा सकती है, यह तो कोई उत्तर नहीं है ।

श्री बलराम सिंह यादव---

जांच करा ली जायेगी, मान्यवर ।

श्री रामकुमार (जिला कानपुर)---

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कानपुर-लखनऊ तथा झांसी-लखनऊ रूट्स पर भी प्राइवेट बसें चलती हैं, यदि हां, तो उनके परमिट कब दिये गये और किसके आदेश से दिये गये ?

श्री बलराम सिंह यादव---

यह बसें अदालत के आदेश से चल रही हैं। वैसे मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

(व्यवधान)

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)---

मैं व्यवस्था चाहता हूं । जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि जांच करा लेंगे, इसमें जांच की क्या आवश्यकता है, उसका सवाल कहां है, जांच तो पहले ही कराके माननीय मंत्री जी को स्पष्ट उत्तर देना चाहिये था कि उससे हानि होती है या नहीं, स्पष्ट उत्तर नहीं आता ।

श्री अध्यक्ष –

जो उत्तर उन्होंने ठीक समझा दिया ।

श्री महीलाल---

मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं, लिख कर दे दूंगा ।

श्री रामकुमार---

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया कि कानपुर -लखनऊ तथा झांसी-लखनऊ रूट्स पर प्राइवेट बसों के लिये परमिट कब और किसके आदेश से दिये गये तथा क्यों उसके कारण सरकार को हानि हो रही है?

श्री बलराम सिंह यादव---

मैंने तो कहा मेरे पास उसकी सूचना नहीं है, सूचना चाहिये ।

श्री रामकुमार---

मंत्री जी उत्तर से भाग रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फनगर)---

इस तरह से समय नष्ट हो रहा है ।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष द्वारा अगला प्रश्न लिये जाने पर)

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, आपने दूसरे प्रश्न के बारे में सप्लीमेंटरी करने का मुझे अवसर नहीं दिया । मुझे दूसरे प्रश्न मुरादाबाद-रामपुर के बारे में करने थे....।

मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मुरादाबाद और रामपुर जो दो जिले हैं, जिनके बीच में १७ मील का फासला है, वहां पर जनता की भारी आमदरफ्त को देखते हुए मुरादाबाद और रामपुर के बीच में सिटी-बस चलाने के आदेश तुरन्त देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

इसमें जानकारी वह कर लें, तो वह बतायेंगे।

श्री बंशीधर पांडेय(जिला वाराणसी)---

इनके प्रश्न में स्पष्ट मांग है कि घाटा हो जाता है तो उसका क्या कारण है ? मैं समझता हूं मान्यवर, कि इसका कारण इनके पास आया होगा, लेकिन वह किन्हीं कारणों से बताना नहीं चाहते हैं ।

श्री रियासत हुसैन---

अध्यक्ष महोदय, चूंकि मंत्री जी इस बारे में कई प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाये हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विषय पर नियम ४९ में चर्चा करने की आप हमें आज्ञा दे दें ।

श्री अध्यक्ष---

आप दे दीजियेगा ।

## पौड़ी गढ़वाल के मार्गों पर राजकीय रोडवेज की बसें

*३---श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)---

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला पौड़ी-गढ़वाल के किन-किन मार्गों पर राजकीय रोडवेज की बसें चलती हैं ?

श्री आबिद अली---

जिला पौड़ी गढ़वाल में निम्नलिखित मार्गों पर राजकीय रोडवेज की बसें चलती हैं ।

१---कोटद्वार-कोड़ी ।

२---कोटद्वार-डाडामंडी ।

३---कोटद्वार-चन्डई ।

४---कोटद्वार-हलद्वानी ।

५---कोटद्वार-रीटाखाल-सांगलाकोटी ।

६---कोटद्वार-खिर्सू-फरखंडखाल ।

७---कोटद्वार-पाओं-मूसागली ।

८---पौड़ी-कोटद्वार-देहली ।

९---लैन्सडाउन-श्रीनगर ।

१०---लैन्सडाउन-कोटद्वार-देहरादून ।

११---नजीबावाद-श्रीनगर ।

१२---नजीबाबाद-लैन्सडाउन ।

१३---कोटद्वार-गढ़।

१४---कोटद्वार-लैन्सडाउन ।

१५---कोटद्वार-नजीबाबाद ।

१६---श्रीनगर-पौड़ी-कोटद्वार ।

*४---श्री शिवानन्द नौटियाल-

क्या परिवहन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इन बसों की हालत खराब रहती है और इनमें चलना खतरे से खाली नहीं है ?

श्री आबिद अली---

यह सही नहीं है कि बसों की हालत इतनी खराब है कि उनमें चलने में खतरा है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोटद्वार-फिरजू-फरखुन्दाखाल, कोटद्वार-मागो-मूसागली तथा पौड़ी देहरादून मार्गों पर दो माह से बसें क्यों बन्द कर दी गई हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव---

इस तरह को मान्यवर, मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या माननीय मंत्री जी मेरी इस सूचना को आधार मानकर इन रोडों पर फिर से बसें चलाने की व्यवस्था करवायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव---

अगर यह सही है तो व्यवस्था की जा सकती है, करवा देंगे ।

श्री महीलाल----

माननीय सदस्यों के निश्चित प्रश्नों के उत्तर में क्या मंत्री लोग 'अगर' 'मगर' के साथ उत्तर दे सकते हैं ? कृपया इस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष---

बात यह है कि उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि ये बन्द हो गयी हैं बसें । तब तो वह ऐसा जरूर कहेंगे ।

श्री महीलाल---

परम्परा यह रही है कि माननीय सदस्यों के कथन को सत्य माना जाता है । फिर उसके साथ अगर लगाना कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष—

उनको (मंत्री जी को) चाहिये था कि कहते मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा । और इनक्वायरी सही पायेंगे तो जरूर करेंगे ।

श्री महीलाल—

कई प्रश्नों के उत्तर में कहा है अगर सही है।

श्री अध्यक्ष—

बोलने के ढंग में जरा गड़बड़ है।

श्री रामगोपाल संड—

मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि नये मंत्रियों का एक क्लास लगवा दें कि उत्तर कैसे दिया जाता है । अगर मगर, इफ और बट सब हट जायगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

संड जी मास्टर हैं उनका अध्यापक इन्हीं को बना दें ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

माननीय मंत्री के उत्तर में दो विषय आते हैं। एक विषय है कंडेमनेशन माइलेज का। क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जो बसें पहाड़ों में चल रही हैं टेक्निकल जो निर्धारित आख्या बनी हुई है, उसमें कंडेम्नेशन माइलेज पहाड़ों में क्या है और शहरों में क्या है ? दूसरा प्रश्न माडल का आता है । क्या पहाड़ों में ५६-५९ माडल तक की बसें कोटद्वार डिपो में चल रही हैं ?

श्री बलरामसिंह यादव—

हमारे यहां कोई भी बस तभी फुल्ली डेप्रीशियेटेड मानी जाती है जब या तो १०० माह सर्विस दे चुकी हो साथ ही साथ ४ लाख ८० हजार किलोमीटर सर्विस दे चुकी हो। जितनी बसेज हैं सभी बसेज इससे कम हैं ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि पहाड़ों में यात्रा के सीजन में प्राइवेट गाड़ियों को १५ दिन में फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है, रोडवेज की गाड़ियों के बारे में कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ऐसी बात नहीं है । फिटनेस हमारे यहां होता है और उचित और सही समय पर होता है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पहाड़ों की स्थिति विशेष है, मैदान के अन्दर फिटनेस का जो मापदंड बनाया गया है, चूंकि पहाड़ों में आये दिन दुर्घटना होती है, उसका मापदंड सुधारने का प्रयत्न करेंगे, कि माडल नया हो और कम चलने के बाद अनफिट कर दें ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, माननीय सदस्य के इस सुझाव पर विचार किया जायगा । सरकार तो स्वयं ही इस प्रयत्न में है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो बसेज रखी जाय उनकी कंडीशन अच्छी रहे ।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि गवर्नमेंट रोडवेज में फिटनेस सर्टिफिकेट कौन अथारिटी देता है ?

श्री बलरामसिंह यादव—

हमारे यहां सर्विस मैनेजर होता है वह देता है ।

श्री गोविन्द सिंह—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट में फिटनेस सर्टिफिकेट देने का केवल एक ही अधिकारी है रीजनल इंस्पेक्टर, क्या आर०आई० से रोडवेज की बसेज का भी फिटनेस ले लिया जाता है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, आर०आई० से भी लिया जाता है ।

श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या माननीय परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो एक ही रोड पर कुछ प्राइवेट बसों और रोडवेज की बसों को परमिट दे रखा है, इस प्रथा को खत्म करके कुछ सड़कों का राष्ट्रीयकरण करने की कृपा करेंगे, क्या ऐसी योजना है कि पर्वतीय जिलों में कुछ रोड्स का राष्ट्रीयकरण हो ?

श्री बलरामसिंह यादव—

माननीय सदस्य दोबारा प्रश्न कर दें ।

श्री इन्द्रमणि—

मान्यवर, पर्वतीय जिलों में सरकार ने एक ही सड़क पर दो तरह की व्यवस्था कर रखी है, कुछ प्राइवेट बसें चलती हैं कुछ रोडवेज की बसें चलती है । यदि यह है । प्राइवेट बस पहले चलती है और रोडवज बस पीछे से जिसके कारण रोडवज बसों को सवारी नहीं मिल पाती, इसलिये क्या सरकार कोई ऐसी योजना तैयार कर रही है कि कुछ सड़कों का पर्वतीय जिलों में राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय ताकि सरकारी बसों को नुकसान न हो ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इस तरह कहीं नहीं चल रहा है । मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि इस तरह जहां भी किया गया वहां अदालत में मामले चल रहे हैं और जब तक अदालत से फैसले नहीं हो जाते तब तक सरकार प्राइवेट बस वालों को बन्द नहीं कर सकती ।

*५—श्री गोविन्द सिंह—

[४ थे शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*६—श्री जयराम यादव—

[विस्तीर्णता के कारण निरस्त]

अतिवृष्टि एवं बाढ़ के फलस्वरूप प्रतापगढ़ जिले के पुलों का टूटना

*श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सितम्बर सन् १९७० की अति वृष्टि तथाबाढ़ के फलस्वरूप जनपद प्रतापगढ़ में कितने पुल टूट कर यातायात के लिये बेकार हो गये हैं ? ऐसे पुलों का निर्माण कब तक कराया जायगा ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राजबिहारी सिंह)—

सितम्बर, सन् ७० की अतिवृष्टि तथा बाढ़ के फलस्वरूप जनपद प्रतापगढ़ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मार्गों में से केवल गोतनी मानिकपुर मार्ग के मील ३ में एक पुलिया बह गई थी जिसका पुनर्निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

श्री जयराम यादव—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस पुल का निर्माण कराया जा रहा है उसके लिये कितने रुपये की मंजूरी दी गयी थी और वह कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री राजबिहारी सिंह—

इस बजट के साल में काम समाप्त हो जायगा और २२ हजार रुपये इसके लिये स्वीकृत हुए हैं ।

श्री जयराम यादव—

जनपद प्रतापगढ़ में ये चार पुल टूटे हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं, शेखपुर बेती मार्ग डीहा पुल, कुंडा बेती मार्ग का बेती पुल, कुंडा गोतनी मार्ग का चौसा पुल, लिहनापुर रहवईव मार्ग का बहादुरपुर का पुल । क्या माननीय मंत्री मेरी सूचना को आधार मानकर इन चारों पुलों को बनवाने के आदेश देंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह—

माननीय सदस्य अपनी सूचना को लिख कर भेज दें ।

श्री छांगुर राम—

यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि ये चारों पुल टूटे हैं । मंत्री जी के उत्तर से मालूम होता है कि एक पुल टूटा है । क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि किस अधिकारी ने इसकी जांच की थी और यह गलत रिपोर्ट दी थी और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह—

जानकारी कराने का सवाल ही नहीं उठता है । उनके पास सूचना है कि चार पुल टूटे हैं तो वह सूचना मेरे पास भेज दी जाय, मैं उसकी जांच करा लूंगा । उसके बाद कोई इन्क्वायरी का सवाल उठेगा । मैं यह बतला दूं कि यह पुल कल शाम से यातायात के लिये खोल दिया गया है ।

## कानपुर जिले के रतवाहा नाले के पुल के निकट सड़क का कट जाना

*८—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के रूरा से डेरापुर मार्ग पर बना रतवाहा नाले के पुल के दोनों ओर सड़क कट गई है और पुल के दोनों ओर एक-एक दरवाजा और बनवाया जाना आवश्यक हो गया है ? यदि हां, तो उक्त दरवाजे कब तक बना कर सड़क को यातायात के लायक बना दिया जायगा ?

श्री राजबिहारी सिंह—

सितम्बर, १९७० में बाढ़ के कारण इस पुल के पहुंच मार्ग कट गये हैं । जांच करने पर यह पाया गया कि पुल के दर बनाने की आवश्यकता नहीं है । केवल स्लोप्स पर पिचिंग की आवश्यकता है पिचिंग का कार्य प्रगति में है । पुल शीघ्र ही यातायात के लिये खोल दिया जायगा ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि रूरा से डेरापुर मार्ग पर रतवाहा नाले का पुल कब बना था और अब तक वह कितनी बार कट चुका है और इसकी मरम्मत में आज तक कितना पैसा खर्च हुआ है ।

श्री राजबिहारी सिंह---

माननीय, यह पुल १ लाख १७ हजार रुपये में १९६५ में बनाया गया था । पहली बार यह पुल १९६७ की बाढ़ में कटा था जिसकी मरम्मत में ६० हजार रुपये खर्च हुए । दूसरी बार १५ सितम्बर, १९७० को यह कटा और ८५ हजार रुपया उसके बनाने में खर्च हुआ ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

यह पुल जब से बना है तब से दो तीन साल में दो तीन बार कट चुका है और हजारों रुपये उसकी मरम्मत में खर्च हो चुके हैं तो इसका कारण क्या यह है कि पानी का बहाव जिस जगह है वहां पर यह पुल नहीं बनाया गया और इसी के कारण यह कट जाता है । जिस इंजीनियर ने इसका सर्वे किया था उसकी लापरवाही के कारण ही यह पुल कटता है ।

श्री राज बिहारी सिंह---

माननीय, ऐसी बात तो नहीं है । इंजीनियरों की रिपोर्ट के अनुसार यह पुल ६० फुट लम्बा है और जहां तक वे समझते हैं पानी के बहाव में इससे कोई कमी नहीं पड़ती है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह पुल ३ दफे बना, सरकार का इसमें इतना रुपया खर्च हुआ तो क्या किसी इंजीनियर महोदय के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डाली गई ?

श्री राज बिहारी सिंह---

किसी इंजीनियर पर इसकी जिम्मेदारी नहीं डाली गई है ।

श्री बीरेंद्र वर्मा---

माननीय, क्यों इसकी जिम्मेदारी किसी इंजीनियर के ऊपर नहीं डाली गई ?

श्री राज बिहारी सिंह---

माननीय, जो पुल बनाया गया था वह तो ज्यों का त्यों है किन्तु उसके एप्रोच रोड टूट गये हैं . . .

श्री रामगोपाल संड---

माननीय, एक बार ६५ हजार रुपया सरकार का व्यय हुआ सड़क कटने के कारण, और ८५ हजार रुपया इस पर और लगाने जा रहे हैं तो आखिर जो यह इतनी बड़ी धनराशि सरकार की खर्च हो रही है वे कौन से ऐसे कारण हैं इसकी जांच स्थानीय इंजीनियरों द्वारा न कराकर लखनऊ के किसी इंजीनियर द्वारा कराने की सरकार व्यवस्था करेगी ?

श्री राज बिहारी सिंह---

माननीय, मैं समझता हूं कि जांच का विषय इससे नहीं उठता है क्योंकि पुल तो ठीक अवस्था में है । उसके एप्रोच रोड नीचे होने के कारण पानी के बहाव से कट जाते हैं । पुल में कोई खराबी नहीं है।

श्री राम कुमार---

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने यह कहा कि पुल के दूसरे दरवाजे की आवश्यकता नहीं है और फिर कहते हैं कि दोनों ओर एप्रोच रोड कट जाते हैं और वे तीन बार कट चुके हैं। सरकार का धन इस पर अपव्यय हो रहा है तो क्या माननीय मंत्री जी दूसरा दरवाजा बनाने के लिये इंजीनियरों को आदेश देंगे ?

श्री राज बिहारी सिंह---

इंजीनियर लोग विचार करने के उपरान्त ही इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि पुल का दरवाजा बनाने की जरूरत है और एप्रोच रोड को ऊपर करके उसको ठीक बनाया जाय। यह आवश्यक नहीं है कि पुल को भी बनाने की जरूरत हो ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब यह पुल दो-तीन बार टूट गया है तो उसके कारणों की जांच करायेंगे कि आखिर यह पुल क्यों टूट जाता है और क्या उसकी सर्वे गलत हुई है ?

श्री राज बिहारी सिंह---

पुल कटा ही नहीं तो क्या जांच कराई जाय ।

## प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास रोड रोलर

श्री अध्यक्ष (सार्वजनिक निर्माण मंत्री से)---

आपने प्रश्न संख्या ९ का जवाब नहीं पढ़ा । (उत्तर पढ़ा गया )

*९---चौधरी रामपाल सिंह यादव---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में इस समय कुल कितने रोड रोलर हैं? क्या यह सही है कि रोड रोलरों की कमी के कारण सड़कों के निर्माण में विलम्ब हो रहा है ?

श्री राज बिहारी सिंह---

इस समय प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास कुल ४६४ रोड रोलर है । यह सही है कि विभाग के पास रोड रोलरों की कमी के कारण सड़कों के निर्माण कार्य में बिलम्ब होता है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सारे उत्तर प्रदेश में पी० डब्लू० डी० के पास कुल ४६४ रोड रोलर्स हैं उनमें से कितने रोलर्स खराब हैं और कितनी चालू हालत में है ?

श्री राज बिहारी सिंह---

मान्यवर, ५३ रोड रोलर्स खराब हैं और बाकी सभी रोलर्स काम में है ।

श्री बंशीधर पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की महत्ता को देखते हुए कि रोड्स के बन जाने से क्षेत्रों का आर्थिक विकास होता है अधिक से अधिक रोड रोलर्स प्राप्त करने के लिये उनकी व्यवस्था करेंगे और यदि इस हेतु गवर्नमेंट आफ इंडिया की जरूरत भी पड़ेगी तो हम उनसे लेंगे ।

श्री राजबिहारी सिंह---

जी हां, ऐसी व्यवस्था सरकार कर रही है और इस विषय में सरकार जागरूक है। मैं आपको बता दूं कि सरकार ने ११४ रोड रोलर का आर्डर दे रखा है किन्तु जहां इसके बनाने का कारखाना है वहां पर उनको स्टील और चादर न मिलने के कारण वह इसे सप्लाई नहीं कर पा रहा है। जैसे ही कारखाने को सामान उपलब्ध हो जायेगा वैसे ही हमको ११४ रोड रोलर मिल जायेंगे।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

रोड रोलरों के कारण सड़क निर्माण कार्य में यदि बिलम्ब होता है तो अभी तक उन्होंने रोड रोलरों को मांगने की क्या व्यवस्था की और क्यों नहीं मंगाये ?

श्री अध्यक्ष---

कह तो दिया कि ११४ मंगाये।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

अभी तक क्यों नहीं मंगाये जो सड़कों का काम रुका रहा, इसकी क्या वजह है ?

श्री राजबिहारी सिंह---

दिसम्बर, १९७० में ८०.२० लाख रुपये के ११४ रोड रोलरों का आर्डर दिया जा चुका है जिसमें कलकत्ते की दो कम्पनियों को---एक को ३५ और दूसरी को ५५ का आर्डर दिया गया और २४ रोड रोलरों का डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज को दिया गया है कि वह खरीद कर दें कानपुर के लिए। तो जैसा मैंने कारण बतलाया, कारखानों में कच्चे माल की कमी के कारण देर हो रही है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन कम्पनियों से दूसरे सूबों को रोड रोलर पूरी मात्रा में मिल गये, सिर्फ उत्तर प्रदेश को नहीं मिल रहे हैं ?

श्री राजबिहारी सिंह---

इसकी जानकारी मुझ को नहीं है।

श्री रामकरन सिंह---

जो ५३ रोलर खराब है वह कब से खराब है, उनकी मरम्मत नहीं की जा सकती ?

श्री राजबिहारी सिंह---

विभागीय इंजीनियर उनकी मरम्मत तो करते हैं श्रीमन्। कौन कब से खराब है इसके लिए सूचना की जरूरत होगी।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या माननीय मंत्री महोदय बद्रीनाथ यात्रा के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ मार्ग पर कितने रोड रोलर काम कर रहे हैं ?

श्री राजबिहारी सिंह---

इसकी जानकारी नहीं है। पता लगाकर बता सकता हूं।

*१०-११---श्री राम लाल राही---

[पुनरावत्ति के कारण निरस्त]

## व्यक्तिगत बसों को परमिट

*१२--श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती) तथा राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, अप्रल, १९७१ में व्यक्तिगत बसों को जिलाधिकारी प्रतापगढ़ ने जो परमिट दिया उसके दुरुपयोग के रोक थाम के लिये बस्ती तथा गोन्डा जिले की पुलिस और आर० टी० ओ० ब्रांच गोरखपुर के अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई, इसका पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री आबिद अली--

जिलाधिकारी प्रतापगढ़ ने मार्च अप्रैल १९७१ में ७९ यात्री बसों के अस्थाई परमिट जारी किये। इनका कोई दुरुपयोग हुआ या नहीं और यह परमिट कहां चेक हुए इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय---

यह सूचना कबतक एकत्रित होकर पुनः सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव---

एक माह के अन्दर यह सूचना सदन के सामने आ जायगी ।

श्री सुखपाल पांडेय---

प्रतापगढ़ के जिलाधीश को सरकार द्वारा कितने अस्थायी परमिट देने का अधिकार था और कितने परमिट उन्होंने प्रतापगढ़ जिले के लोगों को और अन्य जिले के लोगों को दिये ?

श्री बलराम सिंह यादव---

मान्यवर, जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को १२ परमिट देने का अधिकार था, किन्तु मेले इत्यादि के अवसर पर जब इमर्जेंसी होती है उस समय ये लोग अपने डिस्क्रिशन को भी अप्लाई कर सकते हैं और ज्यादा भी दे सकते हैं ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था कि कितने प्राइवेट बस के परमिट प्रतापगढ़ के लोगों को दिया है और कितने अन्य जिलों की प्राइवेट बसों को दिया है ?

श्री बलराम सिंह यादव---

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)---

क्या माननीय मंत्री जी हमारी इस सूचना को आधार मान कर कि मेले के दिनों में और जिलों के कलेक्टर और अधिकारी प्राइवेट बसों को परमिट दे कर हम लोगों के जिले में भेज देते हैं जिससे रोडवेज को काफी हानि होती है इसकी जांच करा कर यह आदेश प्रसारित करेंगे कि ऐसा न हो ?

श्री बलराम सिंह यादव--

श्रीमन्, मेले इत्यादि के लिये परमिट तो दिया ही जाता है ।

श्री राम करन सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्रतापगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मंजिस्ट्रेट ने जो परमिट्स दिये उससे मेले के अवसर पर सरकार की जो बसें चलती हैं उनको कितना घाटा हुआ ?

श्री बलराम सिंह यादव---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री बंशीधर पांडेय---

जैसा कि सदस्यों ने अपनी राय को व्यक्त किया कि इन बसों के चलने से रोडवेज को घाटा होता है, तो क्या माननीय मंत्री जी सूचना एकत्र करते वक्त इस बात पर भी विचार करेंगे कि मेलों के अवसर पर जब परमिट की आवश्यकता पड़े तो उसको जिलाधिकारी, पुलिस और आर० टी० ओ० न देकर जितनी रोडवेज की बसें हो वह चला दी जांय और उसके बाद रोडवेज के ही अधिकारी इन परमिटों को दें ?

श्री बलराम सिंह यादव---

यह भी देखना पड़ता है कि जो सरकारी रूट्स हैं उन पर ज्यादा बसें कम न हों । जिससे यात्रियों को परेशानी हो । यह देख कर ही प्राइवेट बसों को परमिट दिया जाता है ।

श्री बंशीधर पांडेय---

आपके पास नहीं हैं तो आपको तो देना ही पड़ेगा लेकिन जो देने वाली एजेन्सी हो वह क्लेक्टर, पुलिस और आर० टी० ओ० न होकर रोडवेज विभाग के ही अधिकारी हों ताकि अपने हितों को ध्यान में रख कर ही वे परमिट दें ?

श्री बलराम सिंह यादव---

ऐसा कानून में प्राविधान नहीं ह ।

श्री राम करन सिंह---

सरकार इस बात का भरसक प्रयास करती है कि जब रोडवेज की बसें न हों तब प्राइवेट बसों को परमिट दिया जाय । तो क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि प्रतापगढ़ के जिलाधीश ने जो ७८ प्राइवेट बसों को परमिट दिया तो उन्होंने इसको ध्यान में रख कर दिया ?

श्री बलराम सिंह यादव---

जो सूचना सदन में दी जायगी उसमें यह सारी बातें आ जायंगी ।

(श्री मैनेजर सिंह का नाम पुकारे जाने पर )

श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)---

मान्यवर, मैं कई बार उठा किन्तु आपने मुझे प्रश्न करने का अवसर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष---

बात तो ठीक है लेकिन यह भी कई दफा उठे ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

जिलाधिकारियों को परमिट देने का जो अधिकार दिया गया है इसका व्यापक रूप से दुरुपयोग हो रहा है और इसमें रोडवेज के अधिकारी भी सम्मिलित ह क्योंकि रोडवेज के अधिकारियों को यह लिखना पड़ता है कि उनके पास बसें उपलब्ध नहीं है, वह नहीं दे सकते हैं तब जिलाधिकारी प्राइवेट बसों को परमिट देता है । तो इस बात को देखते हुए कि रोडवेज के लोग भी पैसा ले कर लिखते हैं और जिलाधिकारी के दफ्तर में भी पैसा लिया जाता है और इस बात को भी देखते हुए कि जो रेगुलर मार्ग हैं वहां भी यात्रियों को असुविधा होती है क्या माननीय मंत्री जी इसकी छानबीन करा कर इन गड़बड़ियों को दूर करने का उपाय करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, इस पर भी गौर किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—

किया जा सकता है या करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

विचार करेंगे ।

श्री शिवदास—

क्या २ मार्च से ५ मार्च तक राय बरेली में प्रधान मंत्री के चुनाव में कांग्रेस वोटरों को ढोने के लिये बस की परमिट दी गयी थीं और उसे पुलिस ने पकड़ा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इस प्रश्न की तो कोई सूचना थी नहीं और इसका कोई इससे सम्बन्ध भी नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मैंने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि मन्त्री जी प्रश्नों के लिये तैयार होकर नहीं आये हैं कभी वह कहते हैं कि हो सकता है और कभी कहते हैं कि नहीं हो सकता है । यह कौन-सी पद्धति है ? कृपया इस प्रश्न को किसी दूसरे दिन के लिये आप रख दें ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इसकी सूचना दोबारा सदन में आयेगी । इसलिये मैं समझता हूं कि ज्यादा प्रश्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

*१३—श्री सजीवन लाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

## चकलवंशी संडीला रोड को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में डामर की बनाया जाना

*१४—श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या चकलवंशी-संडीला रोड जो उन्नाव व हरदोई जिलों से गुजरती है, को चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में डामर की सड़क बनवाने का प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री महमूद अली खां)—

प्रश्नगत मार्ग के जिला उन्नाव में १४ किलोमीटर भाग के आधुनीकरण का प्रस्ताव १९७१-७२ के आय-व्ययक में सम्मिलित है । शेष भाग को अभी लिया जाना सम्भव नहीं है ।

## मुरादाबाद में साम्प्रदायिक दंगों के समय बसें न चलने से हानि

*१५—कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि मार्च, १९७१ में अलीगढ़ और मुरादाबाद में हुए साम्प्रदायिक दंगों के परिणाम स्वरूप लगाये कर्फ्यू की अवधि में पूरे समय बसें न चलने के कारण उक्त दोनों स्थानों पर अलग-अलग परिवहन विभाग को कितनी धनराशि की हानि हुई ?

श्री आबिद अली--

अलीगढ़ और मुरादाबाद में मार्च, १९७१ में हुए साम्प्रदायिक दंगों के परिणामस्वरूप लगाये गये कर्फ्यू के कारण उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज को निम्न प्रकार से आय में हानि हुई :--

मुरादाबाद में साम्प्रदायिक दंगों के परिणामस्वरूप आय में हानि---रु० १,९६,४०६
अलीगढ़ में साम्प्रदायिक दंगों के परिणामस्वरूप आय में हानि---रु० २,३४,३६०

## अलीगढ़ रीजन में रोडवेज की बसों से आय

*१६---श्री कल्यान सिंह--

क्या परिवहन मन्त्री यह भी बतायेंगे कि अलीगढ़ रीजन में १ जनवरी, १९७१ से १५ अप्रैल, १९७१ तक उक्त रीजन की बस डिपो की बसों ने कुल कितने किलो मीटर की यात्रा की और कितने यात्री ढाये और यात्रा टिकटों की बिक्री से कितनी धनराशि की आय हुई ?

श्री आबिद अली---

१ जनवरी, १९७१ से १५ अप्रैल, १९७१ तक अलीगढ़ रीजन की बसें ४५,५७,९४० किलोमीटर चलीं और इसी अवधि में ३९,५५,३०० यात्रियों ने यात्रा की और इन यात्रियों की टिकटों की बिक्री से ५३,१०,८४४ रु० की धनराशि की प्राप्ति हुई।

श्री कल्याण सिंह---

क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि मुरादाबाद और अलीगढ़ में कर्फ्यू की अवधि में कितनी बसें बन्द रहीं और उनको क्या किसी और मार्ग पर चलाने की व्यवस्था की गई थी ?

श्री बलराम सिंह यादव---

इसके लिये डिटेल सूचना की आवश्यकता है।

श्री कल्याण सिंह---

मन्त्री जी जे यह जो उत्तर दिया है वह गैर जिम्मेदाराना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस करफ्यू की अवधि में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुये थे और कितनों को बस का परमिट दिया गया था ?

श्री बलराम सिंह यादव---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री कल्याण सिंह---

यह गैरजिम्मेदाराना जवाब है।

श्री अध्यक्ष---

आप इसको नियम ४९ में दे सकते हैं।

## पवहकट नाले पर पुल का निर्माण

*१७---श्री राम लगन दुबे (जिला गोरखपुर)---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र १९७० के दूसरे बुधवार के प्रश्न संख्या १८ के उत्तर के अनुसार जनपद गोरखपुर के विकास क्षेत्र लक्ष्मीपुर स्थित पवहकट नामक नहर के ग्राम कम्हरिया बुजुर्ग के पास सार्वजनिक मार्ग पर पुल का निर्माण कब तक करा देने का विचार कर रही है ?

---

नोट---तारांकित प्रश्न १६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

सिंचाई मन्त्री (श्री राम लखन)—

पवहकट नाले पर पुल बनाने हेतु अभी केवल प्राक्कलन बनाया गया है। इसका निर्माण धन की उपलब्धि पर निर्भर है।

*१८—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[३रे गुरुवार के लिए ता० प्र० सं० ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*१९—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[३रे शुक्रवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

## जिला फर्रुखाबाद में मुरहस में बुकिंग आफिस खोलने की व्यवस्था

*२०—श्री महर्रम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या परिवहन मन्त्री को पता है कि मोहम्मदाबाद और फर्रुखाबाद के बीच मुरहस स्थान पर यात्रियों की सुविधा के लिये एक बुकिंग आफिस खोलने के लिये जनवरी, सन् १९७० से दिसम्बर, १९७० तक जनता की ओर से क्या कुछ आवेदन पत्र रोडवेज के स्थानीय अधिकरियों एवं परिवहन मन्त्री को प्राप्त हुये थे? यदि हां, तो विभागीय अधिकारियों ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री बलराम सिंह यादव—

ऐसे कोई आवेदन पत्र परिवहन आयुक्त के कार्यालय में या शासन के स्तर पर उपलब्ध नहीं है। किन्तु इसके पूर्व २९-१-१९६८ को प्रधान प्रबन्धक कानपुर ने यह निर्णय लिया था कि मुरहस की औसत आय को देखते हुए यहां 'फैयर स्टाप' खोला जायगा, किन्तु बुकिंग आफिस खोलने का औचित्य नहीं है।

*२१—श्री राम प्यारे—

[२रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न सं० ४० के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

## विकास क्षेत्र बभनजोत के लिए जिला गोंडा में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन तथा क्वार्टरों का निर्माण

*२२—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र बभनजोत जिला गोन्डा के प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन तथा क्वार्टर के निर्माण का ठेका किसको और कब दिया गया है, तथा निर्माण कार्य ३१ मार्च, १९७१ तक पूरा न होने का क्या कारण है?

श्री महमूद अली खां—

प्रश्नगत प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र के चार ग्राम सेवकों के क्वार्टरों के निर्माण का ठेका दिनांक २८-६-१९६७ को श्री मेवालाल ठेकेदार को दिया गया। इन आवासों का कार्य अक्तूबर, १९६८ में पूरा हो गया और भवन चिकित्सा विभाग को हस्तान्तरित कर दिये गये। शेष कार्यों का ठेका अन्य ठेकेदार न मिलने के कारण पुनः उसी ठेकेदार को ३०-१०-१९६८ को दिया गया। परन्तु इस बीच सामान व मजदूरी की दरों में वृद्धि होने तथा आवागमन की कठिनाई के कारण ठेकेदार ने कार्य पूरा नहीं किया। अब कार्य विभाग द्वारा पूरा किया जा रहा है।

*२३– सुखपाल पाण्डेय तथा श्री हुकुम सिंह परिहार––

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण तथा क्वार्टरों के सम्बन्ध में जिला स्वास्थ्य अधिकारी गोन्डा के माध्यम से प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र अधिकारी बभनजोत द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक १ जुलाई, १९७०, २४ सितम्बर, १९७० ९ नवम्बर, १९७०, २५ नवम्बर, १९७०, १८ दिसम्बर, १९७०, २१ दिसम्बर, १९७०, तथा २२ दिसम्बर, १९७० के सार्वजनिक निर्माण के अधिशासी अभियन्ता को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री महमूद अली खां––

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पत्र दिनांक १–७–१९७०, २४–९–१९७०, ९–११–१९७० तथा २५–११–१९७० अधिशासी अभियन्ता को प्राप्त नहीं हुये।

दिनांक १८–१२–१९७० का पत्र जिला स्वास्थ्य अधिकारी को सम्बोधित था जिसकी प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता को भेजी गई थी।

दिनांक २१–१२–१९७० और २२–१२–१९७० का एक ही पत्र है जो २१/२२–१२–१९७० अंकित है। दिनांक १८–१२–१९७० व २१/२२–१२–१९७० के पत्र का उत्तर अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र दिनांक १–१–१९७१ द्वारा जिला स्वास्थ्य अधिकारी, गोंडा को भेज दिया था जिसमें स्थितिस्पष्ट कर दी गई थी।

*२४––श्री महर्रम सिंह––

[३रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

## रोडवेज बस स्टेशन बस्ती में गबन

*२५––श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)––

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय रोडवेज बस्ती के सहायक जनरल मैनेजर आफिस में मई, १९७१ में १ लाख रुपये की सरकारी धन की गबन की सूचना उन्हें सहायक जनरल मैनेजर द्वारा दी गई?

श्री बलराम सिंह यादव––

जी नहीं।

सहायक प्रधान प्रबन्धक, बस्ती के आफिस में कोई गबन नहीं हुआ।

मई, १९७१ में सहायक प्रधान प्रबन्धक, बस्ती के अधीन, बस्ती रोडवेज बस स्टेशन पर रुपए ४१,६०३.५७ पैसे का गबन हुआ है। इस गबन की सूचना शासन को परिवहन आयुक्त द्वारा प्राप्त हुई है।

*२६––श्री हरिवंश सहाय––

क्या परिवहन मन्त्री को उक्त गबन के सम्बन्ध में अध्यक्ष, रोडवेज मजदूर सभा, उत्तर प्रदेश का कोई तार मई, १९७१ में मिला है? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है और इसमें कौन-कौन से दोषी व्यक्ति हैं?

श्री बलराम सिंह यादव––

अध्यक्ष रोडवेज मजदूर सभा, उत्तर प्रदेश का एक पत्र दिनांक १५–५–१९७१ को प्राप्त हुआ था।

आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रश्नगत गबन की रिपोर्ट पुलिस में ३०-४-१९७१ को की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में कोषाध्यक्ष श्री जीत नारायण मिश्रा को निलम्बित कर दिया गया है तथा वरिष्ठ स्टेशन प्रबन्धक श्री रमा शंकर वर्मा को प्रत्यावर्तित करके गोरखपुर स्थानान्तरित कर दिया गया है जो इस गबन में प्राइमाफेसी दोषी पाये गये हैं ।

*२७—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[४थे सोमवार के लिए प्रश्न संख्या २५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

## गोरखपुर की फरेंदा धानी तथा उस्का धानी रोड को पेन्टेड रोड बनाने की मांग

*२८—श्रीमती प्यारी देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के फरेंदा धानी बाजार रोड व उस्का धानी रोड को पेन्टेड रोड करने की कृपा करेंगे ?

श्री महमूद अली खां—

प्रश्नगत मार्गों को पेन्टेड रोड करने की कोई योजना नहीं है।

## आगरा नहर में पानी का अभाव

*२९—श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या सिंचाई मन्त्री को मालूम है कि आगरा नहर में पानी न आने के कारण इस वर्ष आगरा व मथुरा दोनों जिलों के उन किसानों की गेहूं की फसल सूख गई है जिन्होंने आधुनिक बीज बोया था ? क्या सरकार ऐसे किसानों को हर्जा देने पर विचार करेगी और आगे के लिये इस नहर में पानी का प्रबन्ध करने की कार्यवाही की जायेगी ?

श्री रामलखन—

मथुरा व आगरा जिलों में आगरा नहर से सिंचित क्षेत्रों में इस वर्ष (रबी १३७८ फसली) में नहर में पानी न आने के कारण गेहूं की फसल को हानि पहुंचने की कोई सूचना नहीं मिली कि किसी ऐसे कृषकों की फसल सूखी जिन्होंने आधुनिक बीज बोया हो।

चूंकि नहर से सिंचित क्षेत्रों में किसी की कोई क्षति नहीं हुई, अतः सरकार द्वारा कोई मुआवज देने का प्रश्न ही नहीं उठता। रामगंगा बांध परियोजना के अन्तर्गत आगरा नहर में अतिरिक्त पानी देने का प्राविधान है।

*३०—श्री गोविन्द सिंह—

[३रे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

## आगरा के फतेहाबाद ब्लाक में सिंचित व असिंचित भूमि

*३१—श्री हुकुमसिंह परिहार—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहाबाद ब्लाक जिला आगरा में कितनी भूमि असिंचित है और कितनी सिंचित ? जो भूमि असिंचित है उसे सिंचित बनाने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री रामलखन—

इस ब्लाक में २०,४८६ एकड़ भूमि सिंचित है तथा ४५,६८४ एकड़ क्षेत्र असिंचित है। असिंचित भूमि को सिंचित बनाने के लिए वर्ष १९७०-७१ में फतेहाबाद ब्लाक में ५ राजकीय

नलकूपों का छिद्रण किया गया तथा वर्ष १९७१–७२ में और ५ राजकीय नलकूपों का छिद्रण किये जाने का प्रस्ताव है। राम गंगा परियोजना के अन्तर्गत ६०० एकड़ भूमि तथा टेहरी बांध योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित रजबहों के निर्माण से २९,३१२ एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

## फतेहाबाद तहसील, जिला आगरा में राजकीय नलकूप

*३२—श्री हुकुमसिंह परिहार—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहाबाद तहसील, जिला आगरा में सन् १९७०–७१ में जो दस ट्यूबवेल सरकार की ओर से बनाने को थे, उनमें से कितने बन चुके हैं, और कितने नहीं बने?

श्री रामलखन—

फतेहाबाद तहसील जिला आगरा में सन् १९७०–७१ में सभी १० राजकीय नलकूपों का छिद्रण किया जा चुका है।

## जिला गढ़वाल में सिंचाई के साधनों में कमी

*३३—श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी (जिला गढ़वाल)—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि जिला गढ़वाल में सिंचाई के साधनों का अत्यधिक अभाव है? यदि हां, तो सरकार ट्यूबवेल तथा लिफ्ट इरीगेशन प्रणाली द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है?

श्री रामलखन—

जी हां, गढ़वाल जिले में सिंचाई के साधनों की कमी है और वहां नलकूप द्वारा सिंचाई की सम्भावनाओं की जांच की जा रही है।

गढ़वाल जिले में लिफ्ट प्रणाली से सिंचाई व्यावहारिक नहीं है।

## गोरखपुर–गोला रोड पर भराई व कुटाई का कार्य

*३४—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर की गोरखपुर-गोलारोड पर सन् १९६४ ई० में उक्त सड़क की भराई एवं कुटाई का कार्य कितने कन्ट्रेक्टरों को दिया गया था? इनमें कितने लोगों का भुगतान हो गया तथा कितने के अवशेष हैं? अवशेष रहने के क्या कारण हैं?

श्री महमूद अली खां—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

## गोरखपुर के एल०आर०पी० एवं प्राविन्शियल डिवीजन के अधिदर्शक एवं कर्णिक

*३५—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में एल० आर० पी० एवं प्राविंशियल डिवीजन में अलग-अलग कितने अधिदर्शक एवं कर्णिक ३ साल से अधिक समय से विद्यमान क्यों हों?

श्री महमूद अली खां—

सिविल ओवरसियर (अधिदर्शक)—

(१) एल० आर० पी० डिवीजन .. .. शून्य
(२) प्रांविशियल डिवीजन .. .. ४

लिपिक (कर्णिक)—

(१) एल० आर० पी० डिवीजन .. .. २
(२) प्रांविशियल डिवीजन .. .. ७

दो ओवरसियरों के स्थानान्तरण के आदेश जारी हो चुके हैं। अन्य दो ओवरसियरों को कार्य के हित में कुछ समय तक रोक लिया गया है क्योंकि सब का एक साथ बदला जाना प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं है।

जहां तक लिपिकों के एक स्थान पर ३ वर्ष से अधिक रहने का प्रश्न है शासन की नीति है कि अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों का स्थानान्तरण कम से कम किया जाय।

## उत्तर प्रदेश में परिवहन कारपोरेशन

*३६—श्री हरिवंश सहाय—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देशित उत्तर प्रदेश में परिवहन कार्पोरेशन बनाने की योजना शासन ने स्वीकार कर ली है? यदि हां, तो कब तक कार्य शुरू होगा?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं।

*३७—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

[४थे बुधवार के लिये स्थगित।]

## लखनऊ में राजपत्रित अधिकारियों के लिये निर्मित निवासों के आवंटन का अधिकार

*३८—श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ में शासन द्वारा राजपत्रित अधिकरियों के लिये निर्मित निवासों में एलाटमेंट किस आधार पर किये जाते हैं?

श्री महमूद अली खां—

लखनऊ में राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन राजपत्रित अधिकारियों के लिये निर्मित आवासों का आवंटन वेतन के आधार पर वरीयता तथा अधिकारियों की आवश्यकता को ध्यान में रख कर किया जाता है।

*३९-४०—श्री राम लगन दुबे—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

## कैनाल डिवीज़न, बांदा के इंजीनियरों में भ्रष्टाचार

*४१—श्री नौनिहाल सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मई-जून, १९७० में कैनाल डिवीजन बांदा के इंजीनियरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं सरकारी धन के गबन व जीप के दुरुपयोग आदि के

सम्बन्ध में शासन द्वारा टेक्निकल आडिट सेल से जो जांच कराई गई थी उस जांच की टेक्निकल आडिट सेल ने शासन को क्या रिपोर्ट दी? तथा उसमें कितने अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रामलखन—

टेकनिकल आडिट सेल ने सम्बन्धित मामले में अपनी रिपोर्ट गत मास में दी है जो अभी शासन के विचाराधीन है। विचारोपरान्त यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

## आजमगढ़ में नलकूप विभाग के सहायक सिंचाई अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

*४२—श्री दलसिंगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतावेंगे कि आजमगढ़ जिला में नलकूप विभाग के सहायक सिंचाई अभियन्ता के खिलाफ भ्रष्टचार की जांच-पड़ताल की जा रही है? यदि हां, तो किस अधिकारी से जांच कराई जा रही है?

श्री रामलखन—

आजमगढ़ जिला में नलकूप विभाग के किसी सहायक अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच नहीं की जा रही है।

*४३—श्री दलसिंगार यादव—

क्या यह सच है कि उक्त सिंचाई अभियन्ता को रिवर्ट कर दिया गया है? यदि हां, तो वह अभी तक उस पद पर कैसे कार्य कर रहे हैं?

श्री रामलखन—

प्रश्न नहीं उठता।

## धानी, फरेंदा और पुराना वृजमनगंज ब्लाकों में सिंचाई विभाग द्वारा सर्वे

*४४—श्रीमती प्यारी देवी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के धानी व फरेंदा और पुराना वृजमनगंज ब्लाक में किन-किन ग्रामों ने १९६७ ई० से लगायत ३१ मार्च, १९७१ तक नलकूप लगाने हेतु सर्वे, सिंचाई विभाग, गोरखपुर ने कराया है?

श्री रामलखन—

गोरखपुर जिले के धानी, फरेंदा और वृजमनगंज ब्लाक में १९६७ से ३१ मार्च, १९७१ तक निम्नांकित ग्रामों में सर्वेक्षण किया गया :—

१—नवापार
२—बजही
३—गोपालपुर
४—जंगल बिहुली
५—बसन्तपुर
६—उदितपुर
७—सूरस।

## फरेंदा तहसील में सिंचाई हेतु योजना

*४५—श्रीमती प्यारी देवी—

गोरखपुर जिले के फरेंदा तहसील में खेतों के सिंचन हेतु सरकार कोई योजना बना रही है ? अगर हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम लखन—

फरेंदा तहसील में गण्डक परियोजना से सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए सर्वेक्षण कराया जा रहा है। कुछ एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल लगा कर ट्यूबवेल लगाए जाने की सम्भावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है ।

## बांसी तहसील जिला बस्ती के कुछ गांवों में कटाव

*४६—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बांसी तहसील, जिला बस्ती में राप्ती नदी के उत्तरी किनारे पर ग्राम आजमगढ़, बेरवा, संगलदोप, गायघाट,गुलरिहा में पिछले वर्षों से जोरों से कटाव हो रहा है और कुछ घर कट कर नदी में गिर भी गये हैं तथा कुछ घरों के कट जाने का भय अगली बरसात में है ? यदि हां, तो सरकार उस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामलखन—

प्रश्न का प्रथम भाग—

जी हां, सरकार को प्राप्त सूचनानुसार पिछले वर्ष चार घर ग्राम बेरवा एवं गायघाट में कट कर नदी में गिरे हैं। वर्तमान बरसात में घरों के गिरने का भय विशेष परिस्थितियों में ही हो सकता है।

प्रश्न का दूसरा भाग—

सरकार के समक्ष प्रश्नगत ग्रामों की सुरक्षा हेतु कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

## सेवा नियमावली १९५४ के नियम १२ के आधार पर सिंचाई विभाग के मुन्शियों की तरक्की

*४७—श्री शमीम आलम (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में अधीक्षक अभियन्ता ट्यूबवेल, मेरठ सर्किल ने अपने विभाग के मुंशियों की तरक्की हेड मुंशी के पद पर किस आधार से की है ?

श्री रामलखन—

यह उन्नति सिंचाई विभाग के मुंशियों की सेवा नियमावली, १९५४ के नियम संख्या १२ क, ख, ग के आधार पर की गई है ।

*४८—श्री मंजूर अहमद—

[५वें मंगलवार के लिए प्रश्न संख्या २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

## निजामाबाद जिला आजमगढ़ में टोंस नदी पर पुल बनाने की योजना

*४९—श्री रामबचन यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ के कस्बा निजामाबाद में टोंस नदी पर पुल बनाने की योजना कई वर्षों से चल रही है? यदि हां, तो अभी तक यह कार्य क्यों नहीं पूरा हो पाया ?

श्री महमूद अली खां—

प्रश्न गत पुल के निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है ।

## नैनीताल जिले के पड़ाव गांव के निकट बांध बनाने की योजना

*५० श्री डूंगर सिंह बिष्ट (जिला नैनीताल) —

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले के शक्ति फार्म बंगलो सहणार्थी उपनिवेश के पड़ाव गांव नामक स्थान पर कोई बांध बनाने की योजना है ? यदि हां तो इस पर कितना खर्चा होगा और यह कब तक तैयार हो जायेगा ?

श्री रामलखन—

जी हां । इस योजना की अनुमानित लागत १०.५३२ लाख रु० है । इसका निर्माण धन की उपलब्धि पर निर्भर है । अतः इस समय यह कहना कठिन है कि बांध कब तक तैयार हो जायगा ।

## गोरखपुर जिले में श्रीनगर बांध का निर्माण

*५१—श्री राम लगन दुबे—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में श्रीनगर बांध किस वर्ष कितनी लागत से बन कर तैयार हुई इससे कितने क्षेत्रफल की सिंचाई होती है ? ताल के विभिन मदों मे विभाग की वार्षिक आय क्या है तथा रख रखाव में प्रति वर्ष व्यय कितना होता है ?

श्री राम लखन

यह जमीनदारी बांध है । यह पता नहीं कि यह बांध कब बना और कितनी लागत पर तैयार हुआ ।

श्रीनगर ताल से औसतन प्रति वर्ष १८०६ एकड़ की सिंचाई होती है ।

उक्त ताल से विभिन्न मदों द्वारा विभाग को लगभग १५,००० रु० की आय प्रति वर्ष होती है ।

रख-रखाव पर प्रति वर्ष लगभग १०,००० रुपया व्यय होता है ।

*५२ श्री राम लगन दुबे —

क्या सिंचाई मंत्री को इस बात की जानकारी है कि वर्षाकाल मे बांध के दोनों तरफ किसानों की हजारों एकड़ खेती प्रति वर्ष बरबाद हो जाती है ? यदि हां, तो किसानों के संरक्षण के लिये सरकार क्या विचार कर रहे है ?

श्री रामलखन—

जी हां । कोई भी प्रस्ताव शासन के समक्ष विचाराधीन नहीं है ।

## बलिया जिले में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में सरकारी नलकूप एवं पक्की नालियां

*५३— श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार बतावेगी कि बलिया जिला में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुल कितने सरकारी नलकूल कहां-कहां लगाये गये और प्रत्येक नलकूल पर पक्की नालियां

का विस्तार कितनी लम्बाई तक किया गया हैं और इन पक्की नालियों के बनाने में कितने रुपय की धनराशि खर्च की गई है ?

श्री रामलखन--

बलिया जिले में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगाये गये राजकीय नलकूपों तथा पक्की नालियों के विस्तार का विवरण संलग्न तालिका में है ।
२ पक्की नालियों के विस्तार के व्यय का लेखा जोखा अलग न रख कर उसे नलकूप निर्माण क व्यय में सम्मिलित कर दिया जाता है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६६१-६६६ पर)

*५४--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उपरोक्त प्रकार की बनाई गई नालियां मौके पर कम विस्तार की मौजूद है, जबकि कागज में विस्तार अधिक दिखाकर काफी धन व्यय की गई बताई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्या सरकार इस तथ्य की जांच करायेगी ?

श्री राम लखन--

शासन को इसकी कोई सूचना नहीं है ।

## जिला नैनीताल की हल्द्वानी तहसील में ट्यूबवेल निर्माण योजना

*५५--श्री इन्द्र लाल तथा श्री लालसा--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला नैनीताल के हल्द्वानी तहसील में ३१ मार्च, सन् १९७१ तक शासन द्वारा कितने ट्यूबवेल बनाये जाने की योजना थी और ये ट्यूबवेल किन-किन स्थानों में बने ?

श्री रामलखन--

जिला नैनीताल की हल्द्वानी तहसील में वर्ष १९७१-७२ में ३ राजकीय नलकूपों के निर्माण की योजना थी परन्तु भारी परकुशनरिंग मशीन के उपलब्ध न होने के कारण कोई भी राजकीय नलकूप वहां न बन सका ।

## मथुरा जिले में कोसी रजबहे पर स्थित गांवों की सिंचाई के संबंध में जानकारी

*५६--श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार की जानकारी में यह बात है कि इस वर्ष मथुरा जिले में कोसी रजबहे पर स्थित पाली-पाउल, भीमगांव, भगोसा, सकरवा, मलसराय इत्यादि गांवों की सिंचाई बिल्कुल नहीं हो पाई है जिससे उपरोक्त गांवों के किसानों की फसल बिल्कुल सूख गई ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा सरकार इसके निराकरण का क्या उपाय कर रही है ?

श्री रामलखन--

प्रश्न का प्रथम भाग--

जी नहीं ।

प्रश्न का द्वितीय तथा तृतीय भाग--

प्रश्न नहीं उठता ।

## आगरा कैनाल से भरतपुर फीडर व डीग स्केप द्वारा राजस्थान को पानी दिया जाना

*५७—श्री कन्हैयालाल—

क्या सरकार यह भी बतलाने का कष्ट करेगी कि क्या यह सही है कि इस वर्ष आगरा कैनाल में से भरतपुर फीडर व डीग स्केप के द्वारा राजस्थान का पानी दिया गया है जब कि पिछले कई वर्षों से इन दोनों नहरों को नहीं चलाया जाता था ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री राम लखन—

प्रश्न का प्रथम भाग—

जी हां।

प्रश्न का द्वितीय भाग—

गत शरद् ऋतु में वर्षा न होने के कारण राजस्थान प्रदेश के भरतपुर फीडर व डीग स्केप पर स्थित तालाब व कुएं सूख गए थे जिससे वहां की जनता व मवेशियों के पीने के पानी की समस्या अत्यन्त उग्र हो गई थी । अतः राजस्थान शासन के आग्रह पर राजस्थान में उपरोक्त पेय जल की समस्या को हल करने के लिए राजस्थान को इन नहरों द्वारा पानी दिया गया।

## अतारांकित प्रश्न

१—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[४थे बुधवार के लिये स्थगित]

### रायबरेली में रोडवेज बस स्टैण्ड

२—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली नगर में रोड वेज का बस स्टैन्ड कब और कितनी लागत से बना तथा उसका उद्घाटन किसने किया और उद्घाटन पर विभाग ने कितना रुपया खर्च किया ?

बलराम सिंह यादव—

रायबरेली नगर बस स्टेशन का मूल निर्माण २४—३—१९५५ को १४,८३० रुपये की लागत पर किया गया। इसका विस्तार कार्य सन् १९६९ से प्रारम्भ विभिन्न चरणों में मार्च, १९७१ में पूर्ण हो गया। विस्तार कार्य पर कुल २,३७,००० रुपया व्यय किया गया।

इस परिवर्द्धित बस स्टेशन का उद्घाटन माननीय प्रधान मन्त्री द्वारा १३ अप्रैल, १९७१ को सम्पन्न हुआ। उद्घाटन समारोह पर ६,७१७ रुपये का व्यय हुआ।

### चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में मल्टी परपज टेहरी बांध योजना

३—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना में मलटी परपज टेहरी डैम बनाने की जो योजना है उसमें केन्द्र कितनी सहायता देगा और प्रदेश सरकार का कितना धन खर्च होगा तथा टेहरी नगर कहां बसाया जायेगा ? उस पर कितनी लागत आयेगी ?

श्री रामलखन---

टहरी डैम योजना पर अभी भारत सरकार की स्वीकृति नहीं मिली है। अतः अभी उनके द्वारा मिलने वाली सहायता के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। प्रायोजना की अनुमानित लागत लगभग १९१ करोड़ रुपये है। टेहरी नगर के अन्यत्र बसाये जाने का स्थान अभी विचाराधीन है और तत्सम्बन्धी लागत आदि के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

## कोटद्वार कण्वाश्रम सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण

४---श्री शिवानन्द नौटियाल---

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कोटद्वार कण्वाश्रम सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने नियन्त्रण में ले लिया है? यदि हां, तो उस पर निर्माण-कार्य कब से शुरू होगा?

श्री महमूद अली खां---

जी नहीं।

## फतेहपुर जिले में बरिगवां के पास नहर का कटाव

५---श्री पन्नालाल गुप्त (जिला फतेहपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६८ में फतेहपुर जिले में बरिगवां के पास मील नं० २८, २९ के लगभग नहर कटी थी जिसका तावान किसानों पर लगाया गया था, किन्तु सरकार ने उसकी वसूली स्थगित कर दी थी और उसकी जांच अधीक्षक अभियन्ता, नहर द्वारा कराई गई थी, जिसमें जिला अधिकारियों द्वारा नहर कट जाने से खेतों में किसानों के हुए नुकसान का अनुमान लगाया गया था और इस की रिपोर्ट जिलाधिकारियों को भेजी गई थी? क्या यह सही है कि अधीक्षक अभियन्ता ने कई बार रिपोर्ट जिलाधिकारी से मांगी थी किन्तु अभी तक नहीं भेजी गई? क्या सरकार इस रिपोर्ट को मांगने के आदेश देगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री राम लखन---

प्रश्न का प्रथम भाग---

जी हां, नहर कटी थी किन्तु मील ३१.७ व ३२.० के मध्य में यह सही है कि प्रारम्भ में किसानों पर तावान लगाया गया था किन्तु बाद में उसकी वसूली स्थगित करा दी गई थी। अधीक्षक अभियन्ता ने अगस्त, १९७० में मौके की जांच की थी और किसानों को हुए नुक्सान का अनुमान लगाया था परन्तु जिला अधिकारियों को कोई रिपोर्ट न तो भेजी जानी थी और न भेजी गयी।

प्रश्न का द्वितीय भाग---

इस विषय में जिला अधिकारी से रिपोर्ट अधीक्षक अभियन्ता द्वारा नहीं बरन् अधिशासी अभियन्ता द्वारा मांगी गई थी और यह रिपोर्ट उनको ८-७-१९७१ को प्राप्त हो गई है।

प्रश्न का तृतीय भाग---

प्रश्न नहीं उठता।

## रामगंगा कैनाल, फतेहपुर के गांवों में चकबन्दी

**६—श्री पन्नालाल गुप्त—**

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रामगंगा कैनाल फतेहपुर के जिन गांवों से हो कर निकाली गई है उनकी चकबन्दी हो गई है ? यदि हां तो कब, यदि नहीं, तो कब हो जायेगी ?

**श्री रामलखन—**

रामगंगा कैनाल फतेहपुर जिले के फतेहपुर, बिन्दकी तथा खागा तहसीलों के विभिन्न ग्रामों में से होकर निकाली गई है। इन तहसीलों के कुछ ग्रामों में चकबन्दी हो चुकी है। कुछ ग्राम चकबन्दी के योग्य नहीं थे अतः वहां चकबन्दी नहीं कराई गई है। शेष ग्रामों में शीघ्र चकबन्दी कराये जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

## रामगंगा कैनाल पर बैरागीखेड़ा एवं हरैया खेड़ा के बीच पुल का निर्माण

**श्री पन्ना लाल गुप्त—**

७—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामगंगा के समानान्तर जो रामगंगा कैनाल जा रही है उसके मील नं० ३१, फर्लांग १ पर बैरागी खेड़ा व हरैया खेड़ा के बीच नये पुल निर्माण के कार्य का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या आदेश दिये ?

**श्री रामलखन—**

मील ३४, फर्लांग १ पर बैरागीखेड़ा व हरैयाखेड़ा के बीच में पुल का निर्माण प्रस्तावित है न कि मील ३१.१ पर। पुल के निर्माण का आगणन बनाया जा रहा है और उसके बनने के पश्चात् ही उसके सम्बन्ध में शासकीय आदेश दिये जायेंगे।

## प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत

**श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—**

श्रीमन्, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप माननीय सदस्यों के हितों की रक्षा करें। पार्लियामेंट में भी अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री महोदय सन्तोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो उन्हें अपनी ओर से कहते हैं कि वे सन्तोषजनक उत्तर दें और तैयारी कर के आयें। अत्यन्त खेद के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि माननीय परिवहन मंत्री ने प्रारम्भ से ज़ितने उत्तर दिए हैं उन सब में कहा है कि सूचना की आवश्यकता है, प्रश्न लिख कर दे दें और यह कहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। तो इससे न तो आप को संतोष होगा और न ही माननीय सदस्यों को है।

**श्री अध्यक्ष—**

आप नियम ४९ में मांग लें। इस पर चर्चा हो जायगी।

**श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—**

श्रीमन्, यह एक अच्छा बचाव है कि सूचना की आवश्यकता है। इसकी सूचना न तो माननीय सदन को और न माननीय सदस्यों को ही प्राप्त होती है तो इस प्रकार से वह सूचना रह जाती है। तो क्या आप माननीय मंत्री जी को आदेश देंगे कि जितने प्रश्नों के बारे में उन्होंने कहा कि सूचना की आवश्यकता है, वह सूचना प्राप्त होने पर सदन को दी जायगी। श्रीमन्, इस प्रकार से कह कर वे प्रश्न टल जाते हैं। तो क्या आप इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जिन प्रश्नों के सम्बन्ध में महसूस करते हैं कि सूचना की आवश्यकता है, उस सूचना के उपलब्ध होने पर माननीय सदन को देने की कृपा करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं आब्जर्व करता रहता हूं। अगर मैं यह देखता हूं कि बहुत से ऐसे प्रश्न हो गये हैं तो मैं कह देता हूं कि इस पर चर्चा मांग लीजिये, नियम ४९ में। तो इसलिए अगर कोई उत्तर सन्तोषजनक नहीं आया है तो आप नियम ४९ में ले सकते हैं। मैंने इस प्रकार के कई निर्णय दिए हैं।

श्री धर्मवीर—

श्रीमन्, अगर सभी बातों पर नियम ४९ में बहस होने लगे तो सदन का कोई कार्य नहीं हो सकता। अतः आप इस पर आदेश दे दें कि सूचना उपलब्ध होने पर माननीय सदन व माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाय?

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, मैंने प्रश्न संख्या २ किया था जिसका उत्तर हमारे प्रधान मंत्री से सम्बन्धित है। मैंने पहले भी लिख दिया था कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकिन इसे अतारांकित कर दिया। हजारों रुपया खर्च किया गया लेकिन इसे अतारांकित कर दिया गया। तो मेरी प्रार्थना है कि आप इसको देखें और अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे कक्ष में आ जायें, मैं डिटेल में बता दूंगा।

## तीन मंत्रियों के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की मांग

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि यह तो आप भी मानते हैं कि मंत्रिमंडल का एक संयुक्त उत्तरदायित्व होता है। अभी-अभी कुछ दिन से समाचार-पत्रों में यह निकला है कि ३ मंत्रियों के विरुद्ध लगातार हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। यह कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के विरुद्ध नयी कांग्रेस के विधायकों के हस्ताक्षर हो रहे हैं। यह संख्या ३०—४० दी गयी है तो इसका अर्थ यह है कि उनके विरुद्ध अविश्वास हो गया है। अगर एक मंत्री के प्रति भी अविश्वास हो गया उस दल के सदस्यों द्वारा तो उत्तरदायित्व तो रहा नहीं। ऐसी स्थिति के अन्दर जब कि माननीय मंत्री जी के विरुद्ध एक तरह से अविश्वास के प्रस्ताव पर प्रति दिन हस्ताक्षर हो रहे हैं तो क्या संयुक्त दायित्व रह गया है और यदि ऐसा है तो इस बात का स्पष्टीकरण करा दें?

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

कुछ माननीय सदस्यों ने माननीय मंत्री के भ्रष्टाचार के बारे में नियम ५२ में सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ में तो आयेगा नहीं। इस बारे में प्रश्न भी पूछे गये, शार्ट नोटिस क्वैश्चन में वह आयेगा, अगर उसमें यह चीज न निकली और बहस करने की आवश्यकता हुयी तो फिर नियम ५२ में ले लिया जायेगा।

श्री कृष्णानन्द राय—

यह रोज समाचार पत्रों में निकलता है और माननीय मंत्री के पक्ष में ही इसकी सफाई जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। उस प्रश्न को कल क्यों नहीं रख देते?

श्री अध्यक्ष---

बहुत जल्दी आयेगा ।

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

मान्यवर, दो तीन दिन से यह बात हाउस में उठाई जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाचार पत्रों में छपी हुई किसी रिपोर्ट को जब तक कि उसका प्रमाण हमारे माननीय सदस्यों के पास न हो हाउस में उठा देना यह उचित नहीं है। न कोई अभियान चल रहा है, न मेरे पास किसी अभियान के चलाने की सूचना मिली है। न मेरे पास विधान सभा के हमारे साथियों की ओर से कोई पत्र आया है जिसमें किसी प्रकार का लांछन लगाया गया हो यह अनुचित बात है। जब तक कि किसी बात का प्रमाण न हो तो किसी अखबार में छपे रिपोर्ट के आधार पर उस प्रश्न को उठा कर साधारणतः मंत्रिमंडल के समस्त सदस्यों पर आरोप लगाना उचित नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि माननीय मुख्य मंत्री के पास हस्ताक्षर न पहुंचे हों। यह कैसे मान लिया कि अभियान नहीं हो रहा है। हो सकता है जब हस्ताक्षरों की अच्छी संख्या हो जाय तब ही आपके पास पहुंचे। हम तो यह कहते हैं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी यह कैसे कहते हैं कि यह उचित नहीं होगा। मैं निवेदन करता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह तो सरकार के हित में होगा और हम यह समझते हैं कि एक अविश्वास की भावना के अन्दर मंत्रिमंडल के सदस्य कैसे काम कर पायेंग।

श्री धर्मवीर---

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय नेता सदन ने सूचित किया कि इस प्रकार की रिपोर्ट समाचार पत्रों में छपी है वह भ्रामक और नितान्त गलत है। अध्यक्ष महोदय, यह तो विशेषाधिकार का प्रश्न बन जाता है सदन के लिये कि समाचार-पत्र रिपोर्ट बिना किसी आधार के छाप देते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी स्पष्ट रूप से इसका स्पष्टीकरण दें। या तो माननीय मुख्य मन्त्री की ओर से या सरकार की ओर से कोई प्रिविलेज नोटिस या किसी अन्य प्रकार की कार्यवाही समाचार पत्रों के खिलाफ होनी चाहिये क्योंकि वे समाचार पत्रों में बराबर छापते हैं, इसलिये सदन को जानने का हक है कि क्या सरकार के अन्दर इस प्रकार की बात फैल गई है ?

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि वर्तमान पत्रों में उस पर आया है। उस पर प्रश्न ही पूछते। माननीय सदस्य स्वयं प्रश्न देते हैं। चाहे उसको विश्वास करके दें अथवा पढ़कर दें मैं समझता हूं यह उचित नहीं है .....

श्री कृष्णानन्द राय---

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह कहा कि मुझ को माननीय सदस्य, बिधान मंडल ने कोई शिकायत या लांछन नहीं भेजी है। अब यह सिगनेचर कैम्पेन हुआ या नहीं। मैं तो जानता हूं कि एक एम० एल० सी० साहब ने एक पत्र माननीय मुख्य मन्त्री को लिखा है किसी मंत्री के बारे में। क्या ऐसा पत्र नहीं पहुंचा है ?

श्री अध्यक्ष---

मैं समझता हूं कि इसका ही शार्ट नोटिस क्वेश्चन मेरे पास आया है। यह उनके पास जायेगा। यों प्रश्न पूछने का तरीका ठीक नहीं है। उसकी, सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

श्री बीरेन्द्र बर्मा—

जैसा कि श्री कृष्णानन्द राय जी ने कहा है कि श्री गौरी शंकर राय, एम० एल० सी० ने इसके बारे में प्रधान मन्त्री, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और विरोधी दल के नेताओं को इस प्रकार एक मंत्री के खिलाफ गम्भीर रिश्वत के आरोप लगा कर पत्र भेजे हैं। वे मंत्री हैं उमादत्त शर्मा। माननीय मुख्य मंत्री कहते हैं कि उनको कोई लिखित सूचना नहीं मिली है। उस पर वे प्रकाश भी डाल रहे थे। लेकिन आपने अपनी तरफ से कहना शुरू कर दिया, यह एक गम्भीर प्रश्न है। उचित होगा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस पर प्रकाश डाल दें। दूसरी बात यह है कि नियम ५२ के अन्तर्गत विरोधी दल के कई एक नेताओं की ओर से प्रार्थना भी की गई है कि इतना महत्वपूर्ण यह विषय है इस पर चर्चा का समय आप प्रदान करें और क्या यह सही नहीं है कि एक लाख रुपये में जमीन ली गई और वह जमीन छोड़ दें।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास जो प्रश्न आया है वह इसी संबंध में है। उसको स्वीकार करने के बाद तब मैं उनके पास भेजूंगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, आपने कहा कि समाचार पत्रों में पढ़ कर हम लोग कोई बात यहां न उठावें। हमारे पास कोई इंटेलिजेंस तो है नहीं कि रैंक ऐंड फाइल में अपना इंटेलिजेंस लगा कर रखें। लाबीज के अन्दर, गैलरीज के अन्दर जो चर्चा होती है उसी के आधार पर हम कुछ कहते हैं। अगर सरकार के प्रति ऐसी भावना आम जनता की पैदा होती है तो क्या हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं है कि उस बात को हम यहां उठावें?

श्री अध्यक्ष—

आप यहां कह नहीं सकते। मेरे पास लिख कर भेज दें कि यह प्रश्न है, हम यह पूछना चाहते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह प्रोसीज्योर की बात हो गयी, मैं आगे करेक्शन कर लूंगा लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और आप भी यह मानेंगे कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इतना गम्भीर आरोप लगाया गया है, इतनी सब बातें हो गयीं और एक मंत्री के खिलाफ अभियोग लगाया गया है।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

श्रीमन्, हाउस में कहा गया है कि एक मंत्री के खिलाफ लिखित आरोप है और इस बात को हाउस में रखा गया' जब कि माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि उनको इसकी कोई सूचना नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि श्री उमादत्त शर्मा के खिलाफ कोई ऐसा गम्भीर आरोप है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री कृष्णानन्द राय—

मान्यवर, सदन की यह परम्परा रही है और आपकी तरफ से भी यह निर्णय आया है कि समाचार-पत्रों को बेस करके आप लोग कोई प्रश्न यहां न उठावें और माननीय मुख्य मंत्री ने भी

[श्री कृष्णानन्द राय]

कहा कि समाचार पत्रों को बेस करके कोई प्रश्न न उठाने दिया जाय। श्रीमन्, लोक सभा के स्पीकर द्वारा दी हुई रूलिंग को मैं रेफर करता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हमारे समाचार-पत्र इतने जिम्मेदार हो गये हैं कि उनके द्वारा निकाले हुए समाचारों पर इस सदन में चर्चा भी उठायी जा सकती है और उस पर नोटिस भी टेक अप किया जा सकता है। इसलिये हम लोगों को यहां डिबार न किया जाय। समाचार पत्रों में निकला है कि एक मंत्री के भ्रष्टाचार के बारे में एक विधायक ने मुख्य मंत्री के पास लिखा है और मुख्य मंत्री के पास वह गया है, यह भी समाचार पत्र में है, तो क्या यह समाचार सही नहीं है? जहां तक मेरी जानकारी है श्री गौरीशंकर राय, एम० एल० सी० ने मुख्य मंत्री के पास लिखा है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समाचार पत्रों में इस तरह की महत्वपूर्ण चीजें जो निकलें उन पर हम लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट न किया करें?

श्री अध्यक्ष—

आप इस पर हमारा ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। आप अगर मुझसे कहें कि हम ऐसा प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है लेकिन क्वेश्चन यह आता है कि उसके बाद अगर आप उत्तर चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आप विश्वास कर लें। अगर विश्वास कर लेंगे तो उसके ऊपर सदन में प्रश्न रख सकते हैं। आप को यह अधिकार है कि चाहे जो प्रश्न कर लें और उसके बाद आप कह सकते हैं कि इस पर चर्चा हो। अगर आपका प्रश्न सही मालूम हुआ तो मैं उनके पास भेजूंगा लेकिन अगर वर्तमान पत्र भेजेंगे तो मैं आपका काम नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा जरूर है कि कोई इम्पार्टेन्ट मैटर आता है, जैसे भ्रष्टाचार का ही यह प्रश्न आ गया है मेरे पास तो मैं इसको उनके पास भेजूंगा। लेकिन सदन में आप इस प्रश्न को नहीं उठा सकते। सदन में तब प्रश्न उठाया जा सकता है जब कोई सदस्य इस बात की जिम्मेदारी ले क्योंकि सदन में कोई प्रश्न पूछा गया जिसका जवाब दिया गया और उस पर चर्चा हो गयी और बाद में मालूम हुआ कि भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं थी, या कोई गलत चीज नहीं की गयी, फिर चर्चा होने पर वह बदनाम तो हो ही जायेगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि दो प्रश्नों को मिलाया जा रहा है। श्री नित्यानन्द जी ने पूछा था कि क्या कोई अभियान चल रहा है, दस्तखत कराये जा रहे हैं जिसकी चर्चा अखबारों में हुई है? इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा है। अगर हमारे दल की तरफ से कोई अभियान चलेगा तो उसका पता मुझे भी लगेगा। अगर कोई समाचार किसी समाचार-पत्र में छपा है तो उसकी बुनियाद पर कोई प्रश्न पूछना कि क्या कोई अभियान चलाया जा रहा है और मुख्य मंत्री के पास कुछ लिख कर भेजा गया है, यह मुनासिब बात नहीं है। दूसरा प्रश्न जो वीरेन्द्र वर्मा जी ने उठाया उसके बारे में उन्होंने लिख कर आपको दिया ही है। आप उसको लेंगे तो फिर सफाई दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष—

वह एडमिट हो गया है और गवर्नमेंट के पास पहुंच रहा होगा या पहुंच गया होगा।

## विविध विषयों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

श्रीमन्, मैंने १५ तारीख को प्रश्नों के तुरन्त बाद नियम ४९ के अन्तर्गत एक सूचना सचिव महोदय को भेजी थी। दो बार उनसे उस सिलसिले में मैं मिल भी चुका हूं। लेकिन आपकी तरफ से उस पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया।

**श्री अध्यक्ष—**

मैंने एडमिट कर लिया है।

**श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—**

श्रीमन्, नियम ४९ के बारे में मुझे भी कहना है। आप यहां कह देते हैं कि लिख कर भेज दीजिए। मैं दो भेज चुका हूं। एक तो राज्य सरकार ने केन्द्र से कितना रुपया मांगा प्रदेश के लिए और दूसरे बिजली की कमी के बारे में। पता नहीं कहां गए?

**श्री अध्यक्ष—**

अगर मैं यह समझता हूं कि उसका उत्तर दे दिया गया है और फिर भी आप नियम ४९ में चर्चा चाहते हैं तो मैं उसको स्वीकार नहीं करता....

**श्री नित्यानन्द स्वामी—**

श्रीमन्, आपने कहा था कि हम स्वीकार कर लेंगे, आप भेज दीजिए।

**श्री अध्यक्ष—**

वह तो स्वीकार हो जाता है। अब यह मिर्जापुर जिले में गंगा नदी पर चिल्हन...

**श्री रामकुमार (जिला कानपुर)—**

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। कल एक प्रिविलेज मोशन था जिस पर आपने आज नर्णय देने के लिए कहा था। आप आगे बढ़ गए। उस सम्बन्ध में क्या हुआ?

**श्री अध्यक्ष—**

मैंने यह भी कहा था कि थोड़ी देर हो जाय तो कोई हर्ज नहीं है। दो-एक रोज बाद होगा क्योंकि मुझे थोड़ी सी जानकारी हासिल करनी थी। गवर्नमेंट से मैं जानकारी हासिल कर रहा हूं।

**श्री शिवदास (जिला मिर्जापुर)—**

व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, कल मैंने नियम ५१ में आप को एक सूचना दी थी और आपने उसे अस्वीकार कर दिया। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि नियम ५१ के अन्तर्गत जितनी आप को सूचनाएं अब तक दी गयी हैं और आपने जिनको स्वीकार किया है उन सब सूचनाओं से हमारी सूचना कम लोक-महत्व की नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में....

**श्री अध्यक्ष—**

यहां नहीं। तीन बजे मेरे कमरे में आइए।

**श्री शिव दास—**

कमरे की बात नहीं है। [ × × × ] कमरे में जाते हैं, हां में हां मिलाते हैं उनके नियम ५१ को आप स्वीकार कर लेते हैं। [ × × × ] उनके स्वीकार नहीं करते और....

**श्री अध्यक्ष—**

आप माननीय सदस्यों पर लांछन लगा रहे हैं।

---

[ × × × × ] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार निकाल दिया गया।

श्री शिव दास—

मेरी बात तो आप सुन लें...

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने अभी उन माननीय सदस्यों के लिए जो आपके कमरे में आपके बुलावे पर बात करने के लिए जाते हैं, चापलूसी शब्द का प्रयोग किया। जो मेरी समझ में असंसदीय है। कृपया उसको निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसको निकलवा दूंगा। और मैं बता दूं वह चापलूसी नहीं करते हैं, बल्कि वह लड़ते हैं।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, यह चापलूसी शब्द संसदीय है या असंसदीय है इस पर...

श्री शिवदास—

श्रीमन्, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। मैंने कल कहा था कि मिर्जापुर जिले में इस समय हरिजनों और भूमिहीनों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। उनको मकान बनाने के लिए और मरम्मत के लिए जमीन से मिट्टी नहीं खोदने दिया जा रहा है, कम मजदूरी पर काम करने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है और इस चीज को लेकर मिर्जापुर जिले के अहरौरा थाने के नियामतपुर गांव में और मिर्जापुर कोतवाली के सिरसी गांव में बहुत गम्भीर तनाव उत्पन्न हो गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसी संबंध में चुनार थाने के पंवरावं गांव में हरिजन नेता चन्द्रमा चरण पाण्डे की मृत्यु कर दी गयी और फिर भी इस सम्बन्ध में हमें प्रश्न करने की अनुमति आप नहीं देना चाहते हैं। मुख्य मंत्री के बेटे ने हरिजनों की जमीन पर कब्जा कर लिया, फार्म बनाया और हत्या की और हरिजनों को मकान बनाने के लिए मिट्टी भी नहीं मिल रही है। यह कैसा जनतन्त्र है और कैसा समाजवाद है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए कृपा करके।

श्री शिवदास—

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गरीबों की जिन्दगी है या नहीं और क्या गरीबों को मकान में रहने का अधिकार है या नहीं? मजदूरों को मकान बनाने के लिए मिट्टी भी नहीं मिलती है यह कैसा समाजवाद है।

## मिर्जापुर जिले में चील्ह घाट के समीप नाव दुर्घटना के संबंध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

२४ जून को मिर्जापुर जिले में गंगा नदी पर चील्ह घाट के समीप नाव दुर्घटना के बारे में सार्वजनिक निर्माण मंत्री का वक्तव्य।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

झगड़ा यह है कि कोई व्यवस्था नहीं होती है।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या उन्हीं सदस्यों को वक्तव्य की कापी देने का प्राविधान है जो कि प्रश्न करते हैं या सभी सदस्यों को कापी दी जाती है?

**लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राज बिहारी सिंह)—**

इस दुर्घटना के बारे में तथ्य इस प्रकार हैं। मिर्जापुर में चील्ह घाट पर गंगा नदी को पार करने के लिये कोई पक्का पुल नहीं है। यहां एक पीपे का पुल प्रतिवर्ष बनाया जाता है जो वर्षा ऋतु में तोड़ दिया जाता है। वर्षा ऋतु में मुसाफिरों की सुविधा के लिये गंगा नदी पार कराने के लिये पावर बार्ज व नावों का प्रबन्ध किया जाता है। पीपे के पुल पावर बार्ज व नावों का प्रबन्ध विभाग द्वारा स्वयं किया जाता है, किसी ठेकेदार द्वारा नहीं। इस सुविधा के लिये विभाग यात्रियों से कोई पथ कर वसूल नहीं करता वरन् यह सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। विभाग द्वारा दी गई सुविधा के अतिरिक्त नदी को पार करने के लिये प्राइवेट नावें भी चलती हैं। विभाग के पास दो पावर बार्ज, ५ बड़ी नावें तथा ८ छोटी नावें हैं। दुर्घटना के दिन विभाग की तीन बड़ी नावें व ४ छोटी नावें यात्रियों को ढो रही थीं।

२—इस दुर्घटना का विभाग की नावों से कोई संबंध नहीं है।

३—२४ जून, १९७१ को लगभग साढ़े चार बजे सायंकाल नार घाट, मिर्जापुर से एक प्राइवेट छोटी नाव चील्ह घाट की ओर रवाना हुई। नार घाट विभाग के घाट से लगभग एक फर्लांग दूर है। कहा जाता है कि नाव के चालक दो लड़के थे जिनकी उम्र १५ वर्ष तथा ११ वर्ष थी। नाव में करीब २५ व्यक्ति बैठ सकते थे किन्तु उस समय नाव में ३०–३५ व्यक्ति तथा कुछ साइकिलें व अन्य सामान भी था कहा जाता है। कहा जाता है कि मध्य धार के थोड़ा आगे पहुंचने पर हवा का एक बड़ा झोंका आया और दोनों मल्लाह नाव के पाल को संभाल नहीं पाये और नाव डूब गई। दुर्घटना के १०–१५ मिनट के अन्दर नार घाट पर स्थित ४–५ नावें डूबते व्यक्तियों को बचाने के लिये चल पड़ीं तथा कुछ मल्लाहों तथा स्थानीय व्यक्तियों के प्रयास से २२ व्यक्ति बचा लिये गये तथा ९ वयस्क व ३ बच्चों के डूबने की संभावना है। दुर्घटना की मजीस्टीयिरल जांच नगर मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने सूचना दी कि नाव चालकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया गया है।

४—इस वर्ष अप्रत्याशित वर्षा से चील्ह घाट का पीपे का पुल ९–६–७१ को बह गया था और ३४ पीपे डूब गये थे। विभाग के बार्ज डूबे हुए पीपों को निकालने में लगा दिये गये थे। दुर्घटना के दिन भी विभाग की दोनों बार्ज, ३ छोटी नावें चील्ह घाट से लगभग ३ मील दूर डूबे हुए पीपे व गरडरों को निकाल रहे थे। दुर्घटना की सूचना मिलने पर दोनों बार्ज भी दुर्घटना स्थल पर सहायतार्थ भेजे गये और विभागीय अधिकारी भी स्थल पर पहुंच गये थे।

५—इस प्रकार दुर्घटना विभाग की किसी लापरवाही से नहीं हुई।

**श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—**

अध्यक्ष जी, मंत्री जी कहते हैं कि इसमें विभाग का कोई दोष नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ९ और १० जून को मिर्जापुर, गाजीपुर, वाराणसी के सारे के सारे पीपे के पुल टूट गये और कहीं भी पी० डब्ल्यू० डी० के आदमी इस बात के लिये तैयार नहीं थे, कल्पना भी नहीं कर पाये थे कि सारे पुल टूट जायेंगे। आज के वैज्ञानिक युग में हवा या नदी की धार कैसे चल रही है इसको जाना जा सकता है। तो क्या पी० डब्ल्यू० डी० में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कर्मचारियों को जानकारी हो सके कि पीपे के पुल कब टूट जायेंगे और वह जनता के ट्रांसपोर्ट का इंतजाम रक्खें। क्योंकि इसमें २०, २५ आदमी मर गये। १२ मिर्जापुर में और ९ गाजीपुर में मर गये और पी० डब्ल्यू० डी० हेल्पलेस रह गई।

**श्री राज बिहारी सिंह—**

मान्यवर, इस बात की व्यवस्था नहीं है कि पानी का बहाव जाना जा सके लेकिन पीपे के पुल टूट जाने के बाद यात्रियों को ले जाने की व्यवस्था सभी जगह विभाग करता है।

**श्री विजय बहादुर सिंह (जिला मिर्जापुर)—**

जिस परिस्थिति में यह घटना हुई और जो विवरण मंत्री जी ने दिया है तो क्या मेरी सूचना को आधार मान कर यह जांच करायेंगे कि जब दुर्घटना हुई तो दो स्टीमर पीपे खोजने में लगा दिये। पानी बरस रहा है, हवा चल रही है तो यात्रियों को ले जाने और लाने के लिये जो वहां स्टीमर थे उनको पीपे खोजने के लिये लगा दिया गया। क्या इस असावधानी के लिये एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी ?

**श्री राजबिहारी सिंह—**

मान्यवर, साधारणतः यह होता है कि जब पीपे के पुल टूट जाते हैं तो उसके बाद बार्ज चलाये जाते हैं। पीपे के पुल का सामान भी उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना पड़ता है। पांच सात साल से ऐसा ही हो रहा है। पीपे के पुल के टूटने के १५, २० दिन बाद पिछली सालों में इनको यात्रियों को लाने और ले जाने में लगाया गया है। सन् १९६६ में ६ जून को टूटा था और २-७-६६ को बार्ज लगाये गये थे। ६७ में ११ जून को टूटा और २३ को यह चलाई गई। ६८ में ६ जून को पुल टूटा और ६ जुलाई को यह चलाई गई। ६९ में ९ जून को पुल टूटा और १ जुलाई को बार्ज चलाये गये।

**श्री विजय बहादुर सिंह—**

मान्यवर, मंत्री जी तो सफाई दे रहे हैं। सवाल यह नहीं है।

**श्री अध्यक्ष—**

उन्हें अपनी बात समाप्त कर लेने दें।

**श्री राज बिहारी सिंह—**

२४ जून को घाट पर हमारी तीन नावें यात्रियों को ढो रही थीं। २४ जून को साधारण स्थिति थी। उसी दिन शाम को एक छोटी नाव जो कि प्राइवेट थी मध्य धार में आ गयी। उस नाव में २५ आदमी बैठ सकते थे लेकिन ३५ आदमी बैठे हुए थे और उसको दो बच्चे चला रहे थे। वे उस नाव को संभाल नहीं सके इसलिये वह नाव डूब गयी। इससे हमारे विभाग का कोई सम्बन्ध नहीं था। हवा का तेज झोंका कब आ जायेगा इसको इक्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं जानता।

**श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—**

मिर्जापुर में चील्ह घाट पर प्रतिवर्ष पीपे का पुल बनाया जाता है और वह टूट जाता है। प्रतिवर्ष कई जानें जाती हैं। इन सब दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कोई स्थायी पुल वहां बनाने पर विचार कर रही है ?

**श्री राजबिहारी सिंह—**

इस स्थान पर एक पक्के पुल की स्वीकृति दे दी गयी है। इसकी लागत दो करोड़ रुपया होगी। इसके टेंडर भी आ गये हैं और १०-८-७१ को खोले जायंगे।

**श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—**

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस दिन यह दुर्घटना हुई उस दिन अप्रत्याशित बाढ़ आ गयी थी और वहां जो आपकी बोट्स हैं वह दूसरी जगह पीपे ढूढ़ने चली गयी थीं ? अगर ऐसा था तो विभागीय अधिकारियों की लापरवाही हुई। क्या मंत्री जी उन परिवारों को जो इससे प्रभावित हुये हैं कोई सहायता देने पर विचार करेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह—

जहां तक बाजी का सवाल है उनकी ड्यूटी है कि वे सरकारी संपत्ति की रक्षा करें। इसीलिये वे पीपे ढूंढ़ने के लिये चली गयीं। चूंकि विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिये मुआवजे देने का सवाल नहीं उठता।

श्री विजय बहादुर सिंह—

मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस नाव दुर्घटना के बारे में मिर्जापुर के कई विधायक उनसे मिले थे और प्रार्थनापत्र दिया था कि वहां यात्रियों की भीड़ रहती है और उत्तरी भाग से विद्यार्थी पढ़ने आते हैं इसलिये वहां एक स्टीमर चलाने की कृपा कर दें। उन्होंने आश्वासन दिया था कि एक स्टीमर और बढ़ा दिया जायगा। मैं चाहता हूं कि इस विषय में मुख्य मंत्री जी हमें आश्वासन दे दें कि एक स्टीमर और बढ़ा दिया जायेगा। जो दुर्घटना हुई वह तो हुई लेकिन मैं अनुरोध करूंगा राज्य मंत्री जी से कि वह इसकी जांच करायें कि यह दुर्घटना पी० डब्लू० डी० के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर की असावधानी और अकर्मण्यता से हुई।

श्री राजबिहारी सिंह—

यह सही है कि कुछ विधायक मुख्य मंत्री जी से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया था। लेकिन इस समय कोई स्टीमर उपलब्ध नहीं है। इसलिये उन्होंने (मुख्य मंत्री जी) यह आदेश दे दिया है कि एक बड़ी डक वहां भेज दी जाय।

श्री कल्याण सिंह—

क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि चील्ह घाट पर कुल नावें कितनी हैं और उनमें प्राइवेट नावें कितनी हैं और क्या प्राइवेट नावों को लाइसेंस दिया जाता है और क्या जो दो बच्चे नावें चला रहे थे उनके पास लाइसेंस था ?

श्री राजबिहारी सिंह—

श्रीमन्, ५ बड़ी नाव उस घाट पर हैं जिसमें हर एक में करीब १०० आदमी बैठ सकते हैं, इसके अलावा ८ छोटी नाव हैं। प्राइवेट नावों की सूचना मेरे पास नहीं है क्योंकि इस विभाग द्वारा कोई लाइसेंस आदि उनको नहीं दिये जाते, यदि जिला परिषद देती हो तो मुझे मालूम नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जंगबहादुर यादव (जिला जौनपुर)—

क्या यह जानकारी मंत्री जी को है कि प्रतिवर्ष नाव में अधिक लोग बिठाने के कारण एक दो नाव डूब जाती है, यदि हां, तो क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कोई चौकी आदि वहां कायम करके कि जिससे लोग नाव में अधिक आदमी न बिठा सकें तथा इस बात को भी देखा जा सके कि जो नाव चल रही हैं वे ठीक भी हैं या नहीं ?

श्री राजबिहारी सिंह—

ऐसी व्यवस्था करना तो सम्भव नहीं है। जो फेरी ऐक्ट है उसके अनुसार दो मील तक कोई नाव नहीं चलायी जा सकती, लेकिन जब ज्यादा रश होता है तो वे लोग ज्यादा आदमी बिठा लेते हैं। अभी दुर्घटना के बाद पुलिस अधिकारियों ने एक नाव को चलाने से रोक दिया। इस पर वहां पुलिस के विरुद्ध बड़ा प्रदर्शन हुआ और यह मांग की गयी कि नाव को चलाने दिया जाय।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, जो दो स्टीमर थे उन दोनों को पुल ढोने के काम में लगा दिया गया, अगर एक को लगाया गया होता तो यह दुर्घटना न होती, लोग उससे चले जाते, तो क्या मंत्री जी पता लगायेंगे कि दोनों उस काम में क्यों लगा दिये गये ?

श्री राजबिहारी सिंह--

दुर्घटना तब भी नहीं बच सकती थी क्योंकि जहां दुर्घटना हुई वह जगह दो फर्लांग दूर पर है। ऐसी बात नहीं है कि स्टीमर न रहने के कारण यह दुर्घटना हुई। दुर्घटना तो अधिक आदमी बिठाने के कारण हुई।

## उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९७१

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजी लाल सहायक)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की आज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

मैं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९७१ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९७ पर)

## १९७१-७२ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

*श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)--

मान्यवर, यह जो बजट हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है तथा जो भाषण माननीय वित्त मंत्री जी का हुआ उसको देख कर मैं यह कह सकता हूं कि यह बजट हमारे उत्तर प्रदेश के दुर्भाग्य का चिट्ठा है। बड़े गौरव के साथ माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि १९६९-७० में इस प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय २५३ रुपये थी और १९७०-७१ में वह २५९ रुपये हो गयी। मान्यवर तीन पंचवर्षीय योजनाओं में अरबों रुपये खर्च करने के बाद आप देखते हैं कि १९६० में इस प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय २४६ रुपये थी और १० वर्ष के बाद, इतना खर्च करने के बाद, एक व्यक्ति की आय में केवल ७ रुपये की वृद्धि होती है।

तीन पंचवर्षीय योजनायें खत्म हो चुकी हैं, करोड़ों रुपया इन योजनाओं पर लग चुका है। किन्तु लेखा-जोखा जब निकाला जाता है तो यह मालूम होता है कि दस वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति की आय में सात रुपये की केवल वृद्धि हुई है। मान्यवर हमें जो आंकड़े दिये गये हैं इस बजट के साथ-साथ उनसे मालूम होता है जो खर्च किया गया तीन योजनाओं में एक व्यक्ति के ऊपर वह २६० रुपया ४७ नये पैसे है। लेकिन इससे जो आमदनी बढ़ती है उस व्यक्ति की वह केवल ७ रुपया है। २६० रुपये खर्च करने पर ७ रुपये की आमदनी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होती है तो जो कि बहुत ही कम है और इस सात रुपये की आमदनी में भी किसका-किसका हिस्सा है ? मुझे कहना पड़ता है उसमें मिल मालिकों का भी हिस्सा है, चीनी मिल मालिकों का भी हिस्सा है और उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े पूंजी पतियों का भी हिस्सा है जिन्होंने बड़ी-बड़ी पूंजी कमाई है।

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में सही बात कही है कि यह वर्ष हमारे देश के इतिहास में एक एतिहासिक वर्ष है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस वर्ष में हमारे देश के अन्दर पार्लियामेंट के मध्यावधि चुनाव हुए और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि प्रदेश की जनता ने उनकी सरकार का प्रबल समर्थन किया है। लेकिन मैं पूछता हूं कि जिन आकांक्षाओं और आशाओं को लेकर यह समर्थन दिया गया था, क्या उसकी पूर्ति की दिशा में इस बजट में कोई कदम उठाने का संकेत किया गया है ? प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने आशा की थी कि अब कांग्रेस का विभाजन हो चुका है और प्रतिक्रियावादी लोग कांग्रेस से अलग चले गये हैं और कांग्रेस में विशुद्ध समाजवादी लोग रह गये हैं, उनसे हमें प्रकाश की नई किरण मिलेगी। किन्तु हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है वह तमाम नई आशायें उसकी इस बजट के द्वारा पूरी नहीं हुई हैं, उसकी सारी आशायें—आकांक्षाएं धूल-धूसरित हो गई हैं। उसे बजट के देखने से केवल एक निराशा ही हाथ लगी है।

कुछ बुनियादी नीतियां हैं, जिनके बारे में आप बचनबद्ध हैं, जिनके बारे में आपके संगठन ने प्रस्ताव पास किये हैं, कुछ नीतियां हैं जिनको लेकर कांग्रेस के अन्दर विभाजन हुआ है। देखता हूं कि उन नीतियों का इसमें कोई प्रतिपादन नहीं हुआ है। तमाम नीति के मौलिक प्रश्नों को, आर्थिक कार्यक्रम के मौलिक प्रश्नों को इसमें टाला गया है। उसी तरह से टाला गया है जैसे आज से १० वर्ष पूर्व टाला जाता था यानी उस समय टाला जाता था जबकि कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ था। वित्त मंत्री के बजट भाषण में उन बुनियादी नीतियों को बिलकुल टाला गया है। क्या यह सही नहीं है कि इन्दिरा गांधी और उनकी सरकार ने मूल रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि देहातों में जो जमीन है उसकी हदबन्दी करनी चाहिये।

कांग्रेस प्रस्ताव मौजूद है, कांग्रेस विधायकों की जो भावनायें हैं वह आपके सामने हैं। माननीय मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ वह आपके सामने है। आखिर कौन से कारण हैं आज आपकी हिम्मत नहीं कि जमीन की हदबन्दी को कम करने का कानून आ विधान सभा में लायें। इसलिये संदेह होता है। माननीय मुख्य मंत्री बैठे हुए हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब माननीय चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में संयुक्त मंत्रिमंडल बना था उस समय अखबारों में भी चर्चा हुई थी, सार्वजनिक रूप से चर्चा हुई थी, चूंकि कमलापति जी त्रिपाठी का दल सीलिंग को कम नहीं करना चाहता लिहाजा सीलिंग का बिल इस सदन में नहीं आया। सार्वजनिक तौर पर कभी कोई घोषणा इस कांग्रेस की तरफ से नहीं आयी कि यह प्रचार भ्रामक है। आज पूरी सत्ता नयी कांग्रेस के हाथ में है। आज नयी कांग्रेस का मंत्रिमंडल एक दल का मंत्रिमंडल है और आज भी सीलिंग के बुनियादी प्रश्न को लेकर टाला जाता है, तो हमको सन्देह होता है कि माननीय मुख्य मंत्री अपने को कमजोर समझ रहे हैं। हमें संदेह होता है कि शासक दल के ऊपर बड़े-बड़े काश्तकारों का दबाव पड़ रहा है। हमको सन्देह होता है कि बड़े-बड़े धनी किसानों का दबाव पड़ रहा है। माननीय मुख्य मंत्री अपने को कमजोर समझते हैं इस कानून को इस सदन में लाने के लिये।

मैं माननीय मुख्य मंत्री से अपील करूंगा कि जनता की भावनाओं को जानिये, जनता की आकाक्षाओं का **आदर** कीजिये। अगर सीलिंग के ऊपर आपके दल में विभाजन की बात होती है, अगर आप समझते हैं कि आपकी सरकार मात भी खा जाती है, वह मात खाना आप के लिये गौरव की बात होगी। विरोध की तरफ से आपको समर्थन मिलेगा। लेकिन आप हिम्मत कीजिये। आंकड़े आपके सामने हैं। १९५०–५१ में हमारे प्रदेश में

[श्री गोविन्द सिंह]

एक विधान बनाया गया भूमि सुधार का जिस का ढोल पीटा गया कि उत्तर प्रदेश का भूमि व्यवस्था का कानून आदर्श कानून है, तमाम राज्यों को उस कानून का अनुसरण करना पड़ेगा। १९५१ में भूमिसुधार कानून पेश होता है। उसके दस वर्षों के अन्दर १९६० तक क्या स्थिति हो गयी है ? १९५०-५१ में २० लाख भूमिहीन किसान थे। जब आदर्श कानून बन गया, जब टेनैंसी की सीक्योरिटी की बात कही गयी दस साल के अन्दर २० लाख की संख्या ३२ लाख की संख्या बन जाती है, ६१ प्रतिशत वृद्धि भूमिहीन मजदूरों में होती है इसलिए इस कानून के अन्दर जानबूझ कर लूपहोल छोड़े गये। गरीब किसान को मजदूर कर दिया गया। उसकी जोत से उसको बेदखल कर दिया गया। वह मजदूरों की कतार में खड़ा हो गया। दूसरी तरफ बड़े-बड़े धनी किसान उसकी जमीन पर काबिज हो हो चुके हैं।

जब लैण्ड सीलिंग ऐक्ट प्रदेश में लागू कर दिया गया तो मुझे कहा गया है, माननीय चौधरी चरणसिंह उस समय मंत्रिमंडल में थे और उनका अनुमान था कि लैण्ड सीलिंग ऐक्ट बनाने के बाद हमारे प्रदेश के अन्दर १४ लाख एकड़ भूमि निकलेगा जो खेतिहर मजदूरों में बाटने के लिये उपलब्ध होगी। माननीय तत्कालीन माल मंत्री श्री हुकुम सिंह जी का अनुमान था कि ९ लाख एकड़ धरती उपलब्ध होगी जो खेतिहर मजदूरों में बाटी जायगी। जब पार्टी का सवाल आया, कानून पर अमल करने के बाद हकीकत में कितनी भूमि उपलब्ध है तो सरकारी तौर पर कहा जाता है कि कुल १ लाख २० हजार एकड़ भूमि उपलब्ध थी। ९ लाख एकड़ से चले तो १ लाख २० हजार एकड़ पर आये और १ लाख २० हजार एकड़ में भी जो आपने गरीब किसानों तथा हरिजनों को बांटी है वह ६० हजार एकड़ ही बांटी है और बाकी जमीन जो आपने कानून में एक एक नुक्ता छोड़ रखा था उसके मुताबिक बिरला, नेवटिया तथा चीनी के बड़े-बड़े कारखाने वालों को दे दी जो आज भी आपकी अर्थ व्यवस्था के ऊपर एक नासूर बने बैठे हैं। चले थे आप भूमिहीनों को, गरीब किसानों को जमीन बाटने लेकिन जब अमल की बात आई तो उनके सामने आपने अपना सर झुका दिया जो बड़े-बड़े धनी किसान थ, मिल मालिक थे, सेठ साहूकार थे।

मैं वित्त मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह बेकारी दूर करने की बात करते हैं। आज ४० लाख खेतिहर मजदूर उत्तर प्रदेश में बेकार है। ४० लाख का मतलब ४० लाख परिवारों से है। इसका मतलब यह है कि २ करोड़ की जनसंख्या आज खेती पर निर्भर है जो बेकार पड़ी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि इनकी बेकारी को दूर करने के लिये सीलिंग ऐक्ट को टाला नहीं जा सकता। शहरी सम्पत्ति की सीलिंग के सवाल को बड़ी खूबसूरती के साथ टाल दिया है कि हम इसे केन्द्रीय सरकार के पास भेज रहे हैं। केन्द्र की सरकार नहीं मानेगी तो हम पास करेंगे। संविधान में लिखा हुआ है कि यह विषय राज्य का विषय है। हमारी यह विधान सभा इस के लिये सक्षम है कि वह इस सम्बन्ध में कानून बनाये। केन्द्र में मुख्य मंत्रियों की बैठक हुई और दिल्ली से सामान्य सुझाव राज्य सरकारों को भेज दिये गये। तो अब बीच में केन्द्रीय सरकार कहां से आती है ? क्या यह वही परम्परा तो नहीं है जिसके अन्तर्गत आप आज तक मौलिक प्रश्नों को टालते रहे हैं ?

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात कही गयी। १२ मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कौन सी मिलों को सरकार अपने हाथ में ले रही है जो मिलें बेकार हो चुकी हैं, जो कबाड़ी के हाथ में बेचने लायक हैं। आप हिम्मत नहीं कर रहे है बिरला, मोदी तथा नवेटिया के कारखानों को अपने हाथ में लेने की और इस पर आप समाजवाद की बात करते हैं। आप उन सड़ी गली मशीनों को ले रहे हैं जो घाटे में चल रही हैं। दूसरी तरफ सन्देह पैदा होता है कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि आप उन मिलों को रक्षा करना चाहते हैं जो घाटे में चल रही हैं और इस प्रकार तीन करोड़ २६ लाख रुपये की धनराशि

आप उन मिलों को पुरस्कार में देने जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस तरह से एक तरफ तो आप बड़े-बड़े मिल मालिकों की रक्षा करना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो सिक मिलें हैं उनको आप अपने हाथ में ले रहे हैं।

टेहरी गढ़वाल में जो आप डैम बनायेंगे उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन २५ हजार की जनसंख्या जो वहां से हटाई जायगी उसको फिर से बसाने के लिये इस बजट में कोई प्राविधान नहीं है। उत्तरकाशी में मनेरी डैम का काम चल रहा है। उसकी दारुण कथा मैं आपको सुनाऊं। मध्य प्रदेश से ....

(इस समय १२ बजकर ५५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

गुलाम लाये जा रहे हैं। उस डैम में किसी को मजदूरी नही दी जा रही है। एक रुपया, सवा रुपया उन गुलामों को दिया जाता है। हम पर्वतीय जिलों के लोग हर कुरबानी करने को तैयार हैं ताकि उत्तर प्रदेश को बिजली मिले और उसके लिये हम अपने घर तक छोड़ने को तैयार हैं लेकिन आपने उनको रिहैबिलेटेट करने की व्यवस्था नहीं की। तो हम लोग भी यह साफ कह देना चाहते हैं कि तब तक हम अपनी जमीनों का कब्जा नहीं छोड़ेंगे, अपने घरों से नहीं उठेंगे जब तक कि आपने वहां की जनता के लिये पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की। हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि पूर्वी बंगाल के विस्थापितों की तरह से अपने पहाड़ की जमीन को छोड़कर दर-दर ठोकरें खायें। हमारे माननीय वित्त मन्त्री-जी एक पर्वतीय निवासी हैं किन्तु उन्होंने पर्वतीय जनता के बारे में अपने बजट में कोई व्यवस्था इस सम्बन्ध में नहीं की है। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री लाल बहादुर सिंह (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की आज्ञा दी है। उसके बाद मैं अपने माननीय वित्त मन्त्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने ऐसा बजट सदन में प्रस्तुत किया है जिसका कि झंझाबाद सारे देश और प्रदेश में फैला हुआ है। सबसे बड़ी बात जो इस बजट म है वह यह कि इसमें एक भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है और दूसरी बात यह है कि वे चीनी मिलों का नेशननालाइजशन करने जा रहे हैं। यह बहुत बड़ी और अच्छी बात है। प्रजातांत्रिक तरीके से जितना समाजवाद लाया जा सकता है, उतना वे ला रहे हैं। किन्तु साथ ही में अपने माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस गति से वे यहां पर समाजवाद लाना चाहते हैं उस गति से उसे लाने में बहुत देर हो जायगी। अतः समाजवाद की सफलता के लिये उसकी गति बढ़ाना चाहिए। जब संविद की सरकार यहां पर थी और हम लोग उधर बैठते थे तो सवा छः एकड़ की लगान माफी की गई। हम भी इसमें प्रयत्नशील थे और बराबर जोर दे रहे थे कि सवा छः एकड़ की लगान माफी करो। किन्तु जब हम किसानों के बीच जाते हैं तो मालूम होता है कि उनको इस चीज का विरोध है। तो पहले इस चीज को देख लेना चाहिये था कि आया किसान सवा छः एकड़ लगान माफी के पक्ष में है या नहीं है।

दूसरी बात यह है कि हमारे वित्त मन्त्री जी को कितने ही साधन जुटाने हैं, समाजवाद लाने के लिये, अधिकारियों और कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ानी है, बेरोजगारी हटानी है और अन्य नियोजन करने में। तो इस सबके लिये उनको रुपये की जरूरत है। हमारे लगभग सभी माननीय सदस्यगणों के घरों पर बेकार लोग पढ़े लिखे आते रहते हैं कि हमको नौकरी दिला दीजिये। इसके लिये उनको अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। जरूरत इस बात की है कि आप किसी के दबाव में न आवें। आपको निश्चित तरीके से निर्णय लेना होगा। आप बिहार में देख लीजिये, उसके पुराने इतिहास को देख लीजिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लाल बहादुर सिंह]

अगर आप जल्दी से जल्दी इस चीज को नहीं करेंगे तो जनता में जो बेचैनी फैल रही है वह और बढ़ जायगी। जनता अब समझ गई है और जागरूक हो गई है।

आप गांव सभा का, ब्लाक का, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का, असेम्बली या पार्लियामेंट का इलेक्शन देख लीजिये उसमें हर पार्टी अपना-अपना पैगाम लेकर आती है। हर आदमी अपना अधिकार चाहता है। हमने कर्त्तव्य करना किसी को नहीं सिखाया। यह उसका अधिकार है चाहे वह सदस्य हो, चाहे कोई कर्मचारी हो या चाहे जनता स्वयं ही क्यों न हो। आज अवश्य कोई न कोई बुनियादी गल्ती जरूर है। इस बात को सोचने की जरूरत है कि हमको आग क्या करना है। तो आज जनता में बड़ी बेचैनी फैली हुई है। आप सोच लीजिये कि अभी चीनी मिलों का नेशनलाइजेशन नहीं हुआ है वित्त मन्त्री जी ने उनको टेक ओवर किया है। पता नहीं कब तक वह अधिकार मिलेगा, वह हाई कोर्ट में जा रहे हैं। दूसरी चीज यह बता दूं कि जब मैं अखबार पढ़ता हूं तो लज्जा से सिर झुक जाता है। यहां का बड़े से बड़ा अधिकारी इस कदर करप्शन में फंसा हुआ है कि क्या कहा जाय। आज के नैशनल हेराल्ड के फर्स्ट कालम पर एक डायरेक्टर बोटैनिकल गार्डेन हैं उनका निकला है। तो यह सब चीजें हैं। हमको तय करना है सोशलिज्म के बारे में कि कितना लाना है। हमने निश्चित नहीं किया कि वह किस किस्म का होगा और कितना मार्ग हमें इस दिशा में तय करना है, वह हमको निश्चित करना होगा। यदि हम इसी मंथर गति से चलेंगे तो बड़ी देर हो जायगी। हमारा ऐसा देश है जिसमें नाना प्रकार की भाषा, नाना प्रकार के मत मतान्तर हैं। और देर करने से शायद हमें कुछ सेट बैक हो जाय, हम पीछे लौट जायं, क्योंकि काउंटर रेवोल्यूशनरी भी अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। उनसे बचने के लिए जरूरी है कि हम जल्दी से जल्दी यहां के मसले को साल्व करें ताकि जनता अनुभव करे कि हमारे लिए कुछ किया जा रहा है।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, लेकिन उनसे अभी अवाम के पास कुछ नहीं पहुंचा। तीन-चार दिन पहले यहां से हमारे वित्त मन्त्री और भारत सरकार से वहां के वित्त मन्त्री दोनों बनारस पधारे। दोनों लोगों ने बड़ी गहराई से समझा कि किस आदमी के पास रुपया पहुंचता है। हमारे दोनों मन्त्रियों ने कहा कि अब भी मिडिलमैन रह जाते हैं। तो मिडिलमैन बड़ा होशियार है। जब कोआपरेटिव मूवमेंट चला तो जितने चलते-पुरजे लोग थे उसमें घुस गये। कोआपरेटिव मिनिस्टर साहब तो हैं नहीं, वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह उनसे निवेदन कर दें और जांच करवावें कोआपरेटिव सोसाइटीज की, कि कितनी गड़बड़ी हो रही है और सरकार का और जनता का पैसा बरबाद होता जा रहा है। तो इस सरकार को सावधान हो जाना है।

दूसरी बात यह है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वह चाहे आप कुछ आंकड़े ला दें लेकिन वह थोड़े ही चन्द लोगों को बढ़ती है, हर एक की बढ़ती नहीं है। समाजवाद तो तभी सफल हो सकता है जब आप नीचे गिरे हुए को ऊपर उठावें और उसको समान स्तर पर लावें। हमको बहुत सोच समझकर समाजवाद का ढांचा बनाना होगा और इस प्रयोग को करना होगा ताकि वास्तविक रूप में यहां समाजवाद स्थापित हो सके। आज हमारे सामने दो तीन समस्याएं बड़ा विकराल रूप धारण किये खड़ी हैं। एक तो यह है कि उच्छृंखलता जो देश में आ गई है उसका मुकाबला कैसे किया जाय। चायना में भी काफी उच्छृंखलता थी लेकिन वहां उन्होंने किया। केवल सरकार के तरीके से उच्छृंखलता दूर नहीं हो सकती उसके लिये तो हर पार्टी बैठे, हर पार्टी के लीडर और वर्कर बैठें और विचार करें कि किस तरह से उसको फेस किया जाय। यहां तो हालत यह है कि यदि एक आदमी कहेगा कि उच्छृंखलता दूर होनी चाहिए तो दूसरे कहेंगे कि असेम्बली के सामने प्रदर्शन कर दो, यह नहीं होना चाहिए। अगर हमारी गवर्नमेंट है तो कहें और उनकी गवर्नमेंट है तो हम कहेंग।

इस तरह से देश आग चलने वाला नहीं है। देश को समझना है कि चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, किसी मत-मतांतर के लोग हों लेकिन देश को सभी को ऊपर उठाना है। आज चारों तरफ निगाहें लगी हुई हैं सारे संसार की हमारी ओर। आपने कितना बड़ा काम किया है। एक करोड़ आदमियों को आप यहां बसाने जा रहे हैं, उनको खाना खिलाने जा रहे हैं। शायद उत्तर प्रदेश का हाथ इसमें किसी से कम नहीं होगा। उस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है क्योंकि हमारा प्रदेश इस देश में सबसे बड़ा प्रदेश है। इसकी आमदनी सबसे अधिक है, यहां हर चीज है और हमारा यह सौभाग्य रहा है कि यहां से बड़े-बड़े नेता निकले हैं जो अपने कन्धों पर इस देश को संभाले हैं।

इन सब बातों की तरफ हमें बहुत सोच समझ कर चलना है। हमें ऐसा कदम उठाना चाहिये जिससे समाजवाद हम जल्दी ला सकें। समाजवाद लाने के लिये बुनियादी बात यह है कि कमाने वाला खाये। यह हमारा पुराना नारा है। जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते थे तब भी यही कहते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि कमाने वाले के पास कुछ भी नहीं है। चाहे मजदूरों को ले लीजिये, चाहे बेपढ़ों को लीजिये अथवा पढ़े लिखों को लिजिये। खेतिहर मजदूरों की हालत भी नहीं सुधर पाई है। बेजेज ऐक्ट आपने बनाया है लेकिन उससे हुआ कुछ भी नहीं है। बेकारी सुरसा की तरह से अपना बदन फैलाती जा रही है। उसके लिये आपको यह करना पड़ेगा कि इस काम में इतने आदमी लगेंगे और इस काम में इतने आदमी लगेंगे। लेकिन आजकल जो कुछ चल रहा है वह एटरेंडम ही चल रहा है। उसके लिये आपको स्कूलों और कालेजों का सर्वे करना पड़ेगा, किसानों की हालत का सर्वे करना पड़ेगा। कहां कितने नौजवान आपके बेकार हैं, इसका एक चार्ट आपको बनाना होगा। आपके रोजगार के भी दफ्तर हैं। वहां भी सब अलल्टप्प है। जो वहां गया ठीक जो नहीं गया, उसका रेजिस्ट्रेशन ही नहीं हो सका। वहां अंग्रेजों का पुराना ढांचा अभी तक चला आ रहा है।

वित्त मन्त्री जी की एक बात मेरी समझ में बिलकुल नहीं आयी। उन्होंने वृत्ति कर समाप्त कर दिया, जमीनों की मालगुजारी समाप्त कर दी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे स्टेट को दीवालिया बनाने जा रहे हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि आप टैक्सेज को न लगायें। आप टैक्सेज जरूर लगायें लेकिन उनका यूटिलाइजेशन प्रापर होना चाहिये। पिछले २० सालों में से इस असेम्बली में आ रहा हूं और बार-बार इसी बात को कह रहा हूं कि जनता टैक्सों से नहीं घबराती। घबराती तब है जब उसका प्रापर यूटिलाइजेशन नहीं होता। मकान में सो रहा है लेकिन खूब खा पी रहा है और मजदूर बेचारा भूखा मर रहा है। मैं बनारस की बात जानता हूं। छोटे-छोटे नौकरों ने अपने ५–५, १०–१० मकान खड़े कर लिये हैं। हम भी २० साल से असेम्बली में आ रहे हैं लेकिन कपड़े का ठीक सा कुर्ता नहीं बना पाये हैं। विजिलेंस आपने कर दिया, उससे क्या होने वाला है। अगर आप एक चीज बन्द कर देंगे तो वे दूसरी खोज निकालेंगे।

मैं सरकार से कहूंगा कि वह अपनी प्लानिंग में एक बात जरूर रख लें। देहात में और खास कर पूर्वी जिलों के देहात में सड़कें नहीं हैं। एक गांव से दूसरे गांव जाना ऐसा लगता है जैसे सिगप्रिड लाइन पार करना हो। आप चाहें १ फीट चौड़ी सड़क ही बनायें लेकिन बना जरूर दीजिये। जिससे वहां के लोगों को अपने नारकीय जीवन से छुटकारा मिल सके। अगर इन नारकीय जीवन से उनको छुटकारा नहीं मिला तो क्या लाभ हुआ।

एक बात यह भी है कि आप सेन्ट्रल के भरोसे पर न बैठे रहें। आपको अपने साधनों को जुटाना होगा, अपने पैरों पर आपको खड़ा होना होगा। केन्द्रीय सरकार आपकी कहां तक मदद करेगी। आप तभी तरक्की कर सकते हैं और जल्दी तरक्की कर सकते हैं जब आप अपने पैरों पर स्वयं खड़े होंगे।

[श्री लाल बहादुर सिंह]

सीलिंग के बारे में आपको जल्दी से जल्दी कदम उठाना है। शहरों की प्रापर्टी पर भी आपको लिमिट लगाना है। आपको यह भी देखना होगा कि कर की कहां-कहां किस प्रकार से चोरी की जा रही है। अगर आपने इस बात को नहीं किया तो मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप रोक नहीं सकते, ब्लडी रेवोल्यूशन हो जायगा। अगर आप सोशलिज्म लाना चाहते हैं तो आप जरूर इन चीजों को कीजिये। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट का विरोध करता हूं क्योंकि प्रस्तुत बजट में, जिसको समाजवादी बजट कहा गया है, न तो गरीबी को दूर करने के लिये कोई प्राविधान है और न जो इस प्रदेश में लाखों बेरोजगार शिक्षित नौजवान हैं उनको रोजगार देने की कोई व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ इस बजट में किसानों की दशा सुधारने की दिशा में भी कोई कारगर-नजर नही आता और इस साल जो सब से खराब हालत किसानों की हुई उसको भी सुधारने की दिशा में कोई प्रयास नजर नहीं आता। हां, इस बजट में व्यवस्था इस बात की है कि हुकुमत की कुर्सियों पर जो लोग बैठे हैं उन लोगों ने अपने क्षेत्रों के लिये बजट का बहुत बड़ा हिस्सा, चाहे वह सड़कों के लिये हो, चाहे बिजली के लिये हो, चाहे ट्यूबवेलों के लिये हो और चाहे सिंचाई के अन्य साधनों के विस्तार के लिये हो, रखवा लिया है।

आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि २३ साल की आजादी के बाद पहली बार पिछले बजट में इटावा जिले में नयी सड़कों के लिये ९८ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी और इस साल के प्रस्तुत बजट में इटावा जिले में नयी सड़कों के लिये केवल १५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है और उस १५ लाख रुपये से भी एक १५ मील लम्बी उस सड़क का निर्माण कराया जायगा, जो माननीय परिवहन मन्त्री के क्षेत्र में आती है। पिछले साल जो सरकार माननीय चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में काम कर रही थी उसने ९८ लाख की लागत से इटावा के ७ विधान सभाई क्षेत्रों में सड़कों का प्राविधान किया था और सप्लीमेंटरी बजट में मुरादगंज—आयाना बीझलपुर और कंचौसी बाजार—लहरापुर—रसूलाबाद, इन दो सड़कों का प्राविधान किया था। अब इन सड़कों को काट कर इस नई सड़क का प्राविधान इस बजट में किया गया है।

इस सदन में मौजूद करीब-करीब सभी सदस्य जानते होंगे कि इस साल व्यापक वर्षा से किसानों का ६० फीसदी गल्ला सड़ गया। और जो गल्ला उसका बचा भी उसके बाजार में वाजिब दाम भी नहीं मिले। हमारे खाद्य मन्त्री ने हमारे जिले का दौरा किया था। खुशी इस बात की है कि उन्होंने वहां की हालत देख कर इस बात की ताकीद भी की थी कि किसानों की जो लूट की जा रही है उसको बन्द करने की व्यवस्था की जाय। लेकिन किसानों के गल्ले की लूट लगातार जारी रही और आज भी उनकी वही हालत है। एक तरफ तो किसानों का गल्ला खलिहान में सड़ गया और दूसरी तरफ जो बचा भी उसके उसको वाजिब दाम नहीं मिले। इसके बावजूद भी किसानों से लगान, तकावी, आबपाशी वगैरह की वसूली जारी है।

अभी पिछले दिनों जब माननीय राजस्व मन्त्री जी का ध्यान इटावा जिले की बरबादी की ओर दिलाया गया तो उन्होंने आदेश भी दिये, लेकिन पता नहीं कैसी यह सरकार है और कैसे इसके आदेश होते हैं कि फिर भी बहुत सस्ती के साथ आबपाशी और लगान की वसूली जारी है। राजस्व मन्त्री जी इस बात को नोट कर लें और देखें कि क्यों सरकार के आदेशों के विपरीत आज वहां के किसान को परेशान किया जा रहा है। मैंने पिछली बार भी और अभी कुछ दिन पहले भी इस सरकार को लिखा था कि लगभग २३ साल की

आजादी के बाद भी इस प्रदेश के पूर्वी जिले, बुन्देलखण्ड और पहाड़ी जिलों का क्षेत्र पिछड़ा घोषित हुआ है। इनके लिये विकास बोर्ड का गठन किया गया है। लेकिन इस प्रदेश में एक चौथा इलाका भी है जो किसी से कम पिछड़ा नहीं है और वह है कानपुर से दिल्ली तक इटावा, आगरा होती हुई जो मुगल रोड गई है उसके दक्षिण में जो इलाका है जिसको पारपट्टी और चम्बल घाटी के नाम से भी जाना जाता है।

इस पारपट्टी और चम्बल के इलाके में जाकर आप देखें तो आप इसको किसी माने में भी बुन्देलखण्ड से कम पिछड़ा नहीं हुआ पायेंगे। यह इलाका बुन्देलखण्ड से मिला हुआ है। उस पिछड़े इलाके के लिये कुछ भी नहीं किया गया है। इस इलाके की कठिनाइयों को दूर करने के लिये किसी सरकार ने दिलचस्पी नहीं ली। पिछले समय में जब इस सूबे में चौधरी चरण सिंह की सरकार थी तब इस इलाके में कुछ राजकीय नलकूप लगाये गये थे लेकिन आज इस सरकार ने वहां पर राजकीय नलकूप लगाने की कोई व्यवस्था नहीं की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस चौथे अंचल को भी पिछड़ा हुआ इलाका घोषित किया जाय और वहां पर राजकीय नलकूप लगाने की व्यवस्था की जाय। अगर इस जिले की दूसरे जिलों से तुलना की जाय तो इस जिले के बहुत से इलाके हैं जहां पर बिली जकी सप्लाई नहीं हुई है। औरैया, विबियापुर, सहार, लहरापुर, कंचौसी बाजार, सहायल, बेला याकूबपुर आदि ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली सप्लाई करने की बहुत जरूरत है। इस इलाके में बिजली सप्लाई करने की बहुत आवश्यकता है।

शासक दल के हमारे एक मित्र विधायक ने बताया कि चौधरी चरण सिंह की जब यहां पर हुकूमत थी तब सरकारी अफसर रिश्वत लेने से डरते थे और घबराते थे लेकिन आज पता नहीं है कि आज इस सरकार के जमाने में लालफीताशाही और भ्रष्टाचार क्यों इतना पनप रहा है कि हर जिले का प्रतिनिधि इस बात की शिकायत करता है। हमारे जिले के प्रतिनिधियों ने इस बात की शिकायत की कि अफसरों को डराया जाता है लेकिन यदि इसी तरह से सरकारी अफसरों को डराया-धमकाया जाता रहेगा और अपराधियों को संरक्षण दिया जाता रहेगा और बड़े-बड़े अधिकारियों को उन अपराधियों के सामने धमकाया जायगा तो सत्याग्रह की नौबत आ सकती है। असफरों से कहा जाता है कि अगर तुम इलाके के फलां व्यक्ति की बात नहीं मानोगे तो तुमको नहीं रहने दिया जायगा। बड़ी दुहाई समाजवाद, इंलाफ और ईमानदारी की दी जाती है लेकिन हमारे इटावा जिले के जिला मजिस्ट्रेट का तबादला माननीय परिवहन मन्त्री ने वहां से करा दिया। २, ३ दिन के बाद जब लोगों ने दबाव डाला और जिलाधिकारी ने कोशिश की कि हम यहां पर वही काम करेंगे जो आप हमसे कहेंगे तब उनको वहां पर रखा गया।

हम तो यह चाहते हैं कि जो भी अधिकार वहां पर रहे वह ठीक तरह से काम करे। अगर वह ठीक तरह से काम नहीं करेगा तो सरकार का कर्त्तव्य है कि उसको वह सजा दे अगर सरकार उसको सजा नहीं देगी तो हर व्यक्ति सरकार के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठायेगा। हम विरोधी दल में हैं और हमारे नेता ने कानून तोड़ने के लिए हमको मनाही कर रखी है न हम जलूस निकाल सकते हैं और न हम लोग सत्याग्रह कर सकते हैं लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे नैता से हमको सत्याग्रह करने की अनुमति भी मिलेगी। अगर बी०के०डी० के कार्यकर्त्ताओं को अत्याचार और जुल्मों का शिकार होना पड़ेगा तो मजबूर होकर उनको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। इटावा का नौजवान आगे बढ़कर इस सरकार के जुल्म और अत्याचारों के विरुद्ध सत्याग्रह करेगा। मैं आपके माध्यम से इस सरकार को बतलाना चाहता हूं कि इटावा का नौजवान कभी जुल्म और अत्याचार का विरोध करने में किसी से पीछे नहीं रहेगा। जब भी जरूरत पड़ेगी वह अपनी कुरबानी देगा। इटावा जिला आजादी की लड़ाई में भी आगे रहा है।

[श्री भारत सिंह चौहान]

इटावा जिले के जो और विधायक इस सदन में मौजूद हैं उन्होंने भी वहां की सड़कों के विषय में सरकार से प्रार्थना की है। मुरादगंज–अयाना–बीझलपुर तथा कंचौसी बाजार, लहरापुर–रसूलाबाद तक जाने वाली और विधूना से दिबियापुर-वाया-हरचन्दपुर की ऐसी सड़कें हैं जिनका निर्माण पहले सरकार के विचाराधीन था। इसका रुपया रखा गया था लेकिन इस बजट के अन्दर इनके निर्माण की व्यवस्था नहीं की गई है। सब से बड़ी तकलीफ की बात यह है कि कोई भी सरकार का प्रतिनिधि वहां पर निरीक्षण करने जाता है तो वह कहता है कि अछल्दा–विधूना और दिबियापुर–फफूंद ऐसी सड़कें हैं, जिन पर गहरे गहरे गड्ढे हैं। इन गड्ढों में कई यात्री मर चुके हैं और कई यात्री गिरकर घायल हो चुके हैं लेकिन उनकी मरम्मत अभी नहीं की गई है।

अछल्दा विधूना और फफूंद रेलवे स्टेशन से फफूंद कस्बा तक सड़क की हालत बहुत खराब है। इस सड़क पर कई दिनों तक यातायात भी बन्द रहा है। लेकिन फिर भी इस सरकार की तरफ से इन सड़कों की दशा सुधारने की दिशा में कोई प्रयास तक नहीं किया गया। और वहां के लोगों की जिदन्गी से यह सरकार खिलवाड़ कर रही है।

यातायात का जहां तक सवाल है आज भी राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्राइवेट बसें चल रही हैं और मेरी इत्तिला है कि इनको जिले की पुलिस केवल इसलिये नहीं रोकती क्योंकि इन प्राइवेट लारियों में परिवहन मंत्री का हिस्सा है। जब यहां के परिवहन मंत्री का यह स्तर है तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रदेश का और इस देश का क्या भविष्य होने वाला है, इसका फैसला सदन अपने हृदय से करे। मैं कहूंगा कि इटावा जिले की सड़कों की जो हालत परिवहन मंत्री जी ने और उनके विभाग ने कर रखी है उसको अगर इसी तरह से नजरअन्दाज किया गया तो उसका नतीजा यह होगा कि पूरे इटावा जिले में कोई आदमी कांग्रेस का नाम लेने वाला भी नहीं मिलेगा। आज वहां पर अवांछनीय तत्वों, अराजकता फैलाने वाले, अनुशासनहीन और हर तरह का व्यभिचार करने वाले लोगों का पूरा अधिकार है। यहां पर सूबे में अधिकारी बेईमान हैं उनकी शिकायत होती है लेकिन हुकूमत की कुर्सियों पर बैठने वाले उधर के मंत्री ही जब बेईमानों को शरण देते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर इस सरकार में हिम्मत है तो वह परिवहन मंत्री के भ्रष्ट आचरण के लिये जांच करावें, मैं उनके खिलाफ आरोप-पत्र देने को तैयार हूं लेकिन शर्त यह है कि यह जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा ही कराई जाय और अगर मेरा आरोप झूठा साबित हो तो मैं इस सदन की सदस्यता से स्तीफा देने को तैयार हूं।

आज यहां बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं कि हम प्रदेश की गरीबी को और यहां के पिछड़ेपन को दूर करेंगे, नौजवानों को रोजगार दिलाने की बात कही जाती है लेकिन आजतक हमारे यहां कोई भूमि हरिजनों को देने की व्यवस्था नहीं की गई और वह वैसे ही भूमिहीन बने हुये हैं। उनको मकान के लिये [illegible] पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। हमारे जिले के [illegible] पट्ट के इलाके में हरिजनों का क्षेत्र है वहां पर जो वन विभाग की भूमि दो चार बीघा बेचारे गरीब हरिजन जोत रहे थे और जिसपर उनका कब्जा मुद्दत से चला आता था लेकिन जबरदस्ती उनसे वह जमीन छीनी जा रही है। मैंने श्री अजीत प्रताप सिंह को इसके विषय में लिखा भी और उनको आमंत्रित भी किया और उसके बाद नतीजा यह है कि ४०–५० साल से उनका दो, दो तीन तीन बीघा जिस जमीन पर कब्जा है उस को छीना जा रहा है। मैं चाहता हूं कि उनसे उनकी वह जमीन वन विभाग द्वारा न छीनी जाय। लेकिन आज तो वहीं क्या सारे प्रदेश में अराजकता और नौकरशाही का बो बाला है, मंत्री जी के आदेशों तक की अवहेलना होती है और ऐसा मालूम होता है कि कोई शासन-व्यवस्था यहां रह ही नहीं गई है। केवल फर्ज अदायगी मात्र ही होती है।

हजारों स्थानान्तरणों के आदेश होते हैं और फौरन ही उनको स्थगित किया जाता है कोई प्रयास इस बजट में हमारे यहां की सड़कों या पुलों की व्यवस्था को सुधारने का नहीं किया गया है। इटावा जिले के एक अंचल शेरपुर सरैया में सेंगर नदी के पुल की बहुत आवश्यकता है। वहां की जनता ने अपने परिश्रम और सहयोग से चन्दा कर के ६० हजार रुपया जमा किया लेकिन पता नहीं कि वह रुपया भी अब कौन से फंड में पड़ा हुआ है। इसी तरह से शेरगढ़–औरैया–जमुना घाट पुल की और मधुआपुर रिन्द के पुल की भी कोई व्यवस्था आजतक नहीं हो सकी है और आप देखें कि इस तरह से इटावा जिला बराबर उपेक्षित रहा है। अन्त में मैं इस बजट का विरोध करता हूं।

*श्री कृष्णकान्त अवस्थी (जिला सीतापुर)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आज इस बजट पर बोलने की अवसर दिया उसके लिये मैं आप का आभारी हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन के समक्ष जो यह बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। वैसे तो जब बजट पेश होता है तो जो पक्ष उस तरफ बैठता है वह हमेशा बजट की आलोचना करता है और उधर जाने के बाद वह बातें भूल जाता है जो इस तरफ रहने पर कहा करता था। गत वर्ष हमारे साथियों ने कहा था कि बड़ी खराबी है, स्थानान्तरण हुए हैं लेकिन गत वर्ष मुख्य मंत्री चरण सिंह जी ने कितने ट्रान्सफर किये, कितने भ्रष्ट अधिकारियों की पदोन्नति की और उसकी एक मिसाल आज भी आप के सामने है कि एक भ्रष्ट अधिकारी अज भी विद्युत् परिषद् का चेयरमैन बना बैठा है और आज भी वह मौजूद है।

जब श्री एस० एन० सिंह को विद्युत का चेयरमैन नियुक्त किया गया, हम भी सदन में उस पक्ष में बैठे हुये थे। उस समय यह आवाज उठी थी कि जिनके विरुद्ध ३० लाख का गबन था उन्हें २ साल रिटायरमेंट के बाद इस पद पर नियुक्त किया गया था। उस वक्त इंडिकेट के छः मिनिस्टर्स कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में थे। माननीय चरण सिंह और हम एक साथ बैठे थे। जब लोग उस पक्ष में बैठते हैं तो उन्हें यह आभास होने लगता है कि सब बुराइयां इधर हैं और जब वे उधर आ जाते हैं तो फिर उन पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। इधर वाले उधर की और उधर वाले इधर की बुराइयां करने लगते हैं। खैर यह तो प्रजातंत्र में हुआ ही करता है। जहां तक नौकरशाही का प्रश्न है आज २४ वर्ष में भी जो लोग अधिकांश सत्ता में रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं, ऊंचे ऊंचे ओहदों पर रहें हैं, उन्होंने नौकरशाही को पनपाया है और यदि ऐसा ही रहा तो समाजवाद लाना असंभव है। समाजवाद का नारा आपने भी दिया और हमने भी दिया और हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था कि प्रदेश में समाजवाद लाना है लेकिन नौकरशाही इन २४ वर्षों में इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि यह सरकार की नीतियों को कार्यान्वित नहीं कर सकी है। आज जो लोग सरकार के ऊंचे पदों पर हैं, सरकारी नौकरियों में हैं, वे समाजवाद में आस्था नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं। जब तक हमारी नौकरशाही, जिसके द्वारा समाजवाद को कार्यान्वित करना है, सरकार की नीतियों का कार्यान्यवन करना है, समाजवाद में विश्वास और आस्था नहीं रखेगी तब तक देश और प्रदेश में समाजवाद नहीं आने वाला है। हमारी नौकरशाही अत्यन्त ही भ्रष्ट है। हमारे जो आई० ए० एस० और आई० सी० एस० अधिकारी रहे हैं, उन्होंने इन २४ वर्षों में सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करने की कोशिश ही नहीं की है।

आज प्रदेश में माननीय कमलापति त्रिपाठी जी की सरकार है जिसने प्रस्तुत बजट में समाजवाद की नीतियों का संकलन किया है। इससे अच्छा बजट कभी भी नहीं आया है, २ साल का मुझे अनुभव है, किसी भी सरकार ने इतना अच्छा बजट प्रस्तुत नहीं किया है। बजट तो बड़ा अच्छा, समाजवादी और प्रगतिशील है परन्तु सरकार के अधिकारीगण इसे किस प्रकार से कार्यान्वित करते हैं, संचालित करते हैं, इस पर हम को भी शंका है। गत २४ वर्षों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णकान्त अवस्थी]

में सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करने में हमेशा नौकरशाही बाधक रही है। जैसे भूमि का कानून बनाया गया। भूमि के वितरण के लिये पिछली सरकार ने कानून बनाया कि हरिजनों और भूमिहीनों को जमीन दी जायगी।

मैं अधिक न कह कर सीतापुर की मिसाल देना चाहता हूं। वहां पर २५ रुपये से १०० रुपये तक पटवारी से लेकर तहसीलदार उस जमीन को बेचने में भागीदार रहे। इस संबंध में तमाम शिकायतें शासन तक पहुंचायी गयीं, पिछली सरकार की बात बता रहा हूं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी। जब जिले के अधिकारीगण ही ऐसे हों तो कानून बनाने से कोई क्रांतिकारी परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। कानून तो हमेशा बनते रहे हैं लेकन नौकरशाही इस कानून को जिस ढंग से अमल में लाई है, वह पिछले २४ सालों की मिसाल है।

इसलिये मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि जिस तह से यह २४ साल तक परम्परा चली आई है कि नौकरशाही हावी हो गई है जनतन्त्र के ऊपर, उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी थोड़ा सा अंकुश लगायें। इन बड़े उच्च अधिकारियों के खिलाफ कोई आयोग मुकर्रर करें। जिससे इनके भ्रष्टाचार की भी जांच हो सके अन्यथा यह नौकरशाही जनतंत्र को खा जायेगा। इस नौकरशाही के रवैये में जनतंत्र जीवित नहीं रह सकता। २४ साल में जो रवैया रहा है उसको मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी अपने कार्यकाल में वह मिसाल पेश करेंगे जिससे मालूम हो सके कि नौकरशाही पर अंकुश लगाया गया है। जहांतक बजट का प्रश्न है ४८·८० लाख रुपये घाटे का यह बजट है। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे माननीय वित्त मंत्री ने कोई कर लगाने की इस बजट में घोषणा नहीं की है। कुछ साथियों ने सुझाव दिया है कि अंग्रेजी शराब को नीलाम कर दिया जाय। इस से मैं भी सहमत हूं। ऐसा करने से सरकार की आमदनी बढ़ जायेगी। इसके अलावा, मैं कहना चाहता हूं प्रदेश के अन्दर पशु बाजार और पशु मेला का आयोजन होता है। ये इतनी संख्या में लगते हैं जिनकी आय सार्वजनिक न होकर व्यक्तिगत हो जाती है। ऐसी स्थिति में मैं चाहूंगा कि इस विषमता को दूर करने की कृपा करें जिससे सरकार की भी आय में वृद्धि हो सके। विगत वर्ष एक साथ बैठकर सरकार ने सवा छः एकड़ तक की लगान माफी कर दी थी। मुझे जहां तक जानकारी है सवा छः एकड़ तक का किसान अपने लगान की माफी नहीं चाहता। वह समझ रहा है कि हम जो रेवेन्यू अपनी जमीन का अदा करते थे उस समय हम उस जमीन के खुद मालिक थे। न अदा करने पर अब वह कहता है कि हमारी जमीन हमसे ले ली जायेगी। उसका विश्वास उठ गया है। ऐसी स्थिति में आप चाहे आधा कर के रूप में ले लें वह अच्छा होगा। लेकिन जनरल मांग है कि·····

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि माननीय सदस्य उन किसानों को अपनी तरफ से क्या बताते हैं कि यह जो धारणा बनी है कि लगान माफ हो जायेगा तो जमीन चली जायेगी ?

श्री कृष्ण कान्त अवस्थी--

मैं बता देना चाहता हूं कि अगर इसमें आस्था रही होती तो शायद संसद के चुनाव के नतीजे इनके पक्ष में हुये होते और इसके अलावा जहां तक सवा छः एकड़ का प्रश्न है यह किसानों की मांग नहीं थी यह तो दल विशेष की मांग थी जो कहते थे कि माफ किया जाना चाहिये। उसका नतीजा अच्छा नहीं आया। मैं निवेदन करूंगा कि जो हमारी वर्तमान सरकार है वह बजट के घाटे को पूरा करने के लिये अगर सवा छ एकड़ तक की भूमि पर भी आधे पैसे को ही ले ले तो मैं समझता हूं तो किसान को भी संतोष रहेगा और सरकार को भी सात करोड़ रुपये का इजाफा आमदनी में हो जायेगा।

इसके अतिरिक्त समाजवादी दिशा में माननीय कमलापति त्रिपाठी की सरकार ने जो कदम उठायें हैं वह सराहनीय हैं । १२ चीनी मिलों को अपने कब्जे में लेने का सराहनीय कार्य हुआ है । यह कार्य भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त व चौधरी चरणसिंह की सरकार नहीं कर सके हालांकि उन्होंने ऐसा कहा था । नतीजा यह हुआ है कि तीन महीने की सरकार ने जो कार्य किये हैं वे सराहनीय हैं और समाजवाद की दिशा में अच्छे कदम हैं ।

मैं अब आपका ध्यान सीतापुर जिले की ओर ले जाता हूं । मैं सीतापुर जिले के जिस क्षेत्र से निर्वाचित होकर आता हूं वह उस जिले का पिछड़ा हुआ भाग है । वहां आज तक कोई भी सड़क नहीं बन पाई है । इस संबंध में मैं दो वर्षों से सुझाव देता चला आ रहा हूं कि तम्बौर-लहरपुर सड़क का निर्माण कराया जाय जिससे आने जाने में सुविधा हो परन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ है । पिछली संविद सरकारों ने उसे बजट में तो लाकर रख दिया लेकिन उसके कार्यान्वयन की ओर कोई तवज्जह नहीं दी गई सड़क भी स्वीकार हुई लेकिन बनने को पड़ी है ।

दूसरी सड़क सीतापुर-बहराइच रोड है जिसके लिये ८६ हजार रुपया स्वीकृत हुआ था लेकिन एक साल में कुछ भी काम नहीं हो पाया । उस सरकार के कार्यकाल की प्रशंसा की जाती है लेकिन मैं कहता हूं कि किसी सरकार की आलोचना मैं नहीं करना चाहता लकिन उन सरकारों के बारे में क्या कहा जाय जिनके द्वारा बजट में धन तो स्वीकृत हो जाता है लेकिन कोई कार्य नहीं हो पाता । अगर इस तरह से बजट पारित होते रहे और इस तरह से धन स्वीकृत होते रहे तो मैं कहूंगा कि भगवान ही प्रदेश का कल्याण करे । पिछले साल के बजट नें तम्बौर से रेवसा तक के लिये सड़क की मांग स्वीकृत हुई लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो पाया । हमारा जिला इतना पिछड़ा हुआ है कि उसके एक तिहाई हिस्से में रेलवे की कोई सुविधा नहीं है । मैंने एक सुझाव भेजा है और माननीय मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं इसलिये उनसे भी निवेदन करता हूं कि महमूदाबाद से हरगांव तक रेवसा, लहरपुर और तम्बौर होकर एक रेलवे लाइन बना दी जाय । इससे जिले का एक-तिहाई हिस्सा लाभान्वित हो सकेगा । माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वे मेरे इस सुझाव को केन्द्रीय सरकार से कार्यान्वित कराने की कृपा करें ।

इसके साथ ही सिंचाई के क्षेत्र में भी हमारा जिला बहुत पिछड़ा हुआ है । केवल ६ राजकीय नलकूप की ही वहां व्यवस्था की गयी है । सिंचाई की पूरी सुविधा न होने से वहां के कृषक आज के युग में भी कोई लाभ नहीं उठा पा रहे हैं । गन्ने व जूट का उत्पादन हमारे यहां बहुत होता है लेकिन कच्चे माल से पक्का माल तैयार करने के लिये वहां कोई उद्योग भी नहीं है । इसकी वजह से किसानों को २५–३० मील तक ले जाना पड़ता है । जूट मंडी भी लखीमपुर में ही है जिससे किसानों को वहां जाना पड़ता है । सीतापुर में ऐसी किसी मंडी का होना बहुत जरूरी है । घाघरा और शारदा नदी के कटाव से भी किसानों की सैकड़ों, हजारों एकड़ जमीन हर साल कट जाया करती है ।

शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है । हमारे क्षेत्र में एक भी हाई स्कूल नहीं खुल पाया है । ४ लाख की जनसंख्या में कोई हाई स्कूल नहीं है । जो तीन प्राइवेट हाई स्कूल चल रहे हैं उनकी बड़ी दुर्दशा है । इसलिये मैं सरकार से और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि सि किड़ा, वस., सिग्रौता और तम्बौर इन चार स्थानों पर सरकार द्वारा हाई स्कूलों की स्थापना जरूर की जाय ।

जहां तक स्वास्थ्य की हालत है १०–१०, १२–१२ मील के क्षेत्र में कोई भी अस्पताल नहीं है । इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सिरकिडा, मल्लापुर और थानगांव में अस्पताल खोलने की अवश्य कृपा करें । हमारे वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

*श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस बजट भाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह जो बजट भाषण माननीय नारायण दत्त तिवारी ने विधान सभा में रखा है, मैं इसको बजट भाषण नहीं मानता बल्कि आने वाले मध्यावधि चुनाव का कांग्रेस का घोषणा-पत्र मानता हूं। श्रीमन्, इसके कई कारण हैं। इस प्रदेश के अन्दर क्या-क्या सहूलियतें दी जाय, यह सब कुछ इसमें दिया हुआ है लेकिन सहूलियतें देने में जो राशि लगेगी, जो धन उसमें लगेगा वह कहां से आयेगा, इसका वर्णन इसमें कहीं नहीं है।

इसके साथ ही साथ मैं इनके दिमाग की दाद देता हूं कि जो कुछ सहूलियतें देने की बात थी वह तो स्वयं पार्टी के साथ बैठकर तय कर लिया और जहां टैक्स लगाने की बात आयी वह इस हाउस के ऊपर और अपोजीशन के ऊपर डाल दिया कि सुझाव दें। तो सहूलियतें देना इनका काम और टैक्स लगाना इस हाउस का और अपोजीशन का काम। इसके लिये मैं इनके अक्ल की दाद देता हूं।

श्रीमन्, मध्य वधि चुनाव की बात मैं इसलिये करता हूं कि बजट भाषण की जो शुरूआत की है उसमें पहले तो अनुदान मांगा है, उसके बाद जो घोषणा शुरू की है वह लोकसभा के जो चुनाव हुये हैं उससे देश में प्रधान मंत्री की नीति को कैसे सफलता मिली, इस बात की की है। इन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा और भी की है। वह है उर्दू के बारे में। मैं जब से असेम्बली का मेम्बर हूं, और भी बजट यहां पेश हुये हैं, किसी में उर्दू भाषा का जिक्र नहीं किया गया कि उर्दू को यह सहूलियतें देंगे। आज उर्दू का जिक्र इसमें करने की क्यों आवश्यकता पड़ गयी जबकि पूरे प्रदेश में हिन्दी का पूरे जोर से प्रचार किया जा रहा है? तो उर्दू का जिक्र केवल इसलिये किया गया कि मध्यावधि चुनाव में मुसलमानों के वोट नयी कांग्रेस को मिलें।

श्रीमन्, इस देश के अन्दर दो बार प्रजातंत्र का खून हो चुका है। केरल में असेम्बली भंग हो गयी लेकिन मंत्रिमंडल चालू रहा। इसी तरह से पार्लियामेन्ट भंग हो गयी लेकिन राष्ट्रपति जी ने इन्दिरा गांधी जी को दावत दी कि केबिनेट चालू रखें। मुझे इस बात की आशंका है, आज यह हो सकता है कि आगे चलकर असेम्बली को भंग कर दें और मंत्रिमंडल को चालू रखें। इसलिये जो इनका बजट भाषण है उससे बिल्कुल प्रतीत होता है कि मध्यावधि चुनाव बहुत नजदीक हैं।

श्रीमन्, इसके बाद मैं प्रदेश की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। गेहूं के बारे में एक पालिसी तय है कि इस रेट पर किसान का गेहूं बाजार में खरीदा जायगा। लेकिन मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि आज किसानों की हालत यह है कि पर्चा तो उसी भाव का दिया जाता है जो भाव सरकार ने तय किया है लेकिन दाम कम दिये जाते हैं। तो किसानों के साथ यह व्यवहार नहीं होना चाहिये।

श्रीमन्, एक पे-कमीशन कर्मचारियों के लिये बैठा है। उसमें राज्य कर्मचारी और दूसरे कर्मचारियों का भी जिक्र है। मैं मुख्य मंत्री जी को खास तौर से इसके लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसमें नगरपालिका और महानगरपालिका के कर्मचारियों को शामिल कर लिया है। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक बहुत सी नगरपालिकाओं ने ८ रु० जो कि उनके कर्मचारियों को मिलना चाहिये था, नहीं दिया है। इन कर्मचारियों के लिय इस बात का अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये कि ८ रु० जो विधान सभा में तय हुआ था, वह उनको मिलना चाहिये। साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पे-कमीशन तो बैठ जाते हैं लेकिन इनकी अवधि सालों साल बढ़ती चली जाती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर पे-कमीशन बिठाया है तो उसकी अवधि भी जल्दी से जल्दी तय करें जिससे कि इस प्रदेश के कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी वह सहूलियतें, जो कि उनको मिल सकती हैं, मिल सकें। श्रीमन्, यहां पर पूरब और पश्चिम का झगड़ा बहुत चलता है। पूरब वाले कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और पश्चिम वाले कहते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। मैं तो इस बात को मानने वाला हूं कि जहां पर जिस चीज की कमी है उसको वहां पर पूरा किया जाए, चाहे पूरब का क्षेत्र हो या पश्चिम का।

इसके साथ ही साथ में एक बात मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि पश्चिमी के लोगों को न्याय मिलन में बहुत बड़ी दिक्कत है। न्याय के लिये उनको इलाहाबाद जाना पड़ता है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट की एक बेंच मेरठ में होना चाहिये और इसे खुलवाने की वे शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था करें। इलाहाबाद जाने में मेरठ वालों को बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है और इस तरह उनको सस्ता न्याय नहीं मिल पाता है।

श्रीमन्, अब मैं आपका ध्यान हास्पिटल्स में जो दिक्कतें हैं उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। जो मरीज सरकारी अस्पतालों में जाते हैं उनको न वहां पर दवाइयां मिल पाती ह और न उनके वहां पर रहने का कोई प्रबन्ध है। गरीबों को अस्पताल से बाहर दवाइयां लेनी पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त एक दिक्कत और है और वह है टूटी हुई हड्डियों के जोड़ने की। अस्पतालों में एक्स-रे की मशीनें नहीं हैं। इस कमी के कारण हड्डियां गलत जुड़ जाती हैं और मरीजों को जिन्दगी भर परेशानी हो जाती है। ऐसी मशीनों का प्रबन्ध होना चाहिये जो यह दिखा सकें कि हड्डी ठीक जुड़ रही है या नहीं। आज कल तो ८० प्रतिशत हड्डियां ठीक-तरह से नहीं जुड़ती हैं। मेरा मुख्य मन्त्री जी से यह निवदन है कि वे इस ओर ध्यान दें।

मान्यवर, टी० बी० की बीमारी बड़ी ही भयानक बीमारी है और यह खास तौर से गरीबों में ही ज्यादातर हो जाती है। उनका दाखला भी सरकारी टी० बी० के अस्पतालों में नहीं होता है क्योंकि वहां पर दाखले के लिये १०० रुपये–२०० रुपये मांगे जाते हैं। बगैर रिश्वत दिए गरीब आदमियों का दाखला नहीं होता है। यहां से कोई ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये कि जिस आदमी को टी० बी० है उसका दाखला बगर रिश्वत लिये हो जाय और इस सम्बन्ध में चेकिंग भी होनी चाहिये कि गरीब आदमियों का दाखला बगैर रुपया दिये होता है या नहीं। दूसरी दिक्कत मरीजों को खून के देने में अनुभव होती है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस ओर भी ध्यान दें।

इसके बाद मैं एडमिनिस्ट्रेशन की दिक्कतों के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछले दिनों मुख्य मन्त्री जी सहारनपुर गये थे। वहां पर बार एसोसिएशन की झोपड़ियों के गिराने का झगड़ा था। वह मामला मुख्य मन्त्री जी तक पहुंचा और मैं मुख्य मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उनके प्रयास से वहां पर वह मामला हल हो गया। इसके साथ ही साथ मैं कुछ और चीजें भी कहना चाहता हूं। यह जो पुलिस का महकमा है इसका मुख्य कार्य बदमाशों को पकड़ने का है। अगर बदमाशों को पकड़ लिया और फिर बाद में छोड़ दिया, तो इसका अर्थ है कि पुलिस विभाग ने अपना कार्य नहीं किया और उसने अपने दायित्व को नहीं निभाया। सहारनपुर के अन्दर श्री शिव राज सिंह सिरोही, सी० ओ० सिटी थे। वे वहां पर केवल २ वर्ष ही रहे थे, मगर उनका तबादला कर दिया गया क्योंकि वे बदमाशों को पकड़ कर नहीं छोड़ते थे। इस कार्य की उनको यह सजा मिली कि उनका तबादला कर दिया गया जबकि वे वहां पर केवल २ वर्ष रहे थे।

बदायूं के एक एस० ओ० का ट्रांसफर नहीं किया गया और एस० पी० का ट्रांसफर एम० एल० एज० के कहने से कर दिया गया। तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में यह होता रहा है कि शासक गुट के लोग प्रशासन पर दवाव डालते रहे हैं। ऐसा होगा तो प्रदेश में अच्छा वातावरण पैदा नहीं हो सकेगा और कोई आदमी ठीक तरह से काम नहीं कर पायेगा। एम० एल० एज० को अगर कोई चीज अच्छी नहीं लगती है तो वह जाकर अधिकारी

[श्री जगन्नाथ खन्ना]

से कह सकते हैं कि मुझे यह ठीक लगता है लेकिन उसको करने या न करने का अधिकार अधिकारी को ही होना चाहिये ।

इसके बाद श्रीमन्, मैं दो-तीन चीजों के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा । श्रीमन्, सहारनपुर शहर के आसपास १० मील तक आबादी बढ़ गई है, इस कारण वहां पर रिक्शा या तांगा मिलने में कठिनाई होती है । मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि वह सहारनपुर नगर के लिये सिटी बस सर्विस का प्रबन्ध करा दें, जिससे गरीब जनता को जो आने-जाने में कठिनाई पड़ती है वह खत्म हो जाय ।

इसी के साथ ही साथ एक और प्रार्थना करना चाहता हूं । वह यह कि सहारनपुर के आस-पास मुजफ्फरनगर, देहरादून हैं और भी कई जिले पड़ते हैं, पर यहां पर कोई मेडिकल कालेज नहीं है । तो मैं श्रीमन्, आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह सहारनपुर के अन्दर एक मेडिकल कालेज खोलने के लिये विचार करें । मैं आशा करता हूं कि जो बातें आज उनके सामने रक्खी गई हैं उन पर विचार करेंगे । इसी के साथ-साथ मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया और जो बातें मैंने कहीं हैं कि प्रशासन खराब है उस पर ध्यान दिया जावगा । अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बजट भाषण नहीं है बल्कि आने वाले मध्यवर्ती चुनाव के लिये नई कांग्रेस का मैनीफैस्टो है अतः मैं इसका विरोध करता हूं ।

*श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आज आपने मुझे बोलने का अवसर दिया कि मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूं । मैं वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत जो बजट है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, यह कहने में मुझे रत्ती भर संकोच नहीं है कि अपने सभी मित्रों के विचारों को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि समय और परिस्थिति बदलने के साथ-साथ मान्यतायें, नियम और विचार सभी बदल जाते हैं । मेरे वह मित्र जो कुछ दिन पूर्व एस० बी० डी० के कांस्टीटुएंट थे उनके जमाने में यह सारी चीजें हुईं लेकिन उन्होंने इन सारी समस्याओं के निराकरण के बारे में क्या प्रगति की ?

सबसे बड़ी बात आज देश के अन्दर यह है कि इस देश में नेशनल कैरेक्टर नाम की कोई चीज नहीं है । नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी बनी । उसने चीन और पाकिस्तान से युद्ध के समय अच्छा काम किया लेकिन ज्योंही लड़ाई खतम हुई उसके बाद जो नेशनल इंटीग्रेशन कमेटी की बैठकें हुईं और प्रस्ताव पास हुए उनसे कोई सबक इस देश के लोगों ने नहीं लिया । जो सबसे बड़ा दुख है वह इसी का है कि इन सारी कमेटियों के बनने के बावजूद, सेक्युलरिज्म के बावजूद, हिन्दू-मुस्लिम एकता के बावजूद भी हम देखते हैं कि उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है, बल्कि विषमता बढ़ती चली जा रही है । दोष किस का है ? मैं तो कहूंगा कि सदन में या उत्तर प्रदेश में जितनी पार्टी हैं वह सब किसी न किसी रूप में दोषी हैं ।

यह अवश्य कहा जा सकता है कि बीस-पच्चीस साल यानी सबसे ज्यादा कांग्रेस का शासन रहा इसलिये हम पर ज्यादा दोष है । हम उससे अपने को वंचित नहीं रखते । लेकिन यह ४२० का जो हाउस है इसमें बहुत से माननीय सदस्य बैठे हुये हैं उनमें अधिकांश सदस्य आठ या दस साल पहले कांग्रेस के सदस्य थे और जिम्मेदारी हम सभी की थी । लेकिन आज पार्टी बदलने से सारी जिम्मेदारी मुझ पर थोप देते हैं तो यह उचित बात नहीं है । हम सब उसके दोषी हैं । अब यह कि इसका निराकरण किस प्रकार हो । अगर सचमुच आप कोई हल निकालना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस देश से भ्रष्टाचार मिटे, ब्युरोक्रेसी का अधिकार कम हो तो बिना लिहाज किये हुए कि यह सरकार इंडीकेट की है या एस० बी० डी० की थी और उसके ये कांस्टीटुएंट्स थे, हम सब को मिलकर एक फारमूला तैयार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करना पड़ेगा जिससे हम सारी विषमताओं को दूर करने की बात सोच सकें और जो भी उत्तरदायी हो उससे जवाब तलब कर सकें और आगे आने वाली पीढ़ी के लिये एक नमूना पेश कर सकें ।

आज भ्रष्टाचार की सीमा इतनी बढ़ गयी है कि मैं कहना नहीं चाहता । पोस्ट आफिस और शिक्षा का विभाग जो अंग्रेजों के जमाने में ईमानदारी के लिये मशहूर थे आज ये दोनों विभाग इतने गिरे हुए हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट हो गये हैं । इसमें दोष किसका है ? जब हम गुलाम थे तब ईमानदारी का दावा करते थे और सचमुच और दूसरे विभागों के मुकाबले में पोस्ट आफिस और शिक्षा विभाग की ईमानदारी बढ़ी हुई थी । लेकिन आज जब हम आजाद हो गये तो उल्टा हो गया । आज भ्रष्टाचार में आगे बढ़े हुए ये ही दो विभाग हैं ।

हर जगह से आवाज आती है कि ब्युरोक्रेसी इतनी ताकतवर है कि देश का भला नहीं हो सकता । लेकिन हमने ब्युरोक्रेसी की ताकत को कम करने के क्या उपाय किये ? जब संविद की सरकार बनी तो उसमें हमारे अनन्तराम जायसवाल भी मंत्री थी । वह काफी प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं । हम तो नाकामयाब रहे ही लेकिन हम समझते थे कि शायद वह कुछ कर सकेंगे । लेकिन वह भी यह कहते हुए सुने जाते हैं कि हम लोग भी कुछ न कर सके । ब्युरोक्रेसी के खिलाफ हम और आप आवाज उठाते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते तो इसका मतलब है कि हमारा अपना दामन साफ नहीं है । आप देखें कि सरकार मालिक है और ब्युरोक्रेसी नौकर है । अगर मालिक ईमानदार हो, चाहे वह किसी तरफ का हो, तो निश्चित है कि उसका नौकर भी ईमानदार होगा और अगर वह (नौकर) ईमानदार नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी मालिक पर आयद होगी । उस जिम्मेदारी से वह बच नहीं सकता ।

अगर कुछ नमूने भ्रष्टाचार के श्रीमन् के सामने रखूं तो मैं सोच नहीं सकता कि अगले ४-५ वर्ष में क्या होगा इस देश का । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज सरकारी अधिकारी इस बात की आड़ लेता है कि एक प्लान बनी, एक स्कीम बनी जिसका खर्चा ६ करोड़ का था लेकिन पहले साल ५० लाख और दूसरे साल ६० लाख अलाट हुआ । सरकार चाहे किसी की भी रही लेकिन उस छः करोड़ का एक ही साथ क्यों नहीं एलाटमेंट कर दिया गया जिससे कि उस अधिकारी को यह बहाना न मिल पाता कि पैसा नहीं मिला । यह एक ऐसा बहाना है जिससे न तो उसकी बेईमानी पकड़ में आयेगी और न ही किसी प्रकार की अनुशासन की कार्यवाही उसके विरुद्ध की जा सकेगी ।

हजारों केसेज विजिलेंस को दिये गये, मगर दो चार केसेज में ही कुछ हुआ होगा । तो देखना होगा कि आखिर दोष कहां है । क्या विजिलेंस में काम करने वाले अधिकारियों का नम्बर ईश्वर के बाद दूसरा उन्हीं का आता है ? मैं जानना चाहूंगा कि जो अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी हैं और जो अपने नीचे के कर्मचारियों के बारे में ऐंट्री करेक्टर रोल में देते हैं वे क्या ठीक एंट्री देते होंगे ? आज हजारों कर्मचारी ऐसे हैं जो वाकई में ईमानदार हैं, मगर उनको प्रोमोशन इस कारण से नहीं मिल पा रहा है कि उनके खिलाफ उन अधिकारियों ने जो भ्रष्ट रहे हैं खराब एंट्री करेक्टर रोल में कर रखी है ।

शिक्षा विभाग के संबंध में कोठारी आयोग ने मान्यवर, कुछ सिफारिशें की थीं । आज प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का वेतन आपने बढ़ाया, ५९ रुपये से बढ़ाकर ६० रुपया हुआ और आज शायद १२५ रुपया उनको वेतन मिल रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या शिक्षा का स्टैंडर्ड भी कुछ ऊपर उठा है ? जब तक शिक्षा का स्तर आप ऊपर नहीं उठायेंगे, मैं यह कहना चाहता हूं कि वेतन आप कितना ही बढ़ा दें, कुछ फायदा होने वाला नहीं है । कोठारी आयोग की सिफारिशों को आप स्वीकार करें, हमें एतराज नहीं है, आप प्राइमरी शिक्षकों का वेतन २५० रुपये तक कर दें हमें एतराज नहीं है, मगर सोचना यह चाहिये कि आखिर शिक्षा का जो गिरता हुआ स्तर है इसे कैसे उठाया जाय । खाली वेतन बढ़ा देने से शिक्षा का स्तर नहीं सुधर सकता ।

[श्री राज मंगल पांडेय]

मान्यवर, आज देखने में यह आता है कि जो नियम बनाते हैं वही नियम को तोड़ते भी हैं । हमने पंचायत मंत्रियों आदि के बारे में एक नियम बनाया था कि जो जहां के रहने वाले हैं, २० मील के अन्दर उनको नहीं रखा जायेगा, उसके बाहर रखा जायेगा । लेकिन जैसे ही सरकार ने उस नियम को बनाया, वैसे ही उसको कैन्सिल भी कर दिया । जो आस-पास जिस ब्लाकों के रहने वाले थे, उनको वहीं नियुक्त कर दिया जिसका फल यह होता है कि लूट होती है, भ्रष्टाचार फैलता है । इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो भ्रष्टाचार पनप रहा है उसके लिये हमारी सरकार भी बहुत हद तक जिम्मेदार है ।

यहां पर हम सब लोग जो बैठे हुए हैं उनके लिये चुनाव संबंधी एक नियम यह है कि एक एम० एल० ए० अपने चुनाव में ९ हजार रुपये तक खर्च कर सकता है और एक एम० पी० ३० हजार तक । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई नियम का पालन करता है । ए, बी, सी स्टेट्स के अनुसार इसके नियम बने हुए हैं । मगर उनका पालन कोई नहीं कर रहा है । आज हम देखते हैं कि दो-दो ढाई-ढाई लाख रुपये इलेक्शन में खर्च होते हैं । चुनाव की निष्पक्षता के लिये हमने जो कानून बनाया, क्या हम कह सकते हैं कि हमने उसका पालन किया ? अगर उस कानून को बरता नहीं गया, तो फिर फायदा क्या है ऐसे कानून को बनाने से ? जब नियम को बनाने वाले ही नियम को तोड़ेंगे, तो इससे बढ़ कर देश का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है ।

मान्यवर, आज कोई न कोई ऐसा तरीका हमें निकालना होगा जिससे कि लोगों में ईमानदारी का स्तर ऊपर उठे । मैं रशा का एक उदाहरण देना चाहता हूं । वहां पर एक विदेशी ने एक बच्चे से पूछा कि बताओ, एक रुपये में ५ आम खरीदे गये, और रुपये के तीन के हिसाब से बेचे गये, तो कितना मुनाफा हुआ । ४ साल का बच्चा था, उसने उत्तर दिया कि ३ साल की सख्त कैद की सजा । तो वहां पर उस बच्चे तक के दिलो-दिमाग में यह चीज बिठाई गयी थी कि मुनाफाखोरी एक बहुत बड़ा सामाजिक अपराध है । तो आपको या तो इस चीज को रोकने के लिये कम्युनिस्टों का तरीका अपनाना होगा, या और कोई उपाय सोचना होगा । हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है । उसमें यह सम्भव नहीं है । लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो एक ही इसका उपाय हो सकता है कि शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाया जाय । शिक्षा के माध्यम से ही हम इसको दूर कर सकते हैं । लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में भी हम भ्रष्टाचार देख रहे हैं । जो शिक्षा अंग्रेजों के जमाने में थी, उस वक्त हम यह सोचा करते थे कि अगर किसी विभाग में सबसे ज्यादा ईमानदार लोग हैं तो वह शिक्षा विभाग में हैं । लेकिन आज हम इस विभाग में भी भ्रष्टाचार देख रहे हैं । ऐसी सूरत में किस प्रकार हम देश को ऊंचा उठा सकेंगे, यह हमारे सब के सोचने की बात है ।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहूंगा कि सारे सदन की राय से आप भी इससे सहमत होंगे कि कोई तरीका अपनाया जाए, जिसमें पार्टी का कोई लिहाज न हो, जाति-पांति का कोई लिहाज न हो, जिससे इस रोग को देश से दूर किया जा सके । यह रोग हमारे देश में कोढ़ के समान लग हुआ है । यह बीमारी देश की प्रगति को रोके हुए है । यह अच्छी मान्यताओं को रोके हुए है और बुरी मान्यताओं को फैला रही है । एग्रीकल्चर में १५ परसेंट, इरीगेशन में २२ परसेंट और बिजली में ३७ परसेंट अनुदान दिया गया है, इस प्रकार से इन तीन डिपार्टमेंट्स में ७४ परसेंट खर्च हुआ है । लेकिन अगर इन तीनों डिपार्टमेंट्स में देखें तो सभी में घोर भ्रष्टाचार फैला हुआ है ।

एग्रीकल्चर सीड स्टोर के जो इंचार्ज हैं, वे बड़े ही भ्रष्ट हैं । वे यदि बड़ी ईमानदारी से रहें तो भी १५ हजार रुपया महीना आराम से कमा सकते हैं और यदि बेईमानी पर अमादा हों तो एक-डेढ़ लाख तक कमा सकते हैं । कृषक जब स्टोर में बीज लेने जाता है तो उसे तरह-तरह से परेशान किया जाता है । कोई लेने जाता है तो उसको यदि ५ मन दिया जाता है तो उसके नाम से ७ मन बीज लिख लिया जाता है ।

पावर विभाग की हालत भी बहुत ही खराब है, उस विभाग में करोड़ों रुपये का नुकसान हर साल हो रहा है । सरकार कहती है कि वह सन् १९७९ तक गांव-गांव में बिजली पहुंचा देगी, लेकिन किस तरीके से पहुंचेगी यह मैं जानना चाहता हूं ? क्या इसी तरह से पहुंचेगी जैसे आज पहुंची हुई है । किसानों को २४ घंटे बिजली नहीं मिलती है । कहने को सरकारी रिकार्ड में तो कुछ गांव में बिजली पहुंच गई है, लेकिन मुश्किल से १० घंटे ही उनको बिजली मिलती है और कभी-कभी ६-६ दिन तक बिजली नहीं मिलती है । बिजली के लिये उनसे भारी-भारी चार्ज वसूल किया जाता है लेकिन उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल पाता है १० हार्स पावर का अगर है तो सरकार का साढ़े बार हजार रुपया वसूल हो जाता है ।

खाद मंहगी है, सिंचाई के साधन महंगे हैं, बीज भी महंगा है, किन्तु वह जो चीज पैदा करता है, वह सस्ती है और उसको उसका सही मूल्य, प्रोत्साहन मूल्य नहीं मिलता है । उसका अनाज चारे के भाग में बिक जाता है। सरकार को यह करना पड़ेगा कि काश्तकार समझ सके कि वह जो पैदा करता है और जो खर्च करता है, उसमें मार्जिन कितना है ?

कृषि की उन्नति के लिये कृषकों के हित में यह जो एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन बनाया गया है, उसकी भी दशा बहुत खराब है । वहां पर किसान एक ट्रैक्टर लेने के लिए लखनऊ के बीस दिन तक चक्कर लगाया करता है। कभी ट्रैक्टर मिलता है तो उसका ब्लैड नहीं मिलता है, ब्लैड है तो उसमें दूसरी खराबी रहती है, जिसकी वजह से उसे इसमें बड़ा समय और पैसा बरबाद करना पड़ता है । ८ करोड़ रुपया इस पर सरकार ने खर्च किया है, फिर भी उससे किसान को बड़ी परेशानी है ।

सहकारी संस्थाओं से जो कर्ज आदि मिलता है, वह भी एक बड़ी बीमारी है और उसमें बड़ा भ्रष्टाचार और धांधली मची हुई है, किसी को १० बोरा दिया गया है तो १५ बोरा लिख दिया गया है और कहीं-कहीं बिना दिये ही लिख लिया गया है ।

मैं माननीय वित्त मंत्री को कुछ चीजों के लिये बधाई अवश्य देना चाहता हूं । उन्होंने पिछड़े हुए इलाकों के लिये बहुत कुछ करने की बात सोची है । पूर्वी जिलों, पहाड़ी जिलों और बुन्देलखंड के लिये विकास निगम बनाने की बात कही गई है, जो बड़ी सराहनीय बात है । लेकिन मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि उनको जो रुपया दिया गया है वह बहुत ही कम है ।

एक माननीय सदस्य ने इस प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए प्रदेश को दो हिस्सों––पूर्वी और पश्चिमी में बांट देने की बात कही है। लेकिन यह बात तो वैसी ही हुई कि कोई दो भाई थे । उनमें से एक ने अपने बाप की सारी कमाई खूब उड़ाई और जब वह कमाने योग्य हो गया तो उसने अपने छोटे भाई का कोई ख्याल नहीं किया और कहने लगा कि हम दोनों के बीच बटवारा कर दो। पश्चिमी इलाके के भाई समृद्धशाली हैं, किसी भी वजह से प्राकृतिक कारणों से या अंग्रेजों के पक्षपात के कारण हो, उनका भी यह नैतिक कर्त्तव्य है कि वह आज बंटवारे की मांग न करें । यह मांग बिलकुल अनुचित है । मेरे ख्याल में इस का केवल राजनीतिक कारण है । इसी तरीके से उन्होंने यह कहा कि लखनऊ, इलाहाबाद में हाईकोर्ट है, मेरठ और आगरा में नहीं है । वहां से बहुत दूर पड़ता है । यह कोई दलील नहीं है । अगर हाईकोर्ट की बेन्चें खुलती चली जायं तो वकीलों का स्टैंडर्ड गिर जायगा, न्याय अच्छा नहीं मिल सकेगा । न्याय चाहे सस्ता कर दें लेकिन अगर न्याय देने वाला न रहा तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा ।

मैं माननीय मुख्य मंत्री का आभारी हूं कि पिछड़े हुए लोगों के लिये और गांवों की इकाइयों को संगठित करके होम गार्ड और आग्जिलियरी फोर्सेज को संगठित करके गांव की इकाई को सुदृढ़ करने का प्रयत्न कर रहे हैं । यह बहुत प्रशंसनीय कार्य है । इस बजट पर कार्य करें तो इस देश का बहुत बड़ा भला होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

समय समाप्त हुआ ।

माननीय भानु प्रताप सिंह ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस दफा सबसे पहले आपकी निगाह हमारे ऊपर पड़ी थी।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसा नहीं है । आपके ऊपर निगाह नहीं पड़ी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल-

हमारा नम्बर कब आयेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

स्थिति ऐसी है कि संगठन कांग्रेस के ७ बोल चुके हैं । भारतीय क्रांतिदल का एक बाकी है । उनको भी ७ देना चाहिये । जनसंघ के ४ और आप के ३ बोल चुके हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

लेकिन इसके साथ समय भी जुड़ेगा, समय और लोगों को ज्यादा मिल चुका है। हम को कम मिला है ।

श्री उपाध्यक्ष--

१५ मिनट सामान्यतया समय है । कोई २० मिनट कर देता है । नेता विरोधी दल ने ज्यादा किया । कल या परसों है । मौका देंगे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

इनके बाद हम को समय दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

कांग्रेस सत्तारूढ़ के २१ और २१ दूसरे बोल चुके हैं । ७ कांग्रेस संगठन के बोल चुके हैं । (व्यवधान) नेता विरोधी दल के अलग कर दें तो बी० के० डी० के छः बोल चुके हैं । जनसंघ के ४ और संसोपा के ३। एक कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय गोबिन्द सिंह नेगी । पी० एस० पी०, स्वतंत्र पार्टी, मुस्लिम मजलिस और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, एक-एक संख्या उनकी है । दो जिन की है उनको दे रहे हैं ।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)--

वैसे आपने आश्वासन दिया है लेकिन मैं व्यवस्था चाहता हूं । कल भी बताया था, वहां पर हर दल की जितनी संख्या है उसके अनुसार बोलने का मौका दिया जाता है । यह इस विधान सभा की कार्यसंचालन नियमावली है । इसके किस नियम के अनुसार यह समय का बटवारा करते हैं कि हर दल की जितनी संख्या है उसके अनुसार समय मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं माननीय छांगुर राम से निवेदन करूंगा कि अगर नियमावली, कायदे कानून से जायेंगे तो शायद आपको कभी समय न मिले । मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि सबको समय मिल जाय जो दल हैं, एक भी है तो मिल जाय । नेगी जी के दल में चार हैं, फिर हबीब साहब

और आप हैं छांगुर साहब । मैं कोशिश करूंगा समय देने की। इसीलिये समझा रहा हूं जायसवाल जी को ।

श्री अनन्तराम जायसवाल––

अगर मुझे समय नहीं देंगे तो अनहोनी घटना होगी । तो समय जरूर दीजियेगा ।

श्री बंशीधर पांडेय––

हमारी तरफ से ६ ही बोले हैं ।

*श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)––

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ निराशा हुई, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां से उठ कर चले गये । मैं कुछ बातें उनसे ही विशेष रूप से कहने वाला था । परन्तु एक मंत्री जी बैठे हैं । मैं आशा करता हूं वह मेरी बात माननीय मुख्य मंत्री तक पहुंचा देंगे ।

इसके पूर्व कि मैं बजट के विषय में अपने विचार रखूं मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि जिस समय माननीय नेगी जी, जो साम्यवादी दल के हैं, माननीय कमलापति त्रिपाठी को फटकार बता रहे थे उस समय मेरा हृदय गदगद हो गया था क्योंकि मैं इस सरकार को उस फटकार के लिये सर्वथा उपयुक्त समझता हूं । और आप सदैव फटकार पाते रहें जिन-को आप मित्र समझते हैं उनसे । उसके भी कारण हैं । एक तो आप सस्ती लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए ऐसे वादे कर देते हैं जिनको आप का मस्तिष्क कहता है कि इनको पूरा करने में जनहित नहीं है। आपमें यह साहस नहीं है यह कहने का जमीन के बटवारे से ग्रामीण बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती । माननीय नेगी जी ने कहा, आंकड़े उनके हैं, सही या गलत, उन्होंने कहा कि २ करोड़ लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं । गांवों में रहते हैं । ४० लाख परिवार हैं । कोई जरा भी बुद्धि लगायेगा तो इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि जमीन के बटवारे से इस बेरोजगारी को दूर नहीं किया जा सकता । लेकिन आप में साहस नहीं है यह कहने का । कठिनाई की बात यह है कि घोषणा आप पहले कर देते हैं विचार बाद में करते हैं । घोषणा करने की आदत देख कर मुझे एक कहानी याद आती है । एक मजाक है लेकिन सर्वथा उपयुक्त है । एक बुढ़िया बहुत बात करती थी । एक दिन लोगों ने कहा तुम बात करने के पहले सोच लिया करो, जो कहना है सोच कर कहो । अंग्रेज बुढ़िया थी उसने यह कहा –

"How can I think unless I have heard myself on the subject ?"

उसने यह कहा कि जब तक अपने आपको सुन न लूं तब तक किसी विषय पर विचार कैसे करूं ? वही हालत इस सरकार की है। घोषणायें कर देते हैं। उसका कार्यान्वयन करने के लिये विचार बाद में शुरू करते हैं, संभव है या नहीं संभव है ।

चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये इसका ऐलान दो वर्ष पहले किया गया था । माननीय गुप्ता जी नहीं कर सके तो कहा गया कि वह तो पूंजीपतियों के प्रतिनिधि हैं । जब माननीय चरण सिंह जी नहीं कर सके तो कहा गया कि उन्होंने तो बी० के० डी० का चुनाव लड़ने के लिये कोष इकट्ठा कर लिया । अब आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं ? इसमें अनेक कारण दरसाये गये हैं । क्या आप यह कारण पहले से नहीं देख सकते थे ? आपने राष्ट्रीयकरण के नाम पर १२ मिलें लेने की बात कही है जो अत्यन्त मूर्खतापूर्ण है और इस प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास मात्र है । अगर इन मिलों पर किसानों का बकाया था और सरकारी देय थे तो क्या आप उन्हें नीलाम नहीं कर सकते थे । आप इन टूटी फूटी मिलों को खुद क्यों लेना चाहते हैं ? अगर नीलाम की गयी होतीं तो कम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भानुप्रताप सिंह---]

कीमत पर नीलाम होतीं । दूसरे लोग खरीदते या सरकार खरीदती । लेकिन आपने जानबूझकर इन मिलों को फायदा पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया है । यह राष्ट्रीयकरण नहीं है । तो मेरा कहना है कि इस तरह की फटकार से बचने के लिये, घोषणायें करने से पहले आप सोचें क्या आप उन पर अमल कर सकते हैं ।

आपने कहना शुरू किया कि आप जमीन बांट देंगे । आप सीलिंग सवा ६ एकड़ पर ले आइये फिर भी उत्तर प्रदेश में जो जमीन के मालिक हैं उनको सवा ६ एकड़ जमीन देने के लिये साढ़े ७ करोड़ एकड़ जमीन की आवश्यकता है जब कि कृषि योग्य भूमि केवल साढ़े ४ करोड़ एकड़ है । अगर आप भूमि बांटने की दिशा में भी चलेंगे तो जो अंतिम स्वरूप आपका होगा वह सामूहिक खेती तक पहुंचेगा । सवा ६ एकड़ से आप सवा ३ एकड़ भी आप करिये तो काफी किसान ऐसे होंगे जिनको आप जमीन नहीं दे सकेंगे । मैं इस विषय पर थोड़ी देर बाद आऊंगा ।

इस सदन में जब कभी भी प्रति वर्ष बजट पेश होता है तो इस बात की बड़ी चर्चा होती है कि यह समाजवादी है या नहीं । मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि मैं इस नतीजे पर पहुंच चुका हूं कि शब्द जाल से बचना ही बुद्धिमानी है । मैं साफ माननीय सदस्यों से कहूंगा कि अगर वह सचमुच देश की सेवा चाहते हैं अथवा जिन लोगों ने उनको चुन कर यहां भेजा हैं वे उनकी सेवा करना चाहते हैं तो उनको नेताओं के शब्द जाल से बचना चाहिये । कितने प्रकार के समाजवाद यहां हैं ? जैसे कहा जाता है कि हिन्दुस्तान में ३२ करोड़ देवता हैं उसी तरह से ३२ करोड़ नहीं तो ३२ प्रकार के समाजवाद हमारे देश में अवश्य हैं । इस विषय को मैं यहीं छोड़ता हूं ।

मैं किसी बजट की परख इस बात पर करना चाहूंगा कि क्या इस प्रदेश का उत्पादन बढ़ेगा, इस प्रदेश की गरीबी दूर होगी और अगर इस कसौटी पर वह बजट ठीक उतरता है तो उसे चाहे समाजवादी कहिये अथवा साम्यवादी, मैं ऐसे बजट का समर्थन करने के लिए तैयार हूं । लिहाजा आज जो इस बजट में प्रस्ताव हैं अथवा जो इस सरकार के इरादे हैं क्या उनसे गरीबी दूर हो सकेगी ? माननीय वित्त मंत्री जी ने एक सूची दी है उन महत्वपूर्ण कार्यों तथा प्रस्तावों की जो वर्तमान सरकार की घोषित नीति को परिलक्षित करती है । यह २१ सूत्री सूची है । मैंने एक-एक को पढ़ा है । इस २१ में से १४ तो ऐसे हैं जो या तो राजनीतिक फैसले हैं या राजनीतिक लाभ के लिये प्रशासनिक परिवर्तन हैं जिनसे कोई सुधार होने वाला नहीं है । लेकिन केवल परिवर्तन करने के लिए हमको उसमें क्या लेना देना है, टूरिस्ट मुहकमें को चलाने के लिए एक मंत्री रखते हैं या नहीं ? तो इसके संबंध में मैं अपने कुछ विचार आपके सामने रखूंगा ।

इसमें पहली बात यह है कि एक प्लानिंग बोर्ड बनेगा । मैं इस संबंध में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं किन्तु सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि केंद्रीय स्तर पर प्लानिंग कमीशन फेल हो चुका है । आज प्लानिंग कमीशन की सारी जिम्मेदारियां प्लानिंग मिनिस्टर ने उठा ली हैं और जब एक एक्सपीरियन्स फेल हो गया है उसको इस प्रदेश में करने जा रहे हैं । इंटरेस्टेड लोग बेन भी उधार ले लें तो बहुत अच्छी बात है । इस प्रदेश में न तो शासक ऐसे हैं कि जो कि स्वतंत्र विचार सुन सकते हैं और न बुद्धिजीवी अब इस स्तर के रह गये हैं कि वे निर्भीक होकर आपको कोई राय दे सकें । सारी जिम्मेदारियां तो आपके ऊपर हैं ।

एक निर्णय तो आपका चीनी मिलों के विषय में है । मैं कह चुका हूं कि चूंकि आपने जनता से गलत वायदे कर दिये थे, उनको किसी तरह से आपको पूरा करना है और जनता को दिखाना है कि आप वह वायदे पूरे करने जा रहे हैं । कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जो मैं समझता हूं कि जो दोषी आत्मायें हैं उनके संतोष के लिये हैं । जो काम करने चाहिये वे

वह नहीं किये और जब कुछ कर सकते थे तो उन्होंने कहा कि हम विधवाओं के लिये राजनीतिक पेंशन बढ़ा देंगे । मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि क्या इन कार्यक्रमों से प्रदेश की गरीबी दूर होगी ? यदि आप पुनः इसको गौर से पढ़ेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह जो २१ सूत्रीय कार्यक्रम की सूची है उसमें से १४ या १५ ऐसी हैं जो कि केवल प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने के संबंध में है या केवल राजनीतिक चालें हैं । इसमें उर्दू के संबंध में भी कहा गया है । मैं उर्दू का विरोध नहीं करता हूं किन्तु फिर भी. . . .

श्री छोगुर राम—

माननीय सदस्य ने कहा कि इससे गरीबी दूर नहीं होगी तो क्या वे गरीबी दूर करने के कुछ सुझाव देंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

यदि मुझे ५ मिनट का समय और बोलते के लिये दिया जायेगा तो मैं गरीबी दूर करने के उपाय भी बता सकता हूं किन्तु अपने इस समय में नहीं कहूंगा ।

श्री मनफूल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, एक प्वाइंट आफ आर्डर है । ये लोग सरकार में थे तो अपने टाइम में इन्होंने कितनी गरीबी मिटाने की कोशिश की । यह बतला दें ।

श्री भानुप्रताप सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि यदि मुझे ५ मिनट का फाजिल समय दे दिया जाय तो मैं बता सकता हूं ।

श्रीमन्, मैं अब विस्तार में नहीं जाऊंगा और सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह जो २१ सूत्रीय कार्यक्रम है उसका वे अध्ययन करें । मैं समाजवाद में दिलचस्पी नहीं रखता हूं किन्तु सामाजिक न्याय में दिलचस्पी रखता हूं । मैं इस सारे सदन से पूछना चाहता हूं कि जब आप सामाजिक न्याय चाहते हैं तो आपने इसके लिये कौन से मापदंड निश्चित किये हैं । कौन-सा मापदंड आपके सामने है जिनसे समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना हो सके । आपने इस विषय में कभी कुछ नहीं किया ? मैं अपनी दृष्टि से समझता हूं कि जिस समाज में शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क हो, प्रत्येक बालक को अपनी बुद्धि के अनुसार अग्रसर होने का अवसर मिल सके, प्रत्येक बीमार व्यक्ति को चिकित्सा कराने का अवसर मिल सके और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर अन्याय हो रहा हो उसे न्याय मिल सके तथा प्रत्येक नवयुवक जो कि यह समझता है कि वह किसी पद के योग्य है वह यह समझे कि निष्पक्ष होकर उसकी जांच होती हो और उसको नौकरी करने का अवसर मिलता हो ।

मैं प्रत्येक सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या आज इस प्रकार का सामाजिक न्याय इस प्रदेश में स्थापित है । ये वह बुनियादी वह बातें हैं जो किसी भी सभ्य सोसाइटी की प्रथम आवश्यकताएं हैं आपने उनकी ओर ध्यान दिया ? उन प्रथम आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए क्या किया इसका कहीं जिक्र नहीं है । कौन कह सकता है कि आज प्रत्येक बालक को समान शिक्षा का अवसर है, प्रत्येक बीमार को समान चिकित्सा का और हर एक को न्याय मिलता है बिला घूस दिये हुए या बिला पक्षपात के नि वितयां होती हैं । यह सारा सामाजिक न्याय का माप दंड आपकी दृष्टि का फेर है । आपकी सामाजिक नीति क्या है सीलिन्ग लगा दो, सीमायें बांध दो । मैं सीमाओं का विरोधी नहीं हूं, मैं खेती जरूर करता हूं परन्तु मैं कहना चाहता हूं. . . .

श्री छांगुर राम—

मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा की तो चर्चा लाये, क्या इसको आवश्यक नहीं समझते कि जो मेहनत करे, पैदावार करे उसको भी समानता मिले ?

श्री भानुप्रताप सिंह—

इसको मैं बहुत आवश्यक समझता हूं । वर्तमान शासन में वह संभव नहीं है, होता नहीं है । यह जो खिचड़ी वाली व्यवस्था चल रही है उसके अन्तर्गत सब आर्थिक बातें रहती हैं और कुछ परिणाम भी नहीं निकल सकता । मैं थोड़ी देर के लिये मान सकता हूं कि शायद आपके डंडे के बल से आप अर्थ व्यवस्था का अच्छा नतीजा निकाल सकते हैं बनिस्बत इनके ।

श्री मनफूल सिंह—

क्या आपके पास शिक्षा के सुधार की भी योजना है ?

श्री भानुप्रताप सिंह—

श्रीमन्, मैं आपसे अपील करता हूं...

श्री उपाध्यक्ष—

इस प्रकार से आप बीच-बीच में प्रश्न न करें...

(व्यवधान)

श्री भानु प्रताप सिंह—

बड़े गर्व से घोषित किया है कि शहरी संपत्ति पर ५ लाख की सीमा लगायी जायगी । मुझ आश्चर्य है कि किसी भी साम्यवादी सदस्य ने इस पर आपत्ति नहीं की कि ५ लाख क्यों ? मैं आप से पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश की गरीबी को देखते हुए आप शहरी सम्पत्ति पर ५ लाख की सीमा को उचित समझते हैं ? यदि उसको बैंच डाला जाय और ५ लाख रुपया बैंक में जमा कर दिया जाय तो ३६,००० रुपया सालाना सूद मिलेगा बिना कुछ किये, बिना कुछ खतरा मोल लिये । भारत के औसत नागरिक को, विशेषकर उत्तर प्रदेश के नागरिक की ५०० रुपया सालाना जो औसत आय है उससे ७२ गुना अधिक केवल सूद मिलने वाली रकम को आपने नागरिक संपत्ति की सीमा निर्धारित किया है और अपने को समाजवादी कहते हैं । अगर यही सिद्धांत है तो आखिर यही मापदंड हमारे ऊपर क्यों नहीं लगाते ।

आज उत्तर प्रदेश में औसत किसान के पास ४ एकड़ जमीन है । अगर आप ७२ गुने की बात मानते हैं तो आपको २२८ एकड़ तक जमीन को सीमा से मुक्त करना चाहिये, यदि आपक दिमाग में न्याय की कहीं भी थोड़ी जगह है । मैं नहीं आशा करता, मैं चाहता भी नहीं हूं कि २२८ एकड़ पर सीमा निश्चित करें परन्तु आपका समाज में भेद-भाव उत्पन्न करने का जो दृष्टिकोण है उसको सामने रखने के लिये कह रहा हूं । आज ४० एकड़ की सीमा लगी हुई है, जो औसत ४ एकड़ का है उससे १० गुनी, तो उसको आप क्यों नहीं शहर में ७० हजार की सीमा बांधते हैं जबकि औसत आय ५०० रुपया सालाना है । ७० हजार का सूद होगा ५ हजार रुपया और वह होगा १० गुना जो औसत नागरिक की आय है उसका । है आप में साहस ? मैं आज चाहूंगा वित्त मंत्री जी से, मुख्य मंत्री जी से कि आज अपने सामाजिक न्याय के मापदंड को स्पष्ट शब्दों में घोषित कीजिये ।

मैं सामाजिक न्याय की दूसरी बात भी रखना चाहता हूं जो नहीं दिखलाई देती है इन समाजवादियों को । मैंने कुछ आंकड़े एकत्रित किये हैं उत्तर प्रदेश ग्रामीणों की प्रतिव्यक्ति आय के बारे में और शहरी प्रति व्यक्ति आय के विषय में ।

कहा यह जाता है कि हरी क्रांति हो गयी लकिन इसके बावजूद भी पिछले १० वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में लगभग कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है सिर्फ ३.३० पैसा की बढ़ोत्तरी हुई है ।

जब कि ऐसी अवधि में शहरों की आमदनी ७४० से बढ़कर ९६० प्रति व्यक्ति हो गयी है, १९६० के मूल्य स्तर के आधार पर । इसके अलावा, यह भी नतीजा मैंने निकाला है कि ग्रामीण प्रति व्यक्ति आय और शहरी प्रति व्यक्ति आय कितने प्रतिशत किन-किन वर्षों में रही है । और जिस प्रकार से इस तथा कथित समाजवादी सरकार की सामाजिक न्याय की हिमायत हो सकती है जबकि ग्रामीण आय शहरी आय के मुकाबल में बराबर कम होती गयी है । इसके आंकड़े मैं उपस्थित कर रहा हूं । १९४८-४९ में शहर वालों की आमदनी अगर १०० रु० थी तो गांव वालों की आमदनी ३४.४० थी, १९५५–५६ में वह २७.७ रह गयी, १९६०–६१ में वह २३ रह गयी और १९७०–७१ में वह केवल १९.२ ही रह गयी ।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले और शहरी क्षेत्र के रहने वाले एक ही राष्ट्र और एक ही समाज के सदस्य नहीं हैं । यदि आपको सामाजिक अन्याय गांवों में दिखायी देता तो गांवों की आबादी शहरों की ओर न भागती । मैं यह मानता हूं कि शहरों में भी गरीबी है लेकिन क्या कारण है कि प्रत्येक शहरी की आमदनी प्रत्येक गांव के आदमी के मुकाबले में ५ गुनी अधिक है । चाहे कोई भी सरकार हुई हो लेकिन क्या उसने इस विषमता को मिटाने का कभी प्रयत्न किया ? मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आखिर यह असमानता है कहां ।

महालोनोविस की इस रिपोर्ट के आधार पर मैं यह आंकड़े रख रहा हूं जो उन्होंने राष्ट्रीय आय के वितरण के विषय में दी थी । उन्होंने कहा कि गांवों में केवल ६ फीसदी लोगों की आय ३,००० रुपया प्रति वर्ष से ऊपर है जब कि शहरों में वह संख्या १४ प्रतिशत है। ३,००० रुपया वार्षिक से कम आमदनी वाले शहरी लोग शहर की कुल आमदनी का केवल ५० प्रतिशत ही पाते हैं जब कि ग्रामीण क्षेत्र में ३,००० रु० से कम आमदनी वाले कुल गांव की आमदनी का ७७ प्रतिशत पाते हैं । ऊपरी १० प्रतिशत शहरी लोगों की आय कुल शहरी आय का ४२ प्रतिशत है जबकि ऊपरी १० प्रतिशत ग्रामीण लोगों की आय कुल ग्रामीण आय का ३४ प्रतिशत है । ५ प्रतिशत बड़े ग्रामीण काश्तकारों के पास कुल जमीन का गांवों में ३७ प्रतिशत है जब कि ५ प्रतिशत बड़े शहरी काश्तकारों के हाथ में शहर की ७५ प्रतिशत जमीन है ।

कहा तो यह जाता है कि भूमि भगवान की देन है, उसमें सबको हिस्सा मिलना चाहिये । लेकिन आज यह मालूम होता है कि गरीबों के साथ और तरीका बरता जाता है और बड़ों के साथ दूसरा तरीका बरता जाता है और मालूम होता है तरीका भी केवल गांव की जमीन पर लागू होता है, शहरी जमीन पर लागू नहीं होता, जहां की और भी घनी आबादी है । वहां कितने ही गरीब ऐसे हैं जो जमीन न होने से अपना मकान ही नहीं बना सकते । क्या यह असमानता आपको दिखायी नहीं देती और ५ फीसदी आदमियों के जहां कुल ३७ फीसदी जमीन है वहां असमानता दिखायी दे रही है ।

**श्री कृष्णानन्द राय––**

वह सीलिंग नहीं करने जा रहे हैं, मत घबराइये ।

**श्री भानु प्रताप सिंह––**

सीलिंग से मैं बिल्कुल नहीं घबराता हूं । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि सीलिंग की बात करना केवल मूर्ख बनाने का एक प्रयास मात्र है । सीलिंग से मैं इसलिये नहीं घबराता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि जब तक इस तरह का भ्रष्ट प्रशासन है तब तक लोगों को

[श्रीभानुप्रताप सिंह]

जीविका कमाने के बहुत से साधन हैं और कोई साधन नहीं मिलेगा तो मैं भी पेशेवर राजनीतिक बन जाऊंगा ।

श्रीमन्, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ अन्दोलन छेड़ा । और मैं उन लोगों में से हूं जो उनकी इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि बहुत दिनों बाद एक नेता ने एक सार्थक नारा दिया । लेकिन उस नारे का आपके बीच मंत्रिमंडल में बैठे हुए कुछ लोगों और ऊपर के कुछ अधिकारीगण ने कुछ दूसरा अर्थ निकाला है । वे कहते हैं, अपनी गरीबी हटाओ, जल्दी से जल्दी अपनी गरीबी हटाओ । मैं यह तो दावा नहीं करता कि माननीय चरण सिंह या गुप्ता जी के समय में भ्रष्टाचार कम हुआ था लेकिन मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि इन थोड़े दिनों के अन्दर भ्रष्टाचार के लिये जितनी इस सरकार को बदनामी हुई है उतनी किसी दूसरी सरकार की नहीं हुई । यह गरीबी हटाओ आन्दोलन जो मंत्रियों की तरफ से चल रहा है, बड़े-बड़े प्रशासकों की तरफ से चल रहा है, यह अर्थ इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ आन्दोलन का नहीं था । अभी-अभी आपने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र के एक मंत्री के घर ८० लाख रुपया निकला । मैं कहता हूं कि अगर आप दो-चार वर्ष रह जायेंगे तो यहां के मंत्रियों के यहां भी अगर तलाशियां होंगी तो इस तरह की रकमें निकलेंगी ।

श्रीमन्, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, उसी समय मैं टोकना चाहता था लेकिन मैंने उचित नहीं समझा । नौकरशाही की यहां पर आलोचना होती है । मैं नौकरशाही का प्रशंसक नहीं हूं लेकिन मैं आपसे पूछता चाहता हूं, किसी अवसर पर उत्तर दे दीजियेगा कि क्या यह उचित है कि एक माननीय सदस्य खड़े हो कर किसी एक अधिकारी को कहें कि यह महाभ्रष्ट है, बेईमान है ? क्या यह संसदीय प्रणाली के अनुकूल है ? और उससे भी आगे आज मुझे आश्चर्य हुआ जब मुख्य–मंत्री की खोपड़ी पर खड़े हो कर उनके दल के एक सदस्य कहते हैं कि यह अधिकारी भ्रष्टाचारी है, आपकी पूरी नौकरशाही भ्रष्टाचारी है और मुख्य मंत्री चुपचाप बैठे रहें जैसे बहुत बढ़िया बातें कहीं जा रही हैं । क्या यह इस प्रशासन के लिये या मुख्य मंत्री के लिये एक शर्म की बात नहीं है कि वह इस तरह की बातें सुनें ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि संसदीय प्रणाली में नौकरशाही की सारी गलतियों की जिम्मेदारी मंत्री उठाते हैं । यदि आप दूसरे देशों का देखें तो पायेंगे कि यदि गलती किसी सरकारी अफसर से हुई है तो मंत्री खड़े हो कर उसकी तरफ से सफाई देते हैं नहीं तो क्षमा भी मांगते हैं । यहां खुले आम शासक दल के व्यक्ति कहते हैं कि अमुक अधिकारी भ्रष्ट है । मैं नहीं जानता कि भ्रष्ट है अथवा नहीं, लेकिन मैं यह जरूर जानता हूं कि वह मुख्य मंत्री पूर्णतया अयोग्य है जो इस तरह की बात सुन कर भी चुपचाप बैठा रहता है । आप इस नौकरशाही को ठीक नहीं कर सकते ? नौकरशाही किस के मातहत है ? मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि अगर नौकरशाही भ्रष्ट है तो है आपके कारण और अगर मैं उस शब्द का प्रयोग करूं तो राजनीतिशाही नौकरशाही से ज्यादा भ्रष्ट है, राजनीतिशाही नौकरशाही से ज्यादा अयोग्य है । जब तक आपका नैतिक स्तर नौकरशाही के नैतिक स्तर से ऊंचा नहीं होगा, जब तक आपकी स्वयं की योग्यता नौकरशाही की योग्यता से ऊंची नहीं होगी आप उन्हें नहीं कंट्रोल कर सकते । मंत्री बनाते समय उनकी न्यूसेंस वल्यू को देखा जाता है कौन कितने वोट लाया है इस बात को देखा जाता है योग्य व्यक्ति भी पड़े हुये हैं मगर उनको अवसर नहीं मिलता है तो फिर समाजवाद कसे आयेगा ?

श्री उपाध्यक्ष—

समाजवाद के रास्ते में संविधान, नौकरशाही, पूंजी शाही और राजनीतिशाही और अंग्रेजी भाषा रुकावटें हैं । यहां जब अंग्रेजी प्रचलित है तो कैसे समाजवाद आयेगा ?

श्री जगबीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, आपकी उस कुर्सी से आपका एक भाषण यहां पर समाजवाद के विषय में हो जाता तो हम लोगों को सुनने को मिल जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई माननीय सदस्य यदि मुझसे अपेक्षा करता है तो मुझे जवाब देना पड़ता है ।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

हमारे सामने बुनियादी प्रश्न है कि गरीबी कैसे दूर हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

एक बात रह गई थी कि जसा नेतृत्व है वह भी समाजवाद के रास्ते में बाधक है ।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, आपके उस कुर्सी पर बैठे हुये मैं आपसे विवाद नहीं कर सकता हूं । प्रश्न यह है कि गरीबी कैसे दूर हो इसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । प्रत्येक देश का एक बुनियादी व्यवसाय उद्योग होता है । अगर किसी देश को विकसित होना है तो उसका जो बुनियादी व्यवसाय या उद्योग है उसका विकसित होना प्रथम आवश्यक है । हमारी योजना बनाने वालों ने, हमारे प्रधान मंत्री जवाहर लाल जी ने बुनियादी उद्योग (बेसिक इंडस्ट्री) लोहे के कारखाने को समझा किन्तु वास्तव में इस देश का बुनियादी उद्योग व्यवसाय कृषि है । कृषक की अवहेलना चलती चली आई है । मैं आंकड़ों से सिद्ध कर सकता हूं कि चाहे रुपये के आवंटन में अथवा उसके महत्व को स्थापित करने के लिये कृषि उन्नति के बिना यह सम्भव नहीं है । मैं एक उदाहरण देता हूं ।

एक बार प्रधान मंत्री ने कहा था और मुख्य मंत्रियों ने उसको शायद स्वीकार किया था कि कृषि विभाग को मुख्य मंत्री अपने पास रखें लेकिन किसी मुख्य मंत्री ने आज तक अपने पास कृषि विभाग नहीं रखा । कृषि में थोड़ी बहुत उन्नति हुई है लेकिन वह नये बीज के कारण हुई है । यह भी कहना चाहता हूं कि जो उन्नति हुई थी वह अवनति की दिशा में अब चालू हो रही है। वित्त मन्त्री जी एक योग्य व्यक्ति हैं लकिन मैं उनसे पूछता हूं कि क्या उर्वरक का लक्ष्य पूरा हो रहा है? क्या उतने ट्यूबवेल लगे जितने लगाने का लक्ष्य था? मेरे कहने का मतलब इतना है कि आज किसानों की माली हालत बहुत कमजोर हो गई है इसलिये कि सभी चीजों के भाव बढ़ते चले जाते हैं और कृषि उत्पादन के भाव गिरते चले जाते हैं। कृषक जमीन का फायदा नहीं ले सकता है अगर ऐसी अर्थ–व्यवस्था रहेगी कि उसको अधिक उत्पादन का लाभ न हो। यदि अधिक उत्पादन का लाभ न हो तो इसके बारे में बता चुका कि उसकी दशा निरन्तर शहर के मुकाबले में गिरती चली जाती है। बहुत से लोगों का विश्वास है और बहुत से कहते हैं कि हमारे यहां इंडस्ट्री खोल दो। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में शायद सब से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में है परन्तु सब से कम प्रतिव्यक्ति आय बिहार में है तो फिर इंडस्ट्री खोलने का क्या फायदा हुआ? पंजाब में प्रति व्यक्ति आय सब से अधिक है···

श्री कृष्णानन्द राय—

वहां पर इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा है।

श्री भानुप्रताप सिंह—

मैं आपके सामने वह आंकड़े भी रख सकता हूं कि आपकी जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं उनका जो उत्पादन है वह २–४ को छोड़कर इन्स्टाल्ड कैपेसिटी के ५० प्रतिशत से भी कम है। इस्पात उद्योग का उत्पादन है वह भी केवल ५० प्रतिशत ही है। इस का कारण क्या है? जब तक किसान आप के देश में सम्पन्न नहीं होगा, जब तक उन करोड़ों इन्सानों की क्रयशक्ति नहीं बढ़ेगी आप का कोई भी उद्योग नहीं चलेगा। जब देश का कृषक सम्पन्न होगा तो उद्योग चलेंगे और उस वक्त हमारे उद्योगों के बढ़ने में उन के माल की खपत में कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझ से पहले जो साहब बोले हैं उनकी तकरीर को मैंने बहुत गौर से सुना लेकिन जब वह तकरीर कर रहे थे तो मैं बराबर सोच रहा था कि यह नीम हकीम खतरये जान वाली बात है। उन्होंने यह तो बता दिया कि तरह-तरह के हमारे अमराज हैं, गरीबी भी है, तालीम में भी कमी है, काश्तकारों में भी हम ने कुछ तरक्की नहीं की है लेकिन उन्होंने कोई इलाज नहीं बताया। इस तरह का जो तरीका होता है यह कोई कांस्ट्रक्टिव एप्रोच नहीं कहलाता है। वह इलाज बतलाते तो मैं समझता कि वह हमारी मदद कर रहे हैं।

कांग्रेस ने सन् १९६९ से अपनी जिन्दगी में एक नया मोड़ लिया है।

श्री कृष्णानन्द राय—

कांग्रेस का तो इतिहास ही ६९ से आरम्भ होता है उसके पहले उसका कोई इतिहास नहीं है।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई—

उसकी तारीख पहले की भी है लेकिन उसने सन् ६९ से जिन्दगी में एक नया और नुमायां मोड़ लिया है। पहले की कांग्रेस भी गरीबी और गरीबों की तकलीफ को मिटाने की बात कहती थी लेकिन सन् ६९ से गरीबी दूर करने के लिये खास कदम उठाये गये हैं। सन् ७० में ऐसे हालात सूबे में पैदा हुए जिन की वजह से यहां कोई कदम नहीं उठाया जा सका। अब सन् ७१ म यह पहली बार हुआ और मैं अपने दोस्त माननीय नारायण दत्त तिवारी जी को मुबारकबाद दूंगा कि उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री में यह कदम उठाया जा रहा है।

मैं अपने दोस्तों से जो सामने बैठे हैं कहूंगा कि आप बार-बार इस बजट स्पीच को पढ़िये। जितनी स्कीम्स इसमें आपके सामने पेश की गई हैं, इससे पहले भी यहां बहुत-सी सरकारें आयीं, गयीं उन्होंने कभी कोई ऐसी स्कीम्स आपके सामने रखीं? क्या इन स्कीम्स से यह जाहिर नहीं होता कि यह किस के फायदे के लिये रखी गई हैं? जो वह करना चाहते हैं वह आप इस में देखें कि क्या-क्या उनकी स्कीम्स हैं, क्या-क्या वह करना चाहते हैं और किस तरह से वह गरीबी मिटाने के लिये समाजवाद को लाना चाहते हैं।

इस बजट तकरीर को अगर आप पढ़ने की कोशिश करें और उस में देखें कि यह अरबन प्रापर्टी की सीलिंग लाना चाहते हैं तो क्या यह स्कीम समाजवादी डायरेक्शन में हमें नहीं ले जायगी? ले न पावें, यह तो इसके बाद तय होगा कि ये ला सके या नहीं ला सके। अर्बन प्रापर्टी की सीलिंग करने की बात है क्या यह समाजवाद की ओर कदम नहीं है? कहा जाता है कि सरकार एग्रो-इंडस्ट्रियल कालोनी हम कायम करेंगे जिसमें लैन्डलेस और हरिजनों को हम ज्यादा हक देंगे। कहते हैं कि अनएम्पलायमेंट को रफा करेंगे। आप कहते हैं कि जमींदारी ऐक्ट को इस तरह से अमेंड करने वाले हैं कि जिससे लैंडलेस लोगों को आबादी में जगह मिल सके।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

यह तो माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा ही था।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई—

आप जरा सुन लीजिए, फिर कमेंट कीजिए, फिर इन्होंने कहा है कि हम विडोज के लिए कुछ प्रोविजन करेंगे ताकि जिनको माली मदद की जरूरत है, उनको मदद पहुंचाई जा सके। आप लोग पोलिटिकल सफरर्स हमेशा से रहे हैं और कांग्रेस वाले पावर में भी रहे

हैं लेकिन उनकी तरफ अभी तक किसी का भी ध्यान नहीं गया है। यह सिर्फ इसी सरकार का काम है कि उसने हम पोलिटिकल सफरर्स के लिए कहा है कि इस वक्त जो रकम उन्हें दी जा रही है, उससे ज्यादा हम दे देंगे।

कहा जाता है हमारी तरफ से कि प्राइमरी स्कूल्स की तादाद बढ़ायी जायगी। यह कहा जाता है कि शुगर मिल्स को १२ की संख्या में एक्वायर कर चुके हैं। हम इसलिए इनको एक्वायर कर रहे हैं ताकि जो काश्तकारों का रुपया बाकी है, वह अदा हो सके। हर सरकार जब पावर में आती है तो फौरन उनका ख्याल हरिजनों की तरफ जाता है और वे उनके लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतरी करने की कोशिश करती है मगर क्या आप ठंडे दिल से यह मानने को तैयार होंगे कि जो हरिजनों के वास्ते मौजूदा सरकार करने जा रही है वह उससे भी ज्यादा है जो आज तक इनके साथ किया गया है ?

श्री बांके लाल—

श्रीमन्, इनका भाषण सुनाई नहीं देता। इनका कहना न कहना, नहीं के बराबर है। सदन का समय नाहक में नष्ट कर रहे हैं।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

मालूम होता है आप को सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री मुस्तफा कामिल किदवाई—

श्रीमन्, उर्दू के वास्ते आपने एक वायदा किया है। इस तरह तो जब सरकार ताकत में आई और जब ताकत से हटी तो उस वक्त उर्दू के साथ, उर्दू पढ़ने वालों के साथ हमदर्दी का इजहार किया गया मगर जब शासन में रहे, तब हमेशा उसके बारे में कुछ करने से इंकार किया।

आज भी हमारे माननीय माधव प्रसाद जी त्रिपाठी तकरीर करते हैं उर्दू के खिलाफ। शायद भूल ही जाते हैं कि उर्दू भी इस सूबे की जबान है। मगर मौजूदा सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम उर्दू बोर्ड बनायेंगे, एकेडेमी कायम करेंगे और जो नाइन्साफी इसकी तरफ से है, उसको पूरा करेंगे। गर्जेकि मेडिकल फसिलिटीज है, इम्प्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर है। मैं आप लोगों से पूछूंगा कि ये तमाम स्कीम्में, ये तमाम मेजर्स जो गवर्नमेंट ले रही है या बजट प्राविजन्स जो उन्होंने किये हैं, ये गरीबों को ऊपर उठाने के वास्ते नहीं है? क्या आप यह सच्चे दिल से मानने के लिए तैयार नहीं हैं ?

सोशलिज्म के यही माने हैं कि जो गरीब, मुफलिस और कमजोर हों उनको ऊपर उठाया जाय। सोशलिज्म की चीख–पुकार हम बहुत सुनते हैं और खास तौर से हमारे लोगों में कुछ लोग मौजूद हैं जिनकी सोशलिज्म के नाम पर हर किस्म की चीख–पुकार इस हाउस में हुआ करती है। मगर मुझे मालूम हो किसी पार्टी ने, किसी ग्रुप ने सोशलिज्म लाने के वास्ते कोई ऐसा कांक्रीट कदम उठाया है। जो सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी कही जा सके, जो अपने को सबसे बड़ी सोशलिस्ट पार्टी कहती है उन्होंने सोशलिज्म लाने के वास्ते अपने को जनसंघ से मिला लिया और कहते थे कि जनसंघ के जरिये से सोशलिज्म लायेंगे। जाहिर है कि सोशलिज्म नहीं आया और न आना सम्भव था। अब सोशलिज्म की तरफ कदम उठाये जा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि जो तमाम बातें और जो वायदे आपसे किये जा रहे हैं वे पूरे हो जायेंगे।

मुमकिन है माली मुश्किलात की वजह से कुछ में कमी रह जाय मगर कब्ल इसके कि छः महीने गुजरें, कब्ल इसके कि जो बजट प्राविजन्स हम आपसे मांग रहे हैं जो आपसे बजट हम पास करने को कह रहे हैं वह पूरा साल गुजर जाय, साल के आखिर पर जरूर आपको कहने का हक होगा कि आपने हमसे वायदे किये थे या जो बजट प्राविजन्स किये थे उनके

[श्री मुस्तफा कामिल किदवाई]

बिना पर सोशलिज्म का कदम नहीं बढ़ा। मुझे यकीन है कि छः महीने या एक साल के बाद आप लोगों में से बहुत हजरात को यह मानना पड़ेगा कि सोशलिज्म की तरफ कदम तो जरूर बढ़ा है और एफैक्टिव तरीके से कदम बढ़ा है। लिहाजा, मैं अपने दोस्त फाइनान्स मिनिस्टर को मुबारकबाद दूंगा और उसी के साथ कुछ बातों को उनके सामने पेश करूंगा।

मैं चाहूंगा कि मैं बिल्कुल मुख्तसिर रहूं और जितना मुझे वक्त दिया गया है उसी के अन्दर जो कुछ मुझे कहना है मैं उसको कह डालूं। मैं गवर्नमेंट को बजरिये फाइनान्स मिनिस्टर के यहां कहूंगा कि आप जरूर गरीबों और मुफलिसों और गांव के रहने वालों और बूढ़ों और विडोज के वास्ते कर रहे हैं। मगर जनरल कम्पलेंट क्या है, जो सबको है और जिसको मैं भी महसूस कर रहा हूं वह यह है कि मैं जिस मुहकमे में जाता हूं और जिसके बारे में सुनता हूं वह सही है कि दफ्तरों में बड़ा करप्शन है और उसकी कोई इन्तहा नहीं है। इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में एक तरह का काम्पीटीशन है कि कौन सबसे ज्यादा करप्ट है। मैं खुद नहीं तय कर सकता हूं कि इन डिपार्टमेंट्स में कौन ज्यादा करप्ट है। मगर मैं यह जानता हूं कि आप जिस किसी दफ्तर में जिस मुहकमे में, जिस अफसर के पास जाइये बिला कुछ अदा किये आपका काम बन नहीं सकता।

मैं गवर्नमेंन्ट से दरख्वास्त करूंगा कि आपको ऐसे कदम उठाने चाहिये जिसमें करप्शन दूर हो। अमूमन होता यह है कि जब करप्शन को रफा करने का इरादा किया जाता है तो एकाध छोटे अहलकार को पकड़ा जाता है, चपरासी को पकड़ा जाता है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाती है और गवर्नमेंट के अदाद और शुमार में आ जाता है कि इतने आदमियों को सजा दी गई। मगर करप्शन के जिम्मेदार छोटे लोग इतने नहीं होते वह जरूरतन करप्शन करते हैं और शरारतन करप्शन बड़े ही लोग करते हैं। मैं सरकार से कहूंगा कि करप्शन को रफा करने के वास्ते यह नहीं होना चाहिये कि जिस मुहकमें में करप्शन हो उसी महकमें को उसकी तहकीकात के लिए मुकर्रर किया जाय। इस तरह करप्शन दूर नहीं हो सकता है।

सबसे ज्यादा करप्ट विभाग पुलिस का होता है और आप पुलिस आफिसर को ही तहकीकात के लिए मुकर्रर करते हैं कि वह करप्शन को रफा करे। वह बेचारा कैसे करप्शन को रफा कर सकता है। अगर आप करप्शन रफा करना चाहते हैं तो मुख्तलिफ लोगों को जमा करें और उसके करप्शन स्क्वैड की तरह का कोई संघ कायम करें ताकि उनको जब कोई तहकीकात हो तो उसको उनको करने को दी जाय।

दूसरी चीज जो मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा वह यह है कि अब हालत जो हो गई है वह यह कि करीब-करीब हर स्कूल में आज जितने अखराजात होते हैं वे गवर्नमेंट ग्रांट से पूरे होते हैं। आज शक्कर की मिलों के जिम्मे अगर काश्तकारों का पैसा रह गया है तो आप मिलों के एक्वीजीशन को सोच रहे हैं। ट्रांसपोर्ट को आपने नेशनलाइज किया है मगर ताज्जुब है कि आपके दिमाग में यह नहीं आता कि स्कूल देश की बड़ी जबरदस्त डिसर्विस कर रहे हैं। आज हिन्दुस्तान के और खासकर सूबे के बच्चों की तालीम ठीक तरीके से नहीं हो पाती। प्राइमरी स्कूलों को जिला परिषदों के सुपुर्द किया गया और जिला परिषदों ने एजुकेशन को खत्म कर दिया। सेकेन्डरी एजूकेशन एडेड स्कूलों के सुपुर्द किया गया है। उनकी हालत यह है कि वहां हर किस्म का करप्शन आपको मिलेगा। अगर लड़के ऐडमिशन के लिये जाते हैं तो हर लड़के को १० रुपये, ५ रुपये ऐडमिशन फीस देनी पड़ती है। अगर वह अपनी टी० सी० मांगता है तो उसके लिये भी उसे अलग से देना पड़ता है। वहां पर टीचर्स ऐसे हैं जो उसके काबिल भी नहीं हैं कि पढ़ा सकें मगर पढ़ाते हैं। इनकी मैनेजिंग कमेटी में अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने तालीम की सूरत भी

नहीं देखी है और वे वहां बैठ कर तय करते हैं कि साइंस और आर्ट के वास्ते कौन-कौन प्रोफेसर और लेक्चरार डिप्यूट किये जायं।

ऐसी हालत में गवर्नमेंट से फिर अर्ज करूंगा कि जो हमारी एजूकेशन पालिसी है वह पूरी चेन्ज होनी चाहिए। गवर्नमेंट जिस तरीके से और चीजों का नेशनलाइजेशन करने को कहती है उसी तरह से स्कूलों को भी नेशनलाइज होना चाहिए ताकि लड़कों की तालीम बेहतर हो सके। बड़े अफसोस के साथ मैंने यह देखा कि इंटरमीडिएट और बी० ए० पास लड़कों से कहें कि एक दरख्वास्त लिख दो, तो वे नहीं लिख पाते। क्या वजह है? इसके जिम्मेदार लड़के नहीं हैं, इसके जिम्मेदार आपकी यह एजूकेशन पालिसी है जिसके जरिये आप उनको तालीम दे रहे हैं।

तीसरी चीज मैं आपसे अर्ज करूंगा कि किसी भी डेमोक्रेसी में प्रोटेक्टिव रोल सिर्फ जुडिशियरी का होता है। लेकिन मैं बहुत दिनों से और खासतौर से इंडिपेंडेंस के बाद देख रहा हूं कि जुडिशियरी के साथ कोई अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता। हालांकि पन्त जी ने १९४७ के बाद ही यहां हायर जुडिशियल सर्विस को क्रीएट किया था। उनका मतलब यह था कि आई० ए० एस० और हायर जुडिशियल सर्विस की तनख्वाह बराबर रखी जाय लेकिन आज सूरत यह हो गयी है कि आई० ए० एस० और हायर जुडिशियल सर्विस की तनख्वाह में बहुत फर्क है और उनके पेंशन में भी बहुत फर्क है।

चौथी चीज जो मैं आपसे अर्ज करूंगा वह यह कि यहां पर उर्दू के वास्ते आपने बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किये हैं। मुझे खुशी है कि कम से कम मेरे ४ साल के जमाने में जब से मैं हिन्दुस्तान वापस आया हूं, एक गवर्नमेंट तो ऐसी आई जिसने ईमानदारी से कुछ बातें करनी चाही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उर्दू पर फक्र है। उन्होंने कहा कि मैं इस प्रिंसीपल में एग्री करता हूं कि मायनारिटीज या उर्दू स्पीकिंग लोगों की एक पर्टीक्युलर क्लास तक एजकेशन उर्दू में होनी चाहिए। मगर मैं अपने दोस्त से कहूंगा और उनके जरिए से हाउस के सब लोगों से कहूंगा कि जो कुछ करना हो सिंसीयरली, ईमानदारी और फराखदिली से कीजिए। यह गलत बात है कि आप कहें कि दस लोग अगर क्लास में हैं तो उर्दू टीचर होगा या ४० हो तो उर्दू टीचर दिया जायगा। क्यों नहीं आप उसी तरीके पर वापस होते हैं जिस के मातहत मैंने खुद तालीम पाई थी। मुझे अख्तियार था कि सेकिंड लैंग्वेज हिन्दी पढ़ूं जो उर्दू लेना चाहे उन्हें उर्दू पढ़ने दीजिए जो हिन्दी लेना चाहें उन्हें हिन्दी पढ़ने दीजिए। आफीशियल लैंग्वेज आपने हिन्दी कर ही दी है। (लाल बत्ती जलने पर) मैं पांच मिनट और चाहूंगा।

**श्री उपाध्यक्ष**––

पांच मिनट तो बहुत ज्यादा है। दो मिनट ले लें।

**श्री मुस्तफा कामिल किदवाई**––

जब आपकी आफीशियल लैंग्वेज हिन्दी हो गई है तो एक न एक दिन आएगा जब हिन्दी सबकी जुबान होगी और वह बेवकूफ होंगे जो हिन्दी न पढ़ें। मगर आप यह जो तरीका अख्तियार करते हैं, जिस तरीके से माधव प्रसाद त्रिपाठी ने कल बात कहीं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उसके बाद फिर मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं, उर्दू स्पीकिंग लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम आओ और मदद करो। जनसंघ के हाथ में कहीं गवर्नमेंट आ जाय तो शायद वे बिल्कुल उर्दू स्पीकिंग लोगों को खत्म कर देंगे।

(व्यवधान)

मीन्स आफ कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की बात कही गयी। मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह से रोड्स का सेलैक्शन हुआ। मैंने खुद ऐज चेयरमैन आफ पी० डब्लू० डी०

[श्री मुस्तफा कामिल किदवाई]
कमेटी कुछ रोड्स को रिकमेंड किया था, मगर वह नहीं आयीं। मैं समझता हूं कि जो मेरे जिले बाराबंकी की ज्यादा जरूरी रोड्स हैं उनको शामिल किया जाय। वह जैदपुर-बाराबंकी रोड है जिसको बनाना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

अब समय बहुत कम है। मैंने कहा था कि एक तो बी० के० डी० के श्री राम बचन यादव, और जायसवाल जी, रामकरन जी और श्री छांगुर राम (व्यवधान) आप लोगों को अपने-अपने क्षेत्र की बात कहनी होती है, उसे आप एक-दो मिनट में कह सकते हैं। दो तीन लोग चाहें तो उनको इस प्रकार से समय दिया जा सकता है। राम बचन जी यादव, रामकरन सिंह जी, हबीब साहब और श्री छांगुर राम जी, आप लोग दो-दो मिनट में अपनी बात कह दीजिए।

श्री छांगुर राम—

आप २ मिनट का समय दे कर हम लोगों का उपहास कर रहे हैं। आप समय नहीं दे रहे हैं, २ मिनट में कोई क्या बोलेगा। मैं निवेदन कर रहा था कि यह सामान्य बजट है और सरकार की नीति से संबंधित है। हर दल को बोलने का मौका मिलना चाहिये, यह मेरी विचार-धारा है।

(व्यवधान)

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मेरी सम्मत्ति है, मान्यवर, कि अभी जायसवाल जी बोलेंगे, राम करन सिंह जी बोलेंगे और कुछ लोग और बोलना चाहते हैं। तो अब समय साढ़े पांच बजे तक कर दिया जाय और आधा घन्टा बढ़ा दिया जाय। अगर जरूरत होगी तो मैं भी बोलूंगा। मैंने तो मन्त्रियों से कह दिया था कि वे न बोलें बल्कि मेम्बरों को ही बोलने दें। अगर १०–५ मिनट मिल जायेगा तो मैं भी बोलूंगा, नहीं तो पौने पांच बजे वित्त मन्त्री जी जवाब देंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मुख्य मन्त्री जी ने बड़ी उदारता से साढ़े पांच बजे तक समय बढ़ा दिया है, मगर वह समय अपर्याप्त मालूम होता है। मैं निवेदन करूंगा कि समय को ७ बजे तक कर दिया जाये।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर एक बात है कि कल एक बहुत आवश्यक काम से वित्त मन्त्री जी को दिल्ली जाना है क्योंकि वहां पर मीटिंग है। एटामिक एनर्जी की साइट खोजने के लिये एक टीम नरोरा जाने वाली है। इसलिये यह जरूरी मालूम होता है कि विद्युत मन्त्री जी वहां चले जायें। तो समय को बढ़ाकर ६ बजे तक कर दीजिए ताकि वे बोल कर चले जायं।

श्री उपाध्यक्ष—

तो सदन का समय आज ६ बजे तक कर दिया गया।

*श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)---

आपने सामान्य बजट पर विचार प्रकट करने का मुझे अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। वित्त मन्त्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह देखने में काफी खूबसूरत बजट मालूम होता है। मान्यवर, यह बात सही है कि बहुत से लोगों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसको समझने की मैंने काफी कोशिश की है। मैंने यह भी सोचा था कि सम्भवतः इस बजट भाषण में वित्त मन्त्री जी का कुछ मूलभूत सिद्धांतों की तरफ इशारा होगा। मान्यवर, इसलिये यह बात मेरे मन में पैदा हुयी। वित्त मंत्री जी तो एक ऐसे स्कूल के विद्यार्थी रहे हैं जो कि एक समाजवादी स्कूल रहा है। इसलिये मुझे इस बात की आशा जरूर थी कि माननीय वित्त मंत्रीजी जो एक समाजवाद की आधारशिला है या समाजवाद के मूल सिद्धान्त हैं उनके आधार पर बजट प्रस्तुत करेंगे लेकिन आज सही बात यह है कि जैसा कि उन्होंने अपने बजट भाषण में इंगित किया कि इस देश में मध्यावर्ती चुनाव हुये, मान्यवर, उस मध्यावर्ती चुनाव में उन्होंने तारीफ इस बात की की है कि देश की नेता ने अपना विश्वास कांग्रेस के अन्दर और इन्दिरा गांधी के अन्दर प्रकट किया है। सही बात है मान्यवर, कांग्रेस तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन इन्दिरा गांधी के अन्दर विश्वास प्रकट किया है लेकिन दूसरी ओर जिस आधार पर इस देश के लोगों ने इन्दिरा गांधी को समर्थन किया है उनका जिक्र उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने सदन में कहा है कि अगर सदन के लोगों ने विश्वास हम को दिया तो हम उस रास्ते पर चलने की चेष्टा करेंगे मान्यवर, मैं समझता हूं कि जो शुरुआत की है वित्त मंत्रीजी ने और जिस पर उन्होंने इशारा प्रगट किया है उसमें एक बात कर्मचारियों के संबंध में है कि एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के पहले चेयरमैन कोई जज थे, अब माननीय अली जहीर साहब हो गये हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बजट में जो कमी रह गई है वह यह है कि अली जहीर साहब तो लग गये हैं लेकिन चतुर्भुज शर्मा साहब, रावत साहब और बेगम साहिबा अभी शेष हैं उनको जो चीनी मिल लिये गये हैं उनका रिसीवर बनाया जा सकता है। उससे उनको भी नौकरी मिल जावेगी।

मान्यवर, दूसरी बात मैं आपके सामने जो कहना चाहता हूं वह एक बुनियादी बात है। इस देश की जो शासन पद्धति है उसके सम्बन्ध में इधर के बैठने वालों ने और उधर के बैठने वालों ने सभी ने इशारा किया है। ब्यूरोक्रेसी बढ़ रही है, शासन भ्रष्ट हो रहा है और लोग अपने में भी कहते हैं कि हम लोग भ्रष्ट हैं। यह एक बात हमारे यहां एक अर्से से घर कर रही है। मान्यवर, हमारे ऊपर जब लोग दूसरे शासन कर रहे थे उनका शासन करने का एक तरीका था। उनका जो सूचना प्राप्त करने का श्रोत था वही श्रोत हमने भी अपनाया है। हमने २२–२३ वर्ष में जो शासन पद्धति अंग्रेज छोड़ गये थे उसी पद्धति को अपनाया है। कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार के बारे में विचार किया और कहा कि बड़ा भ्रष्ट शासन चल रहा है। जब चौधरी साहब आये थे तो भ्रष्टाचर संभवतः दूर हुआ था। हम लोग तो देहात के रहने वाले हैं। कभी-कभी सुनने में आता है कि किसी थाने में कोई दरोगा पहुंच गया तो चार छः बदमाशों को मारता पीटता है और पता चलता है कि बहुत अच्छा दरोगा आया है लेकिन एक महीना बाद वह बड़ा भ्रष्ट साबित होता है। तो यह एक आतंक पैदा करने की बात है, बुनियादी दिक्कत दूर नहीं होती है।

अगर आप इस देश से भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं और डेमोक्रेसी को पनपाना चाहते हैं तो राजनैतिक आदमियों को अच्छे से अच्छे आफिसर से भी अधिक अच्छा अपना आचरण और व्यवहार रखना पड़ेगा तभी इस देश में ब्यूरोक्रेसी और आफिसर आपके कन्ट्रोल में आ सकेंगे। अगर आप ऐसा नहं कर पायेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सम्भवतः हमारा आपका जो लक्ष्य है, हम जो चीज देना चाहते हैं, जो चीज लोगों के सामने रखना चाहते हैं उसको रखने में असमर्थ हो जायेंगे। मान्यवर, मैं मंत्री जी से आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि जहां तक सवाल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम करन सिंह]

है देश की या प्रदेश की गरीबी का उसका हम सब अहसास करते हैं। उनहोंने बजट में गरीबी दूर करने के लिये कुछ बातें रखी हैं। मैं तो ऐसे जिले से आता हूं जहां से बराबर इस बात की आवाज उठती आयी है कि पूर्वी जिला गरीब है और वहां की जो समस्यायें हैं उनका निराकरण ढूंढ़ना चाहिये।

अपने बजट भाषण में मंत्री जी ने कुछ इस तरफ इशारा किया है और वे शायद कोई बोर्ड बना रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं और कुछ साथियों ने इस तरफ इशारा भी किया कि अगर समस्या का समाधान नहीं होगा तो, सम्भवत: किसी दोस्त ने कहा था, पूर्वीय जिलों का बंटवारा होगा। इस पर इधर से किसी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मान्यवर, यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है और होगी भी लेकिन क्या आपके सामने बंगाल का उदाहरण नहीं है। आज आपके सामने एक ज्वलंत उदाहरण है कि जब वैस्ट पाकिसस्तान ने वहां की जनता की भावनाओं की अवहेलना की तो वहां जन चेतना जाग उठी। इसलिये किसी की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिये। अगर यहां भूख की ज्वाला जागेगी तो उसका समाधान कोरे नारेबाजी से नहीं होगा। बल्कि उसका कोई समाधान निकालना पड़ेगा।

(लाल बत्ती होने पर)

अभी तो करीब दस मिनट ही मिला है।

श्री उपाध्यक्ष —

अभी दो मिनट हैं।

श्री रामकरन सिंह—

और भी ऐसे सवालात हैं जिन पर वित्त मंत्री जी विचार करें। आप जो योजना बनाते हैं उनकी खामियों की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये। किसी स्कीम पर आप पैसा लगाते हैं लेकिन कोई रिटर्न आपको नहीं मिलता। चाहे कृषि को ले लें, पानी को ले लें, बिजली को ले लें, जिस उद्योग में भी पैसा लगाते हैं रिटर्न नहीं मिलता। मानी हुई बात है कि जब कोई किसी चीज में पैसा लगाता है तो उसका आउट पुट भी देखता है। इसी तरह सरकार भी जब किसी चीज में पैसा लगाती है तो उससे क्या रिटर्न मिला अगर इसका लेखा जोखा नहीं करेगी तो आज जो ४८ करोड़ के घाटे का बजट आया है, इसी तरह का बजट आता रहेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप किसी चीज में पैसा लगाते हैं तो उसके रिटर्न की तरफ भी देखते रहना चाहिये। दो तीन समस्यायें हमारे यहां बहुत मुख्य हैं। प्रदेश के जो ८० प्रतिशत किसान हैं उनके लिये पानी और बिजली की व्यवस्था हो सके तो मान्यवर, संभवत: इस प्रदेश का कल्याण हो जायेगा। ऐसा सभी लोग महसूस करते हैं और हम भी करते हैं। जहां तक पानी और बिजली का सवाल है ये दो विभाग ऐसे हैं कि अगर इसकी खामियां की तरफ तरफ ध्यान नहीं दिया जायेगा तो सम्भवत: हमारी सारी योजनायें फेल हो जायेंगी।

श्री हबीब अहमद (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसकी माफकत में नहीं हूं। इस सरकार के कौल और फेल में बड़ा अन्तर है। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे पुरानी शराब को नयी बोतलों में भरा गया हो। उर्दू के लिये जो प्रोपोजल्स इस बजट में रखे गये हैं वे तसल्लीबख्श नहीं हैं।

सुकूं मयस्सर जो हो तो क्यों कर, हुजूमे रंजो मेहन वही है।
बदल चुके हैं अगरचे कातिल, निजामे दारो रसन वही है।
महोब्बतों को मेरे नशेमन, उजाड़ दो तुम, जला दो लेकिन।
कहीं यह तिनके न रंग लायें, वही हैं शोले, चमन वही है।
डुबो दे किश्ती, मिटा दे साहिल, उठा दे तूफां, जो हो सके कर।

मिटेंगे गर हम, मिटेगा तू भी, मिजाजे गंगो जमन वही है।
बनें हैं अब राहजन भी रहबर, बना है जालिम वफा का पै कर।
कहीं न लुट जाये तू मुसाफिर, फरेबे शामें वतन वही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय यह मेरे दिल की आवाज है ।

श्री रियासत हुसैन—

यह आपने ही लिखी है ।

श्री हबीब अहमद—

यह रियासत भाई के दोस्त ने लिखी है । और रियासत भाई उस समय विरोधी पक्ष में बैठते थे । उपाध्यक्ष महोदय, रूलिंग कांग्रेस ने अपने मैनीफैस्टो में यह बात कही है कि उर्दू के साथ आज तक ज्यादती होती रही है और उसके लिये उपाय किये जायेंगे और इन्साफ की रू से जो जगह उसको दी जानी चाहिये वह दी जायेगी । इस बजट में उर्दू के लिये आपने जो कुछ किया है उसके लिये हमारे जनसंघ के भाई तो अभी से शोर मचाने लगे हैं कि उर्दू के लिये सरकार ने बहुत कुछ प्राविजन कर दिया है । मैं कहना चाहता हूं कि अगर वाकई में आप उर्दू के मसले में कुछ करना चाहते हैं तो आज आप कर सकते हैं । २२ लाख दस्तखतों के साथ एक मांग पत्र राष्ट्रपति श्री जाकिर हुसैन को फरवरी, १९५४ में दिया था जिसमें उर्दू को आफिशियल स्टेट्स देने की मांग की गई थी जो कि आर्टिकिल ३४७ भारतीय संविधान के अनुसार थी ।

आज तो इन्दिरा गांधी की सरकार है केन्द्र में, राष्ट्रपति भी उनके हैं, अगर यहां की सरकार कोशिश करे तो उर्दू को आफिशियल स्टेट्स दिया जा सकता है । इसके अलावा आर्टिकिल ३४५ के तहत में यू० पी० की असेम्बली भी उर्दू को सेकिन्ड आफिशियल लैंगुएज बना सकती है । सन् ६७ में जिस वक्त संविद की सरकार थी उस वक्त सी० पी० आई०, स्वतंत्र, सी० एस० पी०, एस० ए० पी० ने यह वायदा किया था और मैं समझता हूं आज भी वे उस पर कायम हैं कि उर्दू को सेकिन्ड आफिशियल लैंगुएज बनाने में वे किसी से पीछे नहीं हैं । अब तो कांग्रेस दो टुकड़ों में बंट गई है, लेकिन सन् ६७ में जब कांग्रेस अपोजीशन में बैठी थी, चौधरी चरण सिंह जी की सरकार थी, तो उसने भी इसके लिये वायदा किया था ।

श्री बनारसी दास ने, जो आज कांग्रेस (ओ) के प्रेसीडेंट हैं उन्होंने डाक्टर फरीदी को ५ सितम्बर, ६७ को एक चिट्ठी में लिखा था:—

"Urdu is the spoken language of about 22 million of this State and I see no reason why it should not be declared the second language of the State for specified purposes. The mis-apprehension that it will become the rival of Hindi is unfounded."

यह तो मिस्टर बनारसी दास का कहना है जो कांग्रेस–ओ के इस समय चेयरमैन हैं । श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने ८ सितम्बर, ६७ को अपने पत्र में डाक्टर फरीदी साहब को लिखा था :—

Needless to say that call for a rightful place for Urdu in U. P. should be reconciled by accepting it as the second language of the State for such purposes as may be specified keeping in view the practical, administrative and social requirements in satisfying over reaching provisions of the Constitution pertaining to linguistic minorities."

यह बात तो श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा ने कही थी, बनारसी दास जी भी इसी चीज को आगे अपने चिट्ठी में कह चुके हैं लिहाजा ". . . . The Congress (O) would thus support and such motion" तो आज कांग्रेस ( ओ ) के लोग उर्दू के बारे में यह ख्याल रखते हैं और कांग्रेस (आर) के लोग क्या ख्याल रखते हैं यह बहुगुणा जी की चिट्ठी बताती है । अब सरकार यह भी कहती है कि अपने दल के लोग इसकी मुखालफत करते हैं, इसलिये इसको अभी हम आफिशियल लैंग्वेज नहीं बना सकते ।

[श्री हबीब अहमद]

इस सिलसिले में मैं एक चीज और अर्ज करना चाहता हूं । जिस वक्त श्री चन्द्र भानु गुप्ता लीडर आफ अपोजीशन थे और अनडिवाइडेड कांग्रेस के एक माने हुये नेता थे तब उन्होंने कहा था, इसी ऐवान में २६ जुलाई, ६७ को उन्होंने कहा था जो कि विधान सभा की प्रोसीडिंग के पज ७७५ पर छपा है, उर्दू को इस थ्री लैंग्वेज फार्मूला में दूसरा नम्बर देना चाहिये। पहली जबान हिन्दी होनी चाहिये और दूसरे नम्बर पर उर्दू कम्पलसरी पढ़ाई जानी चाहिये ह विद्यार्थी को, चाहे वह किसी भी मजहब से सम्बन्ध रखता हो । इसलिये यह जरूरी है कि यह हुकूमत कोई आफिशियल बिल इस मसले पर लाए कि उर्दू को सेकेण्ड आफिशियल लैंग्वेज होना चाहिये । इसके लिये उसे कांग्रेस (ओ० ) का समर्थन प्राप्त है , एस० एस० पी० , पी० एस० पी० और स्वतंत्र पार्टी का भी समर्थन उसे प्राप्त होगा । इसलिये सरकार को इस बिल को बिना देर किये पेश करना चाहिये । यदि आप वाकई में उर्दू के लिये कुछ करना चाहते हैं तो इसके सिवा आपके लिये कोई रास्ता नहीं है । दर्जा आठ तक कम्पलसरी उर्दू रखी जाय, क्योंकि इस तरह वायदे अभी तक किये गये थे । वित्त मन्त्री जी ने जैसी १० लड़कों और ४० लड़कों की कैद लगाई है, वह समझ में आने वाली बात नहीं है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी, जो देश की प्रधान मन्त्री हैं, उन्होंने एलेक्शन के पहले इस तरह का वायदा किया था कि एक लड़का भी अगर किसी स्कूल में उर्दू पढ़ना चाहता है तो हम उसका इंतजाम करेंगे । लेकिन अभी ज्यादा दिन नहीं हुये फिर भी वह वायदे भुला दिये गये, और वायदे खत्म हो गये । उधर से कुछ नहीं दिया गया और इधर से जनसंघ के भाइयों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है । हमें मालूम पड़ता है कि कांग्रेस (आर०) और जनसंघी भाइयों में कोई सांठगांठ हो गई है कि हम कुछ देंगे नहीं और तुम उसका विरोध करना शुरू कर दो । उर्दू की तरक्की के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । एक उर्दू एकेडमी कायम करने को कहा गया है, चन्द लोगों को इसमें शामिल किया जायगा, जिससे कुछ लोग उससे अपना कायदा उठा सकें और वे हुकूमत की तारीफ कर सकें । इसलिये यह व्यवस्था की गई है उनके लिए । उर्दू के लिए एक डिप्टी डायरेक्टर बनाने की बात कही गई है लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, जब तक कि इंस्पेक्टर आफ मोहम्मदन स्कूल्स क पोस्ट की बहाल नहीं किया जाएगा, जिस पोस्ट को डिफंक्ट कर दिया गया था । अकेले डिप्टी डाइरेक्टर बनाने से कुछ फायदा नहीं होगा । तो डिप्टी डायरेक्टर बनाने से कोई फायदा नहीं होगा ।

मैं और डाक्टर फरीदी मुख्य मन्त्री जी के पास गये थे और उनसे निवेदन किया कि स्कूल में दाखिले का जो फार्म है उसमें १५ कालम दिये हुए हैं । एक कालम और होना चाहिये जिसमें यह छपा हो कि जो तालिबिल्म दाखिला लेना चाहता है उसकी मात्र भाषा क्या है । तब यह झगड़ा नहीं होगा कि ४० लड़के किसी स्कूल में नहीं होंगे तो दूसरे स्कूल में उनका नाम लिखवा दिया जायगा । यह बिलकुल नामुमकिन है कि हजरतगंज में अगर तादाद पूरी नहीं हुई तो चौक के स्कूल में दाखिला करा दिया जाय । हजरतगंज का नाबालिग तालिबिल्म या छोटे-छोटे बच्चे चौक हर्गिज नहीं जा सकते । जो बयान उर्दू के मुताबिक दिया गया है उससे तो केवल खिलौना दे कर बहलाया गया है । अगर यही रवया रहा तो मैं बतला देना चाहता हूं कि उर्दू के साथ अगर इंसाफ नहीं किया गया तो वह सरकार ज्यादा दिन नहीं ठहरेगी वह चाहे जनसंघ की हो, चरण सिंह जी की हो अथवा रूलिंग कांग्रेस की हो । लोक सभा के इलेक्शन में हमने कांग्रेस का साथ इसीलिये दिया था कि दूसरी ओर ग्रैण्ड एलायन्स जनसंघ के भाइयों की सरपरस्ती थी । हमारे लिये कोई रास्ता नहीं रह गया था सिवा इसके कि इन्दिरा जी का हाथ मजबूत करते लेकिन इसलिये उनके हाथ मजबूत नहीं किये गये कि उन्हीं हाथों से हमारा गला दबाया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––

अब आपका समय समाप्त हो गया है। मैं और बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। यह इस सदन की घोषणा है कि हिन्दी यहां की भाषा है और वह देवनागरी लिपि। उसको देखते हुए सरकार ने जो कुछ किया है वह उदारतापूर्वक किया गया है।

श्री कृष्णानन्द राय––

माननीय सदस्य एक बहुत बड़े संवैधानिक मसले पर बोल रहे हैं। इसलिये दो-तीन मिनट उनको और बोलने के लिये दे दिये जायं।

श्री हबीब अहमद––

मुझे एक बात और अर्ज करनी है कि ५ जनवरी, १९६९ को डा० फरीदी, श्री० श्याम सुन्दर तथा छेदीलाल साथी ने बनारस में इलेक्शन के दौरान मीटिंग एड्रेस की थी। उस पर अब दफा १५३-ए के तहत मुकदमा कायम किया गया है। १९६९ में प्रेसीडेंट रूल था। उस समय १५३-ए के मातहत कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं समझी गई। फिर गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर हुए तब भी डाक्टर फरीदी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं हुई १५३-ए के मातहत। फिर चौ० चरण सिंह और टी० एन० सिंह साहब चीफ मिनिस्टर हुए। उस समय भी किसी को फिक्र नहीं हुई कि डाक्टर फरीदी के खिलाफ १५३-ए के मातहत कार्यवाही की जाय। अब चूंकि मुख्य मन्त्री बनारस के हैं इसलिये मौजूदा सरकार ने यह कार्यवाही की है। इन हथकण्डों से हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष––

आप जो राय दे रहे हैं वह माननीय सदस्य की नहीं बल्कि बाहर के लोगों की है। जो सवाल आप उठा रहे हैं वह निरर्थक हैं। इस सदन की भाषा हिन्दी है और देवनागरी लिपि है। उसकी देखते हुए सरकार ने जो काम किया है वह जरूरत से ज्यादा है। आप १५ मिनट बोल चुके हैं। अब आप समाप्त करें।

*श्री छांगुर राम––

माननीय उपाध्यक्ष जी, सन् १९६२ से मुझे इस सदन में भाग लेने का मौका मिला है तब से आज तक जितनी भी सरकारें आईं, हर सरकार के बजट देखने के बाद और इन माननीय सदस्यों के भाषण सुनने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह जो हमारे देश और प्रदेश की पार्लियामेंट और असेम्बली है वह देश के गरीबों का शोषण करने का एक घर है। यह एक ऐसा स्थान है जिसको कि बुद्धिजीवी और समझदार लोग यह रास्ता ढूंढते हैं कि देश के गरीबों का कैसे शोषण किया जाय। यह ऐसा स्थान है कि जहां पर बैठकर कितने ही कानून बनाये जाते हैं ताकि उन गरीबों को मालूम न हो सके और कैसे उनका खून चूसा जा सके...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष––

आप अपनी मूल बात पर आयें।

श्री वीरेन्द्र वर्मा––

यह सदन का अपमान है, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन का अपमान नहीं ।। जिस विशिष्ट विचाराधारा का वे प्रतिपादन करते हैं उसमें वे बाहर की विचारधारा भी लाना चाहते हैं। उस बल की वही नीति होगी।

श्री छांगुर राम—

माननीय भानु प्रताप सिंह जी ने कितनी बारीकी से अपनी सम्पत्ति की रक्षा के बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं कि देश में शिक्षा की ऐसी व्यवस्था हो कि जिससे हर बालक शिक्षा पा सके, हर मरीज को दवा उपलब्ध हो सके किन्तु इस बात को कहने के काबिल नहीं हुये कि इस देश के वे गरीब जो कि रात-दिन खेतों पर काम करते हैं, उनके फार्मों पर काम करते हैं उसको पेट भर खाने का अधिकार हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

बार-बार आप माननीय भानु प्रताप सिंह का नाम ले रहे हैं. . .

श्री छांगुर राम—

मान्यवर, नाम नहीं लेता हूं। वही बात मैं माननीय नारायण दत्त तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि जो बजट उन्होंने पेश किया है उसमें उन्होंने गलत आंकड़े देकर प्रदेश की परिस्थिति को छिपाने की कोशिश की है। मान्यवर, यदि आंकड़ों में मैं जाऊंगा तो मेरा सारा समय बरबाद हो जायगा। एक बात मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि उसमें यह बताने की कोशिश की गई है आंकड़ों के द्वारा कि हमारा प्रदेश औद्योगिक उन्नति कर रहा है। मैं समझता हूं कि उन आंकड़ों की बुनियाद ही गलत है। वे इस तरीके के आंकड़े हैं जो चन्द आदमी इस प्रदेश में ऐसे हैं जिनके पास काफी धन है, लाखों और करोड़ों का जिनको मुनाफा होता है और बहुमत ऐसे लोगों की है जिनको एक पैसे की आमदनी होती है। तो इस प्रकार से दोनों को मिलाकर आमदनी में बढ़ोत्तरी दिखाई जाती है।

मैं समझता हूं कि इस बढ़ोत्तरी में देश की गरीब जनता का सम्बन्ध नहीं है और यह केवल देश के पूंजीपतियों की बढ़ोत्तरी से सम्बन्ध रखता है। यह प्रदेश के विकास का सूचक नहीं है, यह समाजवाद का सूचक नहीं है। मान्यवर, समाजवाद का मोटा अर्थ होता है कि प्रदेश की भुखमरी को कम किया जा सके, देश के अन्दर बेरोजगारी खतम की जा सके, देश के अन्दर भूमिहीनता को खतम किया जा सके। मैं पूछता हूं कि क्या माननीय वित्त मन्त्री या इसके पहले की किसी सरकार ने ऐसे आंकड़े दिये हैं जिससे कि प्रदेश के गरीब. . .

श्री उपाध्यक्ष—

ये तीनों बातें समाप्त कर दें किन्तु फिर भी समाजवाद कायम नहीं होगा।

श्री छांगुर राम—

वही तो मैं बताना चाहता हूं। आप आंकड़ों से घबड़ा रहे हैं। मैं माननीय वित्त मन्त्री का ध्यान इस गम्भीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस समय प्रदेश की मुख्य समस्या खेतिहर मजदूरों की है जिसकी तरफ हमेशा उपेक्षा की दृष्टि बरती गई है। मुख्य समस्या हमारे प्रदेश में इन खेतिहर मजदूरों की बढ़ती हुई भूमिहीनता है। जब सन् १९६२ में जनगणना की गई थी उन आंकड़ों के अनुसार आप देखें कि सन् ५१ में हमारे प्रदेश में मजदूरों की संख्या २०.२ लाख थी और १० साल के बाद यानी ६१–६२ में इन मजदूरों की संख्या बढ़कर ३२.६ लाख हो गई और आज उनकी संख्या मैं समझता हूं कि प्रदेश में ४० लाख से भी ऊपर होगी।

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्मानित सदन में कई बार भूमिधरी कानून लाग् किया गया और जितने ही कानून लाग् किये जाते हैं उतना ही जमीन का पता नहीं चलता है और गरीब किसान उतना ही भूमिहीन होता चला जा रहा है। तो यहां पर जो कानून बनाये जाते हैं उनको सही रूप में अमल में नहीं लाया जाता है। और ४० लाख जो मैं बता रहा था वह इस सरकार को मालूम है...

श्री उपाध्यक्ष—

यह आंकड़ा सही है क्या ?

श्री छांगुर राम—

मेरी जानकारी में सही है। सरकार उसे सुन रही है, उधर से कोई विरोध नहीं हो रहा है कि यह गलत है। तो ४० लाख आदमी कहां जायेंगे, इनके लिए कोई व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं की गई है। एक बात जरूर बताई गई है कि एक साल में एक हजार आदमियों को रोजगार दिया जायगा। इस तरीके से ५०–५२ जिलों में साल भर में उतने हजार आदमियों को काम दिया जायगा और बकिया मजदूरों को जो भूमिहीन हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है उनके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि ऐसे लोगों के साथ में अपनी जिन्दगी बेचें जो उनके साथ गुलामों की तरह से व्यवहार करते ह और आज भी वे मजदूर गुलामी की जिन्दगी बिताने पर मजबूर हैं। अगर वह मजदूरी बढ़ाने की बात करते हैं तो उनका घिराव करके पुलिस के द्वारा उनकी पिटाई की जाती है।

एक उदाहरण मैं बताऊं। इधर से हल्ला किया जाता है। चौधरी चरण सिंह की सरकार जब थी तो सहजिया गांव में १४–१५ घर जो हरिजनों के थे वह जला दिये गये। ऐसे अनेक गांव मैं बता सकता हूं और सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर कब तक उनके साथ अत्याचार होगा। अगर इसको नहीं रोकते हैं तो उनको मजबूर होकर सोचना पड़ेगा और दूसरा रास्ता लेना होगा और उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि यहां पर जो सदस्य बैठे हुए हैं उनकी उन्नति के लिए, उनके उत्थान के लिये वह वास्तव में हमारे दुश्मन हैं या दोस्त हैं। उनको सोचना पड़ेगा कि असेम्बली में कानून पास करने से उनकी गरीबी दूर होगी या देहातों में गल्ला खलिहानों पर कब्जा करने से दूर होगी। उनको सोचना पड़ेगा कि जो वोट देकर बैलेट के द्वारा यहां सदस्य बनवाते हैं उनके द्वारा उनकी गरीबी दूर होगी या अपने हाथ में लाठी-ठंडा लेकर उसकी शक्ति के बल पर अपनी कमाई से दूर होगी। यह भावना आज देश के अन्दर जाग रही है और यदि यह बात आती है तो हमारे जनसंघी भाई बहुत घबराते हैं और चिल्लाते हैं कि नक्सलबाड़ी आ गये।

मैं आधे मिनट में उदाहरण देना चाहता हूं कि जौनपुर के राजा माननीय यादवेंद्र दत्त की बात, एक पड़ोसी उनके बता रहे थे कि वह रात को स्वप्न देखते हैं कि कोई नक्सलबाड़ी आ गया। तो इतना आतंक नक्सलबाड़ी और नक्सेलाइट का हो गया है कि वह घबराते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह कोई बाहरी आदमी नहीं हैं। ये देश के गरीब हैं, देश के मजदूर लोग हैं जो जमीन में काम करते हैं और जमीन पाने की इच्छा रखते हैं और यह भी नहीं है कि जमीन नहीं है हमारे सूबे में। मैं उदाहरण देकर बताऊं...

श्री उपाध्यक्ष—

आपका आधा मिनट समाप्त हो गया।

श्री छांगुर राम—

जमीन की कमी नहीं है। जमीन तो बहुत अधिक है। एक-एक के पास ४–४, ५–५ हजार एकड़ जमीन लखीमपुर में है। लखीमपुर में सरकार की तरफ से उपनिवेशीकरण की योजना बनायी गयी और सारी जमीन पैसे वाले लोगों को दे दी गयी कुछ छोटे लोगों को

[श्री छांगुर राम]

भी दी गयी है। इस जमीन को अगर सरकार के अन्दर साहस है तो उनसे वह जमीन निकाल कर गरीबों को बांट दे। उससे गरीबों का बड़ा भला होगा। एक बहुत बड़े पूंजीपति हैं उनको लखीमपुर में ४,२०० एकड़ भूमि दी गयी है,बिजनौर जिले में ४ हजार एकड़ दी गई है इसी प्रकार अलीगढ़ के एक सिंहल आयल मिल वाले हैं उनको ६ हजार एकड़ जमीन दी गयी है। एक कोई ट्रक्टर कम्पनी वाले हैं उनको ४ हजार एकड़ दी गयी है। एक शुगर मिल के मालिक, श्री नेवटिया को ४ हजार एकड़ दी गयी है। मार्शल अर्जुन सिंह को २५०० एकड़ दी गई है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक फर्म ऐंड फोरेस्ट को ५ हजार एकड़ दी गई है। वह जमीन जो सरकारी खर्चे पर खेती के योग्य बनाई गई ऐसे लोगों को दी गई है जो स्वयं ही पहले से बड़े-बड़े उद्योगपति ह। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में से उनको निकाल लें और उनसे इस जमीन को निकाल कर गरीबों में बटवा दें। इन शब्दों के साथ म माननीय मुख्य मन्त्री से चाहूंगा कि वह इस प्रकार का आश्वासन इस सदन को दे दें।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकी (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। श्रीमन्, माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में पहले पृष्ठ पर समाजवाद और प्रधान मन्त्री इन्दिरा जी की चर्चा की है और उनके नेतृत्व को प्रगतिशील माना गया है। मैं भी इस बात को मानता हूं कि इस बजट में समाजवाद की झलक है लेकिन एक बात कहने के लिये मैं विवश हूं। यदि इसके अनुसार ईमानदारी से अमल किया गया तो समाजवाद का रास्ता जरूर मिल जायेगा। किन्तु इसके साथ ही साथ मैं माननीय वित्त मन्त्री जी को बता देना चाहता हूं कि उस देश और प्रदेश में एक ऐसा पिछड़ा और गरीब तबका भी है जिसे भंगी, मेहतर या बाल ीकी कहा जाता है। इसके विषय में भंगी, मेहतर या बाल्मीकि कहलाने वाले वर्ग की धारणा कुछ दूसरी ही है। जब हमने अपने साथियों को इस बजट के भाषण को १२ तारीख को दिखाया, जो उस दिन हमारे यहां आये हुए थे। उस समय जो चर्चा चली और जो बहुमत की राय हुई वह मैं आपको इस शर के द्वारा बताना चाहता हूं :—

न दिल बदला न दिल की आरजू बदली, न वो बदले,
मैं कैसे एतबारे इंक्लाबे आसमां कर लूं।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा, जो आंकड़े बजट में दिये हैं, उनके आधार पर २—४ बातें अर्ज करूंगा। इस बजट में माननीय वित्त मन्त्री जी ने बताया है कि १९७० तक भूमिहीन मजदूरों को ५४६६२ एकड़ भूमि वितरित की गयी है और यह भी बताया गया कि इसमें से ८० फीसदी भूमि अनुसूचित और पिछड़े वर्ग के लोगों को दी गई है। मैंने माननीय मुख्य मन्त्री जी से भी कहा है और अब फिर कह रहा हूं कि वे इस बात की जांच करायें कि जो यह ८० फीसदी भूमि अनुसूचित और पिछड़ी जाति के लोगों को दी गयी है, उसमें से कितनी भूमि मेहतरों को दी गई है। वह इस भूमि वितरण से बिलकुल वंचित रह जाते हैं।

दूसरे इस बजट में वित्त मन्त्री जी ने कुटीर उद्योगों का जिक्र किया है और कहा है कि १ लाख ८८ हजार रुपया कुटीर उद्योगों के लिये रखा है। इन सुविधाओं से भी, जो सरकार द्वारा लोगों को उपलब्ध होती हैं, यह समाज वंचित रह जाता है। मैंने कई बार बड़े-बड़े जलसों में और इस माननीय सदन के समक्ष भी रखा है कि जो छोटी-छोटी चीजें हैं, जो इनके पेशे के इस्तेमाल में आती हैं, जैसे कूड़ा उठाने की टोकरी या झाड़ू की तीली बनाने का काम, ये ऐसे कुटीर उद्योग हैं इससे भी इनका उत्थान हो सकता है इनका जरा भी ख्याल नहीं रखा जाता है। माननीय मन्त्री जी जब अपना भाषण दें तो कृपया इस पर भी प्रकाश डालें।

तीसरी बात पेय जल की है। इसमें यह लिखा है कि १९६९-७० के अन्त तक १८६ नगर क्षेत्रों में, शहरों, कस्बो में, और ५२ ग्रामीण टाउन एरिया,नोटिफाइड एरिया में और २,८८३ गांवों में पीने के पानी की सुविधा प्रदान की गयी है। मैं आपके द्वारा माननीय

वित्त मन्त्री जी और माननीय मुख्य मन्त्री जी और माननीय सदन के समक्ष कहना चाहता हूं कि इस बात की कल जांच करा ली जाय कि आज भी हरदोई जिले में बाल्मीकि कहलाने वाले लोग तालाब और गड्ढे का गन्दा पानी पीते हैं। मुझे सन् ५२ से ५७ तक और सन् ६७ से आज तक मौका मिला है उस क्षेत्र से चुनाव लड़ कर सदन में आने का। मेरा सिर शर्म से झुक जाता है जब मैं यह देखता हूं कि आज भी वहां के बाल्मीकि तालाब और गड्ढे का पानी पीते हैं और वहां हरिजन कल्याण विभाग के जो कर्मचारी हैं वह उनकी इस परेशानी की ओर ध्यान नहीं देते हैं।

जहां तक नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया और स्थानीय निकायों की बात है, मैं अपने कस्बे पिहानी में देखता हूं, वहां मैं घुरई बाल्मीकि के यहां ठहरता हूं, मैंने १५ साल पहले से चेयरमन को कितनी बार लिख कर दिया और यहां का कोई माननीय सदस्य जा कर देख ले कि कोई भी मेहतर तबके का आदमी जो मेरी तरह सफेद कपड़े पहनता है वह उसके घर का पानी इसलिये नहीं पी सकता क्योंकि वह बेचारा एक फर्लांग दूर से ऐसे कुयें से पानी लाता है जिसमें बरसात के मौसम में कूड़ा और सड़े पत्ते पड़े होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब सुबह कुल्ला करने के लिये मैंने पानी लिया तो उसमें कीड़े देखे। वैसे तो यह समाजवादी बजट है लेकिन पता नहीं कि फुसत नहीं मिली या जब इस बजट को बनाया गया तो इन लोगों का ख्याल नहीं आया, लेकिन मैं तो कहूंगा :—

तिनकहु मत निन्दिये जो पावन तर होय,
कबहूं उड़ आंखिन परे पीर घनेरी होय।

इस तरह से इस तबके की उपेक्षा हो जाती है और यह असंतोष बढ़ रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अपने भाषण में वह इस पर अवश्य प्रकाश डालें।

बजट में गन्दी बस्तियों का उल्लेख है कि ११ लाख ७५ हजार रुपया इन गन्दी बस्तियों के लिये देने का प्राविधान है। मैं ज्यादा न कह कर केवल हरदोई जिले का जिक्र करता हूं। आज भी वहां जितने मेहतरों के क्वार्टर हैं वहां पर कोई भी सदस्य एक मिनट खड़ा हो कर पानी नहीं पी सकता। सारे शहर का मैला, कूड़ा और गन्दगी वहां रहता है यहां ये वाल्मीकी रहते हैं। सन् ६६ में मेहतरों के काम और वेतन सुधार समिति के नाम से एक समिति का गठन हुआ था। उस समिति ने १९६८ में अपना प्रतिवेदन दिया था और सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर दिया था। लेकिन उक्त समिति की सिफारिशों पर आज भी अमल नहीं किया जाता है। अभी कल नगर महापालिका लखनऊ में छंगालाल प्रधान, सफाई मजदूर संघ और प्रधान मंत्री मोहन लाल अनशन कर रहे थे इन्हीं लोगों की मांगों को ले कर।

आज भी ऐसे मौके आते हैं कि इस समाज के कार्यकर्ता जो हैं उनको इनकी सुविधाओं के लिये भूख हड़ताल करनी पड़ती है। मैं श्रीमन्, यह जानना चाहता हूं कि आखिर इसका सुधार कब होगा। हमको मालूम है कि १५, २० साल पहले जो पकिस्तान से लोग यहां पर आये थे वह सुख चैन से रहते हैं लेकिन इस समाज के लोग आज तक भी बचैन हैं। आज भी वह परेशान हैं हर जगह जिले में इन लोगों को दबाया जाता है और डराया जाता है। इनके साथ छुआछूत का व्यवहार होता है। आज भी यह भंगी वर्ग सामाजिक और आर्थिक समस्याओं में परेशान हैं इनके साथ बुरा बरताव होता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इनके लिये एक आयोग गठित किया जाय जो इसकी जांच करे और सरकार के सामने वह अपना प्रतिवेदन रखे कि इनके लिये क्या सुविधा उपलब्ध हो सकती है जो कम से कम ५० साल में इस स्तर पर आ जायं जिस पर अन्य समाज के लोग आज आगे बढ़े हुये हैं और सुख-सुविधा प्राप्त कर रहे हैं।

मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं अन्त में मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करता हूं कि इस विषय पर वह जरूर प्रकाश

[श्री कन्हैया लाल बाल्मीकी]

डालें कि महात्मा गांधी प्रातःस्मरणीय बापू जी जो स्वप्न देखते थे कि इस तबके को ऊपर उठाया जायगा वह कब उठाया जायगा। उनकी आत्मा तभी सन्तुष्ट होगी जब इस तबके को विशेष ध्यान देकर उठाया जायगा वरना मैं जैसा कह चुका हूं कि जैसे महाभारत पांडव का पुनीत यज्ञ अपूर्ण ही रहा जब तक महर्षि बाल्मीकि ने भोजन नहीं किया। इसी तरह से राष्ट्र निर्माण का कार्य देश में और प्रदेश में अधूरा ही रहेगा, पूर्ण नहीं होगा जब तक कि इस गिरे हुये तबके को ऊपर नहीं उठाया जायगा और ध्यान नहीं दिया जायगा।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया क्योंकि मैं बहुत कम बोलता हूं। हमारे देश की गरीबी मिटाने और बेकारी दूर करने का नारा नई कांग्रेस ने दिया। इस नारे से जरूरी नारा तो भ्रष्टाचार को मिटाने का नारा होना चाहिये था। बिना भ्रष्टाचार को मिटाये गरीबी मिट नहीं सकती है मगर भ्रष्टाचार मिटाने का नारा नहीं दिया गया। बिना भ्रष्टाचार के मिटाये हुये कोई भी देश की समस्या हल नहीं हो सकती है। आज जो पसा योजनाओं पर दिया जाता है उसका २५, ४० और ५० फीसदी तक लोग भ्रष्टाचार में खर्च कर देते हैं। यह किस प्रकार से दूर किया जाय यह सोचने की आवश्यकता है।

कहा जाता है कि सामाजिक न्याय दिया जायगा। मगर सामाजिक अन्याय तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक कि हमारे देश में उस वर्ग के लोग जो देश में उत्पादन करते हैं, चाहे वे खेतों में काम करते हों और चाहे वह कारखाने में काम करते हों और चाहे उद्योग धन्धों में काम करते हो ऐसे लोगों को समाज में बराबर पर नहीं लाया जायगा तब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा और देश से गरीबी नहीं मिटेगी। गरीबी मिटाने के लिये हमारे देश में आवश्यकता इस बात की है कि खेतों पर काम करने वाले यदि खेतों पर ही रहेंगे तो गरीबी नहीं मिट सकती है क्योंकि खेत १, १ और २, २ और ३, ३ एकड़ के अलाभकर होते जायेंगे। इस तरह से गरीबी नहीं मिटेगी। खेतों से हटाकर छोटे उद्योग-धन्धों में या दूसरे कारोबार में जब तक उनको नहीं लगाया जायगा तब तक खेतों पर काम करने वालों की आमदनी नहीं बढ़ सकती है और दूसरे काम करनेवाले लोग भी आमदनी करेंगे तभी देश से गरीब मिटेगी। इसलिये आज देश की यही समस्या है सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिये गिरे हुये तबके को, पिछड़े हुये तबके को, जो हरिजन और पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको उठाने का प्रयास किया जाय।

मैं आपके सामने एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आज यदि सरकारी नौकरियों में देखा जाय तो इस बजट में जो उनके लिये धनराशि रखी गई है वह ६० फीसदी है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन-भत्तों पर खर्च होता है और ४० प्रतिशत निर्माण कार्यों पर खर्च होता है। यह वह आंकड़े बताते हैं। मैं कोई आंकड़े ऐसे नहीं दे रहा हूं अपनी तरफ से, यह आंकड़े सरकार से ही प्रश्नों के उत्तर में आये हैं।

सन् ५२ में श्री रामानन्द सिंह, एम०एल०सी० तथा सन् ६१ में श्री रामस्वरूप वर्मा, एम० एल० ए० द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उत्तर में प्रदेशीय सरकार की तरफ से दिये गये थे विधान सभा और विधान परिषद् में जो आंकड़े दिये गये थे उसके अनुसार सन् ४६ में हरिजन गजटेड अफसरों की संख्या १६ थी, पिछड़ी जातियों की ३४ थी, अग्रिणी जातियों की संख्या ३,२०१ थी, मुस्लिम, ईसाई और अंग्रेज आदि की संख्या १,९०१ थी, सन् ५५ में हरिजनों की संख्या ७० थी, अन्य पिछड़ी जातियों की संख्या २५ होगी, अग्रिणी जातियों की संख्या ४,५५५ होगी और मुस्लिम, ईसाई और अंग्रेज आदि की संख्या ६३० थी।

सन् ६० में हरिजन गजटेड अफसरों की संख्या १९४ हो गई, पिछड़ी जातिवालों की संख्या ६७ हो गई, अग्रिणी जाति के अफसरों की संख्या ८,५०० हो गई और मुस्लिम, ईसाई और अंग्रेज

आदि की संख्या ८५८ हो गई। जब कि हमारे प्रदेश में २० प्रतिशत हरिजन बसते हैं उनका प्रतिशत गजटेड अफसरों में केवल २ प्रतिशत ही है और अन्य पिछड़ी जातियों का जिनमें हिन्दू, मुसलमान दोनों शामिल हैं जिनके नाम सरकार की सूची में दर्ज हैं उनकी संख्या ५५ प्रतिशत है और ३० प्रतिशत अनुसूचित जाति की है। दोनों की संख्या तीन तिहाई है लेकिन उनमें पिछड़ी जातियों का एक प्रतिशत भी नहीं है। अग्रिणी जातियों की प्रदेश में केवल १५–२० प्रतिशत आबादी है लेकिन सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व ८८ प्रतिशत है। मुसलिम ईसाई और अंग्रेज आदि दस प्रतिशत के करीब हैं उनका प्रतिनिधित्व भी ९ प्रतिशत है। इससे सिद्ध होता है कि मेहनत करने वाले जो लोग हैं, जो हर तरह का उत्पादन करने वाले लोग हैं, जो सताये जाते हैं, जिन पर भ्रष्टाचार और अत्याचार होता है, जो अनुसूचित व पिछड़ी जाति के लोग हैं जो खेती और अन्य पेशे करने वाले हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व सबसे कम है और इसी कारण से उनकी सामाजिक उन्नति नहीं हो सकती और उनके लियें बजट में अलग से कोई प्राविधान नहीं किया गया है। उनकी बड़ी समस्या है और उनके साथ अन्याय है।

एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक कमीशन का निर्माण राष्ट्रपति जी ने किया था, उसने ५ साल तक दौरा करके सुझाव दिया और सन् ५३ में उन्होंने रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के पृष्ठ १४० पर उन्होंने नौकरियों में संरक्षण के विषय में सिफारिश की कि क्लास ए की सर्विसेज में पिछड़ी जातियां २५ प्रतिशत, क्लास बी० में ३३ १/३ प्रतिशत और क्लास ३ व ४ में ४० प्रतिशत संरक्षण दिया जाय। और उन्होंने अपने सुझाव में कहा था कि विज्ञान में, इन्जीनियरिंग में, मेडिकल में, एग्रीकल्चर में, पशुपालन में, टैक्नीकल विभागों में तथा अन्य टेक्नोलोजी संस्थानों में ७० प्रतिशत अनुसूचित और पिछड़ी जातियों का प्रवेश के लिये संरक्षण होना चाहिये। यह सिफारिश प्रथम भाग के पृष्ठ १२५ पर है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि मौजूदा बजट से सामाजिक न्याय नहीं हुआ है। आज समाज के इतने बड़े वर्ग के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। सभी नेताओं का कर्तव्य है कि इस पर विचार करें और गौर करें और इस समस्या को मिलकर सुलझाने के लिये प्रयास करें, तभी सामाजिक न्याय हो सकेगा। आज इन्हीं के साथ भ्रष्टाचार और अन्याय किया जाता है। इन्हीं के साथ आज पुलिस इन्सपेक्टर्स अत्याचार करते हैं। हर वर्ग का अगर पुलिस इन्सपेक्टर होगा तो यह अत्याचार बन्द हो जायेगा। क्योंकि अगर एक थाने पर इन लोगों के साथ अत्याचार होगा तो दूसरे थाने पर इस जाति का जो इन्सपेक्टर दूसरे थाने पर होगा वह वैसा ही व्यवहार उस जाति के साथ करेगा। नतीजा यह होगा कि दोनों में समझौता होगा कि न तुम अत्याचार हरिजनों और पिछड़ी जातियों पर करो, और न हम करेंगे ठाकुरों और दूसरी जातियों पर। इसलिये असमानता को दूर करने के लिये यह कदम सरकार को तुरन्त उठाना चाहिये। यदि जो लोग दबे हुये हैं उनको उठाना चाहते हैं, उनके अन्दर मनोबल लाना चाहते हैं, सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिये सामाजिक न्याय लाने के लिये गरीबी और भ्रष्टाचार मिटाने के लिये यह आवश्यक है कि हमारे देश में इस प्रकार की कोई व्यवस्था की जाय।

हमारी प्रदेशीय सरकार को अधिकार है कि संविधान के अनुच्छेद १६ की धारा (४) के अन्दर कि पिछड़े वर्ग का यदि सही प्रतिनिधित्व न हो रहा हो तो सरकारी नौकरियों में उसे सही प्रतिनिधित्व के लिये संरक्षण दे। मैं तो चाहूंगा कि चौथी श्रेणी की नौकरियों में अनुसूचित जाति को १८ प्रतिशत के स्थान पर ६० फीसदी संरक्षण कर दे जब तक इनकी जगहों में १८ प्रतिशत पूरी नहीं होती है। इस श्रेणी के कर्मचारियों में कोई योग्यता का सवाल भी नहीं है। आप प्रथम श्रेणी के लिये तो कह सकते हैं कि योग्यता की आवश्यकता है लेकिन इसके लिये किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। दूसरी सर्विसेज के लिये भी मेरा निवेदन है आप कोचिंग क्लासेज खोल कर इस वर्ग के लोगों को तैयार करें ताकि वे भी कम्पटीशन में आ सकें।

[श्री राम वचन यादव]

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार को समाजवादी समाज लाना है, अनुसूचित और पिछड़े वर्ग के साथ न्याय करना है, तो इस समस्या पर विचार करें और माननीय वित्त मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी अपने इन आंकड़ों को देखें और फैसला करें कि क्या परिस्थिति है। मैं यह भी चाहूंगा कि प्रस्तुत बजट के संबंध में मैंने जो सुझाव दिये हैं, उनके बारे में सदन में जवाब दें। मैं इन शब्दों के साथ बजट का विरोध करता हूं।

श्री मदन मोहन मिश्रा (जिला रायबरेली)—

जब माननीय चरण सिंह जी मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने कितना रिजर्वेशन किया था ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे १९७१–७२ के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान और विशेषकर माननीय मुख्य मंत्री जी तथा अन्य मंत्री गणों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भ्रष्टाचार का प्रश्न आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और ठेकेदारी करने वाले ठेकेदार एक किस्म के जमींदार हैं जो लोगों में भ्रष्टाचार फैलाते हैं। जमींदार लोग तो रियाया से सम्बन्ध रखते थे लेकिन ये लोग तो वे सम्बन्ध भी नहीं रखते हैं। ठेकेदार स्वयं भ्रष्ट हैं और वे नौकरशाही को भी भ्रष्ट करते हैं और नेताओं को भी भ्रष्ट करते हैं। इसलिये इस ठेकेदारी की प्रथा को समाप्त करने से भ्रष्टाचार बहुत हद तक समाप्त हो जायगा।

मैं एक चीज की ओर आपका और ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस प्रदेश में ४१५ डिप्टी कलैक्टर्स हैं। इनमें २०० के करीब जो डिप्टी कलेक्टर्स हैं वे कन्फर्म तहसीलदार भी नहीं हैं। वे केवल नायब तहसीलदारी पर कन्फर्म्ड हैं और दो सौ की तादाद है उनकी। वे इस डिप्टी कलेक्टर के पद पर दस-दस और ग्यारह-ग्यारह वर्षों से काम कर रहे हैं। मैं इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस स्थिति को आप दूर करें क्योंकि भ्रष्टाचार फैलाने में और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहता है। आप बहुत कुछ इनको हटाकर भ्रष्टाचार पर काबू पा सकते हैं। एक चीज तो यह है।

दूसरी चीज की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं और वह यह है कि इन्जीनियरिंग सर्विसेज में, पी० डब्ल्यू० डी० और इरीगेशन व पावर इनमें अलग-अलग रुल्स आफ सर्विसेज हैं जो कि एक होने चाहियें। एक ही जगह, एक ही किस्म की ट्रेनिंग और डिग्री भी एक ही है किन्तु विषय केवल बदल जाते हैं। रूल्स में यूनिफार्मिटी होनी चाहिये। इसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान इन्डस्ट्रीज की ओर दिलाना चाहता हूं। अगर उत्तर प्रदेश को विकसित करना है, उत्तर प्रदेश को ऊपर उठाना है, आर्थिक स्थिति में तो आपको इन्डस्ट्रीज की ओर ध्यान देना चाहिये। आज एक किस्म के लोग इसमें मानोपाली किये हुये हैं। उनको आपको रोककर और लोगों को कोआपरेटिव सैक्टर में लिमिटेड कम्पनीज बना कर प्रोत्साहित करना चाहिये ताकि औद्योगीकरण में वे सहयोगी सिद्ध हों। इससे पहले मैंने कहा था और अब भी कहता हूं कि कलकत्ता और बंगाल की हालत ठीक नहीं है। वहां का बिजिनेसमैन, उद्योगपति वहां से भाग रहा है। अपनी मशीन्स को, अपनी इन्डस्ट्रीज को, अपने कैपिटल इन्वैस्टमैन्टस को वह वहां से हटाकर और दूसरा स्थान उनके लिये ढूंढ़ रहा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी तरफ से उनको आकर्षक शर्तें दी जायं। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूं कि उनको न केवल गाजियाबाद, बनारस, मेरठ, आगरा आदि स्थानों तक ही सीमित रखें बल्कि केन्द्रीय क्षेत्र यू०पी० विधान भवन जिसमें बना हुआ है और निरन्तर जहां २४ वर्षों से उपेक्षा होती रही है, लखनऊ, फैजाबाद डिवीजन यानी अवध का यह इलाका हमेशा उपेक्षित रहा है।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन करता हूं कि इसकी उपेक्षा दूर करें, इसको नेगलेक्ट किया गया है इस पर विचार करें और इसके विकास करने के लिये समुचित अवसर प्रदान करें। मुख्य मंत्री जी जैसा कि मैं देख रहा हूं बहुत उदार हैं, विद्वान हैं, मननशील हैं और चिन्ताशील हैं। क्या उनकी चिन्ता इस मध्यवर्ती क्षेत्र की ओर नहीं आयेगी ? मुझे विश्वास है कि वे मध्यवर्ती क्षेत्र यानी अवध, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर, फैजाबाद, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर आदि का जो बेल्ट है उपेक्षित जिलों का इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये यह प्रार्थना करता हूं कि इस उपेक्षित इलाके की ओर आप ध्यान दें क्योंकि हम अब काफी परेशान हो चुके हैं। गरीब यहां के कराह रहे हैं क्योंकि इस क्षेत्र की बराबर उपेक्षा होती रही है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस उपेक्षा को २४ साल के बाद खतम करने का श्रेय आप अर्जित करें। मुझे विश्वास है कि आप और मुख्य मंत्रियों की तरह सुन कर केवल एक कान से दूसरे कान से निकालेंगे नहीं।

मैं दो-चार शब्दों में अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। अवध के इलाके में रहने वाले एम० एल० एज० से भी प्रार्थना करता हूं कि सोना बन्द करो, पूरब और पश्चिम का हौवा यहां चल रहा है, पश्चिम तो पहले से ही बना हुआ था, अब पूरब वाले भी जो चाहते हैं, मनवा लेते हैं और यह मध्यवर्ती क्षेत्र बराबर उपेक्षित ही रहा। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मध्यवर्ती क्षेत्र के विधायकों से निवेदन करना चाहता हूं और उनका आह्वान करता हूं कि उठो और अपना बिगुल बजाओ वरना पिछड़े रह जाओगे। अगर आप पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं तो लड़ाई उसके लिये लड़नी होगी, संविधान के अन्तर्गत नैतिकता की लड़ाई लड़नी होगी और उसके लिये तमाम जद्दोजहद करना पड़ेगा तब जाकर इधर सरकार का ध्यान जायेगा।

अब मैं आपका ध्यान दैवी आपदाओं की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। गांव के गांव जल जाते हैं। अगर किसी गांव में सौ घर हुए और २५-३० घर जल गये तो जिनके घर जल जाते हैं उनको आकस्मिक सहायता तुरन्त ही नहीं दी जाती है। पहले वह कागज और फाइल में चलती है तब जाकर मौके पर कोई जिला परिषद् का एक्जीक्यूटिव आफिसर, तहसीलदार, पटवारी या लेखपाल महोदय वहां जाते हैं। जरूरत उसको गल्ले की आज है, जरूरत उसको कपड़े की आज है लेकिन वह उसको दिया जाता है १५ दिन बाद या महीने भर बाद। इस बजट पुस्तिका में दैवी आपदाओं के लिये जो निधि का प्राविधान किया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन आपसे प्रार्थना करता हूं कि उसे और अधिक सिम्पलीफाई किया जाय।

रायबरेली जिले में जहां का मैं रहने वाला हूं वहां के लिए आप देखें कि इस बजट में एक भी सड़क नहीं रखी गयी है। इस तरह ध्यान आकृष्ट करते हुए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जगतपुर-डलमऊ, सलोन, रायबरेली, मोहनगंज वाया सिधौना, अमावां, रायबरेली-रुस्तमपुर वाया मीरगंज और भटपुरवा, रायबरेली-परशदेदुर, रायबरेली-उमरा, कुचरिया–उतरपारा-बेबा गुसीसी-बेला टिकई-गदागंज, ये सब महत्व की सड़कें हैं जिनका बनाना बहुत आवश्यक है। वहां पर मीन्स आफ कम्युनिकेशन न होने से जनता को बड़ी परेशानी होती है।

इसके साथ-साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। आपने इस बजट में ५० स्पेशल ग्रेड के आफिसर रखे जाने का प्राविधान किया है जिनका ग्रेड १,३००-१,६०० रखा गया है जो पहले ७५०-१,४०० रुपये तक था। मेरी आपसे प्रार्थना है यह जो आपने स्पेशल ग्रेड आफिसरों का रखा है इसको बन्द कीजिये। गरीबों और छोटे कर्मचारियों की तरफ ध्यान दीजिये क्योंकि इन आफिसरों की फौज ने यू० पी० को तबाह कर रखा है, इसमें आप और अब इजाफा न करें। इसी तरह से जुडिशियल आफिसर २५३ हैं जिनका ग्रेड ४५०-१,४०० रु० किया जा रहा है तथा एडिशनल कमिश्नर के नाम पर ४६ पद और बढ़ाये जा रहे हैं। इसको आप बन्द करें, इसको आप खतम करें। इसी तरह से सेल्स टैक्स आफिसरों का ग्रेड बढ़ाया

[श्री मदन मोहन मिश्रा]

गया है । सहायक सचिव, अनुसचिव, निजी सचिवों का जो पहले ९५० रु० तक था अब १,१५० रुपये तक किया जा रहा है, यह क्यों ? इन शब्दों के साथ मैं श्री नारायणदत्त तिवारी का जो उन्होंने मानवता का दृष्टिकोण भी कई मामलों में जैसे विधवाओं की सहायता आदि का बजट में समावेश करके किया है उनकी प्रशंसा करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले आपको बधाई देना चाहता हूं....।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

श्रीमन्, साढ़े चार बज गया है अब.....(व्यवधान)

एक सदस्य---

श्रीमन्, हम लोगों को तो मौका ही नहीं मिला ।

श्री उपाध्यक्ष---

आपके दल के नेता ने यह स्वयं स्वीकार किया था कि और कोई नहीं बोलेगा । उसके बाद मैंने चार को बुला दिया । अब श्री फिरंगी प्रसाद, और एक कांग्रेस (संगठन) से और श्री जायसवाल जी बोलेंगे ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

मान्यवर, आज कई दिनों के प्रयास के बाद आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है । श्रीमन्, २८ मई के पूर्व जब केन्द्र का बजट प्रस्तुत नहीं हुआ था, देश की जनता इस सत्तारूढ़ कांग्रेस की ओर अपनी निगाह लगाये हुए थी लेकिन उसकी यह आशायें वहां से धूमिल हो गयीं । उसके बाद हमारे वित्त मंत्री श्री नारायणदत्त तिवारी जी ने यहां बजट प्रस्तुत करके समाजवाद का खोखलापन जाहिर कर दिया है । इस पूरे बजट भाषण से यही मालूम होता है कि वह केवल शब्दों का जाल सा है । उन्होंने हर विषय को तो छुआ है लेकिन उसकी परिधि के बाहर ही से चले आये हैं । उसकी परिधि में उन्होंने घुसकर नहीं देखा है कि वास्तविक रूप से जनता क्या चाहती है और प्रदेश में आज तक बनने वाली कांग्रेस की सरकारों ने, जिनको अधिक अवसर मिला, क्या किया । इसका उन्हें पूरा-पूरा अनुभव था । उन्होंने प्रदेश की जनता पर ४८ करोड़ ५० लाख का घाटा लाद दिया । मान्यवर, उनका भाषण किसी और ही दिशा का सूचक है । मुझे तो यह पूर्ण रूप से दिशाहीन का प्रतीक सा मालूम पड़ता है ।

मान्यवर, यह प्रत्यक्ष रूप से कर लगाने में हिचकिचाहट जाहिर करते हैं । लेकिन जहां तक मैं समझता हूं या तो यह केन्द्र से कर्जा लेना चाहते हैं या विश्व बैंक से कर्जा लेकर जनता को भुलावे में डालना चाहते हैं । आप कर्जा कहां तक लेते जायेंगे ? कर्जे में प्रदेश की जनता डूबती जा रही है, लेकिन आपकी आंखें उधर से दूसरी ओर नहीं जाती हैं । मान्यवर, प्रदेश पर केन्द्र का इस समय ६८६ करोड़ रुपया कर्ज है । मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि कोई भी जनप्रिय सरकार आती है तो कर लगाती है और प्रदेश की जनता उस कर से ऊबती नहीं है । लेकिन जब सरकार की ओर से उस कर के पैसे का सदुपयोग हो तब ही सरकार बधाई की पात्र होती है । मान्यवर, यहां जितना पैसा आता जाता है उससे योजनायें हमारी बनती हैं और बिगड़ती चली जाती हैं और उससे कोई लाभ नहीं होता है । बल्कि होता क्या है ? उस कर का अधिकांश पैसा भ्रष्टाचार में चला जाता है ।

मान्यवर, हमारा उत्तर प्रदेश पिछड़ता जा रहा है । मैं इस संबंध में आपके सामने प्रति व्यक्ति आमदनी के कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं । इसमें पहला है–परसेंट पर ऐनम रेट आफ दि ग्रोथ इन दि टोटल इन्कम । और दूसरा है–पर कैपिटा इन्कम । इसके आंकड़े इस प्रकार हैं–आंध्र प्रदेश में ३.५ और १.५, आसाम में ४.२ और १.४, हरियाना में ५.० और २.०, मध्य प्रदेश में २.७ और ०.२, महाराष्ट्र में २.८ और ०.२, राजस्थान का ४.३ और इधर का १.९ है, तमिल नाडू का ३.४ है और इधर का १.७ है जबकि उत्तर प्रदेश का २.२ है और इधर का ०.०१ है । इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों के मुकाबले में काफी पिछड़ा है । मान्यवर, सन् १९५१ में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आमदनी २५९ रुपये थी जबकि भारतवर्ष की आमदनी २४७ रु० थी । १० वर्ष बाद स्थिति क्या हो जाती है ? हमारे प्रदेश की आमदनी घट कर २५४ रु० हो जाती है और भारतवर्ष की ३३५ रु० हो जाती है । मान्यवर, इतना ही नहीं है, हमारी योजनायें सुधार के लिये बनती हैं और बिगड़ती चली जा रही हैं । योजनाओं को पढ़कर हमने अनुभव किया है कि प्रथम दो-तीन योजनाओं में जितना समय दिया गया वह सब व्यर्थ सा गया ।

इसी संदर्भ में अब मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। जब मैं प्राइमरी कक्षा में पढ़ता था तब हमारे मुख्य मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी, सिंचाई मंत्री थे और वे राप्ती-गोर्रा बाढ़-पीड़ित सम्मेलन में गये थे । उस समय आपने कहा था कि वहां पर तट बंध बनेंगे और तट बंध बनाने की योजना के लिये कहा था लेकिन वह योजना अब तक नहीं बनी है । टेस्ट वर्क से बंधा बांध भी साफ सा हो गया है । मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं बल्कि आप मेरी बात तुलनात्मक ढंग से सोचें और विचार करें ।

अब मैं अपने क्षेत्र के पूरब और पश्चिम के विषय में कुछ कहना चाहता हूं । जहां तक मैं समझता हूं कौड़ीराम क्षेत्र में त्रिपाठी जी के कोई रिश्तेदार हैं । अपने रिश्तेदार के गांव को बचाने के लिए और दूसरे छोटे-छोटे गांवों को बचाने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा बांध बनवा दिया गया है । पूरब में डाक्टर साहब श्री सीताराम का क्षेत्र पड़ता है जहां पर कि विशाल बांध और सड़कें बन गई हैं । झंगडा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है । वहां पर न तो किसी बांध का निर्माण हुआ है और न सड़कें ही बनी हैं । तो इस सरकार ने वहां पर सौतेलेपन का व्यवहार किया है ।

इसके साथ ही साथ अब मैं आपका ध्यान मोतीराम अड्डे से झंगडा-बरही होते हुए बोहबार तक की सड़क की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । यह सड़क आर० एम० पी० योजना के अन्तर्गत बन रही है। हमारी आपसे यह प्रार्थना है कि इसको आप पी०डब्लू०डी० को दिलवा दें और उनके द्वारा बनवा दें। यह बड़ी ही महत्वपूर्ण सड़क है। कासीहार से मलांव होते हुए चन्दाघाट तक की सड़क को इस बजट में ले लिया गया है। चाहे कोई भी सरकार हो, उसको न्याय अवश्य करना चाहिए। मैं यह भी कहता हूं कि हरिजनों पर अत्याचार होता है। वे अपनी बातें भी नहीं कह पाते हैं ।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, २ मिनट और चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष––

अच्छा थोड़ा कह दो ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद––

मान्यवर, अब मैं आपका ध्यान प्रशासन की ओर ले जाना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में झंगहा के थाने के सहायक दरोगा को भ्रष्टाचार के मामले में निलम्बित कर दिया गया था, मगर

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद]

उस समय के बड़े दरोगा तभी से हमारे क्षेत्र में पड़े हुए हैं। मेरी किसी से रंजिश नहीं है। मेरे गांव के एक प्रतिद्वन्द्वी को उसने मेरे खिलाफ उकसाया और झगड़ा उभाड़ा। जब मैं अपने खेत पर जा रहा था तो उसके पूर्व वहां के दरोगा ने उस आदमी को सुझाया था और मेरे खिलाफ उकसाया था कि जहां-कहीं भी मैं जाऊं मेरा पीछा किया जाये और मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया भी गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसको सदन का अपमान समझता हूं कि जन नेताओं क साथ इस प्रकार का अभद्र व्यवहार हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस संबंध में मैं सभी संबंधित मंत्रियों से निवेदन कर चुका हूं कि इस विषय में न्याय किया जाये।

(इस समय ४ बज कर ४० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मैं किस परिस्थिति में हूं वह मैं आपको दिखाता हूं। मेरे प्रतिद्वन्द्वी द्वारा मेरे साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार हुआ है जो थानेदार द्वारा कराया गया है। ऐसे प्रशासन को लानत है और हर तरह से लानत है।

श्री अध्यक्ष---

आपका टाइम हो गया। (इशारा करते हुये) अब आप बोलिये।

श्री धर्मवीर---

नियम ५१ के अन्तर्गत जो वक्तव्य होने वाले हैं वह पहले हो जायं?

श्री अध्यक्ष---

अभी नहीं होंगे, अभी तो बोल रहे हैं।

श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी (जिला कानपुर)---

मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया।

श्री धर्मवीर---

मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन मन्त्रियों के वक्तव्य होने वाले हैं...

श्री अध्यक्ष---

वह बोल रहे हैं। जो नियम ५१ में वक्तव्य हैं वह दूसरे रोज लिये जायेंगे।

श्री धर्मवीर---

जिन पर वक्तव्य देने को कहा गया है क्या वह आज नहीं होंगे?

श्री अध्यक्ष---

जी नहीं, किसी दूसरे दिन रक्खे जायेंगे।

श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी---

मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

जो एजन्डा में नियम ५१ के वक्तव्य हैं वह हो जायं तब बजट होगा।

श्री अध्यक्ष---

आज जो वक्तव्य होना है वह किसी दूसरे दिन होंगे क्योंकि ६ बजे तक यही होगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

आज जो नोटिस दिये हैं उन पर निर्णय कब देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आखिर में दे देंगे ।

*कुंवर चन्द्र प्रताप नारायन सिंह (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष जी, मैं इस बजट का स्वागत करता हूं। इस समाजवादी युग में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर समाजवाद के भाषण जरूर होते हैं लेकिन गरीबों के लिये कुछ भी आज तक नहीं कहा गया है। देवरिया जिले के लिये एक पटेल आयोग बनाया गया था। कहा गया था कि वहां उद्योग स्थापित होंगे। उसमें मैं भी था। मैंने पूछा तो डायरेक्टर ने जवाब दिया कि जब गंडक योजना पूरी हो जावेगी तो वहां छोटे पैमाने पर इन्डस्ट्रीज लगाई जावेंगी। बजट में पिछड़े जिलों के सम्बन्ध में जिक्र है लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं किया गया है।

आपके सामने छितौनी बांध का सवाल ह लेकिन उसके बारे में इस बजट में कुछ भी नहीं है। मुख्य मंत्री जी न ५० करोड़ रुपया मांगा है इन्दिरा गांधी से लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कितने करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार का उसी बंधे में बह गया। वहां जो लोग बह गये उनके लिए क्या इंसानियत के नाम पर आपके दिल में कोई दर्द नहीं होता। किसी के घर में एक लड़का मर जाता है तो कितना अफशोस होता है। लेकिन वहां इतने आदमी बह गये, पशु बह गये और वहां १०० रु० फी आदमी बांटा जा रहा है। आप इस तरह से वहां की गरीबी दूर नहीं कर सकते।

समाजवाद का नारा लगाया जाता है। समाजवादी बनना है तो सीलिंग ले आवें और वह सीलिंग लावें इंकम पर। शहरों में करोड़पति बसते हैं और ऐसे लोग बसते हैं जो लाखों रुपया बस परमिट लेकर कमा रहे हैं। अगर इस सरकार को गरीबी मिटानी है तो आमदनी पर सीलिंग लावें कि इससे अधिक कोई नहीं पायेगा। शहरों में पांच लाख की सीलिंग की बात कही जाती है। शहरों पर पांच लाख पर ही क्यों होगी ? किसान के पास गांव में १५ एकड़ जमीन है। उसका क्या मूल्य है। ५० हजार रुपया। शहर में पांच लाख की सम्पत्ति हो और वहां पचास हजार की। शहर में एक-एक डाक्टर दस दस हजार रुपया महीना कमाता है। अगर समाजवाद लाना है तो आप यहां और वहां दोनों को एक समान देखें। किसी को कम या अधिक देना हमारे हाथ में नहीं है लेकिन अगला युग ऐसा आयेगा कि वह जबरदस्ती इन बड़े लोगों से छीनकर ले लेगा। हमें उस चीज को बचाना है। इसलिए आप सभी ओर देख कर कोई चीज करें। आप केवल भाषण ही न दें कि फलां जिले को उद्योग देंगे।

आपने कौन सा उद्योग दिया देवरिया जिले को। आजादी के बाद से हमारे जिले में कोई काम नहीं हुआ। वहां बाढ़ आती है तो सरकार के निकम्मेपन से। वहां जिस समय बाढ़ आई तो वहां के सरकारी अफसर घूम रहे थे। वहां की जांच का काम दिया गया है ओ० डी० शर्मा को जो कि चीफ इंजीनियर थे। क्या वह जांच कर सकेंगे ? इसी के साथ मैं कहूंगा कि अगर आपने बंधे को बनाने का काम दिया सिंचाई विभाग को तो जो ५० करोड़ प्रधान मंत्री ने आपको दिया है वह भी बह जायेगा। मैं यहां अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि बन कर आया हूं। मुझे साढ़े ४०० की जरूरत नहीं और न ही २५ रु० की जरूरत है अगर मैं अपने क्षेत्र की बात यहां न रख सकूं। लेकिन जो बातें रखी जाती हैं उनको सुना जाय। होता यह ह कि मंत्री महोदय कोई हवाई जहाज से तो कोई हेलीकाप्टर से जाते हैं। समाजवाद लाना है तो थर्ड क्लास में चलें और गांधी जी का भी यही कहना था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर चन्द्र प्रताप नारायन सिंह]

कल कहा गया कि सरकारी कर्मचारी हवाई जहाज से गये और चार हजार खर्च हुआ। मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करूंगा कि अगर वाकई समाजवाद लाना है तो उच्च अधिकारियों को आदेश दें कि हवाई जहाज से कोई भी नहीं जायेगा। जिसको जाना हो अपनी जेब से खर्च करके जाय। आज विधायक या मंत्री की दिल्ली में जरूरत है तो सवा छः बजे वाला हवाई जहाज पकड़ेंगे। क्यों नहीं गाड़ी से जाते जो सुबह पहुंच जाती है। हवाई जहाज से जाने की जरूरत नहीं। मंत्री लोग पहले अपने को देखें और तब गरीब जनता की बात करें।

एक बात चीनी उद्योग के बारे में कहनी है। मेरे यहां चीनी की मिलें सबसे ज्यादा हैं। १४ मिलें हैं। कहीं भी इतनी नहीं हैं। वहां किसान के लिए आपने क्या किया? साल-साल दो-दो साल तक किसानों को पर्ची का पैसा नहीं मिल रहा है। १०० रु० की पर्ची ५० रुपये में लोगों ने बेची है। अगर आपको वाकई किसानों के लिए कुछ करना है तो उसके लिए अगर जरूरत समझें तो यू० पी० शुगर रेगुलेशन, सप्लाई ऐण्ड परचेज ऐक्ट में तब्दीली कर दें। आज यह है कि जो इंटेरेस्ट मिलेगा वह कुछ लोग, डायरेक्टर केन विभाग के खा जायेंगे। अगर वाकई में किसान को फायदा पहुंचाना है तो यह होना चाहिए कि अगर मिल १५ दिन के अन्दर पैसा नहीं देती तो उसका सूद किसान को मिलेगा जो अपने खून से पैदा किया हुआ गन्ना मिल में ले जाता है।

इस ऐक्ट के अनुसार किसी को फायदा नहीं हुआ है। दो-दो साल के बाद पेमेंट होता है और मिल वाले सूद किसको देते हैं? वे सूद नेतागणों को देते हैं जो उसके डायरेक्टर बने हुए हैं। कुछ नेताओं की आमदनी के लिये हम उनको बनाये रखना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि वह सूद सब किसान को मिलना चाहिये। आज ५–५ साल से गन्ने के दाम किसान को नहीं मिले हैं। अगर सरकार वाकई में किसान का फायदा चाहती है तो सूद का पैसा किसान को दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, ऐक्ट के अनुसार अकुपायर जो होगा वही जेल में बन्द किया जा सकता है। यह चीज गलत है। आपको ऐक्ट में संशोधन करना चाहिये। जब मालिक को बन्द करेंगे तभी एक-एक पैसे का भुगतान होगा। मैनेजर को बन्द करने से कोई लाभ नहीं होगा, न ही भुगतान होगा। चूंकि समय कम है, मैंने जो कुछ कहा है उसका एक चौथाई भी अगर सरकार कर दे तो बहुत कुछ लाभ हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—

अब जायसवाल जी बोलेंगे, १५ मिनट, फिर उसके बाद माननीय वित्त मंत्री।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन् यहां ४० मिनट तक दिये हैं, मैं आपकी कुर्सी की बड़ी इज्जत करता हूं, यह समय तो बहुत कम है...

श्री अध्यक्ष—

तो न बोलिये। मगर १५ मिनट का ही समय मिलेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मुझे बोलना है श्रीमन्, समय और दे दें।

अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है और जो उनका भाषण है, उसको अगर वे गौर से देखें तो वे यह स्वीकार करेंगे और शायद उन्होंने उसको अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकारा भी है कि माननीय त्रिभुवन नारायण सिंह जी की सरकार न जन कल्याण के काम

और योजनाओं के सम्बन्ध में जहां पर प्रदेश को छोड़ा था व उसी जगह पर आज भी हैं और उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। अगर आपको सबूत की जरूरत हो तो इस सदन में गवनेर महोदय का अभिभाषण को जो २२ मार्च, १९७१ को हुआ है और सूचना विभाग की जनसाधारण की खुशहाली के लिये सरकार के प्रमुख कार्य शीर्षक वाली बुलेटिन को देख लें।

इस दस्तावेजी सबूत को वित्त मंत्री जी भी श्रीमन्, देखने की कृपा करें। इससे पता चलेगा कि उनके कार्य-काल में लेश मात्र भी प्रगति नहीं हुई है। जिन योजनाओं को जहां छोड़ा गया था, वे वहीं पर आज भी ह। इससे भी आगे चल कर आप देखें कि कुछ चालाकी से सप्रेशन आफ फैक्ट्स के जरिये से माननीय तिवारी जी यह बताने की कोशिश की है कि हमारे प्रदेश ने तरक्की की है। मान्यवर, अगर थोड़ा सा भी विचार किया जाय, तो इसमें कोई संशय नहीं रह जाता कि प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू होने के पहले इस प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय २६० रुपये थी और यह भी सन् १९४७ के मूल्यों के आधार पर और उसके बाद जब दो पंचवर्षीय योजनायें पूरी हो गयीं, अर्थात् १९६०–६१ में, यह प्रति व्यक्ति आय घट कर २४६ रुपये रह गयी। तो कहां २६०, कहां २४६ रुपया और यह दस वर्षों की योजनाओं के बाद हुआ है।

उसके बाद अभी उसी ६०–६१ के मूल्यों के आधार पर पिछले साल बताते हैं कि प्रति व्यक्ति औसत आय २५३ रुपया हो गई और इस साल की २५९ रुपया बता रहे ह। तो अगर इसको देखा जाए तो जहां हम आज से लगभग १७–१८ वष पहल थे, वहीं पर आज भी हैं और इस हालत में यदि आपने ध्यान नहीं दिया, तो जो बजट पेश करते हैं और जो भाषण होते हैं उसके बावजूद हम पीछे हटते चले जाते हैं और पीछे बराबर हट रहे हैं। सन् ५५–५६ के नेशनल कौंसिल आफ अप्लाईड साईंस ऐण्ड रिसर्च के एक अध्ययन के अनुसार देश के पिछड़े ५८ जिलों में से उत्तर प्रदेश में २२ जिले थे। किन्तु अब वह २२ की संख्या बढ़कर ३६ तक पहुंच गई है और इसे सरकार ने भी स्वीकार किया है।

जैसा कि अभी उधर से मिश्रा जी ने कहा है अवध के इलाकों पर भी आपने कोई ध्यान नहीं दिया है। अवध का इलाका शिक्षा, सड़कों आदि के मामले में बहुत पिछड़ता जा रहा है और इसी तरह से पूरा प्रदेश भी अब पिछड़ जाएगा। पूरे देश के पैमाने पर यदि आप देखें तो जब पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुईं देश की औसत आमदनी २४७ रुपया थी। जो कि ६७–६८ के साल में बढ़कर ३१२ रुपया हो गई है। तो इस तरह से आप और आपका प्रदेश बराबर पिछड़ता जा रहा है। उसका कारण यह है कि हमारे प्रदेश की एक विशेष स्थिति है। यहां की ७५ प्रतिशत आबादी खेती के पेशे में लगी हुई है। इस बजट में भी ३ हेक्टर तक के छोटे किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया है। जहां तक आपकी सिंचाई योजनाओं का सवाल है १९४८ में मान्यवर, १७४ हेक्टर खेती लायक जमीन थी, उसमें १९५०–५१ में ४८ लाख हेक्टर में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थीं। अब सन् ७१ में २० साल के बाद यह सिंचाई ६२ लाख हेक्टर तक बढ़ कर पहुंच गई है। इस रफ्तार से देखा जाए तो इस प्रदेश की पूरी आबपाशी मिलने में डेढ़-दो सौ वर्ष लग जाएंगे। मैं माने लेता हूं कि अब बिजली आदि के कुछ साधन बढ़ गये हैं, किन्तु फिर भी कम से कम १०० वर्ष तो इस काम में अवश्य ही लग जाएंगे।

कभी-कभी जो घटनाएं होती हैं, उनकी तरफ आप पूरा ध्यान नहीं देते हैं। इस बार असामयिक वर्षा से जो आपत्ति आई, एक दैवी प्रकोप हुआ, वह नया नहीं है, पिछले बर्ष भी यह विपदा आई थी। किन्तु आपने उससे कोई सबक नहीं लिया। इस बजट में उस विपदा के निराकरण के लिए कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। सरकार खलिहानों के लिए छाया का इन्तजाम करती, ऐसे यंत्रों की व्यवस्था करती, जिससे किसान अपने अनाज को जल्दी मांडकर सुखा कर अपने घर में ला सकते, छोटे किसानों की फसल को इंश्योर करने की कोई व्यवस्था करती, तो समझ में आता कि आपने पूर्व के अनुभवों से लाभ उठाया है। इसका नतीजा यह होगा कि आपकी खेती बढ़ेगी नहीं। जैसा श्री भानु प्रताप सिंह ने कहा अच्छा बीज किसानों को मिल

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

रहा था और उसके कारण फसल बढ़ी थी, किन्तु उसमें भी अब हम पीछे की तरफ जा रहे ह, अब उनसे उतनी अच्छी फसल नहीं मिल रही है। पूरे देश की जो हमारी राष्ट्रीय आय है उसका २० प्रतिशत अंश उद्योगों से होने वाली आमदनी का है। हमारे सूबे में केवल १२ प्रतिशत है। मान्यवर, यह आंकड़े इस तथ्य के द्योतक है कि आपका सूबा देश के मुकाबले में पीछे की तरफ जा रहा है। जिस तरह से आपकी औद्योगिक प्रगति हुई है उसमें भी आप देखें दस साल में खाली दो प्रतिशत वृद्धि हुई है। १९६०-६१ से जहां पर १० दशमलव कुछ आमदनी का रेश्यों था, उद्योग और दूसरी आमदनियों का वहां पर बढ़ कर करीब १२ प्रतिशत पहुंचा है। इतने दिनों में खाली दो प्रतिशत वृद्धि हुई है।

वर्तमान योजना के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में या केन्द्र की सहायता से आप खर्च करने जा रहे हैं ६९ करोड़ रुपया और निजी क्षेत्र में २९ करोड़ रुपया। इस प्रदेश की विशालता को देखते हुए, गरीबी को देखते हुए, यह योजना बिलकुल नाकाफी है। इसलिए समय रहते हुए उसकी तरफ ध्यान दिया जाय।

पिछड़े इलाकों की तरफ भी देखें। बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है और कहा जा रहा है कि बड़ी प्रगति की तरफ हम जा रहे हैं। तीन इलाके, पहाड़ी, पूर्वी और बुन्देलखंड के इलाकों के लिए तीन निगम बना दिये गये हैं। लेकिन योजना पर गौर करें। चौथी पंचवर्षीय योजना में ९६५ करोड़ रुपये की है। उसमें ३३८ करोड़ पिछड़े इलाकों के लिये है यानी कुल योजना का १/३ जब कि जिले हैं २७ यानी ५४ जिलों के आधे। तीनों पिछड़े इलाकों के २७ जिलों पर खर्चा होगा कुल योजना का १/३। इसको कोई प्रगति मानता है तो उसका इलाज क्या है। या तो पंडित जी बनारस ले जायं या विभव जी आगरा ले जायं और कोई उपाय उसका है नहीं। फिर यह निगम तो बन गये थे पिछले मुख्य मंत्री या संविद के कार्यकाल में उसमें आधराइज्ड कैपिटल है दो-दो करोड़ रुपये का। ६ करोड़ में वहां क्या प्रगति करेंगे? इस पर आप अच्छी तरह से ध्यान दीजियेगा (व्यवधान) बिल्डिंग बन जायंगी या कुछ लोगों को नौकरी मिल जायगी। इसके अलावा प्रगति शायद ही हो पाये।

इस बजट की एक विशेषता और है। अपनी जिम्मेदारी से इस तरह से भागे हैं जैसे कहावत मशहूर है दुम दबा कर भाग जाता है उस तरह का हाल है प्रदेश के सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी, सारी मशीनरी वित्त मंत्री के हाथ में है। लेकिन वहां की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए उनको एक भी सुझाव हो तो बता दें। राजकीय करों की पुरानी दर है, कोई परिवर्तन नहीं, नये साधन बढ़ाने का कोई सुझाव नहीं है इसका मतलब यह है कि निकट भविष्य में चुनाव करवाने जा रहे हैं बजट यह बिलकुल साफ बोलता है, अपनी असफलताओं या असमर्थता के बावजूद जबरदस्ती गद्दी पर बने रहना चाहते हैं। इस उद्देश्य को लेकर हिन्दू मुस्लिम एकता को बिगाड़ रहे हैं, हिन्दू मुस्लिम अलगाव को उभार रहे हैं। यही स्थिति रही तो वह दिन दूर नहीं है कि आप दंगे करवाएंगे। दंगे और हिन्दू मुसलिम अलगाव के सहारे आप अपनी कुर्सी पर काबम रहना चाहते हैं। उसका प्रमाण इसी में मौजूद है।

कभी-कभी सही बात भी हमारे मेम्बर कहते हैं। जैसे इलाहाबाद के मुसलिम मजलिस के मेम्बर अभी-अभी कह रहे थे। हो सकता है कि सरकार उर्दू की तरक्की का नारा कुछ जन-संघ को उत्तेजित करने के लिये भले हो लेकिन सही यह है कि वह सरकार उर्दू कशी के पुराने रास्ते पर ही चले जा रहे हैं। लेकिन बात रखी इस प्रकार है जैसे कुछ बड़ी चीज देने जा रहे

हैं। मैं जनसंघ के भाइयों से कहूंगा कि वह जरा पहले सोचें। इस सरकार ने कुछ नहीं दिया है। मुसलमानों को उभाड़ कर जिस तरह से पिछले चुनाव में उसने फायदा उठाया था उसी तरह से अब भी फायदा उठाना चाहती है।

मैं सन १९३१ के कराची कांग्रेस के रिजोल्यूशन की ओर माननीय सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें इस बात का जिक्र है कि अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार क्या-क्या होंगे उनकी भाषा, उनकी लिपि, उनकी संस्कृति के संरक्षण के सम्बन्ध में? वह इस प्रकार है अल्पमत वाली संस्कृति, भाषा और लिपि की रक्षा की जायगी। इसी चीज को हमारे संविधान में दिया गया है अनुच्छेद २९ और ३० में। आर्टिकिल २९ और ३० इस प्रकार है:—

29. (1) Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same.

(2) No citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the State or receiving aid out of State funds on grounds only of religion, race, caste, language or any of them.

30. (1) All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice.

आप देखें कि इस प्रकार ३१ का जो करांची का रिजोल्यूशन है उसी के अनुरूप २९(१) में संस्कृति, लिपि तथा अपनी भाषा को बनाये रखने के मौलिक अधिकार दिये गये हैं। १९३१ का कराची का रिजोल्यूशन इसमें लगभग पूर्ण रूप से कारपोरेट किया गया है। अनुच्छेद ३० के मातहत वे अपनी इंस्टीट्यूशंस अलग से चला सकती हैं। फिर इसे निषेधात्मक अनुच्छेद ३५० को आप देखें जो इस प्रकार से है:—

350. Every person shall be entitled to submit a representation for redress of any grievance to any officer or authority of the Union or a State in any of the languages used in the Union or in the State, as the case may be.

350-A. It shall be the endeavour of every State and of every local authority within the State to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups and the President may issue such directions to any State as he considers necessary or proper for securing the provision of such facilities.

तो इसमें साफ दिया हुआ है कि प्राइमरी स्तर पर दर्जा ८ तक के बच्चों को उनकी मादरी जबान में तालीम मिल सकेगी और इसके लिये आप पूरी सुविधा प्रदान करेंगे। सन् १९६७ में जब माननीय चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे उस समय बहुत बड़े पार्टनर के रूप में जनसंघ उसमें सम्मिलित था कांग्रेस को छोड़ कर सबसे बड़ी संख्या उसी की थी और जनसंघ के सम्मिलित होने के बावजूद भी उस समय पहली दफा स्टेट में एक स्पेशल आफिसर रखा गया था इस बात की जांच करने के लिये अगर उर्दू के सम्बन्ध में इन अनुच्छेदों के विपरीत कार्य होने की उसे शिकायत मिले, तो वह उसको दूर करें।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय हो गया।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, केवल ५ मिनट का समय और चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष---**

पांच-पांच मिनट करके आपने कई मिनट ले लिये। किन्तु अब आप केवल ५ मिनट तक ही बोलेंगे।

**श्री अनन्त राम जायसवाल---**

मैं इतनी जल्दी बोल रहा हूं कि अभी समाप्त हो जायेगा। तो मैं कह रहा था जनसंघ की हुकूमत रहते हुये यह हो गया था और जहां पर १५ प्रतिशत उर्दू बोलने वाले थे या उर्दू जानने वाले वसी ३६ तहसीलों में गजट उर्दू में छपने लग गया था। मान्यवर, बजट भाषण के पृष्ठ ११ पर आप देखें। आपने कौन-सी ऐसी नई बात कर दी जो पहले नहीं थी। माननीय हबीब साहब ठीक फरमा रहे थे कि सरकार का मतलब भाषा के प्रश्न पर जनसंघ को उत्तेजित करना था। मान्यवर, इसका फायदा उर्दू के लिये कुछ न होगा। हिन्दू मुसलिम अलगाव बढ़ाने की इनकी तैयारी है। मान्यवर, ये उस रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते से पिछले चुनाव के अवसर पर मुरादाबाद और अलीगढ़ में दंगे हुये थे। भाषा के प्रश्न को समझने और सुलझाने के लिये मैं आप को गांधी जी के शब्द कोट करना चाहता हूं। मान्यवर, इसके दो-तीन उदाहरण हैं। उनकी "राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी" नामक पुस्तक के पृष्ठ ५७ पर लिखा है---

"अब अपने मुसलमान मित्रों की बात लीजिये। वे अपने-अपने प्रान्त की भाषा तो स्वभावतः जानते ही हैं। इसके अलावा वे अुर्दू भी जानते हैं। दोनों का व्याकरण एक-सा है। लिपि के कारण दोनों में जो फर्क है सो है। और अिस पर विचार करने से मालूम होता है कि हिन्दी, हिन्दुस्तानी और अुर्दू, ये तीनों शब्द एक ही भाषा के सूचक हैं।"

मान्यवर, इसी पुस्तक के पृष्ठ ६ में उन्होंने लिखा है कि---

"दलील यह दी जाती है कि हिन्दी और अुर्दू दो अलग-अलग भाषायें हैं। यह दलील वास्तविक नहीं। हिन्दुस्तान के अुत्तरी हिस्से में मुसलमान और हिन्दू दोनों अेक ही भाषा बोलते हैं। भेद सिर्फ पढ़े-लिखों ने पैदा किया है। यानी पढ़े-लिखे हिन्दू हिन्दी को केवल संस्कृतमय बना डालते हैं। नतीजा यह होता है कि मुसलमान अुसे समझ नहीं पाते। लखनऊ के मुसलमान भाई फारसीमय उर्दू बोलकर अुसे ऐसी शकल दे देते हैं कि हिन्दू समझ न सकें। ये दोनों केवल पंडितों की भाषायें हैं, और आम जनता के बीच अिनकी कोई जगह नहीं।

मान्यवर, आगे लिखा है---

"अुत्तरी हिन्दुस्तान में जिस भाषा को वहां का जनसमाज बोलता है, अुसे आप चाहे अुर्दू कहें चाहे हिन्दी, बात अेक ही है। अुर्दू लिपि में लिख कर अुसे अुर्दू के नाम से पहचानिये, और अुन्हीं वाक्यों को नागरी में लिख कर अुसे हिन्दी कह लीजिये।"

**श्री अध्यक्ष---**

अब आपका समय समाप्त हो गया।

**श्री अनन्तराम जायसवाल---**

मान्यवर, केवल १ मिनट। मान्यवर, वह दूसरा पैराग्राफ भी आप के सामने पढ़ दूं क्योंकि बगैर उसके पढ़े यह पूरा नहीं होगा

"हमारे हिन्दुस्तान के लिये तो हिन्दी ही होनी चाहिए। उसे अुर्दू या नागरी लिपि में लिखने की छूट रहनी चाहिए। हिन्दू-मुलसमानों के विचारों को ठीक रखने के लिये बहुतेरे हिन्दुस्तानियों का दोनों लिपियां जानना जरूरी है। ऐसा होने पर हम अपने आपस के व्यवहार में से अंग्रेजी को निकाल बाहर कर सकेंगे"।

मान्यवर, खाली उदाहरण दे दूं, ८–१० लाइन का पढ़ दूं, उसके बाद खत्म कर दूंगा। १९५७ में इसी लखनऊ जेल से डा० लोहिया ने जेल मंत्री को एक पत्र लिखा था और उसमें जवाहर लाल को वशिष्ठ की संज्ञा दी गयी है। तो यह पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है, "वशिष्ठ और बाल्मीकि"। इसके पृ० ८ पर देखें मान्यवर, "मुसलमानों वाला मामला भी कुछ ऐसा ही है। मैं नहीं समझता कि वशिष्ठ के मन में मुसलमानों के लिये सचमुच प्रेम या आदर है। किसी के लिये नहीं, तो उनके लिये क्या। मुसलमान भी वशिष्ठ के लिये सामग्री हैं। राज्य-संगठन और परम्परा की सामग्री, स्वार्थसाधन की सामग्री। क्या बात है कि प्रधान मंत्री मुसलमानों के बारे में तभी सचेत या व्यग्र होते हैं जब उन्हें किसी पटेल या टंडन का मुकाबिला करना होता है। अपनी खुद की गद्दी मजबूत करना होता है। आज के संदर्भ के पटेल व टण्डन के स्थान पर आप मान लीजिये मोरारजी देसाई, चन्द्रभानु गुप्त।

"अपनी खुद की गद्दी मजबूत करना होता है तब मुसलमानों का इस्तेमाल होता है। जब कोई गद्दी हिलाने वाला नहीं रहता तो मुसलमानों की याद मन से उतर जाती है। आखिरी दंगों में यह बात बिलकुल साफ हो गयी है। पहले तो मुसलमानों को उकसा दिया। मुहम्मद-निन्दा पर प्रधान मंत्री उसी तरह भड़क गये जैसे कोई मक्कावाला या भांगी स्वभाव मड़के। जब मुसलमान भी भड़क कर कुछ करने लगे तब उन्हें पाकिस्तान का आदमी बना डाला। बिचारे भुन गये".....

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

बस एक लाइन रह गयी। भारतीय मन वही है जो चाहे राम-निन्दा चाहे मुहम्मद-निन्दा धीरज से सुन सके, कम से कम सुन कर खून न बहाये, किताब न जलाये। साथ ही साथ भारतीय मन हर भूले-भटके देशवासी को देशद्रोही या पाकिस्तानी कहता न फिरेगा। शिरच्छेद, निर्वासन, सिर काटो, देश के बाहर निकालो, वही वशिष्ठ की बात।

"मुसलमानों से प्रधान मन्त्री को मतलब नहीं। अगर होता तो हिन्दू और मुसलमान मन के खार के बीजों को ढूंढा जाता और उनको रोज-रोज खोद कर उखाड़ा जाता....."

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें। अभी एक लाइन ही खत्म नहीं हुई। माननीय मुख्य मंत्री। आप कुछ कहेंगे ?

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मान्यवर, एक दो मिनट कुछ कहूंगा। इसके बाद तो शायद आप समय देंगे हमारे मंत्री जी को, क्योंकि ६ बजे यह समाप्त होना है।

श्री अध्यक्ष—

अगर मुख्य मन्त्री जी बोलना चाहते हैं तो १०–१५ मिनट टाइम और बढ़ा सकता हूं। आपने ही टाइम बढ़वाया था।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैंने कहा कि एक दो बात कहूंगा। इसके बाद हमारे वित्त मंत्री जी को समय दें।

मैं मान्यवर, यही निवेदन कर रहा था कि मुझे बड़ा खेद है कि जायसवाल जी ने एक ऐसा रुख अख्तियार किया कि जिससे एक दूसरी भावना इस प्रदेश में पैदा हो कि उर्दू जो है वह मुसलमानों की भाषा है जैसे हिन्दी हिन्दुओं की भाषा है। उसको यह स्वरूप देना कि उत्तर प्रदेश में उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा है, यह गलत है.....

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो कुछ मैंने निवेदन किया, मुख्यमंत्री जी उससे अलग जा रहे हैं। हमने यह नहीं कहा कि उर्दू मुसलमान की और हिन्दी हिन्दू की भाषा है एक्सक्लूसिवली। उर्दू एक्सक्लूसिवली म मुसलमानों की भाषा है और हिन्दी भी एक्सक्लूसिवली हिन्दुओं की भाषा नहीं है...

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं बोल रहा हूं और मैं यह आशा करता हूं कि जैसे मैं चुपचाप सुनता रहा वैसे ही माननीय जायसवाल जी एक दो मिनट का समय मुझे दे दें ताकि मैं अपनी बात कह दूं।

मैं यह कह रहा था कि उसको यह शक्ल दे देना जैसी कि दुर्भाग्य से हमारे इस प्रदेश में दी गयी है उचित नहीं है कि उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा है और हिन्दी हिन्दुओं की भाषा है।

गांधी जी को भी जो कोट किया उन्होंने वह बराबर उत्तर प्रदेश का सवाल था। हम सब कहते हैं कि उर्दू एक स्टाइल है जिसमें कि परशियन शब्द आते हैं वैसे ही हिन्दी भी एक स्टाइल है जिसमें संस्कृत के शब्द आते हैं। यों भी लोग सभी प्राकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न भाषा का उठता नहीं है। प्रश्न केवल लिपि का है, केवल देवनागरी लिपि का उठता है। संविधान में जैसे हिन्दी राष्ट्रभाषा बनायी गयी है वैसे ही देवनागरी लिपि भी देश की लिपि है, राष्ट्रीय लिपि लिखी गयी है। अब उस प्रश्न को इस समय यों उठाया। मैं आपके माध्यम से यह उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे इस प्रदेश को द्विभाषी बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो इस बात को आपको स्पष्ट कहना चाहिये।

(व्यवधान)

श्रीमन्, मैं बहुत शान्ति के साथ कह रहा हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, जितने भी माननीय सम्मानित सदस्य हैं उनको यह पूरा अधिकार है कि अगर कोई गलत बात उनके बारे में कही जाती है तो वह उसको रोकें। माननीय मुख्य मंत्री जी मुझे मिसकोट कर रहे हैं। जो हमने कहा उसका आशय यह नहीं है। गांधी जी का जो उद्धरण हमने दिया है, उसको ध्यान में रख कर वे जो कहना चाहें वह कहें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, इस प्रश्न को ऐसा रंग देने की कोशिश की गयी है जो नहीं देना चाहिये था..

श्री बांकेलाल—

मान्यवर, आपने माननीय जायसवाल जी को बोलने का मौका नहीं दिया फिर इस अनर्गल प्रलाप से क्या लाभ होगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अगर ऐसा ही है तो उसके लिये स्पष्ट विधान यहां बना है।

श्री बांकेलाल—

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। मान्यवर, आप इस पर इतनी व्यवस्था दें कि माननीय जायसवाल जी ने हिन्दी और उर्दू के बारे में जो कुछ कहा है उसके बारे में जो जवाब दिया जा रहा है उस पर उनको स्पष्टीकरण करने का मौका नहीं दिया गया, जिसकी वजह से माननीय मुख्य मंत्री जी सही ढंग से नहीं समझ सके हैं और पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं। इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष––

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जो भाषण जायसवाल जी ने दिया उसमें उन्होंने अपनी राय दे दी अब अपनी राय माननीय मुख्य मंत्री दे रहे हैं। जो उनको ठीक मालूम हुआ उन्होंने कहा, अब इनको जो ठीक मालूम दिया यह कह रहे हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी––

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि इस प्रदेश की एक भाषा है और उसी भाषा में इस विधान सभा का कार्य सम्पन्न होता है, दो भाषायें नहीं हैं। अगर माननीय प्रदेश की दो भाषायें बनाना चाहते हैं तो स्पष्ट करें। वह एक बहुत ही खतरनाक बात होगी। यह तो हम भी सदा से कहते आये हैं कि वह हिन्दी की एक प्रणाली है।

श्री अनन्तराम जायसवाल––

अगर आप उर्दू चलाना चाहते हैं तो प्रदेश में दो लिपियां ही हो जायंगी। क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रदेश में अंग्रेजी चला कर उसका भला किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी––

हमारे प्रदेश में अंग्रेजी नहीं चल रही है। हमारे यहां एक ही राज भाषा है और उसमें विधान सभा, विधान परिषद् और प्रशासन का काम हो रहा है।

मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि उर्दू हमारे प्रदेश की एक भाषा है और इसी प्रदेश की एक मिली जुली संस्कृति रही है, वह उसका प्रतिनिधित्व करती है। वह हमें उतनी ही प्रिय है जितनी प्रदेश की और दूसरी भाषायें क्योंकि वह यहीं हमारे यहां पैदा हुई हैं। एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम द्विभाषी स्टेट नहीं बनाना चाहते। उर्दू की उन्नति के लिये जो भी संभव होगा, यह सरकार करेगी। आज भी जो चीज उसके लिये रखी गयी है वह इसी विचार से रखी गयी है कि अगर पहले कोई रुकावट रही है तो सरकार उसका रास्ता खोले। हमारा यह इरादा था और है कि हम प्रत्येक बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कराना चाहते हैं और उसके लिये प्रत्येक स्कूल में सुविधा प्रदान कराना चाहते हैं। हमारे प्रदेश में ६० हजार के करीब प्राइमरी पाठशालायें हैं। हर पाठशाला के ऊपर जो खर्च हो रहा है उसको देखते हुये अपने संसाधनों के हिसाब से.....

श्री अनन्तराम जायसवाल––

क्या यह सही नहीं है कि जब जनसंघ के श्री राम प्रकाश शिक्षा मंत्री थे तब भी यही नीति चली थी ?

श्री अध्यक्ष––

यह गलत बात है, इस तरह से बीच में बार-बार टोकना।

श्री कमलापति त्रिपाठी––

मैं नहीं जानता।

श्री अनन्तराम जायसवाल––

आप नहीं जानते तो आपको जानना चाहिये।

श्री कमलापति त्रिपाठी––

मैं सरकार की नीति की घोषणा कर रहा हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जो सरकार की नीति उस वक्त थी वही आज भी कायम है। उसमें फर्क क्या हुआ है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस सरकार की यह नीति रही है और इस नीति को हम मानते हैं कि मातृ भाषा में प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिये और उसके लिये जो भी व्यवस्था हो सकती है वह हम करने की चेष्टा करेंगे अपने संशोधनों और अपनी शक्ति के अनुसार। इस बार भी उसकी कुछ व्यवस्था की गयी है। जो और व्यवस्था की गयी है वह इसलिये कि उर्दू के साहित्य को, उर्दू के लेखकों को, उर्दू के पाठ्यक्रमों को और उसके रास्ते में अगर कहीं रुकावट पड़ती है तो उसको हटाने के लिये है। हम चाहते हैं कि अपने प्रदेश में उर्दू जिनकी मातृ भाषा है, चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान, चाहे कोई और, उन्हें प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने की पूरी सुविधा प्रदान की जाय।

श्री कृष्णानन्द राय—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

इसको ज्यादा बढ़ाइये नहीं।

श्री कृष्णानन्द राय—

इतना अधिकार नहीं दीजियेगा कि इतने बड़े मसले पर कुछ स्पष्टीकरण मिल जाय? आपको जानकारी है कि जब प्रधान मंत्री चुनाव के पूर्व उत्तर प्रदेश में आयी थीं और चुनाव के बाद लखनऊ में पधारी थीं तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में उर्दू की जो कांस्टीट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिये था वह नहीं मिला है, यह गलती है। तो मैं आपके मध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधान मन्त्री का कांस्टीट्यूशनल स्टेटस प्राप्त करने से केवल यही मतलब था कि उर्दू को पढ़ने की सुविधा दी जाय?

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

जी नहीं।

*श्री ब्रजराज सिंह (जिला हमीरपुर)—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे दस मिनट बोलने का मौका दिया है।

श्री अध्यक्ष—

आप मुसलमानों को अपनी तरफ करने की कोशिश न करें।

श्री कृष्णानन्द राय—

आप क्या कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

मैंने कहा कि मुसलमानों को अपनी तरफ करने की अटेम्प्ट नहीं होनी चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कृष्णानन्द राय—

यह आप बहुत गलत आरोप लगा रहे हैं। मुसलमानों को अपीज करने के लिये कोई प्रयास नहीं करते हैं। हम तो न्याय की बात करते हैं। अगर अपीजमेंट का प्रयास होता है तो उस दल की तरफ से होता है। आपने यह कह कर चेयर को अपमानित किया है। यह बात सत्तारूढ़ कांग्रेस की तरफ से कही जाती तो बर्दाश्त होती। आप चेयर पर बैठ कर ऐसी बात कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

यह चीज उन्होंने ही कही थी।

श्री ब्रजराज सिंह—

मैं आपके माध्यम से माननीय तिवारी जी जो बजट हमारे सामने लाये हैं उसके विषय में कुछ कहना चाहता हूं। मैं उसका विरोध करता हूं। अभी अभी जो यहां बहस चली कि उर्दू यहां इसलिये लायी जा रही है कि हिन्दू-मुसलमानों का कोई भेद-भाव हो, मेरी समझ में ऐसी कोई बात नहीं है। यह बात जरूर है कि हमारी सरकार में बैठने वाले मंत्रीगण इतने होशियार हैं कि एलेक्शन के लिये एक नया समां बांध देते हैं और हमारी जनता जिस तरह से मृगतृष्णा का प्यासा इधर-उधर दौड़ता फिरता है उसी प्रकार से जब कोई नयी समस्या आ जाती है तो उसके पीछे लोग वोट दे देते हैं। उर्दू के लिये करना कुछ नहीं है सिर्फ वोट लेने के लिये मेरी समझ से एक ऐसी चाल है ताकि मुसलमान भाई इनको वोट दिये जायं। इसमें कोई सुधार तो मेरी समझ में होना नहीं है।

मैं अपने सभी साथियों से क्षमा चाहूंगा कि यहां पर सदन में मैं सन् ६२ से देख रहा हूं, कि लंका का राजा कोई भी हो चाहे गुप्ता जी हों या चौधरी चरण सिंह हों या त्रिपाठी जी हों लेकिन लंका की रानी मन्दोदरी ही रहेगी। यह सब जानते हैं और इसमें कोई २ राय नहीं है। मुख्य मंत्री यहां का कोई भी हो लेकिन मंत्री वही लोग लौट फेर कर बनते हैं, इस बजट को भी पेश करने वाले माननीय तिवारी जी हैं।

चौधरी साहब के जमाने में भी उनके ही हाथ से बजट लाया गया था और उनकी ही सलाह से यह बजट भी आया है और मैं समझता हूं कि इस तरह से इसके द्वारा कोई सुधार नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि यहां हमारी बात सुनी जाने की व्यवस्था है इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कुछ अनुरोध करूंगा। यहां पर हर सीधे आदमी को कमजोर की संज्ञा दी जाती है, हर सिसकी को शोर कहा जाता है, हर सीधे को कमजोर कहा जाता है और आज की परिभाषा में हर गरीब को चोर कहा जाता है।

सदन के सामने जो भी कर्मचारी अपनी मांग करते हैं और कहते हैं कि हम भूखे मरते हैं, हमारा वतन बढ़ाया जाय तो कहा जाता है कि यह लोग फजूल शोर कर रहे हैं इनको जेल भेजा जाय। उनकी कोई उचित मांग भी पूरी नहीं की जाती, वह भूखे हैं उनका कोई खर्च जो जरूरी है वह भी पूरा नहीं होता। इनकी तरफ से उनको शोर करने वालों की संज्ञा दी जाती है और उन को जेल भेजा जाता है ताकि सड़क का शोर खत्म हो जाय। हम लोग भी उनकी ही तरह से हैं, हम यहां भाषण कर रहे हैं लेकिन जो हालत हमारे बुन्देलखंड की है वह वही है जैसा कि श्री बाल्मीकि ने अपने वर्ग के बारे में यहां कहा कि उनका छुवा कोई पानी नहीं पीता इसी तरह से उस बुन्देलखंड के बड़े क्षेत्र में ऐसे स्थान हैं जिनकी हालत इन बाल्मीकि वर्ग के लोगों के समान ही खराब है और उनसे तुलना करना असंगत न होगा। बुन्देलखंड की परिभाषा में यह जो चार जिले बांदा, हमीरपुर, झांसी और जालौन के हैं वे आते हैं, वहां की एक परिभाषा हैं कि —

"इत जमुना उत नर्बदा, इत चम्बल उत टोंस।"

[श्री व्रजराज सिंह]

इन नदियों के बीच में यह क्षेत्र पड़ता है और आज २३ साल से अधिक हो गये लेकिन उस क्षेत्र के उत्थान के लिये कोई ध्यान नहीं दिया गया। सन् ५२ से ५७ तक इसी सदन में मेरे पिता जी विधायक थे और अब मैं और मेरे बड़े भाई यहां सदस्य हैं लेकिन आज तक वहां की किसी नदी का पुल नहीं बनाया गया। केन और टोंस नदी के पुल आज तक नहीं बन सके, बराबर उनकी मांग की जाती है लेकिन कुछ नहीं दिया जाता। नतीजा यह है कि बांदा से कानपुर हम लोगों को ८० मील चक्कर लगा कर जाना होता है और इस तरह से इलाहाबाद होकर २५० मील का चक्कर पड़ता है।

जब २३ साल की आजादी के समय में यह पुल न बन सके तो इनकी सरकार तीन चार मास में क्या कर सकेगी। सब लोग कह रहे हैं कि यह सरकार समाजवाद ला रही है, यह समाजवाद क्या लायेंगे, मेरी तो यही प्रार्थना है कि सरकार सब कुछ ले ले लेकिन हमारा दम छोड़ दे। एक कहानी है कि एक शिकारी कुत्ते ने खरगोश की दुम उखाड़ ली, उसके बाद खरगोश अपने बिल में घुस गया, शिकारी कुत्ते ने उससे कहा कि तुम अपनी दुम ले लो। इस पर खरगोश ने उत्तर दिया कि मैं अपनी दुम लेकर क्या करूंगा जब मुझमें दम ही नहीं रहा। इसी तरह से सरकार कुछ करे या न करे लेकिन बुन्देलखंड वालों का दम तो रहने दे। यह जो ४८ करोड़ का घाटा इस बजट में दिखाया गया है उसको पूरा करने के लिये कम से कम हमारे ऊपर नये कर तो न लादे।

आज बुन्देलखंड में शिक्षा के लिये कोई विश्वविद्यालय नहीं है। आज बी० एड० की एडमिशन के लिये और ट्रेनिंग के लिये ५०० रुपया वहां के गरीब विद्यार्थियों से मांगे जाते हैं, बिना जमा किये कोई ट्रेनिंग नहीं ले सकता। नारा इनका समाजवाद का है लेकिन क्या इस तरह से आप ५०० रुपया जमा करा के गरीबी मिटा सकते हैं? गरीबों के लिए क्या सुविधा है। बांदा जिले में २-२ सौ रुपया लेकर इन्टरमीडिएट कालेजों में एडमिशन लिया जाता है। एक ओर आप कहते हैं कि हम सीलिंग करेंगे।

मैं पूछना चाहता हूं कि इस सीलिंग से कोई जमीन निकली है? बुन्देलखंड में किसी भी गरीब आदमी को जमीन दी गयी है? वहां पर तहसीलदार और कानूनगो ५-५ सौ रुपया लेकर जमीन दूसरों को दे देते हैं। अगर एक गरीब आदमी जोतने चला तो उसे गोली मार दी जाती है। वहां पर एक गरीब चमार को कत्ल कर दिया गया इसलिए कि उसने बेगार नहीं दी थी। आज हमारी सरकार समाजवाद लाना चाहती है। आप किसी को क्या जमीन दें, गरीब आदमियों को घर भी बनाने के लिए जमीन नहीं दे सके हैं। वहां पर एक छोटे-छोटे घर में आदमी, उसकी बीबी और उसके ४-५ बच्चे लेटते हैं। मैं तो इसलिए कहूंगा कि इस आजादी को ही धिक्कार है। चाहे इधर के बठने वाले हैं और चाहे उधर के बैठने वाले हों, हमारे सभी नेताओं को शर्म आनी चाहिए। वहां पर लोग यह कह कर आते हैं कि हम यह करेंगे वह करेंगे लेकिन आज तक वहां के गरीबों को छोटे छोटे मकान भी बनाने के लिए जमीनें नहीं मिल पायी हैं, वे आपसे घर नहीं मांगते हैं, जमीन नहीं मांगते हैं केवल घर बनाने के लिए जमीन मांगते हैं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

श्रीमन् मैं एक विशषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें।

श्री ब्रजराज सिंह––

श्रीमन्, आज पूरे प्रदेश में कलेक्टरों के तबादले रोके जाते हैं। लिखकर तो नहीं दूंगा लेकिन यह बात सच है कि आज यहां पर रुपया लेकर तबादले रोके जाते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर यह आरोप सही है तो सुधार करें और अगर गलत हो तो कारण देकर बतायें।

श्री मोहम्मद असरार अहमद––

श्रीमन्, मेरा विशेषाधिकार की अवहेलना का एक प्रश्न है।

*श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)––

श्रीमन्, बजट पर जो वादविवाद हुआ उसमें आपने विरोधी दलों को जो बोलने का समय दिया उसमें कांग्रेस संगठन के ८, भारतीय क्रान्ति दल के ८, संसोपा के ४ और भारतीय जनसंघ के ४ माननीय सदस्य थे। जिनकी सदन में संख्या ४२ है उनको भी ४ को अवसर दिया और संसोपा के जिनकी संख्या १८ है, उनके ४ सदस्यों को बोलने दिया और कांग्रेस संगठन जिनकी सदस्य संख्या ६० अ र भारतीय क्रान्ति दल को जिसकी सदस्य संख्या ५८ है उनको ८–८ सदस्यों को बोलने की आज्ञा दी है। इस प्रकार से आपने भारतीय जनसंघ के साथ न्याय नहीं किया है। उसके प्रतिनिधियों को और अवसर मिलना चाहिए था। मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दें कि आपने इस प्रकार से जनसंघ वाले प्रतिनिधियों के साथ क्यों सौतेला व्यवहार किया है?

श्री अध्यक्ष––

आपके नेता ने कहा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय लूंगा और फिर ज्यादा लोग बोलेंगे नहीं।

श्री अनन्त राम जायसवाल––

मान्यवर, किसी दल के नेता को ३ घंटे, किसी दल के नेता को ७० मिनट, और अगर कोई अकला है तो उसका ४० मिनट और हमको केवल १० मिनट ही और बहुत रियायत की तो १५ मिनट?

श्री अध्यक्ष––

आखीर में आप रहे। अगर पहले बोलते तो समय और मिल जाता।

श्री अनन्तराम जायसवाल––

सुबह से शाम तक तो उठक-बैठक करता रहा?

श्री अध्यक्ष––

मैं इसकी माफी चाहता हूं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद––

श्रीमन्, मैं एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाना चाहता हूं। एक घटना हुयी है।

(व्यवधान)

(श्री मोतीलाल देहलवी तथा श्री मोहम्मद असरार अहमद के एक साथ खड़े होकर कुछ कहने पर)

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

अध्यक्ष महोदय, जब मैं आज दो बजे अपने दफ्तर गया तो मुझे बेनीसिंह जी के कमरे के सामने श्री राजेश्वर सिंह विधायक, बरेली द्वारा यह कहा गया कि आपने बलराम सिंह यादव के खिलाफ प्रश्न उठाये हैं। तुम्हारे रिश्तेदारों के परमिट कैन्सिल करा दिये जायेंगे और पाकिस्तान भेजवा देंगे। आप बतायें कि हम कहां रहेंगे और किसके बल बूते पर यहां रहेंगे। इस पर आप अपनी व्यवस्था दें कि उन्होंने यह क्यों कहा ?

श्री अध्यक्ष--

मुझे जब मालूम होगा तो मैं सफाई करा दूंगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

मैं अभी लिख कर दे देता हूं या कल दूंगा।

*वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं सब माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने पिछले पांच दिनों में इस बजट पर अपने विचार व्यक्त करके बहुत से सुझाव दिये। मैं सम्माननीय नेता विरोधी दल और अन्य विरोधी दल के नेताओं का भी बहुत आभारी हूं। उन्होंने नाना प्रकार के सुझाव देकर विवाद के स्तर को, कुछ अन्य प्रकरणों को छोड़ कर, बहुत ऊंचा रक्खा। सम्माननीय नेता विरोधी दल के भाषण को मैंने बहुत ध्यान से सुना। उन्होंने कृपा करके लगभग तीन घंटे इस बजट के ऊपर अपने विचार व्यक्त किये और मुझे ऐसा लगा कि वह जितना बजट पर बोल रहे थे उससे अधिक जो बाइस वर्षों का उनका जो शासन का अनुभव है उस अनुभव पर वे अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने घाटे के बजट का उल्लेख किया, उन्होंने टैक्स न लगाये जाने का उल्लेख किया। उन्होंने अन्य विभागों का भी उल्लेख किया जिनमें उनकी दृष्टि से शासन ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है। उन्होंने हरिजनों की समस्याओं की ओर भी ध्यान किया।

श्रीमन्, यह सही है कि घाटे का बजट मुझे प्रस्तुत करना पड़ा। लेकिन श्रीमन् आप जानते हैं कि आज की विकासशील आर्थिक व्यवस्था में घाटे का बजट पेश करना यह कोई अनोखी बात नहीं है। हमारी किसी भी प्रगतिशील सरकार को, सदन को खर्च से नहीं डरना चाहिये बशर्ते वह ठीक प्रणाली से हो, सही योजनाओं पर हो और वह समाजवाद की दिशा में ले जाता हो तो हमें खर्च से नहीं डरना चाहिये। खर्च से वही सदन और सरकार डरती है जो अनुदारवादी हो, जो कान्जरवेटिव हो। अगर इस बजट में श्रीमन् हमने यह देखा कि प्रदेश की योजनाओं को दस करोड़ रुपये से बढ़ाया गया।

बड़ा कड़वा फैसला था कि २०९ करोड़ रुपये की योजना प्लानिंग कमीशन ने मंजूर की लेकिन इस सरकार ने निर्णय लिया कि हमारी प्रदेश की सरकार को नई दिशाओं की ओर सोचना है, नियोजन को नया मोड़ देना है, एक समाजवादी मोड़ देना है तो हम अपनी वार्षिक योजना परिव्यय यानी आउट ले को बढ़ायेंगे और श्रीमन् आपने देखा २०९ करोड़ रुपये के स्थान पर २१९ करोड़ रुपये का परिव्यय इसके लिये प्राविधान किया गया।

श्रीमन्, यह आवश्यक है कि हमें संसाधन जुटाने हैं। सभी माननीय सदस्यों ने बहुत विस्तार के साथ अपने-अपने क्षेत्र की कठिनाइयों का उल्लेख किया। गरीबी का उल्लेख किया, आंकड़ों का उल्लेख किया, प्रति व्यक्ति आय कम हुई विकास कम हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय की बढ़ोत्तरी हो गई यदि आदि तमाम आंकड़े दिये। श्रीमन्,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप स्वतः देखेंगे कि इस बजट भाषण में सरकार ने स्वतः इस बात को कहा है कि हमारी प्रति व्यक्ति आमदनी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिये। हमने ऐसा कहा है कि जनसंख्या की वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय में कमी हो रही है। मैं सम्मानित नेता संसोपा को याद दिलाना चाहता हूं कि जब वे सरकार में थे तो उन्होंने वक्तव्य दिया था और उन्होंने कहा था कि अगर यह प्रदेश अपने पिछड़ेपन को दूर करन चाहता है, अपने आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना चाहता है तो उन्हें बहुत गहराई के साथ चिन्तन करना होगा यहां की समस्याओं की ओर और उन समस्याओं पर चिन्तन करके, एक जुट होकर विचार करें वरना यह प्रदेश और पिछड़ता चला जायेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल––

श्रीमन्, वित्त मंत्री ने जो अपना बजट भाषण दिया है उसमें चिन्तन तो दूर रहा, परवाह तक नहीं है, मान्यवर।

श्री नारायणदत्त तिवारी––

बजट कोई रिसर्च का डाकुमेंट नहीं है जिसमें चिन्तन की सारी प्रक्रिया हो। यह केवल वित्त मंत्री का बजट भाषण है। वह चिन्तन केन्द्र या रिसर्च ब्यूरो का पेपर नहीं है और न समाजवादी मैनिफेस्टो है।

तो निवेदन कर रहा था कि पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जाय। क्या बिना परिव्यय को बढ़ाये, बिना इनवेस्टमेंट के, बिना विनियोजन के, इसी तरह से गरीबी दूर हो सकती है? समाजवादी व्यवस्था में किस प्रकार से काम हो सकता है, वे माननीय सदस्य जिन्होंने इस बजट में रख गये परिव्यय को चुनौती दी है, और भविष्य के परिव्यय को चुनौती दी है, वे कृपा करके बतलावें कि बिना संसाधन के जुटाये हुए, बिना खर्च किये हुए आप गरीबी को किस तरह से दूर कर सकेंगे। इस बजट में यह प्रयास किया गया है कि एक तरफ तो खर्च को नयी दिशा दी जाय, इस तरह से नियोजन किया जाय कि जो उपेक्षित वर्ग है, प्रपीडित वर्ग है, निर्बल वर्ग है जिन पर इस बजट का प्रभाव पड़ता है उनके लिये वर्तमान सरकार ने एक नयी दिशा देने की कोशिश की है। श्रीमन्, आप देखेंगे कि एक तरफ जो भूमिहीन हैं, जो खेतिहर भूमिहीन हैं उनके लिये एग्रो इंडस्ट्रियल कालोनी, कृषि उद्योग उपनिवेश बनाने का प्रयास किया गया है। यह एक जिले में किया गया है। अगर आप और संशोधन मंजूर करेंगे तो और जिलों में भी प्रस्तुत करेंगे। यह तो संसाधन के ऊपर है। एक ऐसे जिले में जहां कि जनसंख्या का सब से अधिक प्रभाव है, केवल भूमिहीनों को उस कालोनी में बसाया जायेगा। इस वर्ग में भूमिहीन हरिजन भी हैं।

श्री कृष्णानन्द राय––

उस जिले का नाम तो बतला दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी––

जहां पर सर्वाधिक भूमिहीन हैं उनको वहां रखा जायगा। यह आंकड़े के आधार पर होगा। अभी कोई जिला तय नहीं किया गया है। इसके अलावा आप देखें कि छोटे किसानों के लिये जिनके पास छोटी जोतें हैं उनके लिये कृषि सेवा केन्द्र खोले जाने का निश्चय किया गया है ताकि जो किसान ट्रैक्टर नहीं ले सकते, थ्रैशर नहीं ले सकते, जो आधुनिक मशीनें नहीं ले सकते, वहां से वे इन चीजों को ले सकें। इससे बेपढ़े लिखे लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल––

कितने ऐसे केन्द्र हैं और कहां-कहां पर हैं?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

दो प्रकार के केन्द्रों की व्यवस्था की गयी है। एक वे केन्द्र होंगे जो एग्रो-इंडस्ट्रियल कालोनी में खोले जायेंगे। दूसरे वे केन्द्र होंगे जहां छोटे किसानों का प्रतिशत बहुत अधिक है। उनमें अलग से सरकार खोलेगी। दो प्रकार के केन्द्रों का प्राविधान किया गया है। श्रीमन्, इसमें प्रदेश विकास दल की स्थापना भी प्रस्तावित है। प्रान्तीय रक्षक दल को एक नयी दिशा देकर प्रदेश विकास दल कायम किया जाय जिसमें बेकार नौजवानों को आमंत्रित किया जाय। उस विकास दल के अन्तर्गत एक तरफ तो ईंटों के भट्टे इस प्रकार बनाए जायं कि गांव की एप्रोच रोड्स जिनको पक्का करने की बात कही गयी, उनको पक्का कराया जाय और दूसरी तरफ साक्षरता से लेकर सर्वे तक, जो बेकार ओवरसियर, इंजीनियर हैं या और पढ़े-लिखे लोग हैं, उनको रोजगार दिलाया जाय। तो इस निर्णय से एक नयी दिशा बेरोजगारी को दूर करने के लिए मिली है।

मान्यवर, चीनी मिलों के अधिग्रहण के बारे में हमने स्पष्ट नीति घोषित की है। हमने कहा ह कि हम अपने संकल्प पर कायम हैं, संविधान के संशोधन की प्रतीक्षा हो रही है। इस समय जो मुआविजे के नियम हैं यदि उनके अनुसार सभी मिलों को अधिगृहीत किया जाता है तो जितना मुआविजा देना पड़ेगा उसका अन्दाजा सदन लगा सकता है। इस समय सुप्रीम कोर्ट ने बैंक नेशनेलाइजेशन केस में जो मुआविजे सिद्धान्त तय किये हैं उनके अनुसार मुआविजा देना होगा और एक वर्ष के बजट में उसका कितना भार पड़ेगा इसका अन्दाजा सदन लगा सकता है तो संविधान में संशोधन हो रहा है। उसके बाद इस सदन के सहयोग से इस प्रश्न पर भारत सरकार के विचार विमर्श से इसमें कदम उठाए जाने का निर्णय है।

श्रीमन्, इस बजट में पहली बार मजदूर को मैनेजमेंट में, जो पब्लिक सेक्टर के प्रतिष्ठान हैं उनमें शामिल करने का निर्णय घोषित किया गया है। यानी लेबर पारटीसिपेशन इन मैनेजमेंट के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है।

श्रीमन्, शहरी सम्पत्ति की हदबन्दी के बारे में सम्मानित सदस्य, बस्ती को कुछ चिन्ता हुई। उन्होंने कहा कि पांच लाख की शहरी सम्पत्ति की सीमाबन्दी क्यों की गयी। श्रीमन्, अगर वह कृपा कर बजट को ठीक से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि पांच लाख की सीमा के ऊपर अधिगृहीत करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। श्रीमन्, संविधान के अन्तर्गत यह अधिकार स्पष्टतः राज्य सरकार का नहीं है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कानून बना सकती है। तो यह ऐसा विषय है कि एक अखिल भारतीय नीति के अनुसार शहरी सम्पत्ति के अधिग्रहण का निश्चय हुआ है।

श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)---

मैं उस अधिग्रहण का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह कहता हूं कि पांच लाख की बड़ी राशि क्यों निश्चित करते हैं जब कि ग्रामीण क्षेत्र में इससे बहुत कम सम्पत्ति के लिए आप सीमा बांधते हैं। आप शहरी और ग्रामीण दोनों को एक दृष्टि से देखना चाहते हैं या दो माप दण्ड रखना चाहते हैं?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

भानू बाबू बिला वजह परेशान हो रहे हैं। यह तो दो साल से यही बात कह रहे हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

श्रीमन्, मुझे भय है कि माननीय सदस्य, बस्ती न तो शहरी सीमाबन्दी में विश्वास करते और न ग्रामीण सीमाबन्दी में।

श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)--

आपके सामाजिक न्याय के मापदण्ड भिन्न-भिन्न हैं। दो निगाह से आप देखते हैं। यदि आपमें साहस है तो दोनों को बराबर कीजिए। मैं दोनों को स्वीकार करने को तैयार हूं। मैं आपको चुनौती देता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, मुझे खेद है कि सम्मानित सदस्य कुछ ऐसी मुद्रा में हैं जिसे आवेशपूर्ण मुद्रा कहा जा सकता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मान्यवर, गलतबयानी पर वह गुस्सा कर रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

श्रीमन्, सदन में गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमने तो समान दृष्टि से ही देखा है और समाजवादी व्यवस्था में, प्रजातांत्रिक समाजवाद के सिद्धान्त में, जो इस सम्मानित सदन में यकीन करते हैं वह केवल समान दृष्टि से ही देखना चाहते हैं और किसी दृष्टि से नहीं।

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था।

श्री अध्यक्ष--

आप कब तक बोलेंगे ?

श्री अनन्तराम जायसवाल--

अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मन्त्री को किस तरह से इगनोर किया गया है। अभी दिल्ली में अखिल भारतीय मुख्य सचिव कान्फ्रेंस हुयी और उसमें हर राज्य के मुख्य सचिव ने भाग लिया अदालत को भी मान्यता देने को तैयार न हों, यह क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

इस सदन ने ६ बजे तक आज के लिये समय बढ़ाया था। अब आप कितने बजे तक बैठेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैं केवल ६ बज कर ५ मिनट तक बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष--

तो मैं १५ मिनट दे देता हूं। नियम ५१ के अन्तर्गत जो प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा मैं बाद में कराऊंगा।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

मैं वित्त मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप बोलने नहीं देंगे।

(व्यवधान)

श्री बांके लाल--

आप हमें बोलने नहीं देंगे तो हम चले जायेंगे।

श्री दीवनारायण मणि त्रिपाठी--

मुझे स्पष्टीकरण चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

जी नहीं। उनको बोलने दीजिये, आप जारी रखें।

श्री रामकरन सिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

नहीं।

श्री रामकरन सिंह--

वित्त मन्त्री ६ बजकर ५ मिनट तक बोलेंगे और १० मिनट का समय नियम ५१ के अन्तर्गत दिया है। ये दोनों अहम मसले हैं, या तो समय बढ़ा दीजिए या इसको मुल्तवी कीजिए।

श्री अध्यक्ष--

मैंने वक्तव्य नहीं माना है। नियम ५१ के अन्तर्गत जो मेरा निर्णय होगा उसको मैं सुना दूंगा। वे तो किसी दूसरे रोज दिये जायेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय--

जो विषय आज एजेन्डे पर है वह कल कैसे आयेगा, वह तो आज आयेगा।

श्री अध्यक्ष--

इनको खत्म करने दीजिए, इनको जाना है। उनको बोलने में दिक्कत हो रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

शहरी सम्पत्ति की सीमा बन्दी करने के लिए सरकार दृढ़ संकल्प है और अखिल भारतीय नीति के आधार पर भारत सरकार ने सुझाव मांगे थे। उसके अन्तर्गत प्रदेशीय सरकार ने जो संस्तुतियां दी हैं वे इस बजट भाषण में परिलक्षित हैं। मैं एक बात और भी स्पष्ट कर दूं कि अगर किसी संवैधानिक कारण से केन्द्र को इसकी करने में कठिनाई है और वह कोई अखिल भारतीय कानून नहीं बना पाते हैं तो हम स्वयं, बिना केन्द्र की इजाजत के, सीमा बन्दी कानून बनायेंगे।

(मेजें थप-थपायी गयीं)

श्री कृष्णानन्द राय--

क्या आप अर्बन प्रापर्टी की सीलिंग का बिल इसी अधिवेशन में लायेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--

इस अधिवेशन का सवाल नहीं है, जब भारत सरकार का उत्तर मिल जायेगा तब। जहां तक ग्रामीण जोत बन्दी का प्रश्न है वह आपको पहले से ही सूचना है। केबिनेट की एक उच्चाधिकारीय कमेटी बनी है और वह सीलिंग आफ लैण्ड होल्डिंग्स के सम्बन्ध में कानून के मसविदे पर विचार कर रही है। मुख्य मन्त्री जी ने और हमारे नेता ने इसका एलान भी कर दिया है कि समिति की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी विधान की शक्ल में इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी।

दो तीन महीने के अन्दर, अभी तीन महीने ही सरकार बने हुये हैं, प्रदेश को एक नियोजित दिशा देने का प्रयत्न किया गया है। क्या कोई सरकार यह दावा कर सकती है कि एक वर्ष के बजट में समाजवाद की व्यवस्था कायम हो जायगी। यह संभव नहीं है।

(व्यवधान)

बजट के खर्चे में तीन प्रकार के खर्चे होते हैं :—

(१) कर्मचारियों पर व्यय।
(२) पुरानी योजनाओं पर व्यय।
(३) नई मदों पर व्यय।

सदन से मैं निवेदन करूंगा कि जो नई मदें हैं उन पर विचार करें कि उनसे किस प्रकार के कार्य करने की कोशिश की गई है। न तो यह बजट चुनाव घोषणा-पत्र है और न और कुछ है केवल एक वर्ष का बजट है। श्रीमन्, बार-बार चुनाव चर्चा हुई। मैं आप के द्वारा इस सदन से यह निवेदन करूंगा कि चुनाव हों या न हों सरकार की प्रजातांत्रिक विधियों में सदन को विश्वास है और जब तक इस सरकार को सदन में बहुमत है और जब तक इस सदन में ऐसी शक्ति है कि दूसरी सरकार बन सके तब तक इस प्रदेश में सरकार निरन्तर कायम रहेगी। अस्थिरता का वातावरण हमारे प्रदेश में पिछले दिनों बड़ा खतरनाक रहा है। इसकी स्थिरता की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि सदस्य के सम्मानित सदस्यों के सहयोग से जो वातावरण है वह कायम रहेगा और इस सरकार को इस सदन के सम मानित सदस्यों का सहयोग मिलता रहेगा। मुझे विश्वास है कि इस बजट के और जो अनुदान अलग-अलग विभागों के आयेंगे वह सदन स्वीकार करेगा और उनके कार्यान्वयन में सहयोग देगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अभी वित्त मंत्री जी ने कहा कि प्रान्तीय रक्षक दल प्रान्तीय विकास दल बना दिया गया है और जो ग्रामों की अप्रोच रोड्स हैं, १ या २ मील की हैं, उनको देखेगा तो कृपया यह बतला दें कि क्या बजट में इसका प्राविधान किया गया है या जबानी भाषण है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

माननीय सदस्य को भलीभांति इसका पता है कि बजट भाषण में लिखा है कि इसका प्रस्ताव है और इस प्रस्ताव में भारत सरकार से जो योजना आ रही है वह भी है।

एक सदस्य—

प्रान्तीय रक्षक दल में पहले से प्राविधान मौजूद है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आपके सवाल के लिये सूचना की आवश्यकता है।

## नियम ५१ तथा ५६ के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

मेरे सामने एक काम रोको प्रस्ताव आया था लेकिन इसके पूर्व यह विषय नियम ५१ में स्वीकार लिया गया था। इसकी तारीख मुकर्रर कर दी गई है इसलिये अभी यह काम रोको प्रस्ताव लेने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है। नियम ५१ में स्वीकार किया गया। इसके ऊपर २६ तारीख को वक्तव्य होगा। अब बाकी १४ और आये हैं। मैंने दो एक ५१ में स्वीकार किये हैं, बाकी ७, ८ वक्तव्य के लिये हैं और अस्वीकार किये हैं। तो मैं इसकी लिस्ट सुना दूंगा। जहां तक यह प्रपोजल दिया है कि आज जो कार्यक्रम है उसमें दो वक्तव्य थे वह अगर आप लोग बैठना चाहें तो मैं बैठने को तैयार हूं।

एक सदस्य---

आज नहीं फिर ले लें।

श्री अध्यक्ष---

जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में हों कि आज ले लेना चाहिए.....

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

इस पर वोटिंग न करायें। इसको फिर रख दें।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

यह जो फतेहपुर से सम्बन्धित गृह मंत्री जी का वक्तव्य है इसको ले लें। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष---

आप बारहवां चाहते हैं।

श्री कृष्णानन्द राय---

जी हां।

श्री अध्यक्ष---

इसको आज ले लें और दूसरा वाला फिर रख दें।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

अगर आप समय बढ़ाकर बैठें तो दोनों को आज ही ले लें। यह ठीक नहीं कि एक आज लें और दूसरे को फिर लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

मैं कृष्णानन्द जी की बात में इतना और जोड़ना चाहता हूं कि यह सवाल बहुत गम्भीर है और इसमें बहुत अन्याय किया गया है। इस मामले में हिन्दू की एक बिरादरी को दूसरी हिन्दू बिरादरी से लड़ाया जा रहा है। यह विरादरी का सवाल बन गया है। यह जल्दी का विषय नहीं है। इसको चाहे आप कल रख दें लेकिन प्रश्नों के लिये पर्याप्त समय मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है कल रख देंगे और इसके बाद दूसरे वाला ले लेंगे।

अब हम कल ११ बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन ६ बजकर ६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:

२१ जुलाई, १९७१।

# नत्थी 'क'

(देखिये प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८१ पर)

## बलिया जिले में प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजना पर लगाये गये राजकीय नलकूपों तथा पक्की नालियों के विस्तार की विवरण तालिका

| प्रथम पंचवर्षीय योजना | | द्वितीय पंचवर्षीय योजना | | तृतीय पंचवर्षीय योजना | |
|---|---|---|---|---|---|
| नलकूपों की संख्या | पक्की नालियों की लम्बाई मी० फ० फीट | नलकूपों की संख्या | पक्की नालियों की लम्बाई | नलकूपों की संख्या | पक्की नालियों की लम्बाई मी० फ० फीट |
| ११४ | २३४–२–१६५ | ३६ | ७२–१–० | ३५ | ५४–२–६०५ |

## प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बलिया जिले में निर्मित राजकीय नलकूपों की सूची

| क्रम-संख्या | नलकूप संख्या | गांव का नाम | समूह | पक्की नालियों की लम्बाई मी० | फ० | फीट | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | १ | सुखपुरा | बांसडीह | २ | ५ | ३३० | |
| २ | २ | खरसडा | बांसडीह | २ | ० | ० | |
| ३ | ६ | सौनबली | बांसडीह | २ | २ | ० | |
| ४ | ७ | जिगिडसड | बांसडीह | २ | २ | ० | |
| ५ | ८ | खेजुरी | बांसडीह | २ | १ | ० | |
| ६ | ९ | बांसडीह | बांसडीह | २ | ३ | ० | |
| ७ | १० | बनकटा | बांसडीह | २ | ५ | ० | |
| ८ | १ | छितौनी | रसड़ा | २ | ४ | ० | |
| ९ | २ | परसिया | रसड़ा | १ | ७ | ० | |
| १० | ३ | महतवार | रसड़ा | २ | ६ | ० | |
| ११ | ४ | बालीपुर | रसड़ा | २ | २ | ० | |
| १२ | ५ | नरनी | रसड़ा | २ | १ | ० | |
| १३ | ६ | सरायभारती | रसड़ा | २ | ० | ० | |
| १४ | ७ | दतौरा | रसड़ा | २ | ६ | ० | |
| १५ | ८ | मुबारकपुर | रसड़ा | २ | ० | ० | |
| १६ | ९ | छतरपुर प्रथम | रसड़ा | २ | ३ | ३३० | |
| १७ | १० | छतरपुर द्वितीय | रसड़ा | २ | ० | ० | |
| १८ | ११ | चकरा प्रथम | रसड़ा | २ | २ | ० | |

| क्रम-संख्या | मलकूप | गांव का नाम | समूह | पक्की नालियों की लम्बाई — विवरण मी० फ० फीट | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १९ | १२ | शाहपुर | रसड़ा | २ | ४ | ० |
| २० | १३ | अब्दुलपुर मदारी | रसड़ा | २ | ० | ० |
| २१ | १४ | ताडी बड़ागांव | रसड़ा | २ | ० | ० |
| २२ | १५ | अमहरपट्टी दक्षिण | रसड़ा | २ | ४ | ३३० |
| २३ | १६ | सिंघही | रसड़ा | २ | २ | ३३० |
| २४ | १७ | रसडा पूर्वी | रसड़ा | २ | १ | ३३० |
| २५ | १८ | रसडा पश्चिमी | रसड़ा | २ | १ | ३३० |
| २६ | १९ | रूपलेपुर | रसड़ा | २ | ० | ० |
| २७ | २० | बिलथरिया | रसड़ा | २ | ० | ० |
| २८ | २१ | मुंडेरा | रसड़ा | २ | ० | ० |
| २९ | २२ | डेहरी | रसड़ा | ० | ५ | १६५ |
| ३० | २३ | कोटवारी | रसड़ा | २ | ० | ० |
| ३१ | २६ | सिकन्दराबाद | रसड़ा | २ | ० | ० |
| ३२ | २७ | कसौनडर | रसड़ा | २ | ० | ० |
| ३३ | २८ | ताडी बड़ागांव | रसड़ा | २ | ४ | ० |
| ३४ | २९ | सराय चबट | रसड़ा | २ | ४ | ० |
| ३५ | ३० | कोटवारीपुर | रसड़ा | २ | २ | ० |
| ३६ | ३३ | जमालपुर | रसड़ा | २ | १ | ० |
| ३७ | ३४ | गहनी | सरड़ा | २ | २ | ० |
| ३८ | ३५ | करौत | रसड़ा | २ | ० | ० |
| ३९ | ३६ | गोठवां द्वितीय | रसड़ा | २ | ४ | ० |
| ४० | ३७ | सुल्तानपुर | रसड़ा | २ | ४ | ० |
| ४१ | ३८ | सलेमपुर | रसड़ा | २ | २ | ० |
| ४२ | ३९ | रतनपुरा | रसड़ा | २ | ५ | ० |
| ४३ | ४० | खरोवा | रसड़ा | २ | २ | ० |
| ४४ | ४१ | नदौली | रसड़ा | ३ | ० | ० |
| ४५ | ४२ | शाहपुर मुहम्मदपुर | रसड़ा | १ | ७ | ० |
| ४६ | ४३ | चिलिकहर | रसड़ा | २ | ५ | ० |
| ४७ | ४४ | सरकपुरा | रसड़ा | १ | ० | ० |
| ४८ | ४५ | मलप | सरड़ा | २ | ० | ० |
| ४९ | ४६ | सिवधार | रसड़ा | १ | ७ | ० |
| ५० | ४८ | माधोपुर | रसड़ा | २ | २ | ३३० |
| ५१ | ४९ | सपरा | रसड़ा | २ | ० | ० |
| ५२ | ५० | पहारपुर | रसड़ा | २ | १ | ० |
| ५३ | ५२ | दरियापुर | रसड़ा | २ | ३ | ० |
| ५४ | ५३ | गौवापार | रसड़ा | २ | ० | ० |
| ५५ | ५४ | नागपुरा | रसड़ा | २ | ० | ० |

| क्रम-सं० | मलकूप | गांव का नाम | समूह | पक्की नालियों की लम्बाई — विवरण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | मी० | फ० | फीट |
| ५६ | ५६ | गोठवा प्रथम | .. रसड़ा .. | २ | ४ | ० |
| ५७ | ५७ | अमहरपट्टी उत्तर | .. रसड़ा .. | २ | ४ | ३३० |
| ५८ | ५८ | अठिला | .. रसड़ा .. | २ | ० | ० |
| ५९ | ६० | ताडी बड़ागांव | .. रसड़ा .. | २ | ३ | ० |
| ६० | ६२ | पकड़ी हरख बसन्त | .. रसड़ा .. | २ | ० | ० |
| ६१ | ६३ | जुडनपुर | .. रसड़ा .. | २ | ० | ० |
| ६२ | ६४ | नगरा प्रथम | .. रसड़ा .. | २ | ४ | ० |
| ६३ | ६५ | रेकुआ नसीरपुर | .. रसड़ा .. | २ | ४ | ० |
| ६४ | ६६ | नगरा द्वितीय | .. रसड़ा .. | २ | २ | ० |
| ६५ | ६७ | मठली | .. रसड़ा .. | १ | ७ | ० |
| ६६ | १ | रतसड़ | .. बलिया .. | २ | ६ | ० |
| ६७ | २ | रतसड़ | .. बलिया .. | २ | १ | ० |
| ६८ | ३ | रतसड़ | .. बलिया .. | २ | ३ | ० |
| ६९ | ४ | पियरिया | .. बलिया .. | २ | ५ | ३३० |
| ७० | ५ | सिहाचारकलां | .. बलिया .. | २ | ३ | ० |
| ७१ | ६ | हन्कारपुर | .. बलिया .. | २ | १ | ० |
| ७२ | ७ | कैफना | .. बलिया .. | १ | ४ | ० |
| ७३ | ८ | बैना | .. बलिया .. | २ | ० | ० |
| ७४ | ९ | देवरिया कलां | .. बलिया .. | १ | ६ | ० |
| ७५ | १० | बनकटा | .. बलिया .. | १ | ४ | ३३० |
| ७६ | ११ | बिसुनपुरा | .. बलिया .. | १ | ६ | ० |
| ७७ | १२ | कारो | .. बलिया .. | २ | १ | ० |
| ७८ | १३ | उससली | .. बलिया .. | १ | ४ | ० |
| ७९ | १४ | तेतारपुर | .. बलिया .. | २ | ० | ० |
| ८० | १५ | बसन्तपुर | .. बलिया .. | १ | २ | ० |
| ८१ | १६ | बधौना खुर्द | .. बलिया .. | २ | ० | ० |
| ८२ | १७ | पखनपुरा | .. बलिया .. | ३ | २ | ० |
| ८३ | १८ | परिखरा | .. बलिया .. | २ | ७ | ० |
| ८४ | १९ | टेगपुरा | .. बलिया .. | १ | २ | ० |
| ८५ | २० | टथरौली | .. बलिया .. | २ | ४ | ३३० |
| ८६ | २१ | तिवारी बरहटा | .. बलिया .. | २ | ० | ० |
| ८७ | २२ | बलीपुर | .. बलिया .. | २ | २ | ० |
| ८८ | २३ | बिगही | .. बलिया .. | २ | ३ | ० |
| ८९ | २४ | सौनवानी | .. बलिया .. | १ | ४ | ० |
| ९० | २५ | बुधैला | .. बलिया .. | ० | ६ | ० |
| ९१ | २६ | खजूरहट्ट | .. बलिया .. | ० | ५ | ० |
| ९२ | २७ | बेलहरी | .. बलिया .. | १ | ४ | ० |
| ९३ | २८ | हलनछपरा | .. बलिया .. | १ | ६ | ० |
| ९४ | २९ | परसिया | .. बलिया .. | २ | ५ | ११० |

| क्रम-सं० | नलकूप | गांव का नाम | समूह | पक्की नालियों की लम्बाई मी० फ० फीट | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| ९५ | ३० | बहादुरपुर | .. बलिया | .. १ ० ० | |
| ९६ | ३१ | कछुवाखास | .. बलिया | .. १ ५ ० | |
| ९७ | ३२ | दबहर | .. बलिया | .. २ १ ० | |
| ९८ | ३३ | दयाछपरा | .. बलिया | .. १ ४ ० | |
| ९९ | ३४ | बैरिया पूर्वी | .. बलिया | .. १ ४ ० | |
| १०० | ३५ | तालिमपुर | .. बलिया | .. २ ० ० | |
| १०१ | ३६ | सोनबरसा | .. बलिया | .. १ ० ० | |
| १०२ | ३७ | भगवानपुर | .. बलिया | .. १ २ ० | |
| १०३ | ३८ | बैरिया पश्चिमी | .. बलिया | .. १ ६ ० | |
| १०४ | ३९ | बलिहार | .. बलिया | .. १ ५ ० | |
| १०५ | ४० | सुजावत | .. बलिया | .. २ ५ ० | |
| १०६ | ५१ | अाखर | .. बलिया | .. १ २ ० | |
| १०७ | ४२ | सहरखपाली | .. बलिया | .. १ ४ ० | |
| १०८ | ४३ | शेरखास | .. बलिया | .. १ २ ० | |
| १०९ | ४४ | चितबड़ागांव | .. बलिया | .. २ १ ० | |
| ११० | ४५ | नरही | .. बलिया | .. १ ३ ० | |
| १११ | ४६ | कँथवली | .. बलिया | .. १ ४ ० | |
| ११२ | ४७ | डँहरी | .. बलिया | .. २ ० ० | |
| ११३ | ४८ | बलिया खास | .. बलिया | .. २ ० ० | |
| ११४ | ५२ | धरमापुर | .. बलिया | .. २ ० ० | |
| | | | योग | .. २३४ २ १६५ | |

द्वितीय पंच र्षीय योजना के अन्तर्गत बलिया जिले के निर्मित नलकूपों का विवरण

| क्रम-सं० | नलकूप | ग्राम का नाम | समूह | पक्की नालियों की लम्बाई मी० फ० फीट | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | ३ | जगदीशपुर | .. बांसडीह | .. १ २ ० | |
| २ | ४ | डुमरिया | .. ,, | १ ५ ० | |
| ३ | ५ | मुडाडीह | .. ,, | १ ४ ३३० | |
| ४ | ११ | पचरुखा | .. ,, | २ ० ० | |
| ५ | १२ | शुकरपुर | .. ,, | २ ० ० | |
| ६ | १३ | सराव | .. ,, | २ ० ० | |
| ७ | १४ | मानिकपुर | .. ,, | १ ७ ० | |
| ८ | १५ | रिगवन | .. ,, | २ ० ० | |

| क्रम-सं० | नलकूप | गांव का नाम | | समूह | पक्की नालियों की लम्बाई — विवरण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | मी० | फ० | फीट |
| ९ | १६ | मनियर | .. | बांसडीह | २ | ० | ० |
| १० | १७ | रूपवार | .. | ,, | २ | ० | ० |
| ११ | २४ | नियमातपुर | .. | रसड़ा | २ | ० | ० |
| १२ | २५ | इटैली | .. | ,, | २ | ३ | ० |
| १३ | ३१ | जगदीशपुर | .. | ,, | २ | १ | ० |
| १४ | ३२ | डुमरी | .. | ,, | १ | २ | १६५ |
| १५ | ४७ | जाम | .. | ,, | १ | ७ | ३३० |
| १६ | ५१ | बेलउझा | .. | ,, | २ | २ | ३३० |
| १७ | ५५ | मझौली | .. | ,, | २ | २ | ० |
| १८ | ५९ | रतोही | .. | ,, | १ | २ | ० |
| १९ | ६१ | जगमानपुर | .. | ,, | १ | ४ | ० |
| २० | ६८ | दुगाणी | .. | ,, | २ | १ | ३३० |
| २१ | ६९ | अतीमपुर | .. | ,, | १ | ७ | ३३० |
| २२ | ७० | खरूवाव | .. | ,, | २ | ० | १६५ |
| २३ | ७१ | त्रिकालपुर | .. | ,, | २ | १ | ० |
| २४ | ७२ | खलीलपुर | .. | ,, | १ | ५ | ३३० |
| २५ | ७३ | गोपालपुर | .. | ,, | १ | ५ | ० |
| २६ | ७४ | मुस्तफाबाद | .. | ,, | १ | ५ | ० |
| २७ | ७५ | अमरपुरा | .. | ,, | १ | ५ | ० |
| २८ | ७६ | रूपवार | .. | ,, | ० | ५ | ३३० |
| २९ | ७७ | पकडीकौल | .. | ,, | २ | ४ | ३३० |
| ३० | ७८ | डुमरी द्वितो | .. | ,, | १ | ५ | ० |
| ३१ | ७९ | लहसना | .. | ,, | २ | ० | ० |
| ३२ | ८० | लखनेश्वर | .. | ,, | १ | ७ | ३३० |
| ३३ | ८१ | नागपुर | .. | ,, | १ | ४ | ३३० |
| ३४ | ८२ | निब्बकबीरपुर | .. | ,, | २ | ० | ० |
| ३५ | ४९ | परतापपुर | .. | बलिया | २ | ३ | ० |
| ३६ | ५० | रौहुआ | .. | ,, | २ | ० | ० |
| ३७ | ५१ | मुडाडीह | .. | ,, | १ | ० | ० |
| ३८ | ५३ | जगदीशपुर | .. | ,, | २ | १ | ३३० |
| ३९ | ५४ | धोडपुर | .. | ,, | १ | ७ | ० |
| | | योग | .. | | ७२ | १ | ० |

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बलिया जिले में निर्मित नलकूपों का विवरण

| क्रम-सं० | नलकूप संख्या | गांव का नाम | समूह | पक्की नालियों की लम्बाई — विवरण मी० फ० फीट |
|---|---|---|---|---|
| १ | १८ | करण छपरा | बांसडीह | २ ० ० |
| २ | १९ | महाराजपुर | ” | १ २ ० |
| ३ | २० | विन्दा | ” | १ ० ० |
| ४ | २१ | कुसारी | ” | १ ६ ० |
| ५ | २२ | कल्हेला | ” | २ ० ० |
| ६ | २३ | कुंआपीपर | ” | १ २ ० |
| ७ | २४ | बालमूपुर | ” | २ ० ० |
| ८ | २५ | चंदायर | ” | २ ० ६० |
| ९ | २६ | सुल्तानपुर | ” | १ ७ ० |
| १० | २७ | सुल्तानपुर | ” | १ ७ ११० |
| ११ | २८ | जिगीसड़ | ” | १ ७ ० |
| १२ | २९ | मुस्तफाबाद | ” | २ ० ० |
| १३ | ३० | मँउलीकनासपुर | ” | २ ० ० |
| १४ | ८३ | फत्तेपुर | रसड़ा | ० ७ ३३० |
| १५ | ८४ | चक्करा | ” | २ १ ० |
| १६ | ८५ | गढ़वा | ” | २ १६५ |
| १७ | ८६ | पोरखी | ” | ० १ ० |
| १८ | ८७ | बेयोकेला | ” | १ ५४ ३३० |
| १९ | ८८ | रोरावबर | ” | १ ० ० |
| २० | ८९ | नऊल | ” | १ १ ० |
| २१ | ९० | कुड़सर | ” | १ ० ० |
| २२ | ९१ | परसियारूपपुर | ” | २ ० ० |
| २३ | ९२ | चेचया | ” | ० ७ ० |
| २४ | ९३ | बीबीपुर | ” | २ १ ० |
| २५ | ९४ | ताखा | ” | १ २ ३३० |
| २६ | ५५ | शंकरपुर | बलिया | २ ३ ० |
| २७ | ५६ | डुमरी | ” | १ ४ ० |
| २८ | ५७ | रघुनाथपुर | ” | १ ० ० |
| २९ | ५८ | जोरावस्ती | ” | ० ७ ० |
| ३० | ५९ | बदबलिया | ” | २ ० ० |
| ३१ | ६० | दुबौली | ” | २ ४ ० |
| ३२ | ६१ | सिंहापुर | ” | १ ७ ० |
| ३३ | ६२ | बलपतपुर | ” | १ ० ० |
| ३४ | ६३ | बंकापुर | ” | २ ० ० |
| ३५ | ६४ | सरायकोटा | ” | ० ४ ० |
| | | योग .. | | ५४ २ ६०५ |

# नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ ६६४ पर)

## उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९७१

**लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२०**
**इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२१**
**आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२६**
**गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६**
**वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६, और**
**कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५**

**का अग्रेतर संशोधन करने के लिए**

विधेयक

**भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :**

### अध्याय १
### प्रारम्भिक

**संक्षिप्त नाम**

**१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९७१ कहलायेगा।**

### अध्याय २

### लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२० का संशोधन

**संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या ५, १९२० की धारा १० का संशोधन**

**२—लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२० की धारा १० में, उपधारा (४) में—**

**(क) खण्ड (१) में उपखण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रख दिया जाय, अर्थात:—**

**"(ख) एक व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा उक्त उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधिपतियों अथवा सेवा-निवृत्ति न्यायाधिपतियों में से नाम-निर्दिष्ट किया जायगा,"**

**(ख) खण्ड (२) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—**

**"(२-क) जहां कुलपति, समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को उप-कुलपति नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं अथवा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हों और कुलपति का चयनाधिकार तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो जाय, तो वे समिति से नई सिफारिश करने के लिए कह सकते हैं।"**

## अध्याय ३

## इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२१ का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या ३, १९२१ की धारा ११ का संशोधन

३—इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२१ की धारा ११ में, उपधारा (४) में—

(क) खण्ड (१) में, उपखण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(ख) एक व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा उक्त उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधिपतियों अथवा सेवा-निवृत्त न्यायाधिपतियों में से नाम-निर्दिष्ट किया जायगा,";

(ख) खण्ड (२) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(२-क) जहां कुलपति, समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को उप-कुलपति नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझते हैं अथवा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हों और कुलपति का चयनाधिकार तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो जाय तो वे समिति से नई सिफारिश करने के लिए कह सकते हैं।"

## अध्याय ४

## आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२६ का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या ८, १९२६ की धारा ६ का संशोधन

४—आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२६ (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ६ में, उपधारा (४) में,—

(क) खण्ड (१) में, (ख) उपखण्ड के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(ख) एक व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा उक्त उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधिपतियों अथवा सेवा-निवृत्त न्यायाधिपतियों में से नाम-निर्दिष्ट किया जायगा";

(ख) खण्ड (२) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात :—

"(२-क) जहां कुलपति, समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को उप-कुलपति नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त नहीं समझते हैं अथवा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हों और कुलपति का चयनाधिकार तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो जाय तो वे समिति से नई सिफारिश करने के लिये कह सकते हैं।"

धारा १४ का संशोधन

५—मूल अधिनियम की धारा १४ में, उपधारा (२) में, शब्द "पांच" के स्थान पर शब्द "तीन" रख दिया जाय।

धारा १७ का संशोधन

६—मूल अधिनियम की धारा १७ में, उपधारा (४) में, शब्द "पांच" के स्थान पर शब्द "तीन" रख दिया जाय।

७—इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम की धारा १४ और १७ में किये गये संशोधन आगरा विश्वविद्यालय की नियामक सभा (सिनेट) के और कार्यकारिणी-परिषद के ऐसे सदस्यों के, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पर्व पद धारण किये हों, संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात पद धारण करने वाले विश्वविद्यालय के उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के संबंध में लागू होंगे ।

---

## अध्याय ५

## गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम सख्या २०, १९५६ की धारा १३ का संशोधन

८—गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा १३ में, उपधारा (४) में—

(क) खण्ड (१) में उप-खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(ख) एक व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा उक्त उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधिपतियों अथवा सेवा-निवृत्त न्यायाधिपतियों में से नाम-निर्दिष्ट किया जायगा";

(ख) खण्ड (२) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(२-क) जहां कुलपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को उप-कुलपति नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त नहीं समझते हैं अथवा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हों और कुलपति का चयनाधिकार तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो जाय तो वे समिति से नई सिफारिश करने के लिये कह सकते हैं।"

---

## अध्याय ६

## वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २८, १९५६ की धारा १२ का संशोधन

९—वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा १२ में, उपधारा (४) में—

(क) खण्ड (१) में, उप खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जाय, अर्थात :—

"(ख) एक व्यक्ति, जो उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा उक्त उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधिपतियों अथवा सेवा-निवृत न्यायाधिपतियों में से नाम-निर्दिष्ट किया जायगा";

(ख) खण्ड (२) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(२-क) जहां कुलपति, समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को उप-कुलपति नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त नहीं समझते हैं अथवा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एक या एकाधिक

व्यक्ति नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हों और कुलपति का चयनाधिकार तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो जाय, तो वे समिति से नई सिफारिश करने के लिये कह सकते हैं"।

---

## अध्याय ७

## कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९६५ की धारा ४ का संशोधन

१०—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ४ में, उपधारा (७) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(८) उपधारा (१) में दी गई किसी बात के होते हुये भी, कानपुर विश्वविद्यालय को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग आयुर्वेदिक तथा यनानी चिकित्सा शाखाओं में शिक्षण तथा शोध कार्यों और उनके ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के संबंध में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में किया जायेगा।"

धारा ९ का संशोधन

११—मूल अधिनियम की धारा ९ में, उपधारा (४) में, खण्ड (३) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(३) जहां कुलपति, समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को उपकुलपति नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त नहीं समझते हैं अथवा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हों और कुलपति का चयनाधिकार तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो जाय, तो वे समिति से नई सिफारिश करने के लिये कह सकते हैं।"

धारा २६ का संशोधन

१२—मूल अधिनियम की धारा २६ में—

(१) उपधारा (३) में शब्द "अभिदेश करने के पश्चात्" शब्द "विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की" बढ़ा दिये जायं;

(२) उपधारा (४) में शब्द "जो केवल राज्य सरकार द्वारा संधारित न हो", निकाल दिये जायं;

(३) उपधारा (४) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात :—

"(५) राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संधारित किसी संबद्ध कालेज में अध्यापक के पद पर भर्ती और उस पर नियुक्त किसी व्यक्ति की सेवा की शर्तों के संबंध में इस धारा अथवा धारा २८ की कोई बात लागू न होगी।"

धारा २८ का संशोधन

१३—मूल अधिनियम की धारा २८ में—

(१) उपधारा (१) में शब्द "केवल सरकार द्वारा संधारित कालेज से भिन्न" निकाल दिये जायं;

(२) उपधारा (३) में शब्द "केवल सरकार द्वारा संधारित कालेज से भिन्न", निकाल दिये जायं।

नई धारा ४७-क का बढ़या जाना

१४—मूल अधिनियम की धारा ४७ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय और सदैव से बढ़ाई गई समझी जाय, अर्थात्:—

"४७—क—विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के किसी कार्य या किन्हीं कार्यवाहियों पर केवल इस आधार पर कि उसकी सदस्यता में कोई रिक्ति थी, या उसके संघटन में कोई त्रुटि थी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया जिसके संबंध में बाद में यह पाया जाय कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था, कोई आपत्ति नहीं की जायगी।"

अपवाद

अधिनियम में अस्थायी संशोधन तथा वैधीकरण

१५—(१) मूल अधिनियम ऐसी अवधि के दौरान जो अनुसूची १ के स्तम्भ ३ में निर्दिष्ट दिनांक से प्रारंभ होकर तथा इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से तीन वर्ष व्यतीत होने पर (या ऐसी अल्प अवधि जिसके लिये राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निदेश दे) समाप्त हो, उक्त अनसूची के स्तम्भ १ और २ में निर्दिष्ट संशोधनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होगा और प्रभावी रहा समझा जायगा।

(२) अनुसूची २ में निर्दिष्ट, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्य अथवा की गई या की जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया या की गई समझी जायेगी, और वे उतने ही वैध समझे जायेंगे तथा सदैव से वैध रहे समझे जायेंगे मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान अवसरों पर प्रवृत्त थे, भले ही किसी न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री या आदेश इसके प्रतिकूल हो।

अधिनियम में अस्थायी अवधि के लिए परिनियमों का निगमित किया जाना तथा उनका वैध करण

१६—(१) मूल अधिनयम की धारा ३१ की उपधारा (१) के अधीन प्रथम परिनियमावली के रूप में बनाई जाने के लिये तात्पर्यित तथा दिनांक २८ सितम्बर, १९६८ के असाधारण गजट में उसी दिनांक की अलग-अलग विज्ञप्तियां संख्या ग—१—(आर०)—४६९९/१५—३९ (९)—६६, तथा ग—१—(आर०)—७५७८/१५—३९(९)—६६, के साथ क्रमशः प्रकाशित की गई कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालयों की परिनियमावली, जिनमें दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६८ के असाधारण गजट में उसी दिनांक की विज्ञप्ति संख्या ग—१—(र)—१०९८८/१५—३९ (९)—६६, के साथ प्रकाशित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (ततीय) आदेश, १९६८ द्वारा संशोधित तात्पर्यित हुये (जिन्हें आगे इस धारा में उक्त प्रथम परिनियमावली कहा गया है) एतद्द्वारा ऐसी अवधि के दौरान जो २८ सितम्बर, १९६८ से प्रारंभ होकर तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन वर्ष व्यतीत होने पर (या ऐसी अल्प अवधि जिसके लिये राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निदेश दे) समाप्त हो, मूल अधिनियम के भाग के रूप में अधिनियमित की जाती है, तथा मूल अधिनियम उस सीमा तक जहां तक वे उक्त प्रथम परिनियमावली के उपबन्धों से असंगत हों, ऐसे उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रभावी होगा और प्रभावी रहा समझा जायेगा।

(२) उक्त प्रथम परिनियमावली के अधीन किया गया या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्य अथवा की गई या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्यवाही उपधारा (१) द्वारा यथा अधिनियमित उक्त परिनियमावली के अधीन किया गया या की गई समझी जायेगी और वे उतने ही वैध समझे जायंगे तथा सदैव से वैध रहे समझे जायंगे मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान अवसरों पर

प्रवृत्त थे, भले ही किसी न्यायालय का कोई निर्णय डिक्री या आदेश इसके प्रतिकूल हो ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४ तथा ९, १९७१ का निरसन

१७.—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन तथा संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश, १९७१ और कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७१ एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं ।

## अनुसूची १

[धारा १५ (१) देखिये]

| मूल अधिनियम के उपबन्ध | संशोधन | दिनांक जिससे संशोधन प्रभावी होगा और प्रभावी हुआ समझा जायेगा |
|---|---|---|
| १ | २ | ३ |
| धारा १२ (४) | शब्द "विद्वत परिषद्" के स्थान पर शब्द "कार्यकारिणी परिषद्" रख दिए जायें । | १७ मई, १९६७ |
| धारा १७ | निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय—<br>"प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि धारा १५ के अधीन कोर्ट यथाविधि संघटित न किया जाय, दीक्षान्त समारोह करने तथा धारा ५ के खण्ड (४) में उल्लिखित व्यक्तियों को उपाधियां, डिप्लोमाओं तथा शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टताओं के प्रदान एवं संपादन करने से संबंधित कोर्ट अधिकारों तथा कृत्यों का प्रयोग तथा संपादक कार्यकारिणी परिषद् द्वारा किया जायगा ।" | ८ दिसम्बर, १९६७ |
| | निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय:<br>"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि कोर्ट यथाविधि संघटित न किया जाय, अतिरिक्त परिनियम बनाने तथा ऐसे बनाए गए परिनियमों में [किन्तु उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९७१ की धारा १६ में अभिदिष्ट परिनियमों में नहीं] संशोधन और निरसन के अधिकार तथा कृत्यों का प्रयोग तथा संपादन राज्य सरकार द्वारा किया जायगा, और धारा ३१ के उपबन्ध इन अधिकारों तथा कृत्यों के प्रयोग तथा संपादन के संबंध में लागू नहीं होंगे।" | १६ जनवरी, १९७१ |
| | निम्नलिखित तृतीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय:—<br>"प्रतिबन्ध यह भी है कि उस सीमा तक, जहां तक धारा ४ की उपधारा (८) के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो, उक्त अधिनियम की धारा १६ में अभिदिष्ट परिनियम भी राज्य सरकार द्वारा पूर्ववर्ती अंतिम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन संशोधित किए जा सकते हैं ।" | ९ जून, १९७१ |

| १ | २ | ३ |
|---|---|---|
| धारा १८ | निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय:—<br>"(४) जब तक कि उपधारा (१) के अधीन कार्यकारिणी परिषद् संघटित न की जाय, तब तक उसमें निम्नलिखित होंगे:—<br>(१) उपकुलपति, तथा<br>(२) उन्नीस से अनधिक अन्य व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर और ऐसे कार्य-काल के लिए, जो निर्दिष्ट किया जाय, नाम-निर्दिष्ट किये जाये ।" | १० मार्च, १९६७ |
| धारा १९ (३) | निकाल दी जायें .. | १७ मई, १९६७ |
| धारा २० (३) तथा (४) | निकाल दी जायें .. | १७ मई, १९६७ |
| धारा २६ (४) | शब्द "विश्वविद्यालय की संबद्ध विषय की चयन समिति" के स्थान पर शब्द "कार्यकारिणी परिषद्" रख दिए जायें। | १७ मई, १९६७ |
| धारा ३३ (१) | प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (ख) तथा (ग) निकाल दिये जायें। | १७ मई, १९६७ |
| धारा ३७ (१) | शब्द "विद्वत् परिषद्" के स्थान पर शब्द "कार्यकारणी परिषद्" रख दिए जायें। | १७ मई, १९६७ |
| धारा ३७ (४) | निकाल दी जाय .. | १७ मई, १९६७ |

## अनुसूची २

[धारा १५ (२) देखिए]

१—१० मार्च, १९५७ के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग-१-१५४०/पन्द्रह—३९ (७४)-६६, दिनांक १० मार्च, १९६७ के साथ प्रकाशित, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, १९६७।

२—१७ मई, १९६७ के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग-१-२१७७/१५- ३९ (७४)-६६, दिनांक १७ मई, १९६७ के साथ प्रकाशित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को को दूर करना (द्वितीय) आदेश, १९६७।

३—१५ जुलाई, १९६७ के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग-१-(आर०)-४९३९/१५ - ३९(७४)-६६, दिनांक १५ जुलाई, १९६७ के साथ प्रकाशित कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय कठिनाइयों को दूर करना) (तृतीय) आदेश, १९६७।

४—८ दिसम्बर, १९६७ के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग-१-८५९४/१५—३९-ए (१९)-६७, दिनांक ८ दिसम्बर, १९६७ के साथ प्रकाशित, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (चतुर्थ) आदेश, १९६७ ।

५—७ मई, १९६८ के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग-१-(आर०)-३६७०/१५-३९(६४)-६६, दिनांक ७ मई, १९६८ के साथ प्रकाशित, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, १९६८।

६—३१ दिसम्बर, १९६८ के असाधारण गजट में विज्ञप्ति संख्या ग-१ (र)-९०३५/१५—३९ (९)-६६, दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६८ के साथ प्रकाशित ,कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (द्वितीय) आदेश, १९६८।

## उद्देश्य और कारण

राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में उपकुलपति के चयन की प्रक्रिया लगभग एक सी है। यह प्रस्ताव है कि विभिन्न अधिनियमों में इस सम्बन्ध में बिलकुल एक से ही उपबन्ध बनाए जायं।

२—आगरा विश्वविद्यालय की दशा में विश्वविद्यालय के कोर्ट (या सिनेट) और कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों की पदावधि पांच वर्ष है और अन्य विश्वविद्यालयों की दशा में यह तीन वर्ष है। इस संबंध में भी एकरूपता लाने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव है कि आगरा विश्वविद्यालय के इन निकायों की दशा में भी उक्त पदावधि पांच वर्ष से तीन वर्ष कर दी जाय।

३—राज्य में अशासकीय आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेजों को कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने की अनुमति देने का निश्चय किया गया है। आशा की जाती है कि इससे इन कालेजों में शिक्षा के स्तर में सुधार होने में सहायता मिलेगी। अतएव, यह प्रस्ताव है कि कानपुर विश्वविद्यालय के प्रक्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का प्रसार सम्पूर्ण राज्य में उस सीमा तक कर दिया जाय जहां तक आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेजों का संबंध है।

४—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ की धारा २६ और २८ में संबद्ध कालेजों के अध्यापकों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों से सम्बन्धित उपबन्ध है। ये उपबन्ध राज्य सरकार द्वारा संधारित संबद्ध कालेजों के अध्यापकों पर लागू नहीं होते हैं। यह प्रस्ताव है कि इसी प्रकार इन उपबन्धों को स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा संधारित संबद्ध कालेजों के अध्यापकों पर भी लागू न किया जाय क्योंकि उनकी नियुक्ति और सेवा की शर्तें स्थानीय प्राधिकरणों को नियंत्रित करने वाले विधान मण्डल के अन्य अधिनियमों अथवा ऐसे अधिनियमों के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों द्वारा पहले से ही विनियमित होती हैं।

५—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ के उपबन्धों के संबंध में कतिपय कठिनाइयों को दूर करने के लिए और तद्धीन बनाए गए परिनियमों की वैधता के बारे में सभी सन्देह को दूर करने के उद्देश्य से कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन तथा संक्रमणकालीन उपबन्ध) अध्यादेश, १९७१ राज्यपाल द्वारा उस समय प्रख्यापित किया गया था जब विधान मण्डल के दोनों सदन सत्र में नहीं थे। इस विधेयक में कतिपय संशोधनों के साथ उक्त अध्यादेश के उपबन्धों को भी समाविष्ट कर लिया गया है।

६—तदनुसार, यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

रामजी लाल सहायक,
शिक्षा मंत्री।

---

ज्ञापन-पत्र जो कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय [संशोधन तथा संक्रमणकालीन उपबन्ध] अध्यादेश, १९७१ तथा कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय [द्वितीय संशोधन] अध्यादेश, १९७१ के उपबन्धों से विधेयक के उपबन्धों में अन्तर प्रदर्शित करता है।

विधेयक की अनुसूची १ में दिये गये संशोधनों में मूल अधिनियम की धारा १७ में तृतीय प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ाया गया है तथा कुछ अन्य आनुषंगिक शाब्दिक संशोधन कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, १९७१, जारी होने के फलस्वरूप किये गये हैं।

२—इसके अतिरिक्त, विधेयक की धारा २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ११, १२ तथा १३ में कुछ नये उपबन्ध प्रस्तावित हैं जो उन अध्यादेशों के उपबन्धोंके अतिरिक्त हैं जिनको प्रतिस्थापित करने के लिये विधेयक पुरःस्थापित किया गया है।

रामजी लाल सहायक,
शिक्षा मंत्री।

अधिनियमों की उन धाराओं के उद्धरण जिनका संशोधन उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९७१ द्वारा होना है।

१—लखनऊ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२०

धारा १०—

१०—(१) उपकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और वह कुलपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायगा जिनके नाम उपधारा (४) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति कुलपति को प्रस्तुत करे। उपकुलपति

(२) उपकुलपति अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर पांच वर्ष के लिए पद धारण करेगा किन्तु वह कुलपति को संबोधित लिखित त्याग-पत्र द्वारा पद त्याग कर सकता है। सामान्यतया त्याग-पत्र उस दिनांक से जब से उपकुलपति कार्यभार से मुक्त होना चाहता है, साठ दिन पूर्व कुलपति को दिया जायगा।

(३) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उपकुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो परिनियमों में विहित हैं या उनके द्वारा विहित की जायें।

(४) —(१) उपधारा (१) में अभिदिष्ट समिति में तीन व्यक्ति होंगे, अर्थात्—

(क) एक व्यक्ति, जिसका संबंध विश्वविद्यालय, संघटक महाविद्यालय, सहयुक्त महाविद्यालय या हाल से न हो, कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जायगा।

(ख) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो उक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति, जिसके अन्तर्गत उक्त न्यायालय का न्यायाधिपति भी है, हो या रहा हो, और

(ग) तीसरा व्यक्ति, जो समिति का संयोजक भी होगा, कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा।

(२) समिति, उस दिनांक से जब उपधारा (२) के अधीन उपकुलपति की अवधि समाप्त होने या उसके त्याग-पत्र देने के कारण उसका पद रिक्त होने वाला हो, यथासंभव कम से कम तीस दिन पूर्व, और जब कभी कुलपति ऐसी अपेक्षा करे तब भी, कुलपति को ऐसे तीन व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी जो उपकुलपति का पद धारण करने के लिए उपयुक्त हो। समिति कुलपति को नाम प्रस्तुत करते समय उक्त प्रत्येक तीन व्यक्तियों की शैक्षिक अर्हताओं तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी प्रेषित करेगी, किन्तु वह उसमें कोई अधिमान-क्रम प्रकट न करेगी।

(३) समिति के सदस्यों में केवल कोई रिक्त अथवा रिक्तियां होने के कारण अथवा उसकी कार्यवाहियों में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भाग लेने के कारण, जिसे बाद में ऐसा करने के लिये हकदार न पाया जाय, उसका कोई कार्य अथवा कार्यवाही अवैध न होगी।

(५) यदि छुट्टी लेने के कारण अथवा त्याग-पत्र या अवधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से उपकुलपति का पद रिक्त हो जाय या उसके रिक्त होने

की संभावना हो, तो रजिस्ट्रार इस तथ्य की सूचना तुरन्त कुलपति को देगा, जो:—

(१) उस दशा में, जब उक्त रिक्ति छः मास से अधिक अवधि के लिए हो या होने को संभावना हो, उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार उपकुलपति की नियुक्ति करने की कार्यवाही करेगा;

(२) उस दशा में, जब रिक्ति छः मास या उस से कम अवधि के लिए हो, किसी उपयुक्त व्यक्ति को उपकुलपति के पद पर नियुक्त करेगा।

(६) इस धारा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कुलपति किसी आपातिक स्थिति में, जिसका कि कुलपति एकमात्र निर्णायक होगा और किसी भी ऐसी दशा में जब रिक्ति की पूर्ति उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार सुविधापूर्वक तथा शीघ्रता से न की जा सकती हो, किसी उपयुक्त व्यक्ति को उपकुलपति के पद पर नियुक्त कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई भी नियुक्ति छः मास से अधिक अवधि के लिए न की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस प्रकार की गई नियुक्ति, उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार उपकुलपति की नियुक्ति हो जाने पर, समाप्त हो जायगी;

स्पष्टीकरण—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६१ की धारा ८ के अधीन हुई उप-कुलपति के पद की रिक्ति भी इस धारा के प्रयोजन के लिये आपातिक समझी जायेगी।

(७) यदि उपधारा (६) के अधीन कोई नियुक्ति की जाय तो कुलपति, उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार, यथाशक्य शीघ्र उपकुलपति नियुक्त किये जाने के निमित्त कार्यवाही करेगा।

(८) उस समय तक, जब कि कुलपति उपधारा (५) या उपधारा (६) के अधीन उपकुलपति की नियुक्ति न कर दे, रजिस्ट्रार उपकुलपति के पद के वर्तमान कर्त्तव्यों का पालन करेगा, किन्तु वह विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की किसी भी बैठक का सभापतित्व नहीं करेगा।

२—इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२१

धारा ११—

११—(१) उपकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और वह कुलपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायगा जिनके नाम उपधारा (४) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति कुलपति को प्रस्तुत करे।

(२) उपकुलपति अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर, तीन वर्ष के लिए पद धारण करेगा किन्तु वह कुलपति को सम्बोधित लिखित त्याग-पत्र द्वारा पद त्याग कर सकता है। सामान्यतया त्याग-पत्र उस दिनांक से जब से उपकुलपति कार्यभार से मुक्त होना चाहता है, साठ दिन पूर्व कुलपति को दिया जायगा।

(३) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उपकुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो परिनियमों में विहित हैं या उनके द्वारा विहित की जायें।

(४)—(१) उपधारा (१) में अभिदिष्ट समिति में तीन व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(क) एक व्यक्ति जिसका विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, सहयुक्त महाविद्यालय, संघटक महाविद्यालय या छात्रावास से संबंध न हो, कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जायगा;

(ख) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो उक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति, जिसके अन्तर्गत उक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति भी है, हो या रहा हो, और

(ग) तीसरा व्यक्ति, जो समिति का संयोजक भी होगा, कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा।

(२) समिति यथासंभव उस दिनांक से कम से कम तीस दिन पूर्व जब उपधारा (२) के अधीन उपकुलपति की अवधि समाप्त होने या उसके त्यागपत्र देने के कारण उसका पद रिक्त होने वाला हो, और जब कभी कुलपति ऐसी अपेक्षा करे ब भी, कुलपति को ऐसे तीन व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी जो उपकुलपति का पद धारण करने के लिये उपयुक्त हों। समिति कुलपति को नाम प्रस्तुत करते समय उक्त प्रत्येक तीन व्यक्तियों की शैक्षिक अर्हता तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी प्रेषित करेगी किन्तु वह उसमें कोई अधिमान-क्रम प्रकट न करेगा।

(३) समिति के सदस्यों में केवल कोई रिक्ति अथवा रिक्तियां होने के कारण अथवा उसकी कार्यवाहियों में किसी ऐसे व्यक्तियों द्वारा भाग लेने के कारण, जिसे बाद में ऐसा करने के लिये हकदार न पाया जाय, उसका कोई कार्य अथवा कार्यवाही अवैध न होगी।

(५) यदि छुट्टी लेने के कारण अथवा त्याग-पत्र या अवधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से उपकुलपति का पद रिक्त हो जाय या उसके रिक्त होने की संभावना हो, तो रजिस्ट्रार इस तथ्य की सूचना तुरन्त कुलपति को देगा, जो—

(१) उस दशा में, जब रिक्ति छः माह से अधिक अवधि के लिये हो या होने की संभावना हो, उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार उपकुलपति की नियुक्ति करने की कार्यवाही करेगा;

(२) उस दशा में, जब रिक्ति छः माह या उससे कम अवधि के लिए हो, किसी उपयुक्त व्यक्ति को उपकुलपति के पद पर नियुक्त करेगा।

(६) इस धारा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी कुलपति किसी आपातिक स्थिति में, जिसका कि कुलपति एकमात्र निर्णायक होगा, और किसी भी ऐसी दशा में, जब रिक्ति की पूर्ति उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार सुविधापूर्वक तथा शीघ्रता से न की जा सकती हो, किसी उपयुक्त व्यक्ति को उपकुलपति के पद पर नियुक्त कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई भी नियुक्ति छः माह से अधिक अवधि के लिए न की जायगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस प्रकार की गयी नियुक्ति, उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार उपकुलपति की नियुक्ति हो जाने पर, समाप्त हो जायगी।

स्पष्टीकरण—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६१ की धारा ८ के अधीन हुई उपकुलपति के पद की रिक्ति भी इस धारा के प्रयोजनों के लिये आपातिक समझी जायगी।

(७) यदि उपधारा (६) के अधीन कोई नियुक्ति की जाय तो कुलपति, उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार, यथाशक्य शीघ्र, उपकुलपति के नियुक्त किये जाने के निमित्त कार्यवाही करेगा।

(८) उस समय तक, जब तक कि कुलपति उपधारा (५) या उपधारा (६) के अधीन नियुक्ति न कर दे, रजिस्ट्रार उपकुलपति के पद के वर्तमान कर्तव्यों का पालन करेगा किन्तु वह विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की किसी भी बैठक का सभापतित्व नहीं करेगा।

३—आगरा विश्वविद्यालय अधिनियम, १९२६

धारा ९, १४, १७—

उप कुलपति

९—(१) उपकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और वह कुलपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायगा जिनके नाम उपधारा (४) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति कुलपति को प्रस्तुत करे।

(२) उपकुलपति अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर तीन वर्ष के लिये पद धारण करेगा किन्तु वह कुलपति को संबोधित लिखित त्याग-पत्र द्वारा पद त्याग कर सकता है। सामान्यतया त्याग-पत्र उस दिनांक से जब से उपकुलपति कार्यभार से मुक्त होना चाहता है, साठ दिन पूर्व कुलपति को दिया जायगा।

(३) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उपकुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो परिनियमों में विहित हैं या उनके द्वारा विहित की जायें।

(४)—(१) उपधारा (१) में अभिदिष्ट समिति में तीन व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

(क) एक व्यक्ति, जिसका विश्वविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय या छात्रावास से सम्बन्ध न हो, कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जायगा;

(ख) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो उक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति, जिसके अन्तर्गत उक्त न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति भी है, हो या रहा हो, और

(ग) तीसरा व्यक्ति, जो समिति का संयोजक भी होगा, कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा।

(२) समिति उस दिनांक से, जब उपधारा (२) के अधीन उपकुलपति की अवधि समाप्त होने या उसके त्याग-पत्र देने के कारण उसका पद रिक्त होने वाला हो, यथासंभव कम से कम तीस दिन पूर्व और जब कभी कुलपति ऐसी अपेक्षा करे तब भी, कुलपति को ऐसे ३ व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी, जो उपकुलपति का पद धारण करने के लिये उपयुक्त हों। समिति कुलपति को नाम प्रस्तुत करते समय उक्त प्रत्येक तीन व्यक्तियों की शैक्षिक अर्हता तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी प्रेषित करेगी, किन्तु वह उसमें कोई अधिमान-क्रम प्रकट न करेगी।

(३) समिति के सदस्यों में केवल कोई रिक्ति अथवा रिक्तियां होने के कारण अथवा उसकी कार्यवाहियों में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भाग लेने के कारण जिसे बाद में ऐसा करने के लिये हकदार न पाया जाय, उसका कोई कार्य अथवा कार्यवाही अवैध न होगी।

(५) यदि छुट्टी लेने के कारण अथवा त्याग-पत्र या अवधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से उपकुलपति का पद रिक्त हो जाय या उसके रिक्त

होने की संभावना हो, तो रजिस्ट्रार इस तथ्य की सूचना तुरन्त कुलपति को देगा, जो—

(१) उस दशा में जब उक्त रिक्ति छः माह से अधिक अवधि के लिये हो या होने की संभावना हो, उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार उपकुलपति की नियुक्ति करने की कार्यवाही करेगा;

(२) उस दशा में जब रिक्ति छः माह या उससे कम अवधि के लिये हो, किसी उपयुक्त व्यक्ति को उपकुलपति के पद पर नियुक्त करेगा।

(६) इस धारा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी कुलपति किसी आपातिक स्थिति में, जिसका कि कुलपति एकमात्र निर्णायक होगा और किसी भी ऐसी दशा में, जब रिक्ति की पूर्ति उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार सुविधापूर्वक तथा शीघ्रता से न की जा सकती हो, किसी उपयुक्त व्यक्ति को उपकुलपति के पद पर नियुक्त कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई भी नियुक्ति छः माह से अधिक अवधि के लिए न की जायगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस प्रकार की गयी नियुक्ति उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार उपकुलपति की नियुक्ति हो जाने पर समाप्त हो जायगी ।

स्पष्टीकरण—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६१ की धारा ८ के अधीन हुई उपकुलपति के पद की रिक्ति भी इस धारा के प्रयोजन के लिये आपातिक समझी जायगी ।

(७) यदि उपधारा (६) के अधीन कोई नियुक्ति की जाय तो कुलपति उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार, यथाशक्य शीघ्र, उपकुलपति नियुक्त किये जाने के निमित्त कार्यवाही करेगा ।

(८) उस समय तक, जब तक कि कुलपति उपधारा (५) या उपधारा (६) के अधीन उपकुलपति की नियुक्ति न करे, रजिस्ट्रार उपकुलपति के पद के वर्तमान कर्त्तव्यों का पालन करेगा, किन्तु वह विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की किसी भी बैठक का सभापतित्व नहीं करेगा ।

१४—(१) परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियामक सभा (सिनेट) निम्नलिखित सदस्यों द्वारा गठित होगी:— नियामक सभा

(क) (निकाल दिया गया) ।

(ख) (निकाल दिया गया) ।

वर्ग १—आजीवन सदस्य

(१) ऐसे व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय या शिक्षा के हेतु की गई महती सेवाओं के आधार पर कुलपति द्वारा आजीवन सदस्य नियुक्त किये जायें :

प्रतिबन्ध यह है कि नियामक सभा (सिनेट) में उनकी संख्या किसी समय चार से अधिक न होगी ।

(२) ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने विश्वविद्यालय को या उसके प्रयोजनों के लिये २०,००० रुपये से अधिक का दान दिया हो,

(३) ऐसे समस्त व्यक्ति, जिन्होंने विश्वविद्यालय में उपकुलपति का पद एक पूर्ण अवधि तक धारण किया हो,

वर्ग २—पदेन सदस्य

(१) कुलपति,
(२) उत्तर प्रदेश सरकार का शिक्षा मंत्री,
(३) उपकुलपति,
(४) शिक्षा निदेशक, उद्योग निदेशक, कृषि निदेशक तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश,
(५) (निकाल दिया गया।)
(६) विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य ।

वर्ग ३

ऐसे व्यक्तियों के परिनियमों के अनुसार निर्धारित १० से अधिक प्रतिनिधि, जिन्होंने २,५०० रुपया या उससे अधिक, किन्तु २०,००० रुपये से कम धनराशि का दान दिया हो ।

वर्ग ४

उद्योग, वाणिज्य, कृषि विद्या निकायों तथा व्यवसायों के पांच से अनधिक प्रतिनिधि ।

वर्ग ५

सात ऐसे व्यक्ति, जो उत्तर प्रदेश विधान मंडल के सदस्य हों । इनमें पांच विधान सभा के और दो विधान परिषद् के सदस्य होंगे ।

वर्ग ६

रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के बीस प्रतिनिधि, जो एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार रजिस्ट्रीकृत स्नातकों द्वारा ऐसे रजिस्ट्रीकृत स्नातकों में से चुने जायेंगे जो विश्वविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय की सेवा में नहीं हैं और जिनके नाम स्नातकों के रजिस्टर में कम से कम तीन वर्ष तक रहे हों :

प्रबन्ध यह है कि कोई भी रजिस्ट्रीकृत स्नातक उस समय तक निर्वाचन में मत देने का हकदार न होगा जब तक कि उसका नाम मतदान पत्रों की वापसी के लिये नियत किये गये दिनांक से पूर्व कम से कम एक वर्ष तक रजिस्टर में न रहा हो ।

वर्ग ७

अध्यापन कर्मचारिवर्ग तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रतिनिधियों के ऐसे सदस्य, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें । इनमें निम्नलिखित प्रवर्ग के सदस्य होंगे:—

(१) विश्वविद्यालय के अध्यापक,
(२) क वर्ग के सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रिंसिपल,

(३) ख वर्ग के सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रिंसिपल

(४) क वर्ग के सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापक,

(५) ख वर्ग के सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापक,

(६) केवल सरकार द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों को छोड़कर अन्य सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रबन्ध के दस से अनधिक प्रतिनिधि, जिनमें क वर्ग के महाविद्यालयों के प्रतिनिधि आधे से कम नहीं होंगे ।

इस खंड के प्रयोजन के लिये सम्बद्ध महाविद्यालयों को उनमें दिये जाने वाले उच्च शिक्षण की मात्रा के अनुसार परिनियमों द्वारा क वर्ग के तथा ख वर्ग के महा-विद्यालयों में वर्गीकृत किया जायगा ।

वर्ग ८

(१) कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले दस से अनधिक व्यक्ति,

(२) धारा ३६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वर्ग १ तथा २ के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों की अवधि पांच वर्ष होगी,

(३) वर्ग ३,४, ६ तथा ७ के सदस्यों के चयन की रीति परिनियमों द्वारा अवधारित की जायगी,

(४) कुलपति, पदेन या आजीवन सदस्य से भिन्न किसी ऐसे सदस्य के स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है, जो बिना पर्याप्त कारण के नियामक सभा (सिनेट) की लगातार तीन वार्षिक बैठकों में अनुपस्थित रहा हो ।

१७—(१) कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी होगी और निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा गठित होगी:— कार्यकारिणी परिषद्

(१) उपकुलपति;

(२) शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश;

(३) विश्वविद्यालय की समस्त फैकल्टियों के डीन;

(४) सम्बद्ध महाविद्यालयों के तीन प्रिंसिपल, जो परिनियमों द्वारा विहित रीति से चुने जायेंगे;

(५) नियामक सभा (सिनेट) के छः सदस्य, जो नियामक सभा (सिनेट) द्वारा एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुने जायेंगे और जो खंड (१) से (४) में उल्लिखित व्यक्ति न हों तथा विश्वविद्यालय अथवा किसी सम्बद्ध महाविद्यालय में अध्यापन कार्य न करते हों

(६) परिनियमों द्वारा विहित रीति से विद्वत् परिषद् द्वारा चुना गया एक व्यक्ति जो खंड (१) से (५) के अन्तर्गत न आता हो;

(७) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित पांच व्यक्ति ।

(२) (निकाल दिया गया)

(३) कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों के चयन, नाम निर्देशन, निर्वाचन तथा नियुक्ति से संबंधित परिनियमों में ऐसे उपयुक्त उपबन्ध रहेंगे जिससे यह सुनिश्चित हो जाय कि किसी एक सम्बद्ध महाविद्यालय से प्रिंसिपल या प्रबन्ध निकाय के सदस्य के रूप में अन्य किसी रूप में संबंधित एक से अधिक व्यक्ति कार्यकारिणी परिषद् का सदस्य न हो ।

(४) धारा ३६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों की पदावधि पांच वर्ष होगी ।

४—गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६

धारा १३—

उप कुलपति

१३—(१) उपकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक ( whole-time ) पदाधिकारी होगा और कुलपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायगा जिनके नाम उपधारा (४) के उपबन्धों के अनुसार संघटित समिति कुल पति को प्रस्तुत करे ।

(२) उप-कुलपति सिवाय उस दशा के जब अन्यथा व्यवस्था की गई हो, तीन वर्ष के लिये पदासीन रहेगा किन्तु कुलपति को संबोधित लिखित त्याग-पत्र द्वारा पद-त्याग कर सकता है । सामान्यतया त्याग-पत्र उस दिनांक से, जब से उप-कुलपति कार्यभार से मुक्त होना चाहता है, साठ दिन पूर्व कुलपति को दिया जायगा ।

(३) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उप-कुलपति के पारिश्रमिक तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो परिनियमों में नियत हैं या परिनियमों द्वारा नियत की जायें ।

(४)—(१) उपधारा (१) में उल्लिखित समिति में तीन व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

(क) एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय, घटक कालेज (Constituent College) संबद्ध कालेज, हाल या छात्रावास से संबद्ध (Connected) न हो, कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जायगा

(ख) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति, द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो उक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति, जिसके अन्तर्गत उक्त न्यायालय का न्यायाधिपति भी है, हो या रहा हो, और

(ग) तीसरा व्यक्ति, जो समिति का संयोजक (Convener) भी होगा, कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा ।

(२) समिति, उस दिनांक से, जब उप-कुलपति का कार्यकाल समाप्त होने या उपधारा (२) के अधीन उसके त्याग-पत्र देने के कारण उसका पद रिक्त होने वाला हो, यथासंभव कम से कम तीस दिन पूर्व, और जब कभी कुलपति ऐसी अपेक्षा करे तब भी, कुलपति को ऐसे तीन व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी जो उप-कुलपति का पद धारण करने के लिए उपयुक्त हों । समिति, नाम प्रस्तुत करते समय कुलपति को एक संक्षिप्त विवरण भी प्रस्तुत करेगी, जिसमें उक्त तीन व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हतायें तथा अन्य विशिष्टतायें दी जायेंगी किन्तु वह उसमें कोई अधिमान-क्रम (Order of reference ) प्रकट न करेगी ।

(३) समिति के सदस्यों में केवल कोई रिक्त अथवा रिक्तियां होने के कारण अथवा उसकी कार्यवाहियों में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भाग लेने के कारण, जिसे बाद में ऐसा करने के लिये हकदार न पाया जाय, उसका कोई कार्य अथवा कार्यवाही अवैध न होगी ।

(५) यदि उप-कुलपति का पद, छुट्टी लेने के कारण अथवा त्याग-पत्र या कार्यकाल की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाय या उसके रिक्त होने की संभावना हो, तो रजिस्ट्रार इस बात की सूचना तुरन्त कुलपति को देगा, जो—

(१) उस दशा में, जब उक्त रिक्ति छः मास से अधिक अवधि के लिए हो या होने की संभावना हो, उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार-उप कुलपति की नियुक्ति करने की कार्यवाही करेगा;

(२) उस दशा में, जब रिक्ति छः मास या उससे कम अवधि के लिये हो, किसी उपयुक्त व्यक्ति को उप-कुलपति के पद पर नियुक्त करेगा ।

(६) इस धारा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कुलपति, किसी आपात ( Emergency) की दशा में, जिसका कि कुलपति एकमात्र निर्णायक होगा, और किसी भी ऐसी दशा में जब रिक्ति की पूर्ति उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार सुविधापूर्वक तथा शीघ्रता से न की जा सकती हो, किसी उपयुक्त व्यक्ति को उप-कुलपति के पद पर नियुक्ति कर सकता है:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई भी नियुक्ति छः मास से अधिक अवधि के लिये न की जायेगी :

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस प्रकार की गई नियुक्ति, उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार उप-कुलपति की नियुक्त हो जाने पर, समाप्त हो जायेगी ।

स्पष्टीकरण—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६१ की धारा ८ के अधीन हुई उपकुलपति के पद की रिक्ति इस धारा के प्रयोजन के लिये आपात समझी जायेगी । उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या, १९६१

(७) यदि उपधारा (६) के अधीन कोई नियुक्ति की जाय तो कुलपति, उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार, यथाशक्य शीघ्र, उप-कुलपति नियुक्ति किये जाने के निमित्त कार्यवाही करेगा ।

(८) उस समय तक, जब तक कि कुलपति उपधारा (५) या उपधारा (६) के अधीन उपकुलपति की नियुक्ति न कर दे, रजिस्ट्रार उपकुलपति के पद के साम्प्रतिक कर्त्तव्यों (curreet duties) का पालन करेगा किन्तु वह विश्व-विद्यालय प्राधिकारियों की किसी भी बैठक का सभापतित्व नहीं करेगा ”

५—वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६

धारा १२—

उपकुलपति

१२—(१) उपकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालि (whole-time) पदाधिकारी होगा और कुलपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायगा, जिनके नाम उपधारा (४) के उपबन्धों के अनुसार संघटित समिति कुलपति को प्रस्तुत करें ।

(२) उपकुलपति सिवाय उस दशा के जब अन्यथा व्यवस्था की गई हो, तीन वर्ष के लिये पदासीन रहेगा, किंतु कुलपति को संबोधित लिखित त्याग-पत्र द्वारा पद त्याग कर सकता है । सामान्यतया त्याग-पत्र उस दिनांक से, जब से उपकुलपति कार्यभार से मुक्त होना चाहता है, साठ दिन पूर्व कुलपति को दिया जायगा ।

(३) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपकुलपति के पारिश्रमिक तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो परिनियमों में नियत हैं या परिनियमों द्वारा नियत की जायें ।

(४)—(१) उपधारा (१) में उल्लिखित समिति में तीन व्यक्ति होंगे, अर्थात्—

(क) एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय, संबद्ध महाविद्यालय (Affiliated Colleges) या छात्रावास से संबद्ध (connected) न हो, कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जायगा;

(ख) उच्च न्यायलय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो उक्त उच्च न्यायालय का न्याधिपति, जिसके अन्तर्गत उक्त न्यायालय का न्यायाधिपति भी है, हो या रहा हो, और

(ग) तीसरा व्यक्ति, जो समिति का संयोजक (convener) भी होगा, कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा,

(२) समिति, उस दिनांक से, जब उपकुलपति का कार्यकाल समाप्त होने या उपधारा (२) के अधीन उसके त्याग-पत्र देने के कारण, उसका पद रिक्त होने वाला हो, यथासंभव कम से कम तीस दिन पूर्व, और जब कभी कुलपति ऐसी अपेक्षा करे तब भी, कुलपति को ऐसे तीन व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी जो उपकुलपति का पद धारण करने के लिए उपयुक्त हों । समिति, नाम प्रस्तुत करते समय, कुलपति को एक संक्षिप्त विवरण भी प्रस्तुत करेगी, जिसमें उक्त तीन व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हतायें तथा अन्य विशिष्टतायें दी जायेंगी, किन्तु वह उसमें कोई अधिमान-क्रम (order of preference) प्रकट न करेगी ।

(३) समिति के सदस्यों में केवल कोई रिक्ति अथवा रिक्तियां होने के कारण अथवा उसकी कार्यवाहियों में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भाग लेने के कारण, जिसे बाद में ऐसा करने के लिए हकदार न पाया जाय, उसका कोई कार्य अथवा कार्यवाही अवैध न होगी ।

(३)—(क) निरस्त

(ख) निरस्त

(५) यदि उपकुलपति का पद, छुट्टी लेने के कारण अथवा त्याग-पत्र या कार्यकाल की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाय या उसके रिक्त होने की संभावना हो, तो प्रस्तोता इस बात की सूचना तुरन्त कुलपति को देगा, जो—

(१) उस दशा में, जब उक्त रिक्ति छः मास से अधिक अवधि के लिये हो या होने की संभावना हो उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार उपकुलपति की नियुक्ति करने की कार्यवाही करेगा;

(२) उस दशा में जब रिक्ति छः मास या उससे कम अवधि के लिये हो, किसी उपयुक्त व्यक्ति को उपकुलपति पद पर नियुक्त करेगा ।

(६) इस धारा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कुलपति, किसी आपात (emergency) की दशा में, जिसका कि कुलपति एकमात्र निर्णायक होगा, और किसी भी ऐसी दशा में, जब रिक्त की पूर्ति उपधारा (१) तथा (४) के उबबन्धों

के अनुसार सुविधापूर्वक तथा शीघ्रता से न की जा सकती हो, किसी उपयुक्त व्यक्ति को उपकुलपति के पद पर नियुक्त कर सकता है ;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई भी नियुक्ति छः मास से अधिक अवधि के लिये न की जायेगी:

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस प्रकार की गई नियुक्ति, उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार उपकुलपति की नियुक्ति हो जाने पर, समाप्त हो जायगी ।

स्पष्टीकरण—उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६१ की धारा ८ के अधीन हुई उपकुलपति के पद की रिक्ति इस धारा के प्रयोजन के लिये आपात समझी जायगी ।

(७) यदि उपधारा (६) के अधीन कोई नियुक्ति की जाय तो कुलपति उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार, यथाशक्य शीघ्र, उपकुलपति नियुक्त किये जाने के निमित्त कार्यवाही करेगा ।

(८) उस समय तक, जब तक कि कुलपति उपधारा (५) या उप धारा (६) के अधीन उपकुलपति की नियुक्ति न कर दे, प्रस्तोता उपकुलपति के पद के साम्प्रतिक कर्तव्यों (current duties) का पालन करेगा । किन्तु वह विश्वविद्यालय प्राधिकारियों की किसी भी बैठक का सभापतित्व नहीं करेगा ।

६—कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय अधिनियम, १९६५ धारा ४, ९, १२, १७, १८, १९, २०, २६, २८, ३३, ३७ ।

प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा संबद्धता

४—(१) इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन अन्यथा की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए, कानपुर विश्वविद्यालय के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग इलाहाबाद फतेहपुर, कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर,खीरी और बाराबंकी के जिलों में जिसके अन्तर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय की सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र नहीं हैं, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय सम्मिलित क्षेत्रों में किया जायगा, और इसी प्रकार मेरठ विश्वविद्यालय को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलन्दशहर और देहरादून के जिलों में, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय सम्मिलित क्षेत्रों में किया जायगा ।

(२) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में उपधारा (१) के अधीन निर्दिष्ट क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के पूर्व अनुमोदन के बिना तदर्थ कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की जायगी ।

(३) कानपुर विश्वविद्यालय के क्षेत्र के भीतर अथवा इलाहाबाद विश्वविद्यालय या लखनऊ विश्वविद्यालय की सीमाओं के भीतर स्थित कालेज, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अधीन आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो, ऐसे दिनांक से जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे, कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समझे जायेंगे और विभिन्न कालेजों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं । मेरठ

विश्वविद्यालय के क्षेत्र के भीतर स्थित कालेज, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अधीन आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हों, ऐसे दिनांक से, जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे, मेरठ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समझे जायेंगे और विभिन्न कालेजों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं ।

(४) उपधारा (३) में उल्लिखित अलग-अलग क्षेत्रों या सीमाओं के भीतर स्थित ऐसे कालेजों के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अधीन आगरा यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध किये गये उक्त उपधारा के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानों उसमें इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के अभिदेश कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९६६ के प्रारम्भ होने के अभिदेश समझे गये हों ।

(५) आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन किसी निश्चित दिनांक के पूर्व, उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट किसी कालेज के अध्यापक या प्रिंसिपल अथवा प्रबन्धकों के प्रतिनिधि के रूप में आगरा यूनिवर्सिटी के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का सदस्य हो, या रहा हो, उस दिनांक से ऐसा सदस्य न रह जायगा अथवा ऐसा सदस्य न रहा समझा जायगा ।

(६)उपधाराओं (१) से लेकर (३) तक या उपधारा (३) के अधीन जारी की गई किसी विज्ञप्ति में, या आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ में किसी बात के होते हुए भी, सीतापुर स्थित नेहरू इंस्टीट्यूट आफ ओफ्थालमालोजी ऐंड रिसर्च, आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९१६ के अधीन, आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध और सदैव से ही सम्बद्ध बना रहा समझा जाएगा, और तदनुसार, कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, १९६८ के प्रारंभ से पूर्व उक्त इंस्टीट्यूट के सम्बन्ध में या उक्त इंस्टीट्यट में तालिकांकित व्यक्तियों के सम्बन्ध में आगरा विश्वविद्यालय द्वारा किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही या दिया गया कोई आदेश, जिसके अन्तर्गत संचालित की गयी कोई परीक्षा, लिया गया कोई शुल्क, या प्रदत्त किया गया कोई डिप्लोमा आते हैं, इस प्रकार विधिमान्य रूप से किया गया, की गयी, दिया गया, संचालित की गयी, लिया गया या प्रदत्त किया गया समझे जायंगे, मानों इस उपधारा के उपबन्ध सभी तात्विक समयों पर प्रचलित रहे हों।

(७) उक्त इंस्टीट्यूट, ऐसे दिनांक से जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे, आगरा विश्वविद्यालय से उपधारा (६) के अधीन सम्बद्ध नहीं रहेगा, और वह इस अधिनियम के अधीन कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो जायगा ।

९—(१) उपकुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और वह कुलपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा, जिनके नाम उस विश्वविद्यालय के लिये उसे उपधारा (४) के उपबन्धों के अनुसार संघटित समिति द्वारा प्रस्थत किये जायं:

प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम उपकुलपति की नियुक्ति, तथा कोई अनुवर्ती नियुक्ति, जिसे समिति के इस प्रकार संघटित होने तक के लिए करना अपेक्षित हो, कुलपति द्वारा की जा सकती है।

(२) उपकुलपति, अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर तीन वर्ष के लिए वह पद धारण करेगा, किन्तु वह कुलपति को सम्बोधित लिखित त्याग-पत्र देकर अपना पद त्याग कर सकता है। साधारणतया यह त्याग-पत्र उस दिनांक से जब उपकुलपति कार्यभार से मुक्त होना चाहता हो, साठ दिन पूर्व कुलपति को दिया जायगा।

(३) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपकुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो नियत की जायं।

(४) उपधारा (१) में उल्लिखित समिति में तीन व्यक्ति होंगे, अर्थात्—

(क) कार्यकारिणी परिषद् द्वारा निर्वाचित एक ऐसा व्यक्ति होगा जो विश्वविद्यालय संघटक कालेज, सम्बद्ध कालेज या छात्रावास की सेवा में न हो और विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण, बोर्ड या संस्था अथवा किसी ऐसे कालेज की प्रबन्ध समिति का सदस्य न हो;

(ख) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट उक्त न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों अथवा सेवा निवृत्त न्यायाधीशों में से एक व्यक्ति;

(ग) एक व्यक्ति जो कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा और वह समिति का संयोजक भी होगा।

(२) समिति, यथासम्भव, उस दिनांक से कम से कम तीस दिन पूर्व जब उपधारा (२) के अधीन उपकुलपति का पद कार्यकाल की समाप्ति अथवा पद त्याग करने के कारण रिक्त होने वाला हो और जब कभी भी कुलपति द्वारा यह अपेक्षित हो, कुलपति को तीन व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी जो उपकुलपति का पद धारण करने के लिए उपयुक्त हों। समिति नाम प्रस्तुत करते समय कुलपति को एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी जिसमें उक्त तीन व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताएं तथा अन्य विशिष्टताएं दी जायेंगी किन्तु उसमें कोई अधिमान क्रम इंगित न होगा।

(३) यदि खण्ड (२) के अधीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये एक या अधिक व्यक्ति उपकुलपति के रूप में नियुक्त करने के लिए उपलब्ध न हों और कुलपति को तीन से कम व्यक्तियों में से चयन करना हो, तो यदि वह चाहे तो समिति को नाम वापस भेज सकता है और तदुपरान्त समिति तीन उपयुक्त व्यक्तियों के नाम जो उपकुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए सम्मत और उपलब्ध हों, पुनः प्रस्तुत करेगी।

(५) यदि उपकुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पद-त्याग या कार्यकाल की समाप्ति को छोड़कर किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाय अथवा उसके रिक्त होने की सम्भावना हो तो रजिस्ट्रार इस बात की सूचना तुरन्त कुलपति को देगा, जो—

(क) यदि रिक्ति छः महीने से अधिक अवधि के लिये हो अथवा होने की सम्भावना हो, उप-धारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार उपकुलपति की नियुक्ति के लिए कार्यवाही करेगा,

(ख) यदि रिक्ति छः महीने से कम अवधि के लिये हो, अथवा होने की सम्भावना हो तो वह उपकुलपति के पद पर किसी उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त करेगा।

(६) उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड में लिए गये उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किन्तु इस धारा में कहीं भी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कुलपति किसी आपातिक दशा में, जिसका निर्णय वह स्वयं करेगा, अथवा किसी ऐसी दशा में जब रिक्ति की पूर्ति उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा से तथा शीघ्रता से न की जा सकती हो, किसी उपयुक्त व्यक्ति को उपकुलपति के पद पर नियुक्त कर सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन कोई भी नियुक्ति छः महीने से अधिक अवधि के लिए न की जायगी।

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस प्रकार की गई नियुक्ति, उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार उपकुलपति की नियुक्ति हो जाने पर समाप्त हो जायेगी।

(७) जब उपधारा (६) के अधीन नियुक्ति की जाय तो कुलपति, यथाशक्य शीघ्र, उपधारा (१) तथा (४) के उपबन्धों के अनुसार उपकुलपति की नियुक्ति के लिए कार्यवाही करेगा।

(८) उपधारा (५) या उपधारा (६) के अधीन कुलपति द्वारा नियुक्ति की जाने तक, रजिस्ट्रार उपकुलपति के नैत्यक कर्त्तव्यों को करेगा, किन्तु कोर्ट की किसी बैठक की अध्यक्षता न करेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १३, १९६५

१२—(१) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और कार्यकारिणी परिषद् द्वारा, निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जायगा, अर्थात् —

(i) उपकुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा,

(ii) किसी अन्य विश्वविद्यालय का सेवा कर रहा उप-कुलपति, जो कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाये, और

(iii) कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अन्य व्यक्ति।

(२) रजिस्ट्रार की सेवा की शर्तें, जिसके अन्तर्गत उसे देय वेतन तथा भत्ते भी हैं, वही होंगी जो अध्यादेशों द्वारा नियत की जाये।

(३) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुहर की यथोचित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह कोर्ट, कार्यकारिणी परिषद्, विद्वत परिषद् द्वारा तथा अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चयन समितियों का पदेन सचिव होगा, और इन प्राधिकरणों के समक्ष ऐसी समस्त सूचनायें रखने के लिए बाध्य होगा जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायें अथवा समय-समय पर कार्यकारिणी परिषद् या उप-कुलपति द्वारा अपेक्षित हों।

(४) वह विद्वत परिषद् द्वारा दिये गये किन्हीं निदेशों के अधीन रहते हुए परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए अन्य सभी आवश्यक प्रबन्ध करेगा तथा उनसे सम्बद्ध सभी प्रक्रियाओं के यथोचित निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

(५) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए, ऐसे पारिश्रमिक के अतिरिक्त जिसकी व्यवस्था परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा की जाय, न तो कोई पारिश्रमिक दिया जायगा, और न वह उसे स्वीकार करेगा।

कोर्ट के अधिकार तथा कर्त्तव्य

१७—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोर्ट को कार्यकारिणी परिषद् या विद्वत् परिषद् के उन कार्यों की समीक्षा करने का अधिकार होगा जिन्हें वह इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों के अनुकूल न पाये तथा वह विश्वविद्यालय के ऐसे सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा जिनकी इस अधिनियम के परिनियमों में अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो। विशेषतया वह निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन करेगा, अर्थात्—

(क) परिनियम बनाना तथा उनका संशोधन और निरसन करना,

(ख) अध्यादेशों पर विचार करना तथा उन्हें रद्द करना और

(ग) वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, बजट और विश्वविद्यालय की शिक्षा तथा प्रशासन सम्बन्धी सामान्य नीति के किसी विषय पर विचार करना तथा संकल्प पारित करना।

कार्यकारिणी परिषद्

१८—(१) कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालिका निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित होंगे—

(१) उपकुलपति,

(२) कोषाध्यक्ष,

(३) विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टियों के डीन,

(४) छात्र कल्याण के डीन, यदि कोई हो।

(५) सम्बद्ध कालेजों के तीन प्रिंसिपल, जो नियत रीति से चयन किये जायेंगे,

(६) कोर्ट के पांच ऐसे सदस्य जो खंड (१) से (५) में उल्लिखित व्यक्ति न हों या विश्वविद्यालय अथवा किसी संघटक या सम्बद्ध कालेज के अध्यापक न हों और जिन्हें कोर्ट अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित करे,

(७) खंड (१) से (६) के अधीन न आने वाला एक व्यक्ति जो विद्वत परिषद् द्वारा नियत नीति से निर्वाचित किया जायगा, और

(८) कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट पांच व्यक्ति।

(२) कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों के चयन, नाम-निर्देशन, निर्वाचन तथा नियुक्ति से सम्बद्ध परिनियमों में ऐसे समुचित उपबन्ध होंगे जिनसे यह सुनिश्चित हो जाये कि किसी एक सम्बद्ध कालेज के प्रिंसिपल या अध्यापक या कर्मचारी के रूप में अथवा प्रबन्धकारिणी के सदस्य के रूप में एक से अधिक व्यक्ति कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य न हों।

(३) पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य का कार्यकाल उसकी नियक्ति के दिनांक से तीन वर्ष होगा।

कार्यकारिणी परिषद् के अधिकार

१९—(१) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कार्यकारिणी परिषद् के निम्नलिखित अधिकार तथा कृत्य होंगे, अर्थात—

(क) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों पर नियंत्रण रखना और उनका प्रशासन करना,

(ख) उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन तथा संक्रमण करना,

(ग) किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय के अधिकार में दी गयी किसी निधि का प्रशासन करना,

(घ) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना,

(ङ) उसके परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार अधिछात्र-वृत्तियां, छात्रवृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियां (bursaries) पदक तथा अन्य पारितोषिक प्रदान करना,

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य सेवकों को नियुक्त करना, उनके कर्त्तव्यों तथा उनकी सेवा की शर्तों को निर्धारित करना और उनके पदों की अस्थायी तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति की व्यवस्था करना,

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण-पत्र तथा उपाधियां प्रदान करने के लिए परीक्षाओं के निमित्त पाठ्यक्रम नियत करना,

(ज) परीक्षक नियुक्त करना तथा परीक्षाओं के आयोजन और परीक्षाफल के प्रकाशन के सम्बन्ध में निर्देश देना,

(झ) कुलपति की पूर्ण स्वीकृति के अधीन रहते हुए किसी कालेज को निर्दिष्ट उपाधियों के निमित्त अध्यापन कार्य के लिए सम्बद्ध करने की स्वीकृति देना और तथा ऐसे सम्वर्द्धन को वापस लेना,

(ञ) सम्बद्ध कालेजों के निरीक्षण का प्रबन्ध करना और निदेश देना,

(ट) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर के आकार तथा प्रयोग के सम्बन्ध से निदेश देना,

(ठ) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सभी विषयों को विनियमित तथा निर्धारित करना, और

(ड) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा कृत्यों का सम्पादन करना जो इस अधिनियम या परिनियमों के किसी अन्य उपबन्ध द्वारा निर्दिष्ट किये जायें।

(२) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कार्यकारिणी परिषद् बन्धक, बिक्री, विनिमय, उपहार या अन्य रूप से विश्वविद्यालय की किसी अचल सम्पत्ति का न तो संक्रमण करेगी और न उसकी प्रतिभूति पर कोई धनराशि उधार या अग्रिम लेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ सामान्य रूप में दिया गया पट्टा इस उपधारा के अर्थ में संक्रमण नहीं समझा जायगा ।

(३) कार्यकारिणी परिषद् किसी वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले आवर्तक तथा अनावर्तक व्ययों को उन सीमाओं से अधिक व्यय नहीं करेगी जो वित्त समिति द्वारा निर्धारित की गयी हों।

(४) कार्यकारिणी परिषद् कोर्ट के संकल्पों पर यथोचित रूप से विचार करेगी और उन पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिन्हें वह उचित समझे और उसकी सूचना कोर्ट को देगी। यदि किसी दशा में, कार्यकारिणी परिषद् कोर्ट के किसी संकल्प के अनुसार कार्यवाही करने में असमर्थ हो तो वह कोर्ट को अपनी असमर्थता के कारणों की सूचना देगी।

(५) कार्यकारिणी परिषद् ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जायें अपने किन्हीं अधिकारों का प्रतिनिधान विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कर सकती है।

वित्त समिति

२०—(१) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगें—

(१) उपकुलपति,

(२) कोषाध्यक्ष,

(३) कोर्ट, के तीन ऐसे सदस्य जो कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य न हों और जो अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे जिनमें से दो व्यक्ति ऐसे होंगे जो विश्वविद्यालय, किसी संघटक कालेज, किसी सम्बद्ध कालेज या किसी छात्रावास की सेवा में न हों,

(४) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो व्यक्ति।

(२) वित्त समिति का सभापति, उपकुलपति तथा सचिव रजिस्ट्रार होगा।

(३) वित्त समिति, विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों को ध्यान में रखते हुए, किसी वित्तीय वर्ष के लिए कुल अनावर्तक तथा कुल अनावर्तक व्ययों की सीमा निश्चित करेगी, तथा ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन और कर्त्तव्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम या अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायें।

(४) वित्त समिति किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष के दौरान में उस व्यय सीमा को पुनरीक्षित कर सकती है जो उसने उपधारा (३) के अधीन निश्चित की हो।

अध्यापकों की नियुक्ति

२६—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के अध्यापक, उपधारा (३) में की गयी अवस्था को छोड़कर, सम्बद्ध चयन समिति के परामर्श से कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। सम्बद्ध कालेजों के अध्यापक, उपधारा (४) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रबन्धकारिणी द्वारा नियत रीति से नियुक्त किये जायेंगे।

(२) उपधारा (१) के अधीन नियुक्त प्रत्येक अध्यापक, प्रथमतः ऐसी अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा जो नियत की जाय और तब तक स्थायी न किया जायगा जब तक कि—

(क) उसके विश्वविद्यालय का अध्यापक होने की दशा में, कुलपति तथा विभागाध्यक्ष यदि वह स्वयं विभागाध्यक्ष न हो, और सम्बद्ध डीन के प्रतिवेदनों पर विचार करने के पश्चात् कार्यकारिणी परिषद् इसका आदेश न दे दें, और

(ख) उसके सम्बद्ध कालेज का अध्यापक होने की दशा में प्रिंसिपल और उस विषय के ज्येष्ठतम अध्यापक के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् प्रबन्धकारिणी आदेश न दे दे प्रतिबन्ध यह है कि प्रिंसिपल के स्थायीकरण की दशा में इस खंड के अधीन कोई प्रतिवेदन आवश्यक न होगा, और ज्येष्ठतम अध्यापक की दशा में केवल प्रिंसिपल का ही प्रतिवेदन आवश्यक होगा।

(३) कार्यकारिणी परिषद्, दस महीने से अनधिक अवधि के लिए किसी कर्मचारी को छुट्टी स्वीकृत किये जाने के कारण हुए रिक्त स्थान पर, यदि वह रिक्ति छः महीने से अनधिक अवधि के लिए हो, तो सम्बद्ध चयन समिति को बिना अभिदेश किये, और यदि वह रिक्त छः महीने से अधिक अवधि के लिए हो, तो सम्बद्ध चयन समिति को अभिदेश करने के पश्चात् स्थानापन्न नियुक्ति कर सकती है।

(४) किसी ऐसे सम्बद्ध कालेज में, जो केवल राज्य सरकार द्वारा संधारित न हो, किसी अध्यापक की छः महीने या उससे अधिक अवधि के लिए मौलिक या अस्थायी अथवा स्थानापन्न नियुक्ति की सूचना प्रबन्धकारिणी द्वारा ऐसी नियुक्ति के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर समस्त प्रार्थना-पत्र तथा सम्बद्ध पत्रादि के साथ उपकुलपति को दी जायगी। नियुक्ति का बना रहना उपकुलपति के अनुमोदन के अधीन होगा जो या तो नियुक्ति का अनुमोदन कर सकता है अथवा विश्वविद्यालय की सम्बद्ध विषय की चयन समिति की सहमति से उसे अस्वीकार कर सकता है और उपरोक्त दशा में वह नियुक्ति, यथाशक्य शीघ्र, किन्तु परिवीक्षाकाल की अवधि की समाप्ति के दिनांक के पूर्व ही समाप्त कर दी जायगी।

संबद्ध कालेजों के अध्यापकों की सेवा की शर्तें

२८—(१) केवल सरकार द्वारा संधारित कालेज से भिन्न किसी सम्बद्ध कालेज का प्रत्येक अध्यापक एक लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जायगा, जिसमें ऐसी शर्तें तथा प्रतिबन्ध होंगे, जो नियत किये जायेंगे। लिखित संविदा विश्वविद्यालय में रखी जायगी और उस की एक प्रतिलिपि सम्बद्ध प्रबन्धकारिणी तथा अध्यापक को दी जायगी।

(२) सम्बद्ध कालेज तथा उस के किसी अध्यापक के बीच उपधारा (१) में उल्लिखित संविदा से उठने वाला कोई विवाद मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अभिदिष्ट किया जायगा जिसमें प्रबन्धकारिणी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य, सम्बद्ध अध्यापक द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक सदस्य और उपकुलपति द्वारा नियुक्त एक निर्णाता होगा। न्यायाधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा। ऐसे अभिदेश पर आर्बीट्रेशन ऐक्ट, १९४० के सभी उपबन्ध यहां पर दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए लागू होंगे।

(३) केवल सरकार द्वारा संधारित कालेज से भिन्न, किसी सम्बद्ध कालेज की प्रबन्धकारिणी द्वारा किसी अध्यापक को सेवा से पदच्युत करने अथवा हटाने के लिए किये गये प्रत्येक निर्णय की सूचना उप कुलपति को तुरन्त दी जायगी और, परिनियमों में दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसा निर्णय तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि उप कुलपति उसका अनुमोदन न कर दें। ऐक्ट संख्या १०,१९४०

अध्यादेशों का बनाया जाना

३३—(१) इस धारा में अन्यथा की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए, अध्यादेश कार्यकारिणी परिषद् द्वारा बनाये जायेंगे और वे उस दिनांक से प्रभावी होंगे जिसे कार्यकारिणी परिषद् निदेशित करे;

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा अध्यादेश नहीं बनाया जायेगा—

(क) जिससे विश्वविद्यालय की आय तथा व्यय पर प्रभाव पड़े, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप राज्य सरकार को प्रस्तुत कर न दिया गया हो और उसके द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो, या

(ख) जिसमें विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए शर्तें निर्धारित हों अथवा जिससे किसी अन्य प्रकार से छात्रों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्वत् परिषद् ने प्रस्तावित न किया हो, या

(ग) जिससे किसी पाठ्यक्रम, किसी परीक्षा के संचालन या स्तर, अथवा परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों तथा रीति और उनके कर्त्तव्यों पर प्रभाव पड़े, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्वत् परिषद् ने प्रस्तावित न किया हो, और विद्वत् परिषद् तब तक ऐसे प्रारूप का प्रस्ताव नहीं करेगा जब तक कि सम्बद्ध फैकल्टियों के बोर्ड या फैकल्टी द्वारा अनुरोध न किया जाय, या

(घ) जिससे छात्रों के निवास की शर्तों पर प्रभाव पड़े, जब तक कि नियत की जाने वाली शर्तों का, यदि कोई हो, पालन न किया जाय।

(२) कार्यकारिणी परिषद् को उपधारा (१) के अधीन विद्वत् परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को संशोधित करने का अधिकार नहीं होगा, किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकती है या उसे विद्वत् परिषद् को पूर्णतः अथवा अंशतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधन के साथ वापस कर सकती है जिसका कार्यकारिणी परिषद् सुझाव दे।

(३) कार्यकारिणी परिषद् द्वारा बनाये गये अध्यादेश की एक प्रतिलिपि तुरन्त कुलपति और कोर्ट को प्रस्तुत की जायेगी और कोर्ट उस पर अपनी अगली बैठक में विचार करेगा। कोर्ट उक्त अध्यादेश को स्वीकार कर सकता है अथवा वह ऐसी बैठक में उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यादेश को रद्द कर सकता है और उस दशा में अध्यादेश, ऐसे संकल्प के दिनांक से निरर्थक हो जायेगा। कोर्ट उक्त अध्यादेश को यथास्थिति, स्वीकार करने अथवा रद्द करने की सूचना तुरन्त कुलपति को देगा।

(४) कुलपति कोर्ट द्वारा किसी अध्यादेश पर विचार कर लिए जाने और उस पर सहमति दिए जाने के पश्चात् किसी समय या तो उसे स्वीकार कर सकता है अथवा उसे रद्द कर सकता है, और पश्चात्वर्ती दशा में, कार्यकारिणी परिषद् को इस प्रकार रद्द किए जाने की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से अध्यादेश निरर्थक हो जायगा।

(५) कुलपति यह निदेश दे सकता है कि किसी अध्यादेश का प्रवर्तन उस समय तक के लिए निलम्बित रहेगा, जब तक कि वह उपधारा (४) के अधीन उसके द्वारा स्वीकार, अथवा रद्द न कर दिया गया हो। इस उपधारा के अधीन निलम्बन का आदेश कुलपति को, अध्यादेश स्वीकार करने के संबंध में कोर्ट की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से पन्द्रह दिन की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जायगा।

(६) यदि विद्वत् परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी अध्यादेश के प्रारूप को कार्यकारिणी परिषद् ने अस्वीकार कर दिया हो तो, विद्वत् परिषद् कोर्ट के समक्ष अपील कर सकता है, और यदि कोर्ट कार्यकारिणी परिषद् के विचार प्राप्त कर लेन के पश्चात् प्रारूप का अनुमोदन करें तो वह अध्यादेश बना सकता है और उसे कुलपति को प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार बनाया गया अध्यादेश ऐसे दिनांक से प्रभावी होगा जो कोर्ट निर्दिष्ट करे। कुलपति अध्यादेश को या तो स्वीकार कर सकता है अथवा रद्द कर सकता है और पश्चात्वर्ती दशा में कार्यकारिणी परिषद् को इस प्रकार रद्द किए जाने की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से अध्यादेश निरर्थक हो जायगा।

३७—(१) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विद्वत् परिषद् परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रबन्ध करने का निदेश देगी।

(२) यदि कोई परीक्षक किसी कारण से इस प्रकार कार्य करने में असमर्थ हो तो उप कुलपति उस रिक्ति की पूर्ति के लिए परीक्षक नियुक्त करेगा। प्रत्येक ऐसी नियुक्ति की सूचना कार्यकारिणी परिषद् को दी जायेगी।

(३) किसी उपाधि के निमित्त नियत प्रत्येक विषय के लिए नियुक्त परीक्षकों की यथाशाक्य, आधीसंख्या ऐसे व्यक्तियों की होगी जो विश्वविद्यालय अथवा उसके किसी संघटक या संबद्ध कालेज की सेवा में न हों।

(४) प्रत्येक फैकल्टी का बोर्ड, उस फैकल्टी में सम्मिलित किसी विभाग को सौंपे गये प्रत्येक विषय के लिए एक परीक्षा समिति नियुक्त करेगा। समिति में ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें बोर्ड, विद्वत् परिषद् के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, अपने सदस्यों में से अथवा बाहर से नियुक्त करे। समिति को किसी परीक्षा के लिए तैयार किए गए प्रश्न पत्रों का परिमार्जन करने, किसी परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा किए गए कार्य के गुण दोषों की समीक्षा करने, साफल्य स्तर (standard of attainment) के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने तथा इनमें से किसी भी विषय के सम्बन्ध में सिफारिश करने का अधिकार होगा। समिति द्वारा की गई कोई भी समीक्षा, प्रतिवेदन अथवा सिफारिश विद्वत् परिषद् के समक्ष विचारार्थ रखी जायेगी।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११५ एल० ए०-१६७२—८४५।